



SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थं सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

विनियोग लेखे 2024-25



हिमाचल प्रदेश सरकार

विनियोग लेखे

2024-25

हिमाचल प्रदेश सरकार

(i)
विनियोग लेखे
2024- 25
विषय-सूची

	पृष्ठ
भूमिका	(iii)
विनियोग लेखाओं का सारांश	(v-xv)
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट	(xvii-xix)
अनुदान/विनियोग का नाम और संख्या	
1. विधान सभा	.. 1-4
2. राज्यपाल और मंत्री परिषद	.. 5-8
3. न्याय प्रशासन	.. 9-13
4. सामान्य प्रशासन	.. 14-24
5. भू-राजस्व व जिला प्रशासन	.. 25-35
6. आबकारी और कराधान	.. 36-39
7. पुलिस और सम्बद्ध संगठन	.. 40-47
8. शिक्षा	.. 48-62
9. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	.. 63-77
10. लोक निर्माण- सड़क, पुल एवं भवन	.. 78-92
11. कृषि	.. 93-100
12. उद्यान	.. 101-105
13. सिंचाई, जलापूर्ति एवं सफाई	.. 106-127
14. पशुपालन, दुग्ध विकास एवं मत्स्य	.. 128-134
15. योजना एवं पिछड़ा क्षेत्र विकास कार्यक्रम	.. 135-141
16. वन और वन्य जीवन	.. 142-151
17. निर्वाचन	.. 152-154
18. उद्योग, खनिज, आपूर्ति एवं सूचना प्रौद्योगिकी	.. 155-160
19. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	.. 161-187
20. ग्रामीण विकास	.. 188-197
21. सहकारिता	.. 198-200
22. खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	.. 201-204
23. विद्युत विकास	.. 205-210
24. मुद्रण एवं लेखन सामग्री	.. 211-212
25. सड़क और जल परिवहन	.. 213-216
26. पर्यटन और नागर विमानन	.. 217-220
27. श्रम, रोजगार और प्रशिक्षण	.. 221-227
28. शहरी विकास, नगर और ग्राम योजना तथा आवास	.. 228-239
29. वित्त	.. 240-253
30. विविध सामान्य सेवाएँ	.. 254-259
31. जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम	.. 260-335
32. अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रम	.. 336-392
परिशिष्ट	
वर्ष 2024-25 के लेखाओं में व्यय में कमी के रूप में समायोजित वसूलियों के अनुमानों और वास्तविकताओं के आँकड़ों का अनुदानवार विवरण	.. 393

(iii)

भूमिका

हिमाचल प्रदेश सरकार के वर्ष 2024-25 के विनियोग लेखाओं के इस संकलन में 31 मार्च 2025 को समाप्त हुए वर्ष में व्यय की गई राशियों के लेखे प्रस्तुत किये गए हैं। लेखाओं की व्ययित राशियों की तुलना भारत के संविधान की धारा 204 व 205 के अर्न्तगत पारित विनियोग अधिनियमों में संलग्न अनुसूचियों में निर्दिष्ट राशियों से की गई है।

इन लेखाओं में:-

- 'मूल' का तात्पर्य मूल अनुदान या विनियोजन से है।
- 'पूरक' का तात्पर्य पूरक अनुदान या विनियोजन से है।
- 'पुनर्वि0' का तात्पर्य किसी सक्षम - प्राधिकारी द्वारा संस्वीकृत पुनर्विनियोजनों, धन-वापसियों या अभ्यर्पणों से है।

प्रभारित विनियोजन और व्यय को इटालिक में दर्शाया गया है।

हिमाचल प्रदेश विधानमंडल की लोक लेखा समिति के पत्र संख्या **VS-PAC (Accountant General)7-6/98-V** दिनांक **09 जनवरी 2025** द्वारा निम्नलिखित मानकों को अनुमोदित किया गया, जिन्हें विनियोजन लेखे की टिप्पणियों में अपनाया गया है।

यदि किसी अनुदान/विनियोग में किसी उप-शीर्ष/योजना में समस्त बचत/आधिक्य ₹ 2 लाख से कम है, तो टिप्पणियाँ आवश्यक नहीं है।

बचत

दत्तमत प्रावधान

बचत ₹ 30 लाख से अधिक या प्रावधान का 20 प्रतिशत जो भी अधिक हो, के लिए टिप्पणियाँ की जानी चाहिए।

प्रभारित विनियोजन

यदि बचत ₹ 12 लाख से अधिक या प्रावधान का 20 प्रतिशत जो भी अधिक हो, के लिए टिप्पणियाँ की जानी चाहिए।

आधिक्य

दत्तमत प्रावधान

यदि आधिक्य ₹ 20 लाख या प्रावधान का 20 प्रतिशत जो भी कम हो, के लिए टिप्पणियाँ की जानी चाहिए।

प्रभारित विनियोजन

यदि आधिक्य ₹ 9 लाख या प्रावधान का 20 प्रतिशत जो भी कम हो, के लिए टिप्पणियाँ की जानी चाहिए।

विनियोग लेखाओं का सारांश

विनियोग			
विनियोग लेखाओं			
अनुदान/विनियोजन की संख्या एवं नाम		कुल अनुदान/विनियोजन	
		राजस्व	पूंजीगत
1		2	3
(₹ हजार में)			
1-	विधान सभा-		
	दत्तमत	51,59,37	31,52,05
	प्रभारित	2,09,11	..
2-	राज्यपाल और मंत्री परिषद-		
	दत्तमत	21,08,93	..
	प्रभारित	9,06,12	..
3-	न्याय प्रशासन-		
	दत्तमत	3,05,03,22	36,17,22
	प्रभारित	70,58,70	..
4-	सामान्य प्रशासन-		
	दत्तमत	2,64,57,50	64,07,20
	प्रभारित	18,05,07	..
5-	भू-राजस्व व जिला प्रशासन-		
	दत्तमत	20,74,10,93	25,50,00
	प्रभारित
6-	आबकारी और कराधान-		
	दत्तमत	2,59,10,57	3,00,00
	प्रभारित
7-	पुलिस और सम्बद्ध संगठन-		
	दत्तमत	17,61,42,71	93,49,45
	प्रभारित	7,16,09	..
8-	शिक्षा-		
	दत्तमत	86,71,62,35	1,84,28,92
	प्रभारित	13,60,22	..

लेखे					
का सारांश					
व्यय		कुल अनुदान/विनियोजन के साथ व्यय की तुलना			
		बचत		आधिक्य	
राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
4	5	6	7	8	9
(₹ हजार में)					
50,94,08	44,19,53	65,29	12,67,48
					(12,67,48,401)
2,43,77	34,66	..
				(34,65,716)	
20,60,18	..	48,75
8,30,87	..	75,25
3,00,73,41	35,08,29	4,29,81	1,08,93
70,48,98	4,74,81	9,72	4,74,81
					(4,74,80,787)
2,47,65,03	99,70,83	16,92,47	35,63,63
					(35,63,63,362)
18,09,14	4,07	..
				(4,07,009)	
19,21,49,13	20,44,39	1,52,61,80	5,05,61
..
1,80,64,59	2,64,12	78,45,98	35,88
..
16,72,23,47	65,41,34	89,19,24	28,08,11
7,16,09
80,26,93,51	1,39,78,64	6,44,68,84	44,50,28
13,39,17	..	21,05

विनियोग			
विनियोग लेखाओं			
अनुदान/विनियोजन की संख्या एवं नाम		कुल अनुदान/विनियोजन	
		राजस्व	पूंजीगत
1		2	3
(₹ हजार में)			
9-	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण-		
	दत्तमत	28,19,82,48	4,91,39,79
	प्रभारित	3,46,60	..
10-	लोक निर्माण- सड़क, पुल एवं भवन-		
	दत्तमत	31,26,48,18	19,01,41,20
	प्रभारित	1,48,98	..
11-	कृषि-		
	दत्तमत	4,44,28,68	48,06,95
	प्रभारित
12-	उद्यान-		
	दत्तमत	4,03,88,05	11,59,10
	प्रभारित
13-	सिंचाई, जलापूर्ति एवं सफाई-		
	दत्तमत	29,17,98,40	12,19,06,32
	प्रभारित	1,89,05	22,87,25
14-	पशुपालन, दुग्ध विकास एवं मत्स्य-		
	दत्तमत	5,11,04,30	24,27,28
	प्रभारित
15-	योजना एवं पिछड़ा क्षेत्र विकास कार्यक्रम-		
	दत्तमत	76,47,57	6,99,62,00
	प्रभारित
16-	वन और वन्य जीवन-		
	दत्तमत	8,02,94,56	7,20,00
	प्रभारित	1,10	..
17-	निर्वाचन-		
	दत्तमत	1,22,83,78	3,75,00
	प्रभारित

लेखे					
का सारांश					
व्यय		कुल अनुदान/विनियोजन के साथ व्यय की तुलना			
		बचत		आधिव्यय	
राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
4	5	6	7	8	9
(₹ हजार में)					
26,69,01,67	5,18,95,67	1,50,80,81	27,55,88
					(27,55,87,634)
90,93	..	2,55,67
23,82,14,54	12,59,11,83	7,44,33,64	6,42,29,37
59,25	..	89,73
3,46,04,72	46,83,82	98,23,96	1,23,13
..
3,81,11,71	11,48,19	22,76,34	10,91
..
23,99,44,18	6,48,71,22	5,18,54,22	5,70,35,10
1,86,14	19,59,62	2,91	3,27,63
4,69,83,37	20,71,30	41,20,93	3,55,98
..
57,68,02	2,71,43,74	18,79,55	4,28,18,26
..
8,33,41,13	2,81,65	..	4,38,35	30,46,57	..
				(30,46,56,882)	
1,10
1,19,71,29	3,75,00	3,12,49
..

विनियोग			
विनियोग लेखाओं			
अनुदान/विनियोजन की संख्या एवं नाम		कुल अनुदान/विनियोजन	
		राजस्व	पूंजीगत
1		2	3
(₹ हजार में)			
18-	उद्योग, खनिज, आपूर्ति एवं सूचना प्रौद्योगिकी-		
	दत्तमत	1,47,25,15	90,06,02
	प्रभारित	3,76,30	..
19-	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता-		
	दत्तमत	19,83,19,86	1,16,84,39
	प्रभारित	56,74	..
20-	ग्रामीण विकास-		
	दत्तमत	21,59,74,88	13,65,00
	प्रभारित	13,70	..
21-	सहकारिता-		
	दत्तमत	48,00,81	2,00
	प्रभारित
22-	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति-		
	दत्तमत	1,80,01,02	10,00
	प्रभारित
23-	विद्युत विकास-		
	दत्तमत	8,95,58,22	2,39,98,73
	प्रभारित	2,01,51,48	..
24-	मुद्रण एवं लेखन सामग्री-		
	दत्तमत	26,33,97	3,75,00
	प्रभारित
25-	सड़क और जल परिवहन-		
	दत्तमत	4,36,70,94	6,56,10,17
	प्रभारित
26-	पर्यटन और नागर विमानन-		
	दत्तमत	1,23,18,95	5,93,44,03
	प्रभारित	23,97	..

लेखे					
का सारांश					
व्यय		कुल अनुदान/विनियोजन के साथ व्यय की तुलना			
		बचत		आधिक्य	
राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
4	5	6	7	8	9
(₹ हजार में)					
96,36,91	84,65,92	50,88,24	5,40,10
3,76,29	..	1
18,77,61,75	99,08,94	1,05,58,11	17,75,45
30,83	..	25,91
18,67,21,41	11,54,00	2,92,53,47	2,11,00
13,70
46,56,72	..	1,44,09	2,00
..
1,23,73,26	8,71	56,27,76	1,29
..
12,57,25,73	1,61,79,56	..	78,19,17	3,61,67,51	..
				(3,61,67,51,038)	
2,01,51,48
24,37,25	15	1,96,72	3,74,85
..
4,19,56,23	6,85,10,17	17,14,71	29,00,00
					(29,00,00,000)
..
1,14,22,51	6,41,54,22	8,96,44	48,10,19
					(48,10,18,546)
23,97

विनियोग			
विनियोग लेखाओं			
अनुदान/विनियोजन की संख्या एवं नाम		कुल अनुदान/विनियोजन	
		राजस्व	पूंजीगत
	1	2	3
(₹ हजार में)			
27-	श्रम, रोजगार और प्रशिक्षण-		
	दत्तमत	3,92,77,00	61,44,00
	प्रभारित
28-	शहरी विकास, नगर और ग्राम योजना तथा आवास-		
	दत्तमत	6,46,62,92	1,83,76,56
	प्रभारित	..	35,20
29-	वित्त-		
	दत्तमत	1,10,81,38,10	6,62,53
	प्रभारित	62,66,29,96	1,56,16,17,67
30-	विविध सामान्य सेवाएँ-		
	दत्तमत	1,16,40,03	67,61,59
	प्रभारित
31-	जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम-		
	दत्तमत	21,79,45,95	5,47,75,14
	प्रभारित	2,54,20	..
32-	अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रम-		
	दत्तमत	31,91,27,64	15,65,79,85
	प्रभारित
जोड़			
	दत्तमत	4,82,42,27,02	89,91,37,49
	प्रभारित	66,02,47,39	1,56,39,40,12
सकल जोड़		5,48,44,74,41	2,46,30,77,61

लेखे					
का सारांश					
व्यय		कुल अनुदान/विनियोजन के साथ व्यय की तुलना			
		बचत		आधिक्य	
राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
4	5	6	7	8	9
(₹ हजार में)					
3,60,96,64	56,18,17	31,80,36	5,25,83
..
6,22,76,73	1,74,68,80	23,86,19	9,07,76
..	35,20
1,07,81,14,50	3,51,73	3,00,23,60	3,10,80
62,61,20,37	1,81,68,80,81	5,09,59	25,52,63,14
					(25,52,63,14,381)
1,09,35,63	67,05,66	7,04,40	55,93
..
16,78,37,23	2,82,13,40	5,01,08,72	2,65,61,74
2,48,17	..	6,03
27,05,79,16	9,15,52,16	4,85,48,48	6,50,27,69
..
4,41,64,95,69	63,74,01,15*	44,69,45,41	27,70,33,52*	3,92,14,08	1,52,97,18
				(3,92,14,07,920)	(1,52,97,17,943)
65,92,90,25*	1,81,93,15,24	9,95,87*	3,62,83	38,73	25,57,37,95
				(38,72,725)	(25,57,37,95,168)
5,07,57,85,94*	2,45,67,16,39*	44,79,41,28**	27,73,96,35*	3,92,52,81	27,10,35,13
				(3,92,52,80,645)	(27,10,35,13,111)

पादटिप्पणी:- 1**पूर्ण आंकड़ें (+) ₹ 02 हजार से पूर्णांकित करने से भिन्न है।

2*पूर्ण आंकड़ें (+)/(-) ₹ 01 हजार से पूर्णांकित करने से भिन्न है।

विनियोग लेखे
विनियोग लेखाओं का सारांश
(क्रमशः)

वित्त वर्ष 2024-25 में आकस्मिक निधि से कोई अग्रिम नहीं लिया गया। 31 मार्च 2025 के अन्त तक गत वर्षों की कोई भी राशी आकस्मिक निधि से वसूल करने को शेष नहीं है।

निम्नलिखित दत्तमत अनुदान में आधिक्य का नियमन अपेक्षित है:-

राजस्व प्रवर्ग

- 16- वन और वन्य जीवन
- 23- विद्युत विकास

पूंजीगत प्रवर्ग

- 01- विधान सभा
- 04- सामान्य प्रशासन
- 09- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
- 25- सड़क और जल परिवहन
- 26- पर्यटन और नागर विमानन

निम्नलिखित अनुदानों में भी प्रभारित विनियोजन के आधिक्य का नियमन अपेक्षित है:-

राजस्व प्रवर्ग

- 01- विधान सभा
- 04- सामान्य प्रशासन

पूंजीगत प्रवर्ग

- 03- न्याय प्रशासन
- 29- वित्त

चूंकि अनुदान एवं प्रभारित विनियोजन व्यय हेतु अपेक्षित सकल राशियों के प्रति होती है, अतः उनके सम्मुख दर्शाए गए व्यय के आंकड़ों में यह वसूलियां (परिशिष्ट पृष्ठ संख्या 393) सम्मिलित नहीं होती हैं, जिन्हें लेखाओं में व्यय से कम करके समायोजित किया जाता है। शुद्ध व्यय के आंकड़े वित्त लेखाओं में दर्शाए गए हैं।

वर्ष 2024-25 के दौरान नौ अनुदानों (अनुदान संख्या-3, 12, 14, 19, 20, 23, 25, 31 व 32) के अन्तर्गत ₹ 4,38,65,53,210 का व्यय मूल व पूरक बजट अनुमानों में बिना बजट प्रावधान के हुआ। जिसमें से दो अनुदानों (अनुदान संख्या- 19 व 20) के अंतर्गत ₹ 11,19,09,392 का व्यय किया गया, जिसके लिए मार्च 2025 में ₹ 13,51,97,400 का पुनर्विनियोजन किया गया, जिसके लिए अनुपूरक बजट अनुमानों के माध्यम से धनराशि प्राप्त की जानी थी, लेकिन प्राप्त नहीं की गई। बिना बजट प्रावधान के पुनर्विनियोजन हिमाचल प्रदेश की बजट नियमावली के पैरा 12.5 के प्रावधान के विपरीत था।

टिप्पणी:-

वर्ष 2019-20 के दौरान ₹ 70,50 हजार की समस्त राशि "ओबी उच्चत" के अन्तर्गत बजट में योजना के अधिसूचित किये बिना किये गये व्यय के कारण रखा गया था जिसका वर्ष 2024-25 में वित्त विभाग द्वारा अनुपालना प्रस्तुत करने के कारण समायोजन किया गया।

(xv)

विनियोग लेखे
विनियोग लेखाओं का सारांश
(समाप्त)

वर्ष 2024-25 के विनियोग एवं वित्त लेखाओं के अनुसार कुल व्यय का समाधान नीचे दर्शाया गया है:-

	प्रभारित		दत्तमत	
	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
	(₹ हजार में)		(₹ हजार में)	
विनियोग लेखाओं के अनुसार कुल व्यय	65,92,90,25	1,81,93,15,24	4,41,64,95,69	63,74,01,15
घटाएं-परिशिष्ट में दर्शाई गई कुल वसूलियां	30,80,89,52	4,07,27,59
शुद्ध जोड़ जैसा कि वित्त लेखाओं की विवरणी संख्या-11 में दर्शाया गया है।	65,92,90,25	1,81,93,15,24	4,10,84,06,17	59,66,73,56

उपरोक्त वसूलियों के विवरण परिशिष्ट पृष्ठ संख्या 393 पर दिये गये हैं।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट
हिमाचल प्रदेश सरकार के विनियोजन लेखाओं की लेखापरीक्षा

अभिमत

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार के विनियोग लेखे, वर्ष में व्यय की गई राशियों के लेखाओं को संविधान के अनुच्छेद 204 और 205 के अंतर्गत पारित विनियोग अधिनियमों से जुड़ी अनुसूचियों में निर्दिष्ट राशियों की तुलना में प्रस्तुत करते हैं। वर्ष के लिए सरकार की प्राप्तियों और संवितरण के लेखों के साथ वित्तीय स्थिति को दर्शाने वाले वर्ष के लिए सरकार के वित्त लेखे अलग से प्रस्तुत किए जाते हैं।

मेरे अधिकारियों द्वारा अपेक्षित और प्राप्त की गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के आधार पर तथा लेखाओं की परीक्षण लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप, मेरे अभिमत में, विनियोग लेखे इस संकलन में टिप्पणियों के साथ पठित, 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष में व्यय की गई राशियों के लेखों को, भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 और 205 के अंतर्गत राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विनियोग अधिनियमों से जुड़ी अनुसूचियों में निर्दिष्ट राशियों की तुलना में निष्पक्ष रूप से प्रस्तुत करते हैं।

इन खातों की लेखापरीक्षा के साथ-साथ वर्ष या पूर्व के वर्षों के दौरान किए गए लेखापरीक्षा से उत्पन्न टिप्पणियां 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए अलग से प्रस्तुत की जा रही हिमाचल प्रदेश सरकार पर मेरी वित्तीय, अनुपालन और निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में निहित हैं।

अभिमत के लिए आधार

लेखापरीक्षा का संचालन सीएजी के लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार किया गया है। ये मानक यह अपेक्षा करते हैं कि हम इस आशय का तर्क संगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा की योजना तैयार करके उसका निष्पादन करें कि लेखे वस्तुपूरक अशुद्ध विवरण से मुक्त हैं। एक लेखापरीक्षा में, परीक्षण के आधार पर, वित्तीय विवरणों में राशियों और प्रकटीकरणों से संबंधित साक्ष्यों की जांच शामिल है। हमारे द्वारा प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा साक्ष्य मेरे अभिमत के लिए एक आधार प्रदान करते हैं।

प्रारंभिक और अनुषंगी लेखाओं की तैयारी का उत्तरदायित्व

राज्य सरकार राज्य विधानमंडल से बजट का प्राधिकरण प्राप्त करने के लिए उत्तरदायी है। राज्य सरकार और वे जो बजट के निष्पादन के लिए उत्तरदायी हैं जैसे हिमाचल प्रदेश सरकार के कोषागार, कार्यालय और विभाग, प्रारंभिक और अनुषंगी खातों की तैयारी और शुद्धता के साथ-साथ लागू विधियों, मानकों, नियमों एवं विनियमों के अनुसार लेनदेन की नियमितता सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार हैं।

इसके अलावा, वे विनियोग लेखाओं के संकलन और तैयारी के लिए हिमाचल प्रदेश के प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) के कार्यालय को प्रारंभिक और अनुषंगी लेखाओं और उससे संबंधित जानकारी प्रदान करने के लिए जिम्मेदार हैं।

वार्षिक लेखाओं के संकलन का उत्तरदायित्व

मेरे नियंत्रणाधीन कार्यरत हिमाचल प्रदेश के प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) का कार्यालय राज्य सरकार के वार्षिक लेखों के संकलन एवं तैयार करने के लिए उत्तरदायी है। यह नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तों) अधिनियम, 1971 की आवश्यकताओं के अनुसार है।

वार्षिक लेखा वाउचरों, चालानों और कोषागारों, कार्यालयों और हिमाचल प्रदेश सरकार के विभाग और भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त विवरण और प्रारंभिक एवं अनुषंगी लेखाओं से संकलित किया गया है।

वार्षिक लेखाओं की लेखापरीक्षा के उत्तरदायित्व

वार्षिक लेखाओं की लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 और 151 तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कर्तव्य शक्तियाँ और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की आवश्यकताओं के अनुसार प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) के कार्यालय के माध्यम से ऐसी लेखापरीक्षा के परिणामों के आधार पर इन लेखाओं पर अभिमत व्यक्त करने के लिए की जाती है।

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) और प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) के कार्यालय अलग-अलग संवर्ग, अलग रिपोर्टिंग लाइन और प्रबंधन संरचना के साथ स्वतंत्र संगठन हैं।

मामले का महत्व

मैं, निम्नलिखित पर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ:

वर्ष 2024-25 के दौरान ₹ 3,102.88 करोड़ के अधिक व्यय का अनुदान/विनियोजन से अधिक राशि का संवितरण हुआ था। जिसमें ₹ 427.46 करोड़ बिना किसी बजट के किया गया तथा ₹ 3,700.11 करोड़ का प्राधिकृत अनुदान/विनियोजन से अधिक संवितरण वर्ष 2021-22 से वर्ष 2023-24, तक राज्य विधानसभा से नियमितिकरण होना अभी शेष है।

दिनांक: 24 दिसम्बर 2025

स्थान: नई दिल्ली



(के. संजय मूर्ति)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-1- विधान सभा

(शीर्ष- 2011-संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधानमण्डल, 2216-आवास, 4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय तथा 7610-सरकारी कर्मचारी आदि को ऋण)

		कुल अनुदान/ विनियोजन	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य (+) बचत (-)
राजस्व प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	45,21,71			
		51,59,37	50,94,08	(-)65,29
पूरक	6,37,66			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..
प्रभारित				
मूल	85,51			
		2,09,11	2,43,77	(+)34,66
पूरक	1,23,60			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..
पूंजीगत प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	3,15,00			
		31,52,05	44,19,53	(+)12,67,48
पूरक	28,37,05			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..

टिप्पणियाँ तथा अभ्युक्तियाँ

- (i) राजस्व प्रवर्ग के प्रभारित विनियोजन में ₹ 34,65,716 के आधिक्य का नियमन अपेक्षित है।
- (ii) पूंजीगत प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 12,67,48,401 के आधिक्य का नियमन अपेक्षित है।
- (iii) राजस्व प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 65.29 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में प्राप्त ₹ 637.66 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्याधिक सिद्ध हुआ तथा विभाग द्वारा वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
- (iv) राजस्व प्रवर्ग के प्रभारित विनियोजन में ₹ 34.66 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2025 में प्राप्त ₹ 123.60 लाख का अनुपूरक अनुदान अपर्याप्त सिद्ध हुआ।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-1 (क्रमशः)

- (v) पूंजीगत प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 1,267.48 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2025 में प्राप्त ₹ 2,837.05 लाख का अनुपुरक अनुदान अपर्याप्त सिद्ध हुआ।

राजस्व प्रवर्ग

- (vi) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-
- | शीर्ष | कुल अनुदान | वास्तविक व्यय
(₹ लाख में) | आधिक्य (+)
बचत (-) |
|-------|------------|------------------------------|-----------------------|
|-------|------------|------------------------------|-----------------------|

2011- संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मंडल-

02- राज्य/संघ क्षेत्र विधान मंडल-

101- विधान सभा-

03- हिमाचल प्रदेश विधान सभा सदस्य-

राज्य भाग

मूल 1,643.30

1,541.64

1,537.09

(-)4.55

पुनर्वि० (-)101.66

मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 101.66 लाख की कमी विधायकों को मुख्य संसदीय सचिव के रूप में नियुक्त करने के कारण हुई जो आंशिक रूप से हिमाचल विधान सभा की माननीय समितियों द्वारा राज्य के बाहर दौरे पर अधिक व्यय, विधानसभा सदस्यों से बिजली, टेलीफोन, पानी के शुल्क और चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों/बिलों की अधिक प्राप्ति के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।

103- विधान मंडल सचिवालय-

01- विधान सभा सचिवालय के कर्मचारी-

राज्य भाग

मूल 2,083.48

पूरक 137.66

2,272.80

2,216.92

(-)55.88

पुनर्वि० 51.66

₹ 55.88 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 51.66 लाख का आवर्धन परिषद् शुल्क के भुगतान पर अधिक व्यय, यात्रा व्यय दावों की अधिक प्राप्ति तथा लैपटॉप की खरीद के कारण हुआ जोकि रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई बचत से अंशतः प्रतिसंतुलित हुआ जोकि अत्यधिक सिद्ध हुआ।

₹ 55.88 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतिक्रित थे (जुलाई 2025)।

- (vii) उपरोक्त बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य (+) बचत (-)
-------	------------	------------------------------	-----------------------

2011- संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मंडल-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-1 (क्रमशः)

<i>02- राज्य/संघ क्षेत्र विधान मंडल-</i>				
101- विधान सभा-				
04- पूर्व सदस्यों को मुफ्त यात्रा सुविधा-				
राज्य भाग				
मूल	20.00			
		70.00	68.50	(-)1.50
पुनर्वि0	50.00			

मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 50.00 लाख का आवर्धन पूर्व विधायकों द्वारा यात्रा दावों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ।

(viii) प्रभारित विनियोजन में आधिक्य मुख्यतः निम्नवत् शीर्ष के अन्तर्गत हुआ:-				
शीर्ष		कुल	वास्तविक	आधिक्य (+)
		विनियोजन	व्यय	बचत (-)
			(₹ लाख में)	

2011- संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मंडल-				
<i>02- राज्य/संघ क्षेत्र विधान मंडल-</i>				
101- विधान सभा-				
01- हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष/उपाध्यक्ष-				
राज्य भाग				
मूल	85.51			
		209.11	243.77	(+)34.66
पूरक	123.60			

₹ 34.66 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

पूंजीगत प्रवर्ग

(ix) दत्तमत्त अनुदान में आधिक्य मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुआ:-				
शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक	आधिक्य (+)
			व्यय	बचत (-)
			(₹ लाख में)	

4216- आवास पर पूंजीगत परिव्यय-				
<i>01- सरकारी आवासीय भवन-</i>				
700- अन्य आवास-				
16- विधान सभा के आवासीय भवन-				
राज्य भाग				
पूरक	2,712.05	2,712.05	4,006.12	(+)1,294.07

₹ 1,294.07 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-1 (समाप्त)

(x) उपरोक्त आधिक्य मुख्यतः निम्नवत् शीर्ष के अन्तर्गत हुई बचत से अंशतः प्रतिसंतुलित हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य (+) बचत (-)
7610- सरकारी कर्मचारी आदि को ऋण-			
202- मोटर वाहन को क्रय करने के लिए अग्रिम-			
06- पूर्व विधायकों को वाहन खरीदने के लिए ऋण- राज्य भाग			
मूल	20.00	20.00	15.00
			(-)5.00

₹ 5.00 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-2- राज्यपाल और मंत्री परिषद

(शीर्ष- 2012-राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति/राज्यपाल, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक, 2013-मंत्री परिषद तथा 2216-आवास)

		कुल अनुदान/ विनियोजन	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य(+) बचत(-)
राजस्व प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	19,55,97			
		21,08,93	20,60,18	(-)48,75
पूरक	1,52,96			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)				6,49
प्रभारित				
मूल	9,06,12			
		9,06,12	8,30,87	(-)75,25
पूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)				71,93

टिप्पणियाँ तथा अभ्युक्तियाँ

- (i) राजस्व प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 48.75 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में प्राप्त ₹ 152.96 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ तथा ₹ 6.49 लाख का अभ्यर्पण अपर्याप्त सिद्ध हुआ।
- (ii) राजस्व प्रवर्ग के प्रभारित विनियोजन में ₹ 75.25 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से ₹ 71.93 लाख का अभ्यर्पण अपर्याप्त सिद्ध हुआ।

राजस्व प्रवर्ग

- (iii) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य (+) बचत (-)
2013- मंत्री-परिषद्-				
101- मंत्रियों/उप मंत्रियों का वेतन-				
01- मंत्रियों तथा उप मंत्रियों का वेतन- राज्य भाग				
मूल	1,239.24			
पूरक	21.96	1,263.71	1,227.66	(-)36.05
पुनर्वि०	2.51			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-2 (क्रमशः)

₹ 36.05 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतिक्षित थे (जुलाई 2025)।

105- मंत्रियों की ऐच्छिक निधि-
02- अन्य प्रयोजनों के लिए-
राज्य भाग
मूल 9.00

पुनर्वि० (-)9.00

मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा ₹ 9.00 लाख का समस्त प्रावधान मुख्यमंत्री की ऐच्छिक निधि से धनराशी की कम मांग के कारण कम कर दिया गया।

(iv) प्रभारित विनियोजन में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अर्न्तगत हुई:-

शीर्ष	कुल विनियोजन	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य (+) बचत (-)
-------	-----------------	---------------------------------	-----------------------

2012- राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति/राज्यपाल/संघ क्षेत्र के प्रशासक-

03- राज्यपाल/संघ क्षेत्रों के प्रशासक-

090- सचिवालय-

01- राज्यपाल सचिवालय के कर्मचारी वर्ग

राज्य भाग

मूल 520.22

475.25

474.30

(-)0.95

पुनर्वि० (-)44.97

मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा विनियोजन में ₹ 44.97 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जोकि बाह्य स्रोत सेवाओं के भुगतान तथा वाहनों के पेट्रोल, मरम्मत और रखरखाव पर अधिक व्यय के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।

103- पारिवारिक स्थापना-

01- राज्यपाल की घरेलू स्थापना-

राज्य भाग

मूल 290.79

256.79

254.46

(-)2.33

पुनर्वि० (-)34.00

मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा विनियोजन में ₹ 34.00 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जोकि यात्रा व्यय के बिलों की अधिक प्राप्ति के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।

107- संविदा भत्ते से व्यय-

01- राज्यपाल के संविदा भत्ते-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-2 (क्रमशः)

राज्य भाग				
मूल	10.00			
		4.90	4.89	(-)0.01
पुनर्वि०	(-)5.10			

मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा विनियोजन में ₹ 5.10 लाख की कमी राज्यपाल के कार्यालय तथा आवास की साज-सज्जा पर कम व्यय होने के कारण हुई।

800- अन्य व्यय-

06- मुरम्मते-

राज्य भाग

मूल 5.00

..

..

..

पुनर्वि० (-)5.00

मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 5.00 लाख के समस्त विनियोजन को रखरखाव कार्यों के कम निष्पादन होने के कारण कम कर दिया गया।

(v) उपरोक्त बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अर्न्तगत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-

शीर्ष	कुल विनियोजन	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य (+) बचत (-)
-------	-----------------	---------------------------------	-----------------------

**2012- राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति/राज्यपाल,
संघ क्षेत्र के प्रशासक-**

03- राज्यपाल/संघ क्षेत्रों के प्रशासक-

104- आतिथ्य भत्ता-

01- राज्यपाल के संविदा भत्ते-

राज्य भाग

मूल 8.00

16.50

16.50

..

पुनर्वि० 8.50

मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा विनियोजन में ₹ 8.50 लाख का आवर्धन राज्यपाल के सरकारी अतिथियों के मनोरंजन पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

108- दौरा खर्च-

01- राज्यपाल तथा उनकी स्थापना के लिए यात्रा व्यय-

राज्य भाग

मूल 12.00

16.25

16.25

..

पुनर्वि० 4.25

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-2 (समाप्त)

मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा विनियोजन में ₹ 4.25 लाख का आवर्धन राज्यपाल और उनके कर्मचारियों के यात्रा व्यय बिलों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ।

800-	अन्य व्यय-				
03-	विद्युत-				
	राज्य भाग				
	मूल	9.00			
			15.00	15.00	..
	पुनर्वि०	6.00			

मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा विनियोजन में ₹ 6.00 लाख का आवर्धन बिजली बिलों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-3- न्याय प्रशासन

(शीर्ष- 2014-न्याय प्रशासन, 2059-लोक निर्माण कार्य, 2062-सतर्कता, 2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं, 2216-आवास तथा 4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय)

		कुल अनुदान/ विनियोजन	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य (+) बचत (-)
राजस्व प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	2,49,76,49			
		3,05,03,22	3,00,73,41	(-)4,29,81
पूरक	55,26,73			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)				19,96
प्रभारित				
मूल	63,33,44			
		70,58,70	70,48,98	(-)9,72
पूरक	7,25,26			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..
पूंजीगत प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	5,06,00			
		36,17,22	35,08,29	(-)1,08,93
पूरक	31,11,22			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				
प्रभारित				
मूल	..			
		..	4,74,81	(+)4,74,81
पूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..

टिप्पणियाँ तथा अभ्युक्तियाँ

- (i) पूंजीगत प्रवर्ग के प्रभारित विनियोजन में ₹ 4,74,80,787 के आधिक्य का नियमन अपेक्षित है।
- (ii) राजस्व प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 429.81 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में प्राप्त ₹ 5,526.73 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ तथा ₹ 19.96 लाख का अभ्यर्पण अपर्याप्त सिद्ध हुआ।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-3- (क्रमशः)

- (iii) राजस्व प्रवर्ग के प्रभारित विनियोजन में ₹ 9.72 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में प्राप्त ₹ 725.26 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ तथा वर्ष के दौरान विभाग द्वारा कोई भी राशी अभ्यर्पित नहीं की गई।
- (iv) पूंजीगत प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 108.93 लाख के अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में प्राप्त ₹ 3,111.22 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ तथा वर्ष के दौरान विभाग द्वारा कोई भी राशी अभ्यर्पित नहीं की गई।
- (v) पूंजीगत प्रवर्ग के प्रभारित विनियोजन में ₹ 474.81 लाख का समस्त व्यय बिना विनियोजन के किया गया।

राजस्व प्रवर्ग

- (vi) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य बचत	(+) (-)
		(₹ लाख में)		

2014- न्याय प्रशासन-

105- सिविल और सेशन न्यायालय-

01- सिविल तथा सत्र न्यायालय स्थापना-
राज्य भाग

(i)	मूल	18,792.71			
	पूरक	3,890.55	22,696.64	22,466.86	(-)229.78
	पुनर्वि०	13.39			
07-	फास्ट ट्रैक विशेष अदालतें (यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण)- केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(ii)	मूल	0.01			
	पूरक	238.04	238.04	225.31	(-)12.73
	पुनर्वि०	(-)0.01			

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 242.51 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

114- विधि सलाहकार और परामर्शदाता-

02- अन्य विधि अधिकारी-
राज्य भाग

	मूल	2,783.86			
			2,632.11	2,616.54	(-)15.57
	पुनर्वि०	(-)151.75			

मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 151.75 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

119- कानूनी सहायता सेवाएं-

01- हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-3- (क्रमशः)

राज्य भाग				
मूल	940.71			
पूरक	439.77	1422.68	1378.25	(-)44.43
पुनर्वि०	42.20			

₹ 44.43 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 42.20 लाख का आवर्धन द्वितीय न्यायिक राष्ट्रीय वेतन आयोग के संशोधन के कारण स्थानांतरण व्यय के अंतर्गत अधिक दावों के कारण किया गया जोकि अनावश्यक सिद्ध हुआ।

₹ 44.43 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

2059- लोक निर्माण कार्य-

01- कार्यालय भवन-

053- रख रखाव तथा मरम्मत-

38- उच्च न्यायालय एवं अधिनस्थ न्यायालय
भवनों का रख रखाव-

राज्य भाग

मूल	122.21			
		233.37	199.38	(-)33.99
पूरक	111.16			

₹ 33.99 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

2070- अन्य प्रशासनिक सेवाएँ-

105- विशेष जांच आयोग-

04- हिमाचल प्रदेश मानव अधिकार आयोग-

राज्य भाग

मूल	208.24			
		165.99	145.34	(-)20.65
पुनर्वि०	(-)42.25			

मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 42.25 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

2216- आवास-

05- साधारण पूल आवास-

053- मरम्मत एवं रख रखाव-

01- अन्य रख रखाव व्यय-

राज्य भाग

मूल	40.58			
		240.58	200.66	(-)39.92
पूरक	200.00			

₹ 39.92 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-3- (क्रमशः)

(vii)	उपरोक्त बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-			
शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)	(₹ लाख में)
2014- न्याय प्रशासन-				
114- विधि सलाहकार और परामर्शदाता-				
01- महाधिवक्ता-				
राज्य भाग				
मूल	1,235.18			
पूरक	495.32	1,776.19	1,770.13	(-)6.06
पुनर्वि०	45.69			
मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 45.69 लाख का आवर्धन टेलीफोन, पानी, बिजली के बिलों और बाह्य स्रोत सेवाओं पर अधिक व्यय के कारण हुआ।				
03- राज्य न्यायिक अकादमी पर व्यय-				
राज्य भाग				
मूल	311.55			
		385.17	383.97	(-)1.20
पुनर्वि०	73.62			
मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 73.62 लाख का आवर्धन बकाया वेतन के भुगतान तथा द्वितीय न्यायिक राष्ट्रीय वेतन आयोग के कारण हुए स्थानांतरण व्यय के अधिक दावों के कारण हुआ।				
2059- लोक निर्माण कार्य-				
01- कार्यालय भवन-				
053- रख रखाव तथा मरम्मत-				
57- लोकायुक्त कार्यालय भवन का रख रखाव-				
राज्य भाग				
मूल	1.52			
		4.17	4.17	..
पुनर्वि०	2.65			
मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2.65 लाख का आवर्धन कार्यालय भवनों के रख रखाव पर अधिक व्यय के कारण हुआ।				
86- हिमाचल प्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी भवनों का रखरखाव-				
राज्य भाग				
मूल	1.52			
		11.52	11.52	..
पुनर्वि०	10.00			
मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 10.00 लाख का आवर्धन रखरखाव कार्यों पर अधिक व्यय के कारण हुआ।				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-3-(समाप्त)

पूंजीगत प्रवर्ग

(viii) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
(₹ लाख में)			
4059- लोक निर्माण कार्यो पर पूंजीगत परिव्यय-			
01- कार्यालय भवन-			
051- निर्माण-			
15- न्यायपालिका संरचना का उत्थान- राज्य भाग			
(i) मूल	116.00		
पूरक	150.22	267.22	(-)36.82
पुनर्वि०	1.00		
31- राष्ट्रीय विधि विश्व विद्यालय- राज्य भाग			
(ii) मूल	329.00		
		1,929.00	(-)70.23
पूरक	1,600.00	1,858.77	

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 107.05 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

(ix) प्रभारित विनियोजन में आधिक्य मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल विनियोजन	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
(₹ लाख में)			
4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-			
01- कार्यालय भवन-			
051- निर्माण-			
15- न्यायपालिका का संरचना का उत्थान- राज्य भाग			
	..	474.81	(+474.81

₹ 474.81 लाख का समस्त व्यय बिना विनियोजन के हुआ; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-4- सामान्य प्रशासन

(शीर्ष- 2051-लोक सेवा आयोग, 2052- सचिवालय-सामान्य सेवाएँ, 2053- जिला प्रशासन, 2059- लोक निर्माण-कार्य, 2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएँ, 2075- विविध सामान्य सेवाएँ, 2216- आवास, 2235- सामाजिक सुरक्षा और कल्याण, 2251- सचिवालय -सामाजिक सेवाएँ, 3425- अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान, 3435- पारिस्थितिकी विज्ञान और पर्यावरण, 3451- सचिवालय-आर्थिक सेवाएँ, 4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय और 4216- आवास पर पूंजीगत परिव्यय)

		कुल अनुदान/ विनियोजन	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य (+) बचत (-)
राजस्व प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	2,40,11,59			
		2,64,57,50	2,47,65,03	(-)16,92,47
पूरक	24,45,91			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित (31 मार्च 2025)				
				2,19,76
प्रभारित				
मूल	10,64,39			
		18,05,07	18,09,14	(+)4,07
पूरक	7,40,68			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				
				..
पूंजीगत प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	13,82,00			
		64,07,20	99,70,83	(+)35,63,63
पूरक	50,25,20			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				
				..

टिप्पणियाँ तथा अभ्युक्तियाँ

- (i) राजस्व प्रवर्ग के प्रभारित विनियोजन में ₹ 4,07,009 के आधिक्य का नियमन अपेक्षित है।
- (ii) पूंजीगत प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 35,63,63,362 के आधिक्य का नियमन अपेक्षित है।
- (iii) राजस्व प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 1,692.47 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में प्राप्त ₹ 2,445.91 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ व ₹ 219.76 लाख का अभ्यर्पण अपर्याप्त सिद्ध हुआ।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-4 (क्रमशः)

- (iv) राजस्व प्रवर्ग के प्रभारित विनियोजन में ₹ 4.07 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2025 में प्राप्त ₹ 740.68 लाख का अनुपूरक अनुदान अपर्याप्त सिद्ध हुआ।
- (v) पूंजीगत प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 3,563.63 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2025 में प्राप्त ₹ 5,025.20 लाख का अनुपूरक अनुदान अपर्याप्त सिद्ध हुआ।

राजस्व प्रवर्ग

- (vi) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य (+) बचत (-)
-------	------------	---------------------------------	-----------------------

2052- सचिवालय-सामान्य सेवाएँ-

090- सचिवालय-

01- मुख्य सचिवालय-
राज्य भाग

मूल 6,748.31

6,478.83

6,374.94

(-)103.89

पुनर्वि० (-)269.48

₹ 103.89 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 269.48 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जोकि बिजली, पानी के बिलों की अधिक प्राप्ति, हिमाचल प्रदेश सचिवालय के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों के आयकर रिटर्न अपलोड करने के भुगतान पर अधिक व्यय, अधिवक्ताओं की परामर्श फीस, वाहनों की मरम्मत और सचिवालय कर्मचारियों के लिए जिम की स्थापना के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 103.89 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

02- राजस्व विभाग-
राज्य भाग

(i) मूल 902.88

688.23

688.22

(-)0.01

पुनर्वि० (-)214.65

03- आबकारी एवं कराधान विभाग-
राज्य भाग

(ii) मूल 143.62

97.60

97.59

(-)0.01

पुनर्वि० (-)46.02

04- गृह विभाग-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-4 (क्रमशः)

	राज्य भाग				
(iii)	मूल	617.16			
			523.61	523.60	(-)0.01
	पुनर्वि०	(-)93.55			
05-	लोक निर्माण विभाग-				
	राज्य भाग				
(iv)	मूल	739.27			
			603.31	603.30	(-)0.01
	पुनर्वि०	(-)135.96			
06-	वित्त विभाग-				
	राज्य भाग				
(v)	मूल	1,036.61			
			889.00	889.98	(-)0.02
	पुनर्वि०	(-)147.61			
07-	विधि विभाग-				
	राज्य भाग				
(vi)	मूल	825.83			
			688.49	688.47	(-)0.02
	पुनर्वि०	(-)137.34			

उपरोक्त छः मामलों में मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा ₹ 775.13 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

2059- लोक निर्माण कार्य-

01- कार्यालय भवन-

053- रख रखाव तथा मरम्मत-

45- हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग

भवन का रख रखाव-

राज्य भाग

मूल

3.00

..

..

..

पुनर्वि०

(-)3.00

मार्च 2025 में ₹ 3.00 लाख के समस्त प्रावधान को पुनर्विनियोजन द्वारा भवनों के रख रखाव पर कम व्यय के कारण कम कर दिया गया।

2075- विविध सामान्य सेवाएं-

104- विशिष्ट सेवाओं के प्रतिफल में पेंशन तथा पुरस्कार-
सेवाओं पर विचार-

01- युद्ध जागीरों पर व्यय-

राज्य भाग

मूल

15.00

15.00

..

(-)15.00

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-4 (क्रमशः)

₹ 15.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

02-	वीरता पुरस्कार- राज्य भाग				
(i)	मूल	250.00			
	पूरक	155.01	409.42	208.78	(-)200.64
	पुनर्वि०	4.41			
800-	अन्य व्यय-				
04-	मृत तथा अपंग हुए सैनिकों के परिवार को आर्थिक सहायता- राज्य भाग				
(ii)	मूल	150.00			
			455.00	198.75	(-)256.25
	पूरक	305.00			
13-	सैनिक कल्याण विभाग के अन्तर्गत संगठनों को सहायता- राज्य भाग				
(iii)	मूल	6.00			
			217.92	96.07	(-)121.85
	पूरक	211.92			

उपरोक्त तीन मामलों में ₹ 578.74 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

14-	अन्य उद्देश्यों के लिए हेलिकॉप्टर सेवाएं- राज्य भाग				
	मूल	1,400.00			
			1,339.60	1,305.37	(-)34.23
	पुनर्वि०	(-)60.40			

₹ 34.23 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 60.40 लाख की कमी मासिक एयरलिफ्टिंग बिलों की कम प्राप्ति के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 34.23 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

2216- आवास-

05- सामान्य पूल आवास-

053- साधारण मरम्मत एवं रख रखाव-

01- अन्य रख-रखाव व्यय-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-4 (क्रमशः)

राज्य भाग				
मूल	2,100.00			
		2,375.00	1,975.23	(-) 399.77
पूरक	275.00			

₹ 399.77 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतिक्षित थे (जुलाई 2025)।

800- अन्य व्यय-

04- संपदा प्रबंधन-

राज्य भाग

मूल 83.51

56.54

56.46

(-)0.08

पुनर्वि० (-)26.97

मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 26.97 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-

60- अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम-

200- अन्य कार्यक्रम-

05- हिमाचल प्रदेश स्वतंत्रता सेनानी कल्याण कोष-

राज्य भाग

मूल 800.93

737.76

737.76

..

पुनर्वि० (-)63.17

मार्च 2025 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 63.17 लाख की कमी पेंशन के लिए कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

08- स्वतंत्रता सेनानियों की कन्याओं/प्रपौत्रियों

के विवाह हेतु सहायता-

राज्य भाग

मूल 10.00

4.83

4.83

..

पुनर्वि० (-)5.17

मार्च 2025 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 5.17 लाख की कमी स्वतंत्रता सेनानियों की बेटियों और पोतियों की शादी के बिलों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

20- भूतपूर्व सैनिकों के राहत एवं पुनर्वास हेतु अनुदान-

राज्य भाग

मूल 20.00

20.00

4.00

(-)16.00

₹ 16.00 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतिक्षित थे (जुलाई 2025)।

2251- सचिवालय-सामाजिक सेवाएं-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-4 (क्रमशः)

090-	सचिवालय-				
01-	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग-				
	राज्य भाग				
(i)	मूल	532.24			
			479.23	479.21	(-)0.02
	पुनर्वि०	(-)53.01			
02-	स्थानीय स्वशासन विभाग-				
	राज्य भाग				
(ii)	मूल	163.60			
			132.51	132.47	(-)0.04
	पुनर्वि०	(-)31.09			
03-	शिक्षा विभाग-				
	राज्य भाग				
(iii)	मूल	539.41			
			463.50	463.39	(-)0.11
	पुनर्वि०	(-)75.91			
04-	भाषा, सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं कल्याण विभाग-				
	राज्य भाग				
(iv)	मूल	263.00			
			215.78	215.74	(-)0.04
	पुनर्वि०	(-)47.22			
06-	खाद्य एवं आपूर्ति विभाग-				
	राज्य भाग				
(v)	मूल	218.39			
			165.91	165.90	(-)0.01
	पुनर्वि०	(-)52.48			
08-	युवक कल्याण तथा सेवाएं विभाग-				
	राज्य भाग				
(vi)	मूल	122.83			
			94.45	94.44	(-)0.01
	पुनर्वि०	(-)28.38			

उपरोक्त छः मामलों में मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 288.09 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

3425- अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान-

60- अन्य-

001- निदेशन तथा प्रशासन-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-4 (क्रमशः)

02- पर्यावरण एवं वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी विभाग-

राज्य भाग

मूल 590.00

412.60

317.04

(-)95.56

पुनर्वि० (-)177.40

₹ 95.56 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 177.40 लाख की कमी प्रस्तावों की कम प्राप्ति व रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 95.56 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

200- अन्य वैज्ञानिक निकायों को सहायता-

01- कार्यरत अभिकरणों को सहायता अनुदान-

राज्य भाग

मूल 475.00

475.00

437.50

(-)37.50

₹ 37.50 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

3435- परिस्थिति विज्ञान तथा पर्यावरण-

03- पर्यावरणीय अनुसंधान तथा परिस्थितिक पुनरुद्भव-

103- अनुसंधान तथा परिस्थितिक पुनरुद्भव-

01- परिस्थिति विकास कार्यक्रम-

राज्य भाग

मूल 130.00

67.50

32.50

(-)35.00

पुनर्वि० (-)62.50

₹ 35.00 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 62.50 लाख की कमी योजना के अन्तर्गत कम व्यय के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 35.00 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

3451- सचिवालय-आर्थिक सेवाएं-

090- सचिवालय-

02- उद्यान विभाग-

राज्य भाग

(i) मूल 203.09

153.09

153.01

(-)0.08

पुनर्वि० (-)50.00

03- सहकारिता विभाग-

राज्य भाग

(ii) मूल 151.83

121.16

121.05

(-)0.11

पुनर्वि० (-)30.67

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-4 (क्रमशः)

04-	पशुपालन विभाग- राज्य भाग				
(iii)	मूल	171.75			
			124.35	124.34	(-)0.01
	पुनर्वि०	(-)47.40			
05-	ग्रामीण एकीकरण विकास तथा पंचायती राज विभाग- राज्य भाग				
(iv)	मूल	148.80			
			116.90	116.89	(-)0.01
	पुनर्वि०	(-)31.90			
06-	वन फार्म एवं पर्यावरण संरक्षण विभाग- राज्य भाग				
(v)	मूल	408.80			
			353.35	353.30	(-)0.05
	पुनर्वि०	(-)55.45			
07-	उद्योग विभाग- राज्य भाग				
(vi)	मूल	371.02			
			327.25	327.08	(-)0.17
	पुनर्वि०	(-)43.77			
08-	परिवहन तथा पर्यटन विभाग- राज्य भाग				
(vii)	मूल	174.44			
			116.57	116.54	(-)0.03
	पुनर्वि०	(-)57.87			
09-	श्रम, रोजगार तथा प्रशिक्षण विभाग- राज्य भाग				
(viii)	मूल	120.91			
			92.81	92.71	(-)0.10
	पुनर्वि०	(-)28.10			
10-	योजना विभाग- राज्य भाग				
(ix)	मूल	132.66			
			104.98	104.97	(-)0.01
	पुनर्वि०	(-)27.68			
11-	पब्लिक फार्मिनेस तथा पब्लिक इन्टरप्राइजिज सेल की स्थापना-				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-4 (क्रमशः)

राज्य भाग				
(x)	मूल	25.89		
			19.46	19.43
				(-)0.03
	पुनर्वि०	(-)6.43		
13-	अन्य सचिवालय विभाग- राज्य भाग			
(xi)	मूल	169.21		
			136.55	136.54
				(-)0.01
	पुनर्वि०	(-)32.66		

उपरोक्त ग्यारह मामलों में मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 411.93 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

(vii) उपरोक्त बचत निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य (+) बचत (-)
-------	------------	---------------------------------	-----------------------

2051- लोक सेवा आयोग-

103- कर्मचारी चयन आयोग-

01- हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग-

राज्य भाग

पूरक	61.00			
		64.00	79.40	(+)15.40
पुनर्वि०	3.00			

₹ 15.40 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

2053- जिला प्रशासन-

094- अन्य स्थापनाएं-

06- हिमाचल दिवस मनाने पर व्यय-

राज्य भाग

मूल	50.00			
		554.15	536.50	(-)17.65
पुनर्वि०	504.15			

₹ 17.65 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 504.15 लाख का आवर्धन राज्य स्तरीय समारोह के आयोजन पर अधिक व्यय के कारण किया गया जोकि अत्यधिक सिद्ध हुआ।

₹ 17.65 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

800- अन्य व्यय-

05- 50वें राज्यत्व दिवस का उत्सव-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-4 (क्रमशः)

राज्य भाग				
मूल	0.01			
		849.77	789.91	(-)59.86
पुनर्वि०	849.76			

₹ 59.86 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 849.76 लाख का आवर्धन राज्यत्व दिवस के आयोजन पर अधिक व्यय के कारण हुआ जोकि अत्यधिक सिद्ध हुआ।

₹ 59.86 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

2059- लोक निर्माण कार्य-

01- कार्यालय भवन-

053- रख रखाव तथा मरम्मत-

27- सचिवालय भवनों के रख रखाव पर व्यय-

राज्य भाग

मूल	105.00			
		700.00	699.87	(-)0.13
पुनर्वि०	595.00			

मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 595.00 लाख का आवर्धन मरम्मत/रख रखाव कार्यों के अधिक निष्पादन के कारण हुआ।

2070- अन्य प्रशासनिक सेवाएं-

115- अतिथि गृह सरकारी होस्टल इत्यादि-

04- हिमाचल भवन चंडीगढ़/विलीज पार्क शिमला-

राज्य भाग

मूल	50.00			
पूरक	547.93	645.71	645.71	..
पुनर्वि०	47.78			

मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 47.78 लाख का आवर्धन हिमाचल भवन चंडीगढ़ और विलीज पार्क शिमला के घाटे की प्रतिपूर्ति पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

पूंजीगत प्रवर्ग

(viii) दत्तमत अनुदान में आधिक्य मुख्यतः निम्नवत् शीर्ष के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
		(₹ लाख में)	

4059- लोक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय-

60- अन्य भवन-

051- निर्माण-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-4 (समाप्त)

05-	नई दिल्ली में स्टेट गैस्ट हाउस का निर्माण- राज्य भाग-				
	मूल	856.00			
			5,881.20	9,512.01	(+)3,630.81
	पूरक	5,025.20			

₹ 3,630.81 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

(ix) उपरोक्त आधिक्य मुख्यतः निम्नवत शीर्ष के अन्तर्गत हुई बचत से अंशतः प्रतिसंतुलित हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
			(₹ लाख में)

4216- आवास पर पूंजीगत परिव्यय-

01- सरकारी आवासीय भवन-

106- साधारण पूल आवास-

19- सरकारी पूल आवासीय भवनों का निर्माण-
राज्य भाग

मूल	526.00	526.00	458.82	(-)67.18
-----	--------	--------	--------	----------

₹ 67.18 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-5- भू-राजस्व व जिला प्रशासन

(शीर्ष- 2029-भू-राजस्व, 2030- स्टाम्प तथा पंजीकरण, 2053- जिला प्रशासन, 2055-पुलिस, 2059- लोक निर्माण-कार्य, 2216- आवास, 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, 2245- प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत, 2401- फसल कृषि कर्म, 2506- भूमि सुधार, 2702- लघु सिंचाई, 3454- जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, 4059- लोक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य (+) बचत (-)
राजस्व प्रवर्ग			
दत्तमत			
मूल	15,36,07,42		
		20,74,10,93	(-)1,52,61,80
पूरक	5,38,03,51		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)			3,79,13
पूंजीगत प्रवर्ग			
दत्तमत			
मूल	4,50,00		
		25,50,00	(-)5,05,61
पूरक	21,00,00		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			..

टिप्पणियाँ तथा अभ्युक्तियाँ

- (i) राजस्व प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 15,261.80 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में प्राप्त ₹ 53,803.51 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ तथा ₹ 379.13 लाख का अभ्यर्पण अपर्याप्त सिद्ध हुआ।
- (ii) पूंजीगत प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 505.61 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि में मार्च 2025 में प्राप्त ₹ 2,100.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ तथा वर्ष के दौरान विभाग द्वारा कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

राजस्व प्रवर्ग

- (iii) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
		(₹ लाख में)	

2029- भू-राजस्व-

102- सर्वेक्षण तथा बन्दोबस्त कार्य-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-5 (क्रमशः)

02- वन बन्दोबस्त तथा सीमांकन-
राज्य भाग

(i) मूल	791.94			
		671.94	658.48	(-)13.46
पुनर्वि०	(-)120.00			

04- बंदोबस्त अधिकारी कांगड़ा स्थापना-
राज्य भाग

(ii) मूल	2,561.09			
		2,303.30	2,292.44	(-)10.86
पुनर्वि०	(-)257.79			

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 377.79 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

103- भू-अभिलेख-

01- अधीक्षण-
राज्य भाग

मूल	204.81			
पूरक	598.65	1,143.46	597.10	(-)546.36
पुनर्वि०	340.00			

₹ 546.36 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 340.00 लाख का आवर्धन ग्रामीण भूमि अभिलेखों के अंकीकरण के आधुनिकीकरण पर अधिक व्यय करने के कारण हुआ जोकि अनावश्यक सिद्ध हुआ।

₹ 546.36 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

04- प्राथमिक तथा सर्वेक्षण भू-अभिलेख अधिकारियों
का सुदृढीकरण जिला कर्मचारी वर्ग-
राज्य भाग

मूल	2,662.63			
		2,627.63	2,587.94	(-)39.69
पुनर्वि०	(-)35.00			

₹ 39.69 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 35.00 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 39.69 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

2030- स्टाम्प तथा पंजीकरण-

01- स्टाम्प न्यायिक-

102- स्टाम्पों की बिक्री पर व्यय-

01- स्टाम्प विक्रताओं के माध्यम से स्टाम्पों
की बिक्री पर व्यय-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-5 (क्रमशः)

राज्य भाग				
मूल	15.00			
		10.21	9.45	(-)0.76
पुनर्वि०	(-)4.79			
मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 4.79 लाख की कमी न्यायिक स्टाम्पों की कम बिक्री से छूट के कम भुगतान के कारण हुई।				
02- स्टाम्प-गैर-न्यायिक-				
101- टिकटों की लागत-				
01- केन्द्रीय भण्डार नासिक-				
राज्य भाग-				
मूल	274.87			
		9.21	9.21	..
पुनर्वि०	(-)265.66			
मार्च 2025 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 265.66 लाख की कमी केन्द्रीय भंडार नासिक से स्टाम्पों की कम खरीद के कारण हुई।				
102- स्टाम्पों की बिक्री पर व्यय-				
01- स्टाम्प विक्रेताओं के माध्यम से बिक्री-				
राज्य भाग				
(i) मूल	100.00			
		1.12	0.12	(-)1.00
पुनर्वि०	(-)98.88			
02- नोटरीमल टिकटों की बिक्री-				
राज्य भाग				
(ii) मूल	10.94			
		1.26	0.28	(-)0.98
पुनर्वि०	(-)9.68			
उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2025 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 108.56 लाख की कमी नोटरी स्टाम्पों की कम बिक्री से छूट के कम भुगतान के कारण हुई।				
2053- जिला प्रशासन-				
093- जिला प्रतिष्ठान-				
01- सामान्य स्थापना-				
राज्य भाग				
मूल	19,330.60			
पूरक	0.01	19,488.66	18,694.19	(-)794.47
पुनर्वि०	158.05			
₹ 794.47 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 158.05 लाख का आवर्धन वेतन भोगियों व बाह्य स्रोत सेवाओं की अधिक नियुक्ति, नए वाहन की खरीद, किराया, दर व कर बिलों की अदायगी के कारण हुआ जोकि रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई बचत से अंशतः प्रतिसंतुलित हुआ जोकि अनावश्यक सिद्ध हुआ।				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-5 (क्रमशः)

₹ 794.47 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

094- अन्य स्थापनाएँ-

01- उप-मंडल स्थापना-

राज्य भाग

मूल 2,668.15

2,468.15

2,329.38

(-)138.77

पुनर्वि० (-)200.00

₹ 138.77 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 200.00 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 138.77 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

2055- पुलिस-

108- राज्य मुख्यालय पुलिस-

06- हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल-

राज्य भाग

(i) मूल 1,348.65

पूरक 240.83

1,589.35

1,589.35

(-)57.20

पुनर्वि० (-)0.13

2245- प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत-

02- बाढ़, चक्रवात आदि-

101- अनुग्राहिक राहत-

01- नकद सहायता-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

(ii) मूल 0.01

1,693.44

1,355.96

(-)337.48

पूरक 1,693.43

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 394.68 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

राज्य भाग

मूल 13,000.00

2,835.38

2,505.61

(-)329.77

पुनर्वि० (-)10,164.62

₹ 329.77 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 10,164.62 लाख की कमी दावेदारों द्वारा मांग की कम प्राप्ति होने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 329.77 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

102- पेयजल आपूर्ति-

01- पेयजल पर व्यय-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-5 (क्रमशः)

राज्य भाग				
मूल	300.00			
	
पुनर्वि०	(-)300.00			
₹ 300.00 लाख के समस्त प्रावधान को मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा दावों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया।				
104- चारे की आपूर्ति-				
01- चारे के वितरण पर व्यय-				
राज्य भाग				
मूल	200.00			
	
पुनर्वि०	(-)200.00			
₹ 200.00 लाख के समस्त प्रावधान को पुनर्विनियोजन द्वारा दावेदारों से मांग की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया।				
106- क्षतिग्रस्त सड़कों एवं पुलों की				
मुरम्मत एवं पुनर्स्थापना-				
01- सड़कों और पुलों के निर्माण पर व्यय-				
केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(i) मूल	0.01			
		4,458.19	4,454.94	(-)3.25
पूरक	4,458.18			
111- शोक संतप्त परिवारों को अनुग्रह अनुदान-				
01- अनुग्रहपूर्वक अनुदान-				
केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(ii) मूल	0.01			
		989.13	880.95	(-)108.18
पूरक	(-)989.12			
उपरोक्त दो मामलों में ₹ 111.43 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।				
राज्य भाग				
मूल	3,500.00			
		2,461.45	1,751.73	(-)709.72
पुनर्वि०	(-)1,038.55			
₹ 709.72 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,038.55 लाख की कमी शोक संतप्त परिवारों द्वारा अनुग्रह राशी के भुगतान के लिए दावों की कम प्राप्ति होने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।				
₹ 709.72 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।				
02- राज्य विशेष आपदा के कारण मृत्यु-				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-5 (क्रमशः)

	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(i)	मूल	0.01			
			296.70	228.40	(-)68.30
	पूरक	296.69			
113-	घरों की मरम्मत/पुनर्स्थापन हेतु अनुदान-				
01-	घरों की मरम्मत/निर्माण पर व्यय-				
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(ii)	मूल	0.01			
			1,687.63	851.01	(-)836.62
	पूरक	1,687.62			
	उपरोक्त दो मामलों में ₹ 904.92 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।				
	राज्य भाग				
	मूल	2,500.00			
			1,388.51	893.23	(-)495.28
	पुनर्वि०	(-)1,111.49			
	₹ 495.28 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,111.49 लाख की कमी प्राकृतिक आपदाओं के अंतर्गत मकानों की मरम्मत एवं निर्माण के दावों की कम प्राप्ति के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।				
	₹ 495.28 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।				
05-	राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि-				
101-	रिजर्व फण्ड एवं जमा लेखा के लिए				
	स्थानांतरण- राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि-				
02-	राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक निधि-				
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
	पूरक	682.48	682.48	..	(-)682.48
	अनुपूरक अनुदान द्वारा प्राप्त ₹ 682.48 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।				
08-	राज्य आपदा शमन कोष-				
101-	आपदा शमन				
01-	राज्य आपदा शमन कोष-				
	राज्य भाग				
(i)	मूल	10,500.00			
			24,851.31	20,028.49	(-)4,822.82
	पूरक	14,351.31			
80-	सामान्य-				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-5 (क्रमशः)

102-	आपदा उन्मुख क्षेत्रों में आकस्मिक योजनाओं पर व्यय-				
05-	क्षमता निर्माण-				
	राज्य भाग				
(ii)	मूल	5,250.00			
			5,446.00	1,939.60	(-)3,506.40
	पूरक	196.00			
	उपरोक्त दो मामलों में ₹ 8,329.22 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।				
2401-	कृषि कर्म-				
111-	कृषि अर्थव्यवस्था तथा सांख्यिकी-				
04-	कृषि गणना-				
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(i)	मूल	100.00			
			43.87	39.92	(-)3.95
	पुनर्वि०	(-)56.13			
2506-	भूमि सुधार-				
102-	चकबन्दी-				
01-	मुख्यालय स्थापना-				
	राज्य भाग				
(ii)	मूल	108.54			
	पूरक	0.20	86.42	82.06	(-)4.36
	पुनर्वि०	(-)22.32			
02-	जिला स्थापना-				
	राज्य भाग				
(iii)	मूल	22.74			
			8.57	7.26	(-)1.31
	पुनर्वि०	(-)14.17			
	उपरोक्त तीन मामलों में मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 92.62 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।				
2702-	लघु सिंचाई-				
80-	सामान्य-				
800-	अन्य व्यय-				
07-	सिंचाई आंकड़ों की सुधार योजना-				
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
	मूल	80.00			
	पूरक	137.00	174.75	..	(-)174.75
	पुनर्वि०	(-)42.25			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-5 (क्रमशः)

₹ 174.75 लाख की अंतिम दृष्टि से मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 42.25 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।
₹ 174.75 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

राज्य भाग

मूल	80.00			
		37.75	37.75	..
पुनर्वि०	(-)42.25			

मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 42.25 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

(iv) उपरोक्त बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
			(₹ लाख में)

2029- भू-राजस्व-

102- सर्वेक्षण तथा बन्दोबस्त कार्य-

03- बंदोबस्त अधिकारी शिमला स्थापना-

राज्य भाग

मूल	2,264.37			
		2,284.16	2,352.01	(+)67.85
पुनर्वि०	19.79			

₹ 67.85 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

103- भू-अभिलेख-

02- जिला स्थापना प्रभार-

राज्य भाग

मूल	15,011.92			
पूरक	1,215.88	16,461.92	16,284.19	(-)177.73
पुनर्वि०	234.12			

₹ 177.73 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 234.12 लाख का आवर्धन नंबरदारों के मानदेय की दर में बढ़ोतरी होने के कारण हुआ जोकि अत्यधिक सिद्ध हुआ।

₹ 177.73 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

2245- प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-

02- बाढ़, चक्रवात आदि-

106- क्षतिग्रस्त सड़कों एवं पुलों की

मुरम्मत एवं पुनर्स्थापना-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-5 (क्रमशः)

01- सड़कों तथा पुलों के निर्माण पर व्यय-
राज्य भाग

मूल	5,750.00			
पूरक	2,000.00	12,989.83	12,919.69	(-)70.14
पुनर्वि०	5,239.83			

₹ 70.14 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 5,239.83 लाख का आवर्धन क्षतिग्रस्त सड़कों व पुलों की मरम्मत पर अधिक व्यय होने के कारण हुआ जोकि अत्यधिक सिद्ध हुआ।

₹ 70.14 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

109- क्षतिग्रस्त जलापूर्ति, जल निकासी तथा मल निकासी
कार्यों की मरम्मत एवं पुनर्स्थापना-

01- पेयजल तथा सीवरेज योजनाओं पर हुए
नुकसान की मरम्मत पर व्यय-
राज्य भाग

मूल	5,000.00			
पूरक	1,814.67	9,971.22	9,935.38	(-)35.84
पुनर्वि०	3,156.55			

₹ 35.84 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 3,156.55 लाख का आवर्धन क्षतिग्रस्त जलापूर्ति जल निकासी और मल निकासी की मरम्मत पर अधिक व्यय होने के कारण हुआ जोकि अत्यधिक सिद्ध हुआ।

₹ 35.84 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

111- शोक संतप्त परिवारों को अनुग्रह अनुदान-

02- राज्य विशेष आपदा के कारण मृत्यु-
राज्य भाग

मूल	4,000.00			
पूरक	500.00	5,092.29	4,644.40	(-)447.89
पुनर्वि०	592.29			

₹ 447.89 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 592.29 लाख का आवर्धन स्थानीय आपदा से मृत व्यक्तियों के परिजनों को अनुग्रह राशी के भुगतान पर अधिक व्यय होने के कारण हुआ जोकि अत्यधिक सिद्ध हुआ।

₹ 447.89 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

193- स्थानीय निकायों तथा अन्य गैर सरकारी
संस्थाओं को अनुदान-

01- स्थानीय निकायों तथा अन्य गैर सरकारी
संस्थाओं को सहायता-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-5 (क्रमशः)

राज्य भाग				
मूल	2,500.00			
पूरक	1,500.00	7,826.00	6,663.45	(-)1,162.55
पुनर्वि०	3,826.00			

₹ 1,162.55 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 3,826.00 लाख का आवर्धन आवासों, वन पथ, सामुदायिक भवनों तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की मरम्मत पर अधिक व्यय होने के कारण हुआ जोकि अत्यधिक सिद्ध हुआ।

₹ 1,162.55 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

80- सामान्य-

102- आपदा उन्मुख क्षेत्रों में आकस्मिक योजनाओं पर व्यय-

01- प्राकृतिक आपदाओं पर व्यय, आपदा उन्मुख क्षेत्रों के

लिए आकस्मिक योजनाओं पर व्यय-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

मूल 0.01

..

682.48

(+)682.48

पुनर्वि० (-)0.01

₹ 682.48 लाख का समस्त व्यय बिना प्रावधान के किया गया; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

3454- जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी-

02- सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी-

110- राज्य विवरणिका तथा सांख्यिकी संस्मरण-

02- आपदा प्रबंधन सैल-

राज्य भाग

मूल 84.32

पूरक 472.97

610.50

608.83

(-)1.67

पुनर्वि० 53.21

मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 53.21 लाख का आवर्धन जिला मण्डी के बल्ह में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल मुख्यालय परिसर की स्थापना तथा रिक्त पदों को भरने के कारण हुआ।

पूँजीगत प्रवर्ग

(v) दत्तमत अनुदान में आधिक्य मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
		(₹ लाख में)	

4059- लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय-

80- सामान्य-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-5 (समाप्त)

051- निर्माण-				
05- संयुक्त कार्यालय भवन एवं मिनि सचिवालय-				
राज्य भाग				
मूल	150.00			
		2,250.00	1,759.18	(-)490.82
पूरक	2,100.00			

₹ 490.82 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

(vi) आपदा राहत निधि

तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने अधिसूचना संख्या न0 रेव (डी.एम.सी.) (एफ) 4-2/2000-VII दिनांक 21/02/2011 के द्वारा भारत सरकार एवं हिमाचल प्रदेश सरकार से अंशदान प्राप्त करने के उद्देश्य से राज्य आपदा प्रबंधन निधि एवं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन निधि का गठन किया ताकि प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, ओलावृष्टि, चक्रवात, आग लगने और सूखा इत्यादि पर राहत प्रदान की जा सके। भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा निधि में क्रमशः 90:10 के अनुपात में अंशदान दिया जायेगा।

तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार केन्द्र सरकार से निधि हेतु अंशदान को लोक लेखा के शीर्ष 8121- सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधियां, 122- राज्य आपदा राहत निधि के अंतर्गत वर्गीकृत किया जायेगा ताकि राज्य आपदा प्रबंधन निधि में अन्य घटकों से प्राप्त आय को अलग से दर्शाया जा सके। इस प्रकार यह निधि राज्य सरकार के अन्य संस्थानों के खण्ड का हिस्सा नहीं है। निधि में अन्य प्राधिकार से किसी भी प्रकार का अग्रिम शेष भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट विधि से रखा जाता है। मुख्य सचिव के राज्य स्तरीय समिति का पदेन अध्यक्ष होने के नाते द्वारा संचालन किया जाता है।

प्रत्येक वित्तीय वर्ष में समिति द्वारा संस्तुत राशि की प्राप्ति को मुख्य शीर्ष 2245- प्राकृतिक विपत्ति के लिए राहत, 05-राज्य आपदा राहत निधि, 08-राज्य आपदा संवर्धन कोष, 101- आरक्षित निधियों और जमा लेखों को अन्तरण आपदा राहत निधि से मुख्य शीर्ष 8121-सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधियां, 122-राज्य आपदा राहत निधि, 130-राज्य आपदा संवर्धन कोष और 8235-सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधियां, 125-राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया निधि में स्थानान्तरण द्वारा सुनिश्चित करती है। 1 अप्रैल 2024 को निधि में जमा अथ शेष ₹ 15,782.44 लाख (₹ 5,814.67 लाख राज्य आपदा प्रबंधन निधि और ₹ 4,345.88 लाख राज्य आपदा प्रबंधन निधि और ₹ 5,621.89 लाख राष्ट्रीय आपदा राहत निधि) था। वर्ष 2024-25 के दौरान ₹ 42,000.00 लाख (भारत सरकार से ₹ 37,840.00 लाख तथा ₹ 4,160.00 लाख हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार से) की राशि राज्य आपदा निधि तथा ₹ 20,505.43 लाख की राशि (भारत सरकार से ₹ 18,465.43 लाख एवं ₹ 2,040.00 लाख हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकार से) और ₹ 6,692.48 लाख की राशि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन निधि में प्राप्त हुई। इस प्रकार यह निधि बढ़ कर ₹ 84,980.35 लाख हो गई। इस वर्ष ₹ 72,047.98 लाख (₹ 41,059.22 लाख राज्य आपदा प्रबंधन निधि से, ₹ 20,028.49 लाख राज्य आपदा शमन निधि से एवं ₹ 10,960.27 लाख राष्ट्रीय आपदा निधि से) का व्यय हुआ है। मार्च 2025 के अन्त में निधि में ₹ 12,932.37 लाख जमा रहे (विस्तृत विवरण के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार के वर्ष 2024-25 के वित्त लेखों की विवरणी संख्या 21 में दर्शाया गया है)।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-6- आबकारी और कराधान

(शीर्ष- 2039-राज्य उत्पाद शुल्क, 2040- विक्रय एवं व्यापार आदि पर कर, 2043- राज्य वस्तु एवं सेवा कर के अन्तर्गत संग्रहण प्रभार, 2045- वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क, 2059- लोक निर्माण-कार्य, 2216- आवास, 2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, 3604- स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन, 4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय तथा 4216- आवास पर पूंजीगत परिव्यय)

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
(₹ हजार में)				
राजस्व प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	2,45,96,87			
		2,59,10,57	1,80,64,59	(-)78,45,98
पूरक	13,13,70			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				
(31 मार्च 2025)				
				11,47,26
पूंजीगत प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	3,00,00			
		3,00,00	2,64,12	(-)35,88
पूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				
				..

टिप्पणियाँ तथा अभ्यक्तियाँ

- (i) राजस्व प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 7,845.98 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में प्राप्त ₹ 1,313.70 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ जबकि मूल अनुदान भी अप्रयुक्त रहा तथा ₹ 1,147.26 लाख का अभ्यर्पण अपर्याप्त सिद्ध हुआ।
- (ii) पूंजीगत प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में कुल ₹ 35.88 लाख की बचत हुई जबकि वर्ष के दौरान विभाग द्वारा कोई भी राशी अभ्यर्पित नहीं की गई।

राजस्व प्रवर्ग

- (iii) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
(₹ लाख में)				
शीर्ष				

2039- राज्य उत्पाद शुल्क-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-6 (क्रमशः)

800-	अन्य व्यय-				
01-	दूध उत्पादन बढ़ाने हेतु उपकर के रूप में एकत्रित सहायता-राज्य भाग				
	मूल	11,620.73			
			11,276.11	7,517.40	(-)3,758.71
	पुनर्वि०	(-)344.62			
	₹ 3,758.71 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 344.62 लाख की कमी शराब की बिक्री से कम उपकर की प्राप्ति के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।				
	₹ 3,758.71 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।				
2040-	विक्रय एवं व्यापार इत्यादि पर कर-				
101-	संग्रहण प्रभार-				
03-	गोवंश रक्षा के लिए पशुपालन विभाग को सहायता-राज्य भाग				
	मूल	2,456.55			
			2,335.75	..	(-)2,335.75
	पुनर्वि०	(-)120.80			
	₹ 2,335.75 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 120.80 लाख की कमी गोवंश की सहायता के लिए शराब की बिक्री से कम उपकर की प्राप्ति के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।				
	₹ 2,335.75 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।				
04-	108 एम्बुलेंस सेवाओं के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को सहायता-राज्य भाग				
	मूल	982.62			
			934.30	934.30	..
	पुनर्वि०	(-)48.32			
	मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 48.32 लाख की कमी 108 एम्बुलेंस सेवाओं को सहायता हेतु शराब की बिक्री से कम उपकर की प्राप्ति के कारण हुई।				
2043-	राज्य वस्तु एवं सेवाकर के अंतर्गत संग्रहण प्रभार-				
101-	संग्रहण प्रभार-				
02-	राजस्व वृद्धि एवं क्षमता संवर्धन परियोजना-राज्य भाग				
	मूल	200.00			
	पूरक	193.19	373.19	186.59	(-)186.60
	पुनर्वि०	(-)20.00			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-6 (क्रमशः)

₹ 186.60 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

2045- वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क-

104- संग्रहण प्रभार-माल तथा यात्रियों पर कर-

01- मुख्यालय स्थापना-

राज्य भाग

मूल 1,014.38

पूरक 61.26

986.89

983.90

(-)2.99

पुनर्वि० (-)88.75

मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 88.75 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

02- जिला स्थापना-

राज्य भाग

मूल 5,972.21

पूरक 117.18

5,353.08

5,311.85

(-)41.23

पुनर्वि० (-)736.31

₹ 41.23 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 736.31 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 41.23 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

3604- स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन-

107- स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर-

01- स्थानीय शहरी निकायों को सहायता अनुदान-

राज्य भाग

(i) मूल 463.33

..

..

..

पुनर्वि० (-)463.33

02- पंचायतों/ग्रामीण निकायों को सहायता अनुदान-

राज्य भाग

(ii) मूल 600.00

..

..

..

पुनर्वि० (-)600.00

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2025 में ₹ 1,063.33 लाख के समस्त प्रावधान को संहितागत औपचारिकताएं पूरी न होने के कारण कम कर दिया गया। जबकि पिछले वित्त वर्ष 2023-24 में भी ऐसा ही प्रावधान पुनर्विनियोजन किया गया था।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-6 (समाप्त)

(iv) उपरोक्त बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य (+) बचत (-)
-------	------------	---------------------------------	-----------------------

2039- राज्य उत्पाद शुल्क-

001- निदेशन और प्रशासन-

01- जिला स्थापना पर व्यय-

राज्य भाग

मूल	819.96			
पूरक	257.79	2,354.90	1,994.37	(-)360.53
पुनर्वि०	1,277.15			

₹ 360.53 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्षण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,277.15 लाख का आवर्धन हिमाचल प्रदेश आबकारी ई०- राज्यपाल परियोजना पर अधिक व्यय होने के कारण हुआ जोकि रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई बचत से अंशतः प्रतिसंतुलित हुआ जोकि अत्यधिक सिद्ध हुआ।

₹ 360.53 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

पूंजीगत प्रवर्ग

(v) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य (+) बचत (-)
-------	------------	---------------------------------	-----------------------

4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-

01- कार्यालय भवन-

051- निर्माण-

09- आवकारी एवं कराधान-

राज्य भाग

मूल	100.00	100.00	72.35	(-)27.65
-----	--------	--------	-------	----------

₹ 27.65 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-7- पुलिस और सम्बद्ध संगठन

(शीर्ष- 2055-पुलिस, 2056-जेल, 2059-लोक निर्माण कार्य, 2062-सतर्कता, 2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं, 2216-आवास, 4055-पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय, 4059-लोक निर्माण-कार्य पर पूंजीगत परिव्यय तथा 4070- अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय)

		कुल अनुदान/ विनियोजन	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य (+) बचत (-)
राजस्व प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	17,61,42,58			
		17,61,42,71	16,72,23,47	(-)89,19,24
पूरक	13			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)				81,36,33
प्रभारित				
मूल	..			
		7,16,09	7,16,09	..
पूरक	7,16,09			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..
पूंजीगत प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	61,74,00			
		93,49,45	65,41,34	(-)28,08,11
पूरक	31,75,45			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)				5,69,61

टिप्पणियाँ तथा अभ्युक्तियाँ

- (i) राजस्व प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 8,919.24 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से ₹ 8,136.33 लाख का अभ्यर्पण अपर्याप्त सिद्ध हुआ।
- (ii) पूंजीगत प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 2,808.11 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में प्राप्त ₹ 3,175.45 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ और ₹ 569.61 लाख का अभ्यर्पण अपर्याप्त सिद्ध हुआ।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-7- (क्रमशः)

राजस्व प्रवर्ग

(iii) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य (+) बचत (-)
-------	------------	---------------------------------	-----------------------

2055- पुलिस-

001- निदेशन और प्रशासन-

01- निदेशालय-

राज्य भाग

मूल 2,122.70

पूरक 0.01

पुनर्वि० 55.79

2,178.50

2,077.91

(-)100.59

₹ 100.59 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 55.79 लाख का आवर्धन नए वाहनों की खरीद, शारीरिक दक्षता परीक्षा आयोजन करने पर व्यय, पानी, बिजली और टेलीफोन बिलों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ जोकि रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई बचत से अंशतः प्रतिसंतुलित हुआ जोकि अनावश्यक सिद्ध हुआ।

₹ 100.59 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

003- शिक्षा और प्रशिक्षण-

01- पुलिस प्रशिक्षण केंद्र-

राज्य भाग

मूल 2,306.65

पुनर्वि० (-)153.29

2,153.36

2,151.73

(-)1.63

मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 153.29 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जोकि पानी, बिजली और टेलीफोन बिलों की अधिक प्राप्ति, अधिक बाह्य स्रोत सेवाओं की नियुक्ति और पुलिस कर्मियों के लिए वर्दियों पर अधिक व्यय के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।

101- आपराधिक अन्वेषण और सतर्कता-

01- अपराध अन्वेषण-

राज्य भाग

मूल 6,300.87

पुनर्वि० (-)221.61

6,079.26

5,923.08

(-)156.18

₹ 156.18 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 221.61 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जोकि नए वाहनों की खरीद, स्रोतों से गुप्त सूचना प्राप्त करने, अधिक चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिल, टेलीफोन, पानी और बिजली के शुल्क पर हुए अधिक व्यय से हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-7- (क्रमशः)

₹ 156.18 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

108-	राज्य मुख्यालय पुलिस-				
01-	राज्य रिजर्व पुलिस-				
	राज्य भाग				
	मूल	10,571.57			
			9,573.22	9,479.89	(-)93.33
	पुनर्वि०	(-)998.35			

₹ 93.33 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 998.35 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 93.33 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

02-	अन्य सरकारी संस्थाओं के लिए पुलिस-				
	राज्य भाग				
	मूल	3,974.51			
			3,925.64	3,925.14	(-)0.50
	पुनर्वि०	(-)48.87			

मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 48.87 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जोकि अधिक चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों, पानी, बिजली और टेलीफोन बिलों की अधिक प्राप्ति के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।

05-	भारतीय रिजर्व वाहिनी-				
	राज्य भाग				
	मूल	35,239.75			
			30,541.48	30,509.94	(-)31.54
	पुनर्वि०	(-)4,698.27			

₹ 31.54 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 4,698.27 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जोकि यात्रा व्यय की अधिक प्राप्ति, अधिक बाह्य स्रोत सेवाओं की नियुक्ति तथा पानी, बिजली और टेलीफोन बिलों की अधिक प्राप्ति के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 31.54 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

109-	जिला पुलिस-				
01-	जिला कार्यकारिणी फोर्स-				
	राज्य भाग				
	मूल	79,028.51			
			74,333.54	74,222.21	(-)111.33
	पुनर्वि०	(-)4,694.97			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-7- (क्रमशः)

₹ 111.33 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 4,694.97 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जोकि वाहनों की मरम्मत/रख रखाव पर अधिक व्यय, अधिक बाह्य स्रोत सेवाओं को लेने तथा आवास के किराये के भुगतान पर व्यय के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 111.33 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

111-	रेलवे पुलिस-				
01-	अपराध पुलिस-				
	राज्य भाग				
(i)	मूल	564.23			
			519.83	513.54	(-)6.29
	पुनर्वि०	(-)44.40			
114-	बेतार तथा कम्प्यूटर-				
01-	पुलिस रेडियो कर्मचारी वर्ग-				
	राज्य भाग				
(ii)	मूल	2,760.58			
			2,522.13	2,519.43	(-)2.70
	पुनर्वि०	(-)238.45			
2056-	जेल-				
001-	निदेशन और प्रशासन-				
01-	मुख्यालय कर्मचारी वर्ग-				
	राज्य भाग				
(iii)	मूल	344.37			
			302.10	301.68	(-)0.42
	पुनर्वि०	(-)42.27			

उपरोक्त तीन मामलों में मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 325.12 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

2062-	सतर्कता-				
104-	राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के सतर्कता आयोग-				
01-	राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो-				
	राज्य भाग				
	मूल	3,898.35			
			3,752.45	3,715.90	(-)36.55
	पुनर्वि०	(-)145.90			

₹ 36.55 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 145.90 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-7- (क्रमशः)

₹ 36.55 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

2070- अन्य प्रशासनिक सेवाएं-

107- होम गार्ड-

01- मुख्यालय कर्मचारी वर्ग-
राज्य भाग

मूल 216.90

170.48

169.75

(-)0.73

पुनर्वि० (-)46.42

मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 46.42 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

02- जिला कर्मचारी वर्ग-

राज्य भाग

मूल 5,121.69

पूरक 0.02

4,720.01

4,634.16

(-)85.85

पुनर्वि० (-)401.70

₹ 85.85 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 401.70 लाख की कमी दैनिक वेतन भोगियों के नियमितीकरण और रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 85.85 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

03- प्रशिक्षण केंद्र-

राज्य भाग

मूल 511.30

479.65

453.06

(-)26.59

पुनर्वि० (-)31.65

मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 31.65 लाख की कमी दैनिक वेतनभोगियों के नियमितीकरण और रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

(iv) उपरोक्त बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
			(₹ लाख में)

2055- पुलिस-

001- निदेशन और प्रशासन-

05- संसद के चुनावों के दौरान पुलिस
बंदोबस्त पर व्यय-

राज्य भाग

पूरक 0.07

2,125.00

2,122.16

(-)2.84

पुनर्वि० 2,124.93

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-7- (क्रमशः)

मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2,124.93 लाख का आवर्धन वाहनों की मरम्मत और रख रखाव, मजदूरी के भुगतान पर अधिक व्यय, यात्रा बिलों के भुगतान और लोकसभा चुनाव के दौरान विविध व्यय के कारण हुआ।

109-	जिला पुलिस-				
01-	जिला कार्यकारिणी फोर्स-				
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
	पूरक	0.01			
			163.73	163.06	(-)0.67
	पुनर्वि०	163.72			

मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 163.72 लाख का आवर्धन भारत सरकार द्वारा पासपोर्ट सत्यापन के लिए तैनात पुलिस कर्मियों को प्रोत्साहन राशी जारी करने के लिए किया गया।

03-	पुलिस के साथ कानून व्यवस्था हेतु				
	तैनात गृह रक्षकों पर व्यय-				
	राज्य भाग				
	मूल	10,016.19			
			10,166.19	10,074.32	(-)91.87
	पुनर्वि०	150.00			

₹ 91.87 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 150.00 लाख का आवर्धन पुलिस के साथ कानून एवं व्यवस्था हेतु तैनात गृह रक्षक स्वयं सेवकों को वेतन भुगतान हेतु अधिक व्यय होने के कारण हुआ जोकि अत्यधिक सिद्ध हुआ।

₹ 91.87 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

115-	पुलिस बल का आधुनिकीकरण-				
02-	सुरक्षा संबंधी व्यय-				
	राज्य भाग				
	मूल	75.00			
			126.00	125.99	(-)0.01
	पुनर्वि०	51.00			

मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 51.00 लाख का आवर्धन मानदेय पर अधिक भुगतान के कारण हुआ।

03-	अपराध और मुजरिम ट्रैकिंग नेटवर्क				
	सिस्टम पर व्यय-				
	राज्य भाग				
	पूरक	0.01			
			100.00	100.00	..
	पुनर्वि०	99.99			

मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 99.99 लाख का आवर्धन योजना के अंतर्गत कार्यक्रम प्रबंधन इकाई के प्रतिस्थापन के कारण हुआ।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-7- (क्रमशः)

116-	न्यायलयिक विज्ञान-				
01-	निदेशालय फोरेंसिक सेवाएं-				
	राज्य भाग				
	मूल	993.55			
			1,025.19	1,024.54	(-)0.65
	पुनर्वि०	31.64			

मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 31.64 लाख का आवर्धन डी०एन०ए० किट, अपराध मामलों की जांच के लिए उपभाज्य रसायनों आदि की खरीद व फोरेंसिक उपकरणों के रख रखाव के लिए किया गया जोकि रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई बचत से अंशतः प्रतिसंतुलित हुआ।

2056-	जेल-				
101-	जेल-				
01-	जेलों की स्थापना-				
	राज्य भाग				
	मूल	4,112.56			
			4,504.25	4,502.74	(-)1.51
	पुनर्वि०	391.69			

मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 391.69 लाख का आवर्धन खाद्य सामग्री, दवा, वर्दी आदि की खरीद पर अधिक व्यय तथा जेलों में अधिक होमगार्डों की नियुक्ति के कारण हुआ जोकि रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई बचत से अंशतः प्रतिसंतुलित हुआ।

2070-	अन्य प्रशासनिक सेवाएं-				
108-	अग्नि से संरक्षण तथा नियंत्रण-				
02-	जिला कर्मचारी वर्ग-				
	राज्य भाग				
	मूल	5,941.17			
	पूरक	0.01	6,540.51	6,534.28	(-)6.23
	पुनर्वि०	599.33			

मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 599.33 लाख का आवर्धन नए वाहनों की खरीद, होमगार्डों के वेतन का भुगतान तथा बाह्य स्रोत वाहनों पर अधिक व्यय के कारण हुआ जोकि रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई बचत से अंशतः प्रतिसंतुलित हुआ।

पूजीगत प्रवर्ग

(v)	दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-			
	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
			(₹ लाख में)	

4055-	पुलिस पर पूजीगत परिव्यय-
207-	राज्य पुलिस-
04-	अपराध एवं अपराधिक ट्रैकिंग नियन्त्रण प्रणाली पर व्यय-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-7- (समाप्त)

	राज्य भाग				
(i)	मूल	112.00	112.00	89.51	(-)22.49
211-	पुलिस आवास-				
03-	पुलिस बलों का आधुनिकीकरण-				
	राज्य भाग				
(ii)	मूल	3,032.00			
			5,616.00	3,472.14	(-)2,143.86
	पूरक	2,584.00			
05-	राज्य फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला का निर्माण-				
	राज्य भाग				
(iii)	मूल	21.00			
			111.54	106.61	(-)4.93
	पूरक	90.54			
	उपरोक्त तीन मामलों में ₹ 2,171.28 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।				
4059-	लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-				
	01- कार्यालय भवनों-				
	051- निर्माण-				
	23- जेल भवनों का निर्माण-				
	राज्य भाग				
	मूल	900.00			
			330.39	330.39	..
	पुनर्वि०	(-)569.61			
	मार्च 2025 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 569.61 लाख की कमी कार्यों के कम निष्पादन के कारण हुआ।				
4070-	अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय-				
	800- अन्य व्यय-				
	02- अग्निशमन सेवा विभाग के कार्यालय				
	भवनों का निर्माण-				
	राज्य भाग				
	मूल	900.00			
			1,400.00	1,332.78	(-)67.22
	पूरक	500.00			
	₹ 67.22 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-8- शिक्षा

(शीर्ष- 2059- लोक निर्माण-कार्य, 2202-सामान्य शिक्षा, 2205-कला एवं संस्कृति, 2216- आवास तथा 4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय)

		कुल अनुदान/ विनियोजन	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
(₹ हजार में)				
राजस्व प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	86,71,62,23			
		86,71,62,35	80,26,93,51	(-)6,44,68,84
पूरक	12			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)				5,42,78,52
प्रभारित				
मूल	..			
		13,60,22	13,39,17	(-)21,05
पूरक	13,60,22			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..
पूंजीगत प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	95,71,00			
		1,84,28,92	1,39,78,64	(-)44,50,28
पूरक	88,57,92			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..

टिप्पणियाँ तथा अभ्युक्तियाँ

- (i) राजस्व प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 64,468.84 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से ₹ 54,278.52 लाख का अभ्यर्पण अपर्याप्त सिद्ध हुआ।
- (ii) राजस्व प्रवर्ग के प्रभारित विनियोजन में ₹ 21.05 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में प्राप्त ₹ 1,360.22 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ तथा वर्ष के दौरान विभाग द्वारा कोई भी राशी अभ्यर्पित नहीं की गई।
- (iii) पूंजीगत प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 4,450.28 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में प्राप्त ₹ 8,857.92 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ तथा वर्ष के दौरान विभाग द्वारा कोई भी राशी अभ्यर्पित नहीं की गई।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-8 (क्रमशः)

राजस्व प्रवर्ग

(iv) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य (+) बचत (-)
2059- लोक निर्माण कार्य-			
01- कार्यालय भवन-			
053- रखरखाव तथा मरम्मत-			
72- उच्च शिक्षा के भवनों का रखरखाव- राज्य भाग			
मूल	70.00		
	55.00	54.74	(-)0.26
पुनर्वि०	(-)15.00		
मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 15.00 लाख की कमी रखरखाव कार्यों पर कम व्यय के कारण हुई।			
2202- सामान्य शिक्षा-			
01- प्रारम्भिक शिक्षा-			
001- निदेशन और प्रशासन-			
01- निदेशालय- राज्य भाग			
मूल	2,046.23		
	2,181.93	1,840.43	(-)341.50
पुनर्वि०	135.70		
₹ 341.50 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 135.70 लाख का आवर्धन खेलकूद प्रतियोगिताओं के आयोजन और बाह्य स्रोत सेवाओं पर अधिक व्यय के कारण हुआ जोकि रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई बचत से अशतः प्रतिसंतुलित हुआ जोकि अनावश्यक सिद्ध हुआ।			
₹ 341.50 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।			
101- राजकीय प्राथमिक विद्यालय-			
01- शिक्षा पर व्यय- राज्य भाग			
मूल	1,75,636.08		
	1,71,241.35	1,69,108.43	(-)2,132.92
पुनर्वि०	(-)4,394.73		
₹ 2,132.92 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 4,394.73 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।			
₹ 2,132.92 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-8 (क्रमशः)

03-	माध्यमिक स्कूल- राज्य भाग मूल 1,65,728.52	1,59,309.09	1,56,406.88	(-)2,902.21
	पुनर्वि० (-)6,419.43			
	₹ 2,902.21 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 6,419.43 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जोकि दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को संशोधित दरों से भुगतान तथा वार्षिक परीक्षाओं के आयोजन पर अधिक व्यय के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।			
	₹ 2,902.21 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।			
11-	उर्दू तथा पंजाबी अध्यापकों पर व्यय- राज्य भाग मूल 15.00	4.93	0.97	(-)3.96
	पुनर्वि० (-)10.07			
	₹ 3.96 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 10.07 लाख की कमी उर्दू तथा पंजाबी शिक्षकों की सेवाओं के नियमितीकरण के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।			
	₹ 3.96 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।			
17-	प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत अभिभावक शिक्षक संघ को अनुदान सहायता- राज्य भाग मूल 350.00	250.89	217.66	(-)33.23
	पुनर्वि० (-)99.11			
	₹ 33.23 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 99.11 लाख की कमी अभिभावक शिक्षक संघ के अन्तर्गत शिक्षकों के नियमितिकरण के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।			
	₹ 33.23 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।			
19-	राजकीय मॉडल केंद्र प्राथमिक विद्यालय- राज्य भाग मूल 66.00
	पुनर्वि० (-)66.00			
	₹ 66.00 लाख के समस्त प्रावधान को मार्च 2025 में अभ्यर्पण द्वारा संहितागत औपचारिकताएं पूरी न होने के कारण कम कर दिया गया।			
102-	राजकीय प्राथमिक विद्यालयों को सहायता-			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-8 (क्रमशः)

03-	निजी पाठशालाओं में कमजोर वर्ग के छात्रों की फीस की प्रतिपूर्ति- राज्य भाग				
	मूल	61.00	61.00	24.03	(-)36.97
	₹ 36.97 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।				
104-	निरीक्षण-				
01-	खण्ड प्राथमिक शिक्षा अधिकारी- राज्य भाग				
	मूल	2,121.12			
			1,883.16	1,877.98	(-)5.18
	पुनर्वि०	(-)237.96			
	मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 237.96 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।				
02-	खण्ड प्राथमिक शिक्षा अधिकारी- राज्य भाग				
	मूल	7,583.79			
			7,180.22	7,170.81	(-)9.41
	पुनर्वि०	(-)403.57			
	मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 403.57 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जोकि बाह्य स्रोत सेवाओं, टेलीफोन, पानी और बिजली के बिलों पर अधिक व्यय के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।				
105-	अनौपचारिक शिक्षा-				
01-	नवभारत साक्षरता कार्यक्रम- केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(i)	मूल	110.00			
			55.13	55.13	..
	पुनर्वि०	(-)54.87			
	राज्य भाग				
(ii)	मूल	12.00			
			6.13	6.13	..
	पुनर्वि०	(-)5.87			
113-	समग्र शिक्षा-				
01-	राज्यों के लिए शिक्षण अधिगम और परिणाम को सुदृढ़ बनाना (स्टार परियोजनाएं)- केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(iii)	मूल	19,743.00			
			12,298.56	12,298.56	..
	पुनर्वि०	(-)7,444.44			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-8 (क्रमशः)

	राज्य भाग				
(iv)	मूल	1,974.00			
			1,366.51	1,366.51	..
	पुनर्वि०	(-)607.49			
02-	समग्र शिक्षा अभियान- केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(v)	मूल	37,247.00			
			20,950.96	20,950.96	..
	पुनर्वि०	(-)16,296.04			
	उपरोक्त पाँच मामलों में मार्च 2025 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 24,408.71 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति होने और केन्द्रीय हिस्से के अनुपात में राज्य का हिस्सा जारी होने के कारण हुई। जबकि भारत सरकार से क्रम संख्या (i) में ₹ 55.13 लाख, क्रम संख्या (iii) में ₹ 12,298.62 लाख तथा क्रम संख्या (v) में ₹ 36,656.96 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ।				
	राज्य भाग				
	मूल	30,301.00			
			14,346.91	14,346.91	..
	पुनर्वि०	(-)15,954.09			
	मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 15,954.09 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने तथा भारत सरकार से प्राप्त निधियों के अनुपात में राज्य का हिस्सा जारी होने के कारण हुई।				
02-	माध्यमिक शिक्षा-				
001-	निदेशन तथा प्रशासन-				
01-	निदेशालय-				
	राज्य भाग				
	मूल	2,377.83			
	पूरक	0.01	2,150.08	2,140.50	(-)9.58
	पुनर्वि०	(-)227.76			
	मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 227.76 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।				
101-	निरीक्षण-				
01-	निरीक्षणालय-				
	राज्य भाग				
	मूल	2,249.15			
	पूरक	0.01	2,176.54	2,126.92	(-)49.62
	पुनर्वि०	(-)72.62			
	₹ 49.62 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 72.62 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जोकि पेट्रोल, तेल,				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-8 (क्रमशः)

स्नेहक, मरम्मत शुल्क और किराये के वाहनों के भुगतान, दरो में संशोधन के कारण दैनिक मजदूरी और चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की अधिक प्राप्ति के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।

₹ 49.62 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

107-	छात्रवृत्ति-				
03-	अन्य पिछड़ा वर्ग और अन्य (पोस्ट मैट्रिक) के लिए वाईव्रेंट इंडिया हेतु प्रधानमंत्री यंग अचीर्वस छात्रवृत्ति पुरस्कार योजना-केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(i)	मूल	1,210.00	1,210.00	1,100.71	(-)109.29
04-	वाईव्रेंट इंडिया हेतु अन्य पिछड़ा वर्ग और अन्य (प्री-मैट्रिक) के लिए यंग अचीर्वस छात्रवृत्ति पुरस्कार योजना-केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(ii)	मूल	540.00	540.00	403.20	(-)136.80
	उपरोक्त दो मामलों में ₹ 246.09 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)। जबकि क्रम संख्या (i) में ₹ 111.68 लाख का अनुदान भारत सरकार से प्राप्त हुआ।				
109-	राजकीय माध्यमिक विद्यालय-				
01-	उच्चतर पाठशालाएं-राज्य भाग				
	मूल	3,07,353.95			
			2,91,242.74	2,89,808.79	(-)1,433.95
	पुनर्वि०	(-)16,111.21			
	₹ 1,433.95 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 16,111.21 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जोकि निशुल्क पाठ्य पुस्तकों पर अधिक व्यय, बाह्य स्रोत सेवाएं, चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की अधिक प्राप्ति के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।				
	₹ 1,433.95 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।				
15-	श्रीनिवास रामानुजन छात्र डिजिटल योजना-राज्य भाग				
(i)	मूल	1,645.00	1,645.00	1,600.00	(-)45.00
	₹ 45.00 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।				
21-	मुख्यमंत्री ज्ञान दीप योजना-राज्य भाग				
	मूल	47.00			
			92.00	47.00	(-)45.00
	पुनर्वि०	45.00			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-8 (क्रमशः)

₹ 45.00 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 45.00 लाख का आवर्धन लाभार्थियों से अधिक दावे प्राप्त होने के कारण हुई जोकि अनावश्यक सिद्ध हुई।

₹ 45.00 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

36-	स्काउट्स और गाइड्स- राज्य भाग				
	मूल	25.00	25.00	13.50	(-)11.50

₹ 11.50 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

38-	राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल- राज्य भाग				
	मूल	164.00			
	पुनर्वि०	(-)164.00

मार्च 2025 में ₹ 164.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पण द्वारा संहितागत औपचारिकतायें पूर्ण न होने के कारण कम कर दिया गया।

113-	समग्र शिक्षा-				
01-	समग्र शिक्षा अभियान- केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(i)	मूल	20,664.00	20,664.00	19,637.67	(-)1,026.33
	राज्य भाग				
(ii)	मूल	2,963.00	2,963.00	2,890.50	(-)72.50
03-	विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा-				
102-	विश्वविद्यालय को सहायता-				
07-	सरदार बल्लभभाई पटेल क्लस्टर विश्वविद्यालय- राज्य भाग				
(iii)	मूल	607.00	607.00	491.50	(-)115.50

उपरोक्त तीन मामलों में ₹ 1,214.33 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

103-	राजकीय कॉलेज तथा संस्थान-				
02-	प्रशिक्षण महाविद्यालय- राज्य भाग				
(i)	मूल	510.48			
	पुनर्वि०	(-)49.88	460.60	459.60	(-)1.00

08- ललिता कला महाविद्यालय की स्थापना-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-8 (क्रमशः)

	राज्य भाग				
(ii)	मूल	305.44			
			231.44	219.53	(-)11.91
	पुनर्वि०	(-)74.00			
	उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 123.88 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।				
104-	गैर सरकारी कॉलेजों तथा संस्थानों को सहायता-				
01-	व्यक्तिगत महाविद्यालयों को सहायता-				
	राज्य भाग				
	मूल	1,942.50			
			1,636.52	1,624.35	(-)12.17
	पुनर्वि०	(-)305.98			
	मार्च 2025 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 305.98 लाख की कमी निजी महाविद्यालयों के वेतन पर कम व्यय होने के कारण हुई।				
113-	मेधावी और जरूरतमंद विद्यार्थियों को शिक्षा				
	ऋण पर ब्याज सब्सिडी-				
01-	डॉ० यशवन्त सिंह परमार ऋण योजना-				
	राज्य भाग				
	मूल	329.00			
		
	पुनर्वि०	(-)329.00			
	मार्च 2025 में ₹ 329.00 लाख के समस्त प्रावधान को पुनर्विनियोजन द्वारा लाभार्थियों से मामलों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया।				
80-	सामान्य-				
107-	छात्रवृत्तियाँ-				
22-	स्वर्ण जयंती सुपर 100 योजना-				
	राज्य भाग				
	मूल	329.00			
			72.75	26.75	(-)46.00
	पुनर्वि०	(-)256.25			
	₹ 46.00 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 256.25 लाख की कमी पात्र लाभार्थियों की कम संख्या होने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।				
	₹ 46.00 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।				
(v)	उपरोक्त बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-				
	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक	आधिक्य (+)	
			व्यय	बचत (-)	
			(₹ लाख में)		
2059-	लोक निर्माण कार्य-				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-8 (क्रमशः)

01-	कार्यालय भवन-				
053-	रख रखाव और मरम्मत-				
33-	माध्यमिक शिक्षा विभाग के भवनों का रख रखाव-				
	राज्य भाग				
	मूल	7.70			
			82.70	82.70	..
	पुनर्वि०	75.00			
	मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 75.00 लाख की कमी कुल्लू में राष्ट्रीय कैडिट कोर हेंगर के रखरखाव पर अधिक व्यय के कारण हुई।				
2202-	सामान्य शिक्षा-				
01-	प्रारंभिक शिक्षा-				
101-	राजकीय प्राथमिक विद्यालय-				
18-	स्कूल प्रबन्धन समिति को सहायता अनुदान-				
	राज्य भाग				
	मूल	1,708.35			
			2,508.35	2,347.69	(-)160.66
	पुनर्वि०	800.00			
	₹ 160.66 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 800.00 लाख का आवर्धन स्कूल प्रबन्धन समिति के अन्तर्गत सहायता अनुदान में बढ़ौतरी होने के कारण शिक्षकों के वेतन पर अधिक व्यय होने के कारण हुई जोकि अत्यधिक सिद्ध हुई।				
	₹ 160.66 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।				
107-	अध्यापक प्रशिक्षण-				
04-	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों पर व्यय-				
	राज्य भाग				
	मूल	1,374.50			
			1,374.44	3,112.81	(+)1,738.37
	पुनर्वि०	(-)0.06			
	₹ 1,738.37 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।				
112-	प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पी.एम.पोषण)-				
01-	मध्यांतर भोजन-				
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
	मूल	8,260.00			
			8,407.44	8,407.44	..
	पुनर्वि०	147.44			
	मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 147.44 लाख का आवर्धन भारत सरकार से अधिक निधियाँ प्राप्त होने के कारण हुआ। जबकि भारत सरकार से ₹ 6,558.90 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ।				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-8 (क्रमशः)

राज्य भाग				
मूल	5,924.00			
		6,308.28	6,272.14	(-)36.14
पुनर्वि०	384.28			

₹ 36.14 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 384.28 लाख का आवर्धन मानदेय के भुगतान पर अधिक व्यय के कारण हुआ जोकि कार्यालय व्यय और सामग्री आपूर्ति पर कम व्यय होने के कारण हुई बचत से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई जोकि अत्यधिक सिद्ध हुआ।

₹ 36.14 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

113-	समग्र शिक्षा-			
03-	फॉर राइजिंग इंडिया-			
	केन्द्रीय प्रयोजित योजना			
(i)	पूरक	0.01		
			8,906.00	6,921.17
				(-)1,984.83
	पुनर्वि०	8,905.99		
	राज्य भाग			
(ii)	पूरक	0.01		
			990.00	769.02
				(-)220.98
	पुनर्वि०	989.99		

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 2,205.81 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 9,895.98 लाख का आवर्धन भारत सरकार से अधिक निधियाँ प्राप्त होने व केन्द्रीय अंश के अनुपात में राज्य का अंश जारी होने के कारण हुआ जोकि अत्यधिक सिद्ध हुआ। जबकि क्रम संख्या (i) में ₹ 8,561.76 लाख का अनुदान भारत सरकार से प्राप्त हुआ।

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 2,205.81 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

02-	माध्यमिक शिक्षा-			
109-	राजकीय माध्यमिक विद्यालय-			
20-	स्कूल प्रबंधन समिति को सहायता अनुदान-			
	राज्य भाग			
	मूल	1,102.50		
			1,252.50	1,241.31
				(-)11.19
	पुनर्वि०	150.00		

मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 150.00 लाख का आवर्धन दरों में वृद्धि होने के कारण स्कूल प्रबंधन समितियों के अन्तर्गत शिक्षकों के वेतन पर अधिक व्यय होने के कारण हुआ।

35- खेल संघ-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-8 (क्रमशः)

राज्य भाग				
मूल	30.00			
		130.00	130.00	..
पुनर्वि०	100.00			
मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 100.00 लाख का आवर्धन जिला और राष्ट्रीय स्तर की खेलकूद प्रतियोगिता के आयोजन पर अधिक व्यय होने के कारण हुआ।				
03- विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा-				
103- राजकीय कॉलेज तथा संस्थान-				
01- राजकीय महाविद्यालय-				
राज्य भाग				
मूल	44,850.21			
		46,299.47	45,478.39	(-)821.08
पुनर्वि०	1,449.26			
₹ 821.08 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,449.26 लाख का आवर्धन वेतन भुगतान पर अधिक व्यय तथा चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ जोकि अत्यधिक सिद्ध हुआ।				
₹ 821.08 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।				
07- राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान-				
केन्द्रीय प्रायोजित योजना-				
मूल	1,244.00			
		1,281.04	1,281.04	..
पुनर्वि०	37.04			
मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 37.04 लाख का आवर्धन सरकार से अधिक निधियाँ प्राप्त होने के कारण हुआ।				
राज्य भाग				
मूल	138.00			
पूरक	0.06	163.03	162.34	(-)0.69
पुनर्वि०	24.97			
मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 24.97 लाख का आवर्धन राज्य उच्च शिक्षा परिषद के अध्यक्ष को मानदेय के भुगतान पर अधिक व्यय के कारण हुआ।				
13- राजकीय महाविद्यालयों को अभिभावक शिक्षक संघ के अन्तर्गत सहायता अनुदान-				
राज्य भाग				
मूल	20.00			
		187.07	169.50	(-)17.57
पुनर्वि०	167.07			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-8 (क्रमशः)

₹ 17.57 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 167.07 लाख का आवर्धन अभिभावक शिक्षक संघ के अन्तर्गत शिक्षकों पर अधिक व्यय के कारण हुआ जोकि अत्यधिक सिद्ध हुआ।

₹ 17.57 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

800-	अन्य व्यय-				
02-	हिमाचल प्रदेश निजी शैक्षणिक				
	संस्थान नियामक आयोग-				
	राज्य भाग				
	मूल	125.00			
			165.00	165.00	..
	पुनर्वि०	40.00			
	मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 40.00 लाख का आवर्धन हिमाचल प्रदेश निजी शिक्षण संस्थान विनियामक आयोग की विभिन्न गतिविधियों के अनुदान पर अधिक व्यय के कारण हुआ।				
05-	भाषा विकास-				
103-	संस्कृत शिक्षा-				
01-	संस्कृत पाठशालाओं को आधुनिकीकरण-				
	राज्य भाग				
	मूल	814.59			
			850.50	837.44	(-)13.06
	पुनर्वि०	35.91			
	मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 35.91 लाख का आवर्धन वेतन भुगतान पर अधिक व्यय के कारण हुआ।				
80-	सामान्य-				
107-	छात्रवृत्तियाँ-				
18-	कल्पना चावला छात्रवृत्ति योजना-				
	राज्य भाग				
	मूल	272.00			
			482.00	482.00	..
	पुनर्वि०	210.00			
	मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 210.00 लाख का आवर्धन लाभार्थियों से अधिक दावे प्राप्त होने के कारण हुआ।				
19-	मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना-				
	राज्य भाग				
	मूल	101.00			
			275.00	275.00	..
	पुनर्वि०	174.00			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-8 (क्रमशः)

मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 174.00 लाख का आवर्धन छात्रवृत्ति के लिए अधिक मामलों की प्राप्ति के कारण हुआ।

800-	अन्य व्यय-				
02-	राष्ट्रीय कैडेट कोर वार्षिक कैम्प-				
	राज्य भाग				
	मूल	70.00			
			100.00	95.48	(-)4.52
	पुनर्वि०	30.00			

मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 30.00 लाख का आवर्धन राष्ट्रीय कैडेट कोर शिविरों के आयोजन पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

2205- कला एवं संस्कृति-

105-	सार्वजनिक पुस्तकालय-				
01-	राज्य एवं जिला पुस्तकालय-				
	राज्य भाग				
	मूल	598.24			
	पूरक	0.01	2,038.19	2,018.29	(-)19.90
	पुनर्वि०	1,439.94			

मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,439.94 लाख का आवर्धन पुस्तकालयों के डिजिटलीकरण और वेतन भुगतान पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

2216- आवास-

07-	अन्य आवास-				
053-	मरम्मत एवं रख रखाव-				
03-	शिक्षा विभाग के रिहायशी भवनों का रख रखाव-				
	राज्य भाग				
	पूरक	0.01			
			15.00	15.00	..
	पुनर्वि०	14.99			

मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 14.99 लाख का आवर्धन आवासीय भवनों के रख रखाव पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

(vi)	प्रभारित विनियोजन में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्ष के अन्तर्गत हुई:-				
	शीर्ष	कुल विनियोजन	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+)	बचत (-)
			(₹ लाख में)		

2202- सामान्य शिक्षा-

03-	विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा-	
103-	सरकारी कॉलेज तथा संस्थान-	
13-	राजकीय महाविद्यालयों को अभिभावक शिक्षक संघ के अन्तर्गत सहायता अनुदान-	

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-8 (क्रमशः)

राज्य भाग

पूरक	1,304.51	1,304.51	1,283.45	(-)21.06
------	----------	----------	----------	----------

₹ 21.06 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

पूंजीगत प्रवर्ग

(vii) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
		(₹ लाख में)	

**4202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर
पूंजीगत परिव्यय-**

01- सामान्य शिक्षा-

201- प्रारंभिक शिक्षा-

01- भवन-

राज्य भाग

मूल	850.00	850.00	546.52	(-)303.48
-----	--------	--------	--------	-----------

₹ 303.48 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

202- माध्यमिक शिक्षा-

01- भवन-

राज्य भाग

मूल	2,106.00			
पूरक	7,686.55	10,206.60	6,059.80	(-)4,146.80
पुनर्वि0	414.06			

₹ 4,146.80 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 414.06 लाख का आवर्धन माध्यमिक विद्यालय भवनों के निर्माण पर अधिक व्यय के कारण हुआ जोकि अनावश्यक सिद्ध हुआ।

₹ 4,146.80 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

10- राजीव गांधी डे-बोर्डिंग स्कूल-

राज्य भाग

मूल	1,481.00			
		566.94	566.94	..
पुनर्वि0	(-)914.06			

मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 914.06 लाख की कमी निर्माण कार्य पर कम व्यय के कारण हुई।

(viii) उपरोक्त बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अंतर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
		(₹ लाख में)	

4202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-8 (समाप्त)

01-	सामान्य शिक्षा-				
202-	माध्यमिक शिक्षा-				
09-	अटल आदर्श विद्यालय-				
	राज्य भाग				
	मूल	750.00			
			1,250.00	1,250.00	..
	पुनर्वि०	500.00			

मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 500.00 लाख का आवर्धन निर्माण कार्य पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-9- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण

(शीर्ष- 2059-लोक निर्माण-कार्य, 2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 2211-परिवार कल्याण, 2216-आवास, 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण तथा 4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय)

		कुल अनुदान/ विनियोजन	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य (+) बचत (-)
राजस्व प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	27,38,28,47			
		28,19,82,48	26,69,01,67	(-)1,50,80,81
पूरक	81,54,01			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)				37,03,48
प्रभारित				
मूल	..			
		3,46,60	90.93	(-)2,55,67
पूरक	3,46,60			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..
पूंजीगत प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	98,73,90			
		4,91,39,79	5,18,95,67	(+)27,55,88
पूरक	3,92,65,89			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..

टिप्पणियाँ तथा अभ्युक्तियाँ

- (i) पूंजीगत प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 27,55,87,634 के आधिक्य का नियमन अपेक्षित है।
- (ii) राजस्व प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 15,080.81 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में प्राप्त ₹ 8,154.01 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ जबकि मूल अनुदान भी अप्रयुक्त रहा तथा ₹ 3,703.48 लाख का अभ्यर्पण अपर्याप्त सिद्ध हुआ।
- (iii) राजस्व प्रवर्ग के प्रभारित विनियोजन में ₹ 255.67 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में प्राप्त ₹ 346.60 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ तथा विभाग द्वारा वर्ष के दौरान कोई भी राशी अभ्यर्पित नहीं की गई।
- (iv) पूंजीगत प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 2,755.88 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2025 में ₹ 39,265.89 लाख का अनुपूरक अनुदान अपर्याप्त सिद्ध हुआ।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-9 (क्रमशः)

राजस्व प्रवर्ग

(v) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य (+) बचत (-)
2210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-			
01- शहरी स्वास्थ्य सेवाएं- पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति-			
001- निदेशन तथा प्रशासन-			
02- जिला स्थापना-			
राज्य भाग			
मूल	1,592.04		
		1,422.53	1,421.12
पुनर्वि0	(-)169.51		(-)1.41
मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 169.51 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।			
102- कर्मचारी राज्य बीमा योजना-			
01- कर्मचारी राज्य बीमा स्कीमें (अस्पताल तथा औषधालय)- राज्य भाग			
(i) पूरक	433.14	433.14	296.76
			(-)136.38
109- स्कूल स्वास्थ्य योजना-			
01- स्कूल स्वास्थ्य सेवाएँ- राज्य भाग			
(ii) मूल	51.46	51.46	41.16
			(-)10.30
उपरोक्त दो मामलों में ₹ 146.68 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।			
110- अस्पताल तथा औषधालय-			
03- शहरी स्वास्थ्य-			
राज्य भाग			
मूल	31,389.82		
		29,023.54	28,948.90
पुनर्वि0	(-)2,366.28		(-)74.64

₹ 74.64 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 2,366.28 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जोकि वन भूमि के विभाजन पर अधिक व्यय तथा चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की अधिक प्राप्ति के कारण हुए आधिक्य से अशतः प्रतिसंतुलित हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 74.64 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-9 (क्रमशः)

07-	जैव चिकित्सा अपशिष्ट- राज्य भाग				
(i)	मूल	700.00			
	पुनर्वि०	(-)10.58	689.42	592.59	(-)96.83
200-	अन्य स्वास्थ्य योजनाएँ-				
01-	दंत चिकित्सा क्लिनिक (शहरी)- राज्य भाग				
(ii)	मूल	7,328.60			
	पुनर्वि०	17.00	7,345.60	6,921.85	(-)423.75
	उपरोक्त दो मामलों में ₹ 520.58 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।				
02-	शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ- अन्य चिकित्सा पद्धतियाँ-				
001-	निदेशन तथा प्रशासन-				
01-	निदेशालय- राज्य भाग				
(i)	मूल	574.42			
	पुनर्वि०	(-)74.39	500.03	499.68	(-)0.35
02-	जिला स्थापना- राज्य भाग				
(ii)	मूल	9,316.02			
	पुनर्वि०	(-)798.01	8,518.01	8,517.81	(-)0.20
101-	आयुर्वेदा-				
01-	आयुर्वेदिक अस्पताल- राज्य भाग				
(iii)	मूल	1,283.95			
	पुनर्वि०	(-)126.61	1,157.34	1,154.36	(-)2.98
	उपरोक्त तीन मामलों में मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 999.01 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।				
03-	ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएँ-पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति-				
110-	अस्पताल तथा औषधालय-				
01-	ग्रामीण स्वास्थ्य-				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-9 (क्रमशः)

राज्य भाग

मूल 47,340.29

पूरक 0.01 42,772.51 42,564.89 (-)207.62

पुनर्वि० (-)4,567.79

₹ 207.62 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 4,567.79 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जोकि बाह्य स्रोत सेवाओं की अधिक नियुक्ति के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 207.62 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

04- ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं- अन्य चिकित्सा पद्धतियां-

101- आयुर्वेद-

01- आयुर्वेदिक औषधालय-

राज्य भाग

(i) मूल 328.50

271.32 271.05 (-)0.27

पुनर्वि० (-)57.18

02- आयुर्वेदिक औषधालय-

राज्य भाग

(ii) मूल 13,214.74

12,455.57 12,454.80 (-)0.77

पुनर्वि० (-)759.17

उपरोक्त दो मामलों में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 816.35 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

07- जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन-

राज्य भाग

(i) मूल 100.00

100.00 64.37 (-)35.63

05- चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-

101- आयुर्वेद-

01- आयुर्वेदिक महाविद्यालय-

राज्य भाग

(ii) मूल 1,760.47

1,738.97 1,679.80 (-)59.17

पुनर्वि० (-)21.50

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 94.80 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

105- पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-9 (क्रमशः)

- 01- इंदिरा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय शिमला-
राज्य भाग
मूल 24,801.79
पूरक 0.02 23,352.11 23,184.86 (-)167.25
पुनर्वि० (-)1,449.70
- ₹ 167.25 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,449.70 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जोकि बाह्य स्रोत सेवाओं की अधिक नियुक्ति, किराए, रसायनों तथा अन्य उपयोग योग्य वस्तुओं की खरीद व संबद्धता शुल्क पर अधिक भुगतान के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।
- ₹ 167.25 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।
- 06- डॉ० राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा-
राज्य भाग
मूल 17,701.23
पूरक 16,897.55 16,892.64 (-)4.91
पुनर्वि० (-)803.68
- मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 803.68 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जोकि बाह्य स्रोत सेवाओं की अधिक भर्ती, आहार सेवा, पानी, बिजली तथा टेलीफोन बिलों पर अधिक व्यय होने के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।
- 12- डॉ. यशवंत सिंह परमार राजकीय
मेडिकल कॉलेज, नाहन-
राज्य भाग
मूल 6,257.40
पूरक 5,748.50 5,742.50 (-)6.00
पुनर्वि० (-)508.90
- मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 508.90 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जोकि सुरक्षा, स्वच्छता सेवाओं पर अधिक व्यय, बजीफे के भुगतान तथा बाह्य स्रोत सेवाओं की अधिक भर्ती के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।
- 13- डॉ० राधाकृष्णन राजकीय मेडिकल
कॉलेज हमीरपुर-
राज्य भाग
मूल 7,430.33
पूरक 8,211.00 7,421.27 (-)789.73
पुनर्वि० 780.67
- ₹ 789.73 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 780.67 लाख का आवर्धन फर्नीचर की खरीद और बाह्य स्रोत सेवाओं की अधिक भर्ती के कारण हुआ जोकि रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई बचत से अंशतः प्रतिसंतुलित हुआ जोकि अनावश्यक सिद्ध हुआ।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-9 (क्रमशः)

₹ 789.73 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

14-	पंडित जवाहर लाल नेहरू राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय चम्बा- राज्य भाग				
	मूल	5,087.77			
			5,118.71	5,084.83	(-)33.88
	पुनर्वि०	30.94			

₹ 33.88 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 30.94 लाख का आवर्धन वजीफे, फर्नीचर की खरीद, बिजली कनेक्शन पर अधिक व्यय होने के कारण हुआ जोकि रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई बचत से अंशतः प्रतिसंतुलित हुआ जोकि अनावश्यक सिद्ध हुआ।

₹ 33.88 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

21-	राष्ट्रीय टर्शरी स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम- राज्य भाग				
	मूल	12.00			
		
	पुनर्वि०	(-)12.00			

मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 12.00 लाख का समस्त प्रावधान केन्द्रीय हिस्सा जारी न होने के कारण कम कर दिया गया; अतः राज्य का हिस्सा अप्रयुक्त रहा।

06-	लोक स्वास्थ्य-				
101-	रोगों का निवारण तथा नियंत्रण-				
02-	क्षय रोग अस्पताल- राज्य भाग				
(i)	मूल	1,055.45			
			931.82	928.99	(-)2.83
	पुनर्वि०	(-)123.63			
07-	कुष्ठ रोग अस्पताल- राज्य भाग				
(ii)	मूल	375.64			
			319.86	314.61	(-)5.25
	पुनर्वि०	(-)55.78			

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 179.41 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

102-	खाद्य पदार्थों में मिलावट की रोकथाम-				
02-	खाद्य सुरक्षा पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना- राज्य भाग				
	पूरक	49.00	49.00	19.64	(-)29.36

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-9 (क्रमशः)

₹ 29.36 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

200-	अन्य पद्धतियाँ-				
03-	मुख्यमंत्री क्षय रोग निवारण योजना-				
	राज्य भाग				
	मूल	132.00			
			96.99	57.14	(-)39.85
	पुनर्वि०	(-)35.01			

₹ 39.85 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 35.01 लाख की कमी प्रस्तावों की कम प्राप्ति होने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 39.85 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

05-	मुख्यमंत्री आर्शीवाद योजना-				
	राज्य भाग				
	मूल	665.00	665.00	..	(-)665.00

₹ 665.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

06-	निशुल्क दवाईयाँ-				
	राज्य भाग				
	मूल	1,120.00			
			1,107.70	1,061.21	(-)46.49
	पुनर्वि०	(-)12.30			

₹ 46.49 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

12-	सम्मान योजना-				
	राज्य भाग				
	मूल	10.00	10.00	..	(-)10.00

₹ 10.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

2211-	परिवार कल्याण-				
001-	निदेशन तथा प्रशासन-				
01-	राज्य मुख्यालय-				
	राज्य भाग				
	मूल	9.16			
			7.00	7.00	..
	पुनर्वि०	(-)2.16			

मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2.16 लाख की कमी पानी व बिजली, बिलों पर कम व्यय होने के कारण हुई।

02-	जिला मुख्यालय-				
-----	----------------	--	--	--	--

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-9 (क्रमशः)

	राज्य भाग				
(i)	मूल	236.76			
			150.56	149.72	(-)0.84
	पुनर्वि०	(-)86.20			
06-	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत बुनियादी ढांचे का रखरखाव-केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(ii)	मूल	2,387.00			
			1,899.64	1,897.57	(-)2.07
	पुनर्वि०	(-)487.36			
101-	ग्रामीण परिवार कल्याण सेवाएं-				
01-	ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार कल्याण केन्द्र-राज्य भाग				
(iii)	मूल	8,579.07			
			8,253.52	8,247.17	(-)6.35
	पुनर्वि०	(-)325.55			
102-	शहरी परिवार कल्याण सेवाएं-				
01-	शहरी क्षेत्रों में परिवार कल्याण केन्द्र-राज्य भाग				
(iv)	मूल	970.89			
			763.16	761.85	(-)1.31
	पुनर्वि०	(-)207.73			
	उपरोक्त चार मामलों में मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,106.84 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।				
200-	अन्य सेवाएं तथा पूर्तियाँ-				
02-	इन्दिरा गांधी बालिका सुरक्षा योजना-राज्य भाग				
(i)	मूल	57.00			
			38.11	22.35	(-)15.76
	पुनर्वि०	(-)18.89			
03-	पंचायतों को उत्कृष्ट महिला जन्म दर अनुपात हेतु अतिरिक्त विकास अनुदान-राज्य भाग				
(ii)	मूल	50.00			
			40.00	5.00	(-)35.00
	पुनर्वि०	(-)10.00			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-9 (क्रमशः)

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 50.76 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 28.89 लाख की कमी प्रस्तावों की कम प्राप्ति होने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

उपरोक्त दो मामलों ₹ 50.76 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

- 05- राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत प्रावधान-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना

मूल	31,841.00	31,841.00	23,573.75	(-)8,267.25
-----	-----------	-----------	-----------	-------------

₹ 8,267.25 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)। जबकि भारत सरकार से ₹ 1,048.00 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ था।

राज्य भाग

मूल	8,670.00			
		8,406.96	8,360.79	(-)46.17

पुनर्वि० (-)263.04

₹ 46.17 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 263.04 लाख की कमी मानदेय के भुगतान पर कम व्यय होने के कारण हुई जोकि केन्द्रीय हिस्सेदारी के अनुपात में राज्य की हिस्सेदारी जारी करने से हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 46.17 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

- (vi) उपरोक्त बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
			(₹ लाख में)

2210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-

- 01- शहरी स्वास्थ्य सेवाएं- पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति-

001- निदेशन तथा प्रशासन-

- 01- निदेशालय-

राज्य भाग

मूल	2,275.97			
		2,676.80	2,673.97	(-)2.83

पुनर्वि० 400.83

मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 400.83 लाख का आवर्धन वेतन के भुगतान पर अधिक भुगतान होने के कारण हुआ।

- 05- चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-

101- आयुर्वेद-

- 05- राष्ट्रीय आयुष मिशन-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-9 (क्रमशः)

	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(i)	मूल	353.00			
			1,302.96	1,302.95	(-)0.01
	पुनर्वि०	949.96			
	राज्य भाग				
(ii)	मूल	35.00			
			144.77	144.77	..
	पुनर्वि०	109.77			
	उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,059.73 लाख का आवर्धन भारत सरकार से अधिक राशी प्राप्त होने से अनुपातिक राज्य की हिस्सेदारी के प्रयुक्त होने के कारण हुआ। जबकि भारत सरकार से क्रम संख्या (i) पर ₹ 2,515.88 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ था।				
105-	पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति-				
05-	चिकित्सा शिक्षा प्रशिक्षण एवं अनुसंधान-				
	राज्य भाग				
	मूल	184.25			
	पूरक	0.01	221.22	220.17	(-)1.05
	पुनर्वि०	36.96			
	मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 36.96 लाख का आवर्धन मुख्यतः रिक्त पदों को भरने के कारण हुआ।				
15-	लाल बहादुर शास्त्री राजकीय चिकित्सा				
	महाविद्यालय एवं अस्पताल नैर चौक-				
	राज्य भाग				
	मूल	10,518.47			
			11,174.48	11,119.96	(-)54.52
	पुनर्वि०	656.01			
	₹ 54.52 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 656.01 लाख का आवर्धन बिजली बिलों, वजीफा व सामग्री की खरीद पर अधिक व्यय होने के कारण हुआ जोकि मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई बचत से अंशतः प्रतिसंतुलित हुआ जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुआ।				
	₹ 54.52 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।				
20-	अटल चिकित्सा सुपर स्पेशियलिटीज संस्थान-				
	राज्य भाग				
	मूल	3,164.19			
	पूरक	0.01	3,268.27	3,242.73	(-)25.54
	पुनर्वि०	104.07			
	मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 104.07 लाख का आवर्धन बाह्य स्रोत सेवाओं				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-9 (क्रमशः)

की अधिक भर्ती, टेलीफोन, बिजली बिलों, नए वाहनों की खरीद, किटो तथा अन्य उपभोग योग्य वस्तुओं आदि पर अधिक व्यय होने के कारण हुआ जोकि रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई बचत से अंशतः प्रतिसंतुलित हुआ।

06- लोक स्वास्थ्य-				
001- निदेशन तथा प्रशासन-				
01- स्वास्थ्य सुरक्षा एवं विनियमन-				
राज्य भाग				
मूल	239.85			
		263.39	262.20	(-)1.19
पुनर्वि०	23.54			

मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 23.54 लाख का आवर्धन बाह्य स्रोत सेवाओं की अधिक भर्ती करने के कारण हुआ जोकि रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई बचत से अंशतः प्रतिसंतुलित हुआ।

101- रोगो का निवारण एवं नियंत्रण-				
05- मानसिक चिकित्सा एवं पुनर्वास चिकित्सालय-				
राज्य भाग				
मूल	312.00			
		370.18	363.09	(-)7.09
पुनर्वि०	58.18			

मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 58.18 लाख का आवर्धन वेतन के भुगतान पर अधिक व्यय होने के कारण हुआ।

200- अन्य पद्धतियाँ-				
08- हिमाचल स्वास्थ्य सेवा योजना (हिम केयर)-				
राज्य भाग				
मूल	6,581.00			
पूरक	7,671.80	20,581.00	20,581.00	..
पुनर्वि०	6,328.20			

मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 6,328.20 लाख का आवर्धन योजना के अंतर्गत प्रस्तावों की अधिक प्राप्ति होने के कारण हुआ।

2211- परिवार कल्याण-

200- अन्य सेवाएं तथा आपूर्तियां-				
13- प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन-				
केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(i) मूल	3,943.00			
		4,132.00	4,131.03	(-)0.97
पुनर्वि०	189.00			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-9 (क्रमशः)

	राज्य भाग				
(ii)	मूल	438.00			
	पूरक	0.01	459.01	459.00	(-)0.01
	पुनर्वि०	21.00			
	उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 210.00 लाख का आवर्धन भारत सरकार से अधिक राशियां प्राप्त होने से राज्य की अनुपातिक हिस्सेदारी के प्रयुक्त होने के कारण हुआ। जबकि क्रम संख्या (i) में ₹ 2,964.80 लाख का अनुदान भारत सरकार से प्राप्त हुआ था।				
2216-	आवास-				
05-	साधारण पूल आवास-				
053-	मरम्मत एवं रख रखाव-				
01-	अन्य रख रखाव व्यय-				
	राज्य भाग				
	मूल	11.21			
			51.21	51.21	..
	पुनर्वि०	40.00			
	मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 40.00 लाख का आवर्धन रख रखाव कार्यों के अधिक निष्पादन के कारण हुआ।				
(vii)	प्रभारित विनियोजन में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्ष के अन्तर्गत हुई:-				
	शीर्ष	कुल विनियोजन	वास्तविक व्यय		आधिक्य (+) बचत (-)
			(₹ लाख में)		
2210-	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-				
03-	ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति-				
110-	अस्पताल तथा औषधालय-				
01-	ग्रामीण स्वास्थ्य-				
	राज्य भाग				
	पूरक	346.60	346.60	90.93	(-)255.67
	₹ 255.67 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।				
	पूंजीगत प्रवर्ग				
(viii)	दत्तमत अनुदान में आधिक्य मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुआ:-				
	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय		आधिक्य (+) बचत (-)
			(₹ लाख में)		
4210-	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-				
01-	शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ-				
110-	अस्पताल तथा औषधालय-				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-9 (क्रमशः)

01-	शहरी स्वास्थ्य- राज्य भाग				
	मूल	1,193.40			
			5,779.40	6,275.79	(+)496.39
	पूरक	4,586.00			
	₹ 496.39 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।				
03-	दंत चिकित्सा सेवा के तहत विकास कार्य- राज्य भाग				
	पूरक	0.01			
			100.00	100.00	..
	पुनर्वि०	99.99			
	मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 99.99 लाख का आवर्धन दंत चिकित्सा मशीनरी तथा उपकरणों की खरीद पर अधिक व्यय होने के कारण हुआ।				
03-	<i>चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-</i>				
105-	पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति-				
06-	हमीरपुर में मेडिकल कॉलेज का निर्माण- राज्य भाग				
	मूल	263.00			
	पूरक	16,200.00	16,793.49	17,343.65	(+)550.16
	पुनर्वि०	330.49			
	₹ 550.16 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 330.49 लाख का आवर्धन कैथ लैब की स्थापना पर अधिक व्यय होने के कारण हुआ जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुआ।				
	₹ 550.16 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।				
08-	नेरचौक में मेडिकल कॉलेज का निर्माण- राज्य भाग				
	मूल	660.00			
	पूरक	2,700.00	3,261.01	4,237.62	(+)976.61
	पुनर्वि०	(-)98.99			
	₹ 976.61 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 98.99 लाख की कमी कार्यों के कम निष्पादन होने के कारण हुई जोकि अनुचित सिद्ध हुई।				
	₹ 976.61 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।				
11-	अटल चिकित्सा सुपर स्पेशियलिटीज- राज्य भाग				
	मूल	658.00			
			3,508.00	5,395.78	(+)1,887.78
	पूरक	2,850.00			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-9 (क्रमशः)

₹ 1,887.78 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

12- राष्ट्रीय टर्शरी स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना

मूल	2.00			
पूरक	618.31	631.81	631.81	..
पुनर्वि०	11.50			

मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 11.50 लाख का आवर्धन भारत सरकार से निधियों की अधिक प्राप्ति से अनुपातिक राज्य की हिस्सेदारी प्रयुक्त होने के कारण हुआ। जबकि ₹ 631.81 लाख का अनुदान भारत सरकार से प्राप्त हुआ था।

(ix) उपरोक्त आधिक्य मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई बचत से अंशतः प्रतिसंतुलित हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
		(₹ लाख में)	

4210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-

03- चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-

105- पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति-

01- चिकित्सा महाविद्यालय-

राज्य भाग

मूल	1,186.00			
पूरक	4,243.12	5,763.65	4,833.59	(-)930.06
पुनर्वि०	334.53			

₹ 930.06 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 334.53 लाख का आवर्धन कार्यों के अधिक निष्पादन के कारण हुआ जोकि अनावश्यक सिद्ध हुआ।

₹ 930.06 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

02- दन्त चिकित्सा महाविद्यालय-
राज्य भाग

मूल	55.00			
		11.00	11.00	..
पुनर्वि०	(-)44.00			

मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 44.00 लाख की कमी मशीनरी तथा उपकरणों की कम खरीद होने के कारण हुई।

03- डॉ राजेन्द्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा-
राज्य भाग

मूल	1,186.00			
		1,347.00	1,132.86	(-)214.14
पुनर्वि०	161.00			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-9 (समाप्त)

₹ 214.14 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

05- नाहन में मेडिकल कॉलेज का निर्माण-
राज्य भाग

मूल 659.00

102.88

102.88

..

पुनर्वि० (-)556.12

मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 556.12 लाख की कमी कार्यों के निष्पादन न होने तथा मशीनरी व उपकरणों की कम खरीद होने के कारण हुई।

12- राष्ट्रीय टर्शरी स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम-
राज्य भाग

मूल 25.00

पूरक 57.71

70.21

70.21

..

पुनर्वि० (-)12.50

मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 12.50 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण हुई; अतः राज्य का हिस्सा अप्रयुक्त रहा।

13- राजकीय मेडिकल महाविद्यालयों का उन्नयन-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना

(i) मूल 2.00

..

..

..

पुनर्वि० (-)2.00

राज्य भाग

(ii) मूल 62.90

..

..

..

पुनर्वि० (-)62.90

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 64.90 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया; अतः राज्य का हिस्सा अप्रयुक्त रहा।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-10- लोक निर्माण-सड़क, पुल एवं भवन

(शीर्ष- 2059-लोक निर्माण-कार्य, 2216-आवास, 3054-सड़क तथा पुल, 4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय, 4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय तथा 5054-सड़कों तथा पुलों पर पूंजीगत परिव्यय)

		कुल अनुदान/ विनियोजन	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य (+) बचत (-)
राजस्व प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	31,26,48,18			
		31,26,48,18	23,82,14,54	(-)7,44,33,64
पूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)				2,93,70,32
प्रभारित				
मूल	..			
		1,48,98	59,25	(-)89,73
पूरक	1,48,98			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..
पूंजीगत प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	14,45,30,00			
		19,01,41,20	12,59,11,83	(-)6,42,29,37
पूरक	4,56,11,20			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..

टिप्पणियाँ तथा अभ्युक्तियाँ

- (i) राजस्व प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 74,433.64 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से ₹ 29,370.32 लाख का अभ्यर्पण अपर्याप्त सिद्ध हुआ।
- (ii) राजस्व प्रवर्ग के प्रभारित विनियोजन में ₹ 89.73 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में प्राप्त ₹ 148.98 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्याधिक सिद्ध हुआ तथा विभाग द्वारा वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
- (iii) पूंजीगत प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 64,229.37 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में प्राप्त ₹ 45,611.20 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ जबकि मूल अनुदान भी अप्रयुक्त रहा तथा विभाग द्वारा वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-10 (क्रमशः)

राजस्व प्रवर्ग				
(iv)	दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-			
शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	आधिक्य (+) बचत (-)	
2059- लोक निर्माण कार्य-				
80- सामान्य-				
001- निदेशन तथा प्रशासन-				
01- निदेशन- राज्य भाग				
(i) मूल	1,618.91			
		1,365.66	1,355.15	(-)10.51
पुनर्वि०	(-)253.25			
03- डिजाइन- राज्य भाग				
(ii) मूल	626.53			
		545.05	543.28	(-)1.77
पुनर्वि०	(-)81.48			
उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 334.73 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।				
051- निर्माण-				
01- सरकारी गैर आवासीय भवन- राज्य भाग				
मूल	165.38	165.38	85.32	(-)80.06
₹ 80.06 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।				
052- मशीनरी तथा उपस्कर-				
02- मरम्मतें तथा भार दुलाई- राज्य भाग				
मूल	9.36			
		0.81	2.70	(+)1.89
पुनर्वि०	(-)8.55			
मार्च 2025 में ₹ 8.55 लाख का अभ्यर्पण मशीनरी तथा उपकरणों की कम मरम्मत के कारण हुआ।				
053- रख रखाव तथा मरम्मत-				
03- निष्पादन- राज्य भाग				
मूल	14,426.58			
		12,533.08	12,385.06	(-)148.02
पुनर्वि०	(-)1,893.50			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-10 (क्रमशः)

₹ 148.02 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,893.50 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 148.02 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

04- गैर आवासीय भवनों के रख रखाव पर व्यय-
राज्य भाग

मूल	3,222.59	3,222.59	2,273.03	(-)949.56
-----	----------	----------	----------	-----------

₹ 949.56 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

05- स्थाई स्थापना में बदले गए कामगार-
राज्य भाग

मूल	9,511.74			
		7,982.70	7,915.60	(-)67.10

पुनर्वि० (-)1,529.04

₹ 67.10 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,529.04 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 67.10 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

06- वसूलियों के समायोजन हेतु रख रखाव का प्रावधान-
राज्य भाग

मूल	9,511.74			
		7,989.09	6,596.35	(-)1,392.74

पुनर्वि० (-)1,522.65

₹ 1,392.74 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,522.65 लाख की कमी वसूली के समायोजन के रख रखाव पर कम व्यय के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 1,392.74 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

799- उचंत-

01- स्कन्ध-

राज्य भाग

(i) मूल	8,076.90	8,076.90	1,919.61	(-)6,157.29
---------	----------	----------	----------	-------------

02- स्कन्ध विनिर्माण-

राज्य भाग

(ii) मूल	5,031.23	5,031.23	3,939.66	(-)1,091.57
----------	----------	----------	----------	-------------

03- विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम-

राज्य भाग

(iii) मूल	12,422.87	12,422.87	6,248.70	(-)6,174.17
-----------	-----------	-----------	----------	-------------

उपरोक्त तीन मामलों में ₹ 13,423.03 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-10 (क्रमशः)

2216-	आवास-				
05-	साधारण पूल आवास-				
053-	मरम्मत एवं रखरखाव-				
01-	अन्य रखरखाव व्यय-				
	राज्य भाग				
	मूल	1,248.03			
			1,272.95	675.99	(-)596.96
	पुनर्वि०	24.92			
	₹ 596.96 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 24.92 लाख का आवर्धन आवासीय भवनों के रखरखाव कार्यों के अधिक निष्पादन के कारण हुआ जोकि अनावश्यक सिद्ध हुआ।				
	₹ 596.96 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।				
3054-	सड़कें तथा सेतु-				
04-	जिला तथा अन्य सड़कें-				
105-	रखरखाव तथा मरम्मत-				
02-	अन्य रखरखाव व्यय सड़क निर्माण कार्य-				
	राज्य भाग				
	मूल	26,584.27			
			27,352.27	24,897.12	(-)2,455.15
	पुनर्वि०	768.00			
	₹ 2,455.15 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 768.00 लाख का आवर्धन रखरखाव के कार्यों का अधिक निष्पादन होने के कारण हुआ जोकि अनावश्यक सिद्ध हुआ।				
	₹ 2,455.15 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।				
06-	वसूलियों के समायोजन हेतु रखरखाव का प्रावधान-				
	राज्य भाग				
	मूल	59,737.45			
			50,381.90	34,094.68	(-)16,287.22
	पुनर्वि०	(-)9,355.55			
	₹ 16,287.22 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 9,355.55 लाख की कमी वसूलियों के समायोजन के रख रखाव पर कम व्यय के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।				
	₹ 16,287.22 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।				
07-	स्थाई स्थापना में बदले कामगार-				
	राज्य भाग				
	मूल	59,737.45			
			50,159.34	49,686.93	(-)472.41
	पुनर्वि०	(-)9,578.11			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-10 (क्रमशः)

₹ 472.41 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 9,578.11 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 472.41 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

09-	भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से प्राप्त प्रशासनिक और आकस्मिक शुल्क की धनराशि-राज्य भाग				
	मूल	117.33	117.33	61.57	(-)55.76

₹ 55.76 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

13-	अन्य रख रखाव व्यय- मशीनरी और उपकरण-राज्य भाग				
	मूल	658.71			
			566.40	254.09	(-)312.31
	पुनर्वि०	(-)92.31			

₹ 312.31 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 92.31 लाख की कमी मशीनरी तथा उपकरणों की मरम्मत पर कम व्यय के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 312.31 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

14-	अन्य रख रखाव व्यय सेतु-राज्य भाग				
	मूल	1,726.67	1,726.67	1,317.25	(-)409.42

₹ 409.42 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

16-	मशीनरी तथा उपस्कर के रख रखाव पर व्यय-राज्य भाग				
	मूल	325.53			
			200.00	79.22	(-)120.78
	पुनर्वि०	(-)125.53			

₹ 120.78 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 125.53 लाख की कमी मशीनरी तथा उपकरणों की मरम्मत पर कम व्यय के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 120.78 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

19-	निष्पादन-राज्य भाग				
	मूल	19,637.29			
			17,978.19	17,825.09	(-)153.10
	पुनर्वि०	(-)1,659.10			

₹ 153.10 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,659.10 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-10 (क्रमशः)

₹ 153.10 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

20-	वसूलियों के समायोजन हेतु रख रखाव का प्रावधान- राज्य भाग				
	मूल	26,330.47			
			22,705.73	16,936.84	(-)5,768.89

पुनर्वि० (-)3,624.74

₹ 5,768.89 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 3,624.74 लाख की कमी वसूलियों के समायोजन के रख रखाव पर कम व्यय के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 5,768.89 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

21-	स्थायी स्थापना में बदले गए कामगार- मशीनरी एवं उपकरण- राज्य भाग				
(i)	मूल	7,612.70			
			6,626.16	6,587.89	(-)38.27
	पुनर्वि०	(-)986.54			

22-	स्थायी स्थापना में बदले गए कामगार-सेतू- राज्य भाग				
(ii)	मूल	7,913.82			
			6,618.80	6,533.31	(-)85.49
	पुनर्वि०	(-)1,295.02			

23-	स्थायी स्थापना में बदले गए कामगार- सड़क निर्माण कार्य- राज्य भाग				
(iii)	मूल	10,803.95			
			9,391.20	9,310.48	(-)80.72
	पुनर्वि०	(-)1,412.75			

उपरोक्त तीन मामलों में ₹ 204.48 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 3,694.31 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

उपरोक्त तीन मामलों में ₹ 204.48 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

27-	माननीय मुख्यमंत्री के अधीन स्वतन्त्र गुणवत्ता नियंत्रण जाँच उड़ान दस्ता- राज्य भाग				
	मूल	3.03			
		
	पुनर्वि०	(-)3.03			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-10 (क्रमशः)

मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा ₹ 3.03 लाख का समस्त प्रावधान बाह्य स्रोत, वाहनों, पेट्रोल, तेल, स्नेहक और मरम्मत पर कम व्यय होने के कारण कम कर दिया गया।

30- मुख्यमंत्री सड़क रख रखाव योजना-
राज्य भाग

(i) मूल 6,000.00 6,000.00 4,629.10 (-)1,370.90

337- सड़क निर्माण कार्य-
06- आउटपुट आधारित कार्य निष्पादन
रख रखाव अनुबंध-
राज्य भाग

(ii) मूल 2,644.81 2,644.81 2,310.23 (-)334.58

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 1,705.48 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

80- सामान्य-

001- निदेशन तथा प्रशासन-
01- निदेशन तथा पर्यवेक्षण-
राज्य भाग

मूल 5,750.29

5,555.07 5,415.17 (-)139.90

पुनर्वि० (-)195.22

₹ 139.90 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 195.22 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जोकि कार्य लेखा प्रबंधन सूचना प्रणाली पर अधिक व्यय व वाहन की खरीद के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 139.90 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

05- वास्तुकार-
राज्य भाग

मूल 519.32

521.70 393.33 (-)128.37

पुनर्वि० 2.38

₹ 128.37 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

(v) उपरोक्त बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसन्तुलित हुई:-
शीर्ष कुल अनुदान वास्तविक आधिक्य (+)
व्यय बचत (-)
(₹ लाख में)

2059- लोक निर्माण कार्य-

80- सामान्य-

051- निर्माण-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-10 (क्रमशः)

03-	विधानसभा भवन शिमला/धर्मशाला- राज्य भाग				
	मूल	11.03			
			682.18	108.62	(-)573.56
	पुनर्वि०	671.15			
	₹ 573.56 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 671.15 लाख का आवर्धन शिमला व धर्मशाला में स्थित हिमाचल प्रदेश विधानसभा भवनों के रख रखाव कार्यों के अधिक निष्पादन के कारण हुआ जोकि अत्यधिक सिद्ध हुआ।				
	₹ 573.56 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।				
3054-	सड़कें तथा सेतु-				
01-	राष्ट्रीय राजमार्ग-				
337-	सड़क निर्माण कार्य-				
01-	राष्ट्रीय उच्चमार्गों की मरम्मत- राज्य भाग				
	मूल	713.71			
			2,219.62	2,167.54	(-)52.08
	पुनर्वि०	1,505.91			
	₹ 52.08 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,505.91 लाख का आवर्धन रख रखाव कार्यों के अधिक निष्पादन के कारण हुआ जोकि अत्यधिक सिद्ध हुआ।				
	₹ 52.08 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।				
04-	जिला और अन्य सड़कें-				
105-	मरम्मत तथा रखरखाव-				
15-	अन्य रख रखाव व्यय- सड़क निर्माण कार्य- राज्य भाग				
	मूल	2,000.00			
			2,783.00	2,740.26	(-)42.74
	पुनर्वि०	783.00			
	₹ 42.74 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 783.00 लाख का आवर्धन मल्टी टास्क वर्कर्स के मानदेय की दरों में वृद्धि के कारण हुआ जोकि अत्यधिक सिद्ध हुआ।				
	₹ 42.74 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।				
17-	सड़कों के रख रखाव पर व्यय- राज्य भाग				
	मूल	2,454.21			
			2,744.92	3,232.91	(+)487.99
	पुनर्वि०	290.71			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-10 (क्रमशः)

₹ 487.99 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 290.71 लाख का आवर्धन सड़कों के रख रखाव पर अधिक व्यय के कारण हुआ जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुआ।

₹ 487.99 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

337-	सड़क निर्माण कार्य-				
05-	ग्रामीण सड़कें-				
	राज्य भाग				
	मूल	0.01			
			200.01	192.38	(-)7.63
	पुनर्वि०	200.00			

₹ 7.63 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 200.00 लाख का आवर्धन रख रखाव कार्य के अधिक निष्पादन के कारण हुआ जोकि अत्यधिक सिद्ध हुआ।

₹ 7.63 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

80-	सामान्य-				
004-	अनुसंधान तथा विकास-				
01-	आउटसोर्सिंग के द्वारा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करना-				
	राज्य भाग				
	मूल	0.01			
			..	7.19	(+)7.19
	पुनर्वि०	(-)0.01			

₹ 7.19 लाख का समस्त व्यय बिना प्रावधान के किया गया; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

(vi)	प्रभारित विनियोजन में बचत निम्नवत् शीर्ष के अंतर्गत हुई:-			
	शीर्ष	कुल	वास्तविक	आधिक्य (+)
		विनियोजन	व्यय	बचत (-)
			(₹ लाख में)	

3054-	सड़कें तथा सेतु-				
04-	जिला तथा अन्य सड़कें-				
105-	मरम्मत तथा रख रखाव-				
02-	अन्य रख रखाव व्यय-सड़क निर्माण कार्य-				
	राज्य भाग				
	पूरक	148.98	148.98	59.25	(-)89.73

₹ 89.73 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-10 (क्रमशः)

पूँजीगत प्रवर्ग

(vii)	दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-			
	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य (+) बचत (-)

4059- लोक निर्माण कार्यों पर पूँजीगत परिव्यय-

01-	कार्यालय भवन-			
051-	निर्माण-			
04-	जिला प्रशासन- राज्य भाग			
(i)	मूल	200.00		
			456.02	294.93
				(-)161.09
	पूरक	256.02		

4216- आवास पर पूँजीगत परिव्यय-

01-	सरकारी आवासीय भवन-			
106-	साधारण पूल आवास-			
01-	विभिन्न जिलों में रिहायशी भवनों का निर्माण- राज्य भाग			
(ii)	मूल	850.00		
			950.00	502.62
				(-)447.38
	पूरक	100.00		

5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय-

04-	जिला तथा अन्य सड़कें-			
101-	सेतु-			
01-	पूलों का निर्माण- राज्य भाग			
(iii)	मूल	4,278.00		
			5,978.00	2,283.13
				(-)3,694.87
	पूरक	1,700.00		

उपरोक्त तीन मामलों में ₹ 4,303.34 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

337- सड़क निर्माण कार्य-

02-	ग्रामीण सड़कों का निर्माण- राज्य भाग			
	मूल	20,731.00		
	पूरक	4,809.00	29,790.00	19,419.03
	पुनर्वि0	4,250.00		(-)10,370.97

₹ 10,370.97 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 4,250.00 लाख का आवर्धन ग्रामीण सड़कों के निर्माण कार्यों के अधिक निष्पादन के कारण हुआ जोकि अनावश्यक सिद्ध हुआ।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-10 (क्रमशः)

₹ 10,370.97 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

06-	प्रतिपूरक पौधारोपण (वन भूमि की लागत और नेट प्रेजेन्ट वेल्थ की अदायगी)- राज्य भाग				
(i)	मूल	1,316.00	1,316.00	769.98	(-)546.02
09-	प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना कार्यों के अंतर्गत कार्यक्रम एवं प्रशासनिक व्यय निधि- केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(ii)	मूल	39,486.00			
			69,142.00	36,692.00	(-)32,450.00
	पूरक	29,656.00			
	राज्य भाग				
(iii)	मूल	4,409.00			
			7,854.00	7,682.00	(-)172.00
	पूरक	3,445.00			
10-	ब्लैक स्पॉट्स का सुधार, सड़क सुरक्षा के उपाय और जियोमेटिक्स और राइडिंग गुणवत्ता में सुधार- राज्य भाग				
(iv)	मूल	658.00	658.00	256.61	(-)401.39
11-	मुख्यमंत्री सड़क योजना- राज्य भाग				
(v)	मूल	3,142.00	3,142.00	484.49	(-)2,657.51
15-	विवाचन मामलों के लिए भुगतान (सड़के एवं पुल)- राज्य भाग				
(vi)	मूल	329.00			
			1,184.50	892.36	(-)292.14
	पूरक	855.50			
	उपरोक्त छः मामलों में ₹ 36,519.06 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)। जबकि भारत सरकार से क्रम संख्या (iii) में ₹ 63,482.00 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ।				
17-	मुख्य जिला और अन्य के तहत मशीनरी और उपकरणों की खरीद- राज्य भाग				
	मूल	350.00			
	पूरक	280.00	1,830.00	280.00	(-)1,550.00
	पुनर्वि०	1,200.00			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-10 (क्रमशः)

₹ 1,550.00 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,200.00 लाख का आवर्धन बेली ब्रिजों की खरीद पर अधिक व्यय होने के कारण हुआ जोकि अनावश्यक सिद्ध हुआ।

₹ 1,550.00 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

19- राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक
के अंतर्गत सड़कों का निर्माण-
राज्य भाग

मूल 45,635.00

39,735.00

33,791.46

(-)5,943.54

पुनर्वि0 (-)5,900.00

₹ 5,943.54 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 5,900.00 लाख की कमी कार्यों के कम निष्पादन के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 5,943.54 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

20- केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत सड़कों का निर्माण-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना

(i) मूल 13,162.00

13,162.00

12,332.96

(-)829.04

21- विश्व बैंक राज्य सड़कें-
राज्य भाग

(ii) मूल 7,200.00

7,200.00

1,440.00

(-)5,760.00

80- सामान्य-

800- अन्य व्यय-

03- सड़क किनारे सुविधा/पौद्यरोपण-
राज्य भाग

(iii) मूल 526.00

526.00

244.81

(-)281.19

उपरोक्त तीन मामलों में ₹ 6,870.23 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

(viii) उपरोक्त बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसन्तुलित हुई:-

शीर्ष

कुल अनुदान

वास्तविक

आधिक्य (+)

व्यय

बचत (-)

(₹ लाख में)

4059- लोक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय-

01- कार्यालय भवन-

051- निर्माण-

07- लोक निर्माण-

राज्य भाग

(i) मूल 800.00

1,300.00

1,765.82

(+)465.82

पूरक 500.00

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-10 (क्रमशः)

38-	भवनों के विवाचन मामलों की अदायगी- राज्य भाग				
(ii)	पूरक	1,914.68	1,914.68	1,956.61	(+)41.93
80-	सामान्य-				
051-	निर्माण-				
03-	विश्राम/सरकट भवनों का निर्माण- राज्य भाग				
(iii)	मूल	744.00			
			839.00	1,941.60	(+)1,102.60
	पूरक	95.00			
	उपरोक्त तीन मामलों में ₹ 1,610.35 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।				
5054-	सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-				
04-	जिला तथा अन्य सड़कें-				
337-	सड़क निर्माण कार्य-				
18-	जिले के प्रमुख तथा अन्य मार्गों का निर्माण- राज्य भाग				
	मूल	92.00			
			192.00	152.82	(-)39.18
	पुनर्वि०	100.00			
	₹ 39.18 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 100.00 लाख का आवर्धन निर्माण कार्य के अधिक निष्पादन के कारण हुआ जोकि अत्यधिक सिद्ध हुआ।				
	₹ 39.18 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।				
26-	सड़कों और पुलों के डिजाइन/विस्तार परियोजना रिपोर्ट के लिए परामर्श- राज्य भाग				
	मूल	132.00			
			482.00	238.61	(-)243.39
	पुनर्वि०	350.00			
	₹ 243.39 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 350.00 लाख का आवर्धन राष्ट्रीय राजमार्गों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी.पी.आर) तैयार करने पर अधिक व्यय होने के कारण हुआ जोकि अत्यधिक सिद्ध हुआ।				
	₹ 243.39 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-10 (क्रमशः)

(xi) उच्चंत लेनदेन-

इस अनुदान के अंतर्गत लघु-शीर्ष 'उच्चंत' के अंतर्गत लेखांकित किए गए व्यय में ₹ 12,107.97 लाख (₹ 12,107.97 लाख राजस्व प्रवर्ग में तथा पूंजीगत प्रवर्ग में ₹0.00 लाख) सम्मिलित है।

यह शीर्ष अंतिम लेखा शीर्ष नहीं है बल्कि यह उन कुछ अंतरिम लेनदेनों के समायोजन के लिए है जिनके संबंध में लेनदेन को पूर्ण तथा अंतिम रूप से लेखांकित मानने के पूर्व आगामी अदायगी या मूल्य का समायोजन आवश्यक है। तदनुसार इस शीर्ष के अंतर्गत लेन-देनों को, यदि उन्हें अंतिम लेखा शीर्ष के अंतर्गत समायोजित नहीं किया जाता है तो, उसे वर्षानुवर्ष आगे ले जाया जाता है।

उच्चंत शीर्ष के तीन उप-खंड हैं:-

- (1) स्कन्ध
- (2) विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम तथा
- (3) कार्यशाला उच्चंत ।

इन प्रत्येक उपखंडों के अंतर्गत लेनदेनों के स्वरूप तथा उनके लेखांकन का वर्णन निम्न प्रकार से है:-

(i) स्कन्ध-

इस शीर्ष को ऐसी सामग्री के मूल्य को डेबिट किया जाता है जिसे किसी विशेष कार्य हेतु नहीं बल्कि मंडलों के सामान्य उपयोग के लिए प्राप्त किया गया हो। इसमें निर्माण कार्यों की जारी की गई सामग्री अथवा अन्य मंडलों को अंतरित अथवा अन्यथा निपटाई गई सामग्री के मूल्य से क्रेडिट किया जाता है। अतः यह उप शीर्ष स्टॉक में पड़ी सामग्री तथा विनिर्माण से संबंधित असमायोजित प्रभारों, यदि कोई हो, के मूल्य के संदर्भ में डेबिट बकाया दर्शाएगा।

(ii) स्कन्ध निर्माण-

यह उप-शीर्ष अनिवार्य रूप से एक उच्चंत खाता है क्योंकि संचालन की लागत का अंतिम समायोजन तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि वे बंदन हीं हो जाती। इसलिए निर्माण लेनदेन को एक अलग उप-शीर्ष के तहत दर्ज किया जाता है जिसे स्कन्ध उच्चंत खाते का "निर्माण" कहा जाता है:-

(iii) विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम-

यह उप-शीर्ष, क्रेडिट पर बेचे गए स्टॉक, निक्षेप-निर्माण कार्यों पर प्राप्त निक्षेपों से अधिक किए गए व्यय, भंडार, जो अभी प्राप्त नहीं हुए हैं, हेतु की गई अदायगी, अपलेखितन किए गए रोकड या भंडारों की क्षति तथा सरकारी कर्मचारियों आदि से वसूल की जाने वाली राशि से संबंधित मूल्य के संदर्भ डेबिटों के समायोजन के लिए है। इस प्रकार डेबिट-शेष, वसूली योग्य राशि को दर्शाता है।

(iv) कार्यशाला उच्चंत-

इस उप-शीर्ष को, विभागीय कार्यशालाओं में कार्यों या अन्य संचालनों पर किए गए सभी प्रभारों को डेबिट किया जाता है। कार्य की पूर्णता पर, उस कार्य से संबद्ध प्रभारों को जो इस उप-शीर्ष को डेबिट किए गए हों, को वसूली अथवा संबंधित अंतिम शीर्ष को अंतरण द्वारा समाशोधित किया जाता है। इस प्रकार इस शीर्ष के अंतर्गत डेबिट-शेष अपूर्ण कार्यों/संचालनों या कार्यों पर किए गए व्यय आदि से संबद्ध प्रभारों, जो वसूल या समायोजित नहीं किए गए हैं, को दर्शाता है।

विभिन्न उप-शीर्षों के अधीन अथ तथा अन्त शेषों सहित, वर्ष 2024-25 के दौरान इस अनुदान के अन्तर्गत लेखाबद्ध किए गए 'उच्चंत' लेनदेनों का विश्लेषण, निम्नवत् दिया जाता है:-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-10 (समाप्त)

शीर्ष	01 अप्रैल 2024 को प्रारम्भिक शेष डैबिट (+) क्रेडिट (-)	डैबिट (₹ लाख में)	क्रेडिट	31 मार्च 2025 को अन्त शेष डैबिट(+) क्रेडिट (-)
राजस्व प्रवर्ग				
2059- लोकनिर्माण कार्य				
80- सामान्य-				
799- उच्चत-				
01- स्कन्ध-	(-)20,986.32	1,919.61	2,178.24	(-)21,244.95*
02- स्कन्ध				
विनिर्माण-	(+)10,133.61	3,939.66	2,296.79	(+)11,776.48
03- विविधलोक				
निर्माण कार्य	(+)60,950.84	6,248.70	7,509.14	(+)59,690.40
अग्रिम-				
04- कार्यशाला				
उच्चत-	(+)0.07	0.00	0.00	(+)0.07
कुल 2059	(+) 50,098.20	12,107.97	11,984.17	(+)50,222.00
कुल राजस्व प्रवर्ग	(+)50,098.20	12,107.97	11,984.17	(+)50,222.00
पूंजीगत प्रवर्ग				
5054- सड़कों तथा पुलों पर				
पूंजीगत परिव्यय-				
03- राजकीय उच्च मार्ग-				
799- उच्चत-				
01- स्कन्ध-	(-)15.03	0.00	0.00	(-)15.03*
02- स्कन्ध				
विनिर्माण-	(-)16.87	0.00	0.00	(-)16.87*
03- विविध लोक निर्माण				
कार्य अग्रिम-	(-)22.98	0.00	0.00	(-)22.98*
04- कार्यशाला				
उच्चत-	(-)199.52	0.00	0.00	(-)199.52*
कुल 5054	(-)254.40	0.00	0.00	(-)254.40*
कुल पूंजीगत प्रवर्ग-	(-)254.40	0.00	0.00	(-)254.40*
कुल माँग का जोड़-	(+)49,843.80	12,107.97	11,984.17	(+)49,967.60

* ऋणात्मक शेषों के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-11- कृषि

(शीर्ष- 2059-लोक निर्माण-कार्य, 2216-आवास, 2401-फसल कृषि-कर्म, 2402-मृदा तथा जल संरक्षण, 2407-बागान, 2415-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा, 2435-अन्य कृषि कार्यक्रम, 2810-नई तथा नवीकरण ऊर्जा, 4401-फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय तथा 4402-मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय)

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य (+) बचत (-)
राजस्व प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	4,10,40,66			
		4,44,28,68	3,46,04,72	(-)98,23,96
पूरक	33,88,02			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)				
				16,60,47
पूंजीगत प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	46,66,95			
		48,06,95	46,83,82	(-)1,23,13
पूरक	1,40,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)				
				64,99

टिप्पणियाँ तथा अभ्युक्तियाँ

- (i) राजस्व प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 9,823.96 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में प्राप्त ₹ 3,388.02 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ जबकि मूल अनुदान भी अप्रयुक्त रहा तथा ₹ 1,660.47 लाख का अभ्यर्पण अपर्याप्त सिद्ध हुआ।
- (ii) पूंजीगत प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 123.13 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में प्राप्त ₹ 140.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ तथा ₹ 64.99 लाख का अभ्यर्पण अपर्याप्त सिद्ध हुआ।

राजस्व प्रवर्ग

- (iii) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य (+) बचत (-)
2401- फसल- कृषि-कर्म-			
001- निदेशन तथा प्रशासन-			
01- निदेशालय-			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-11 (क्रमशः)

राज्य भाग				
मूल	1,091.96			
		1,059.31	1,055.70	(-)3.61
पुनर्वि०	(-)32.65			
मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 32.65 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जोकि कार्यालय उपयोग के लिए किराए पर लिए गए निजी आवासों के किराए के भुगतान से हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।				
02-	जिला एवं क्षेत्रीय कर्मचारी वर्ग-			
	राज्य भाग			
मूल	2,177.12			
		1,896.47	1,896.34	(-)0.13
पुनर्वि०	(-)280.65			
मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 280.65 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।				
03-	राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना कृषि-केन्द्रीय प्रायोजित योजना			
(i)	मूल	66.00	66.00	..
	राज्य भाग			(-)66.00
(ii)	मूल	7.00	7.00	..
	उपरोक्त दो मामलों में ₹ 73.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।			(-)7.00
102-	खाद्यान्न फसलें -			
01-	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना - केन्द्रीय प्रायोजित योजना			
(i)	मूल	1,316.00	1,316.00	597.71
	राज्य भाग			(-)718.29
(ii)	मूल	146.00	146.00	91.41
	राज्य भाग			(-)54.59
02-	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-केन्द्रीय प्रायोजित योजना			
(iii)	मूल	660.00	660.00	352.90
	राज्य भाग			(-)307.10
(iv)	मूल	73.00	73.00	39.72
	उपरोक्त चार मामलों में ₹ 1,113.26 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)। जबकि भारत सरकार द्वारा क्रम संख्या (i) में ₹ 1,336.00 लाख तथा क्रम संख्या (iii) में ₹ 334.06 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ था।			(-)33.28
103-	बीज-			
01-	बीजों का वितरण-			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-11 (क्रमशः)

राज्य भाग					
मूल	1,220.16				
		1,155.02	1,155.01	(-)0.01	
पुनर्वि०	(-)65.14				
मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 65.14 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जोकि विभिन्न स्थानों पर कार्यालय उपयोग के लिए किराए पर लिए गए निजी आवासों के किराए के भुगतान के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।					
11-	सतत कृषि पर राष्ट्रीय मिशन- केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(i)	मूल	526.00	526.00	358.11	(-)167.89
	राज्य भाग				
(ii)	मूल	59.00	59.00	39.79	(-)19.21
12-	पोषक अनाज का प्रचार- राज्य भाग-				
(iii)	मूल	99.00			
			92.91	59.56	(-)33.35
	पुनर्वि०	(-)6.09			
उपरोक्त तीन मामलों में ₹ 220.45 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)। जबकि भारत सरकार द्वारा क्रम संख्या (i) में ₹ 287.53 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ था।					
105-	खाद्य तथा उर्वरक-				
13-	प्राकृतिक खेती पर राष्ट्रीय मिशन (एनएमएनएफ)- केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(i)	मूल	189.00			
			32.58	16.29	(-)16.29
	पुनर्वि०	(-)156.42			
	राज्य भाग				
(ii)	मूल	73.00			
			3.62	1.81	(-)1.81
	पुनर्वि०	(-)69.38			
उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2025 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 225.80 लाख की कमी भारत सरकार से कम निधियाँ प्राप्त होने के कारण हुई तथा केन्द्रीय हिस्सा कम प्राप्त होने के कारण राज्य का हिस्सा अप्रयुक्त रहा। जबकि भारत सरकार द्वारा क्रम संख्या (i) में ₹ 16.29 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ था।					
107-	वनस्पति रक्षण-				
08-	मुख्यमंत्री कृषि उत्पादन संरक्षण योजना- राज्य भाग				
	मूल	2,632.00	2,632.00	92.82	(-)2,539.18

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-11 (क्रमशः)

₹ 2,539.18 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

108-	वाणिज्यिक फसलें-				
16-	मुख्यमंत्री कृषि संवर्धन योजना-				
	राज्य भाग				
	मूल	2,303.00			
			2,272.30	1,749.59	(-)522.71
	पुनर्वि०	(-)30.70			

₹ 522.71 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 30.70 लाख की कमी विविध वस्तुओं की कम खरीद के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 522.71 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

17-	परिवर्तनकारी पहल के माध्यम से उत्कृष्ट उत्पादन, प्राकृतिक खेती और कृषि पर किसान परिवारों के उत्थान के लिए हिमालयन एकीकृत मॉडल-				
	राज्य भाग				
	मूल	987.00			
			134.01	102.29	(-)31.72
	पुनर्वि०	(-)852.99			

₹ 31.72 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 852.99 लाख की कमी किसानों से दावों की कम प्राप्ति, विविध वस्तुओं की कम खरीद, बाह्य स्रोत वाहनों व मरम्मत पर कम व्यय होने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 31.72 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

109-	विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण-				
27-	नेशनल मिशन ऑन एक्सटेंशन एंड टेक्नोलॉजी- केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(i)	मूल	1,025.00	1,025.00	880.32	(-)144.68
30-	बीज और उपजाऊ सामग्री पर उपलाभ-				
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(ii)	मूल	694.00	694.00	250.41	(-)443.59
	राज्य भाग				
(iii)	मूल	77.00	77.00	27.82	(-)49.18
31-	कृषि यंत्रीकरण पर उप मिशन-				
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(iv)	मूल	1,645.00	1,645.00	1,350.85	(-)294.15
32-	राष्ट्रीय बांस मिशन (एन.बी.एम.)-				
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(v)	मूल	70.00	70.00	53.99	(-)16.01

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-11 (क्रमशः)

	राज्य भाग				
(vi)	मूल	8.00	8.00	6.00	(-)2.00
34-	मृदा स्वास्थ्य और उर्वरता पर उप मिशन- केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(vii)	मूल	132.00	132.00	101.09	(-)30.91
	राज्य भाग				
(viii)	मूल	15.00	15.00	11.23	(-)3.77
35-	स्थानांतरण प्रौद्योगिकी के लिए समर्थन- राज्य भाग				
(ix)	मूल	100.00			
			94.75	38.20	(-)56.55
	पुनर्वि०	(-)5.25			

उपरोक्त नौ मामलों में ₹ 1,040.84 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)। जबकि भारत सरकार द्वारा क्रम संख्या (i) में ₹ 920.92 लाख, क्रम संख्या (v) में ₹ 49.36 लाख तथा क्रम संख्या (vii) में ₹ 94.53 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ था।

110-	फसल बीमा-				
01-	फसल बीमा योजना-				
	राज्य भाग				
	मूल	395.00			
			315.51	39.05	(-)276.46
	पुनर्वि०	(-)79.49			

₹ 276.46 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 79.49 लाख की कमी फसल बीमा योजना के अंतर्गत बीमा योजनाओं के क्रियान्वयन न होने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 276.46 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

111-	कृषि अर्थव्यवस्था तथा सांख्यिकी-				
01-	कृषि सांख्यिकी अनुभाग (सामयिक रिपोर्टिंग योजना)- केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
	मूल	60.00			
			39.62	39.62	..
	पुनर्वि०	(-)20.38			

मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 20.38 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

02-	निदान नमूना सर्वेक्षण एवं अध्ययन (फसल सांख्यिकी में सुधार)-				
-----	--	--	--	--	--

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-11 (क्रमशः)

	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
	मूल	50.00			
			28.69	28.69	..
	पुनर्वि०	(-)21.31			
	मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 21.31 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने तथा चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों की कम प्राप्ति के कारण हुई।				
113-	कृषि इंजीनियरिंग-				
05-	राज्य कृषि यंत्रीकरण कार्यक्रम-				
	राज्य भाग				
	मूल	329.00	329.00	19.70	(-)309.30
	₹ 309.30 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।				
115-	छोटे/उपांतक किसानों तथा कृषि				
	श्रम की योजना-				
01-	मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहर मजदूर				
	जीवन सुरक्षा योजना-				
	राज्य भाग				
	मूल	2.00	17.00	1.70	(-)15.30
	पुनर्वि०	15.00			
	₹ 15.30 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 15.00 लाख का आवर्धन कृषि मशीनरी से दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों को मुआवजा जारी करने के कारण हुआ जोकि अनावश्यक सिद्ध हुआ।				
	₹ 15.30 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।				
2402-	भू तथा जल संरक्षण-				
102-	मृदा संरक्षण-				
01-	कृषि भूमि भू-संरक्षण (कृषि विभाग)-				
	राज्य भाग				
	मूल	2,307.50	2,078.94	2,078.75	(-)0.19
	पुनर्वि०	(-)228.56			
	मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 228.56 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने तथा चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति के कारण हुई।				
10-	कृषि उत्पादन वृद्धि हेतु सीमांत				
	किसानों को सहायता-				
	राज्य भाग				
(i)	मूल	132.00	132.00	59.76	(-)72.24
55-	जल से कृषि को बल योजना-				
	राज्य भाग				
(ii)	मूल	526.00	526.00	208.24	(-)317.76

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-11 (क्रमशः)

56-	प्रवाह सिंचाई योजना- राज्य भाग				
(iii)	मूल	526.00	526.00	216.87	(-)309.13
57-	सौर सिंचाई योजना- राज्य भाग				
(iv)	मूल	330.00	330.00	2.08	(-)327.92
103-	भूमि सुधार तथा विकास-				
01-	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना- केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(v)	मूल	1,316.00	1,316.00	552.48	(-)763.52
	राज्य भाग				
(vi)	मूल	202.00	202.00	60.73	(-)141.27
	उपरोक्त छः मामलों में ₹ 1,931.84 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।				
2810-	नई तथा नवीकरणीय ऊर्जा-				
103-	शहरी, औद्योगिक और वाणिज्यिक अनुप्रयोगों के लिए नवीकरणीय ऊर्जा-				
01-	गोबर गैस संयंत्र की स्थापना- राज्य भाग				
	मूल	283.95			
			203.27	203.22	(-)0.05
	पुनर्वि०	(-)80.68			
	मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 80.68 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।				
(iv)	उपरोक्त बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-				
	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य (+) बचत (-)	
2401-	फसल कृषि-कर्म-				
800-	अन्य व्यय-				
20-	फसल विविधिकरण योजना (जापान अन्तर्राष्ट्रीय सहकारी अभिकरण) चरण-II- राज्य भाग				
	मूल	3,291.00			
	पूरक	3,377.89	6,910.30	6,910.30	..
	पुनर्वि०	241.41			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-11- (समाप्त)

मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 241.41 लाख का आवर्धन जापान अन्तर्राष्ट्रीय सहकारी अभिकरण चरण-II- के कार्यान्वयन के लिए किया गया।

2402- भू तथा जल संरक्षण-

102- मृदा संरक्षण-

04- नदी घाटी परियोजना में भु-संरक्षण (कृषि विभाग)-
राज्य भाग

मूल 102.65

157.32

148.76

(-)8.56

पुनर्वि० 54.67

मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 54.67 लाख का आवर्धन वेतन की अदायगी के कारण हुआ।

पूंजीगत प्रवर्ग

(v) दत्तमत्त अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य (+) बचत (-)
-------	---------------	---------------------------------	-----------------------

4401- फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय-

105- खाद तथा उर्वरक-

01- खादों का क्रय-

राज्य भाग

मूल 17.19

..

..

..

पुनर्वि० (-)17.19

₹ 17.19 लाख का समस्त प्रावधान मार्च 2025 में अभ्यर्पण द्वारा उर्वरकों की कम मांग के कारण कम कर दिया गया।

113- कृषि इंजीनियरींग-

01- उन्नत औजारों का क्रय-

राज्य भाग

मूल 261.66

221.57

202.32

(-)19.25

पुनर्वि० (-)40.09

मार्च 2025 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 40.09 लाख की कमी उपकरणों की मांग की कम प्राप्ति के कारण हुई।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-12- उद्यान

(शीर्ष- 2059-लोक निर्माण-कार्य, 2216-आवास, 2401-फसल कृषि-कर्म, 2415-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा, 4401- फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय तथा 6401- फसल कृषि-कर्म के लिए ऋण)

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य (+) बचत (-)
राजस्व प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	3,80,81,93			
		4,03,88,05	3,81,11,71	(-)22,76,34
पूरक	23,06,12			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..
पूंजीगत प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	6,59,12			
		11,59,10	11,48,19	(-)10,91
पूरक	4,99,98			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..

टिप्पणियाँ तथा अभ्युक्तियाँ

- (i) राजस्व प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 2,276.34 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में प्राप्त ₹ 2,306.12 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ तथा वर्ष के दौरान विभाग द्वारा कोई राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
- (ii) पूंजीगत प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 10.91 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में प्राप्त ₹ 499.98 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।

राजस्व प्रवर्ग

- (iii) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य (+) बचत (-)
2216- आवास-			
05- साधारण पूल आवास-			
053- रखरखाव एवं मरम्मत-			
01- अन्य रखरखाव व्यय-			
राज्य भाग			
मूल	7.00		
		4.90	4.80
पुनर्वि0	(-)2.10		(-)0.10

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-12 (क्रमशः)

मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2.10 लाख की कमी रख रखाव कार्यों के कम निष्पादन के कारण हुई।

2401- फसल कृषि-कर्म-

119- बागवानी तथा वनस्पति फसलें-
01- निदेशालय-
राज्य भाग

(i)	मूल	1,147.53			
			1,065.20	1,051.83	(-)13.37
	पुनर्वि०	(-)82.33			

02- जिला एवं अधिनस्थ कर्मचारी-
राज्य भाग

(ii)	मूल	2,948.30			
			2,557.30	2,542.66	(-)14.64
	पुनर्वि०	(-)391.00			

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 473.33 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

04- वनस्पति संरक्षण योजना-
राज्य भाग

	मूल	658.00			
			358.00	184.20	(-)173.80
	पुनर्वि०	(-)300.00			

₹ 173.80 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 300.00 लाख की कमी लाभार्थियों से कम आवेदन प्राप्त होने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 173.80 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

05- उद्यान विकास-
राज्य भाग

	मूल	6,725.37			
			6,075.95	5,561.17	(-)514.78
	पुनर्वि०	(-)649.42			

₹ 514.78 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 649.42 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 514.78 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

18- कृषक प्रशिक्षण-
राज्य भाग

	मूल	30.00			
			23.00	20.93	(-)2.07
	पुनर्वि०	(-)7.00			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-12 (क्रमशः)

मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 7.00 लाख की कमी बागवानों/किसानों के लिए कम प्रशिक्षण शिविरों के आयोजन के कारण हुई।

35-	उद्यान अर्थव्यवस्था तथा सांख्यिकी- केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
	मूल	30.00			
			22.00	21.06	(-)0.94
	पुनर्वि०	(-)8.00			

मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 8.00 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

56-	उद्यान एकीकृत विकास मिशन- केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
	मूल	2,840.00			
			1,036.00	874.40	(-)161.60
	पूरक	(-)1,804.00			

₹ 161.60 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,804.00 लाख की कमी भारत सरकार से कम निधियों के प्राप्त होने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई। जबकि भारत सरकार से ₹ 1,223.82 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ था।

₹ 161.60 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

	राज्य भाग				
	मूल	316.00			
			115.12	97.11	(-)18.01
	पुनर्वि०	(-)200.88			

मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 200.88 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति होने के कारण हुई फलस्वरूप राज्य भाग अप्रयुक्त रहा।

62-	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना- राज्य भाग				
(i)	मूल	177.00	177.00	56.62	(-)120.38

63-	मुख्यमंत्री किवी प्रोत्साहन योजना- राज्य भाग				
(ii)	मूल	75.00	75.00	17.61	(-)57.39

74-	एंटी हेल नेट पर उपदान- राज्य भाग				
(iii)	मूल	1,495.00	1,495.00	283.33	(-)1,211.67

उपरोक्त तीन मामलों में ₹ 1,389.44 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

76-	कृषि मशीनीकरण पर उप-मिशन -				
-----	----------------------------	--	--	--	--

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-12 (क्रमशः)

	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(i)	मूल	320.00
	पुनर्वि०	(-)320.00			
	राज्य भाग				
(ii)	मूल	34.00
	पुनर्वि०	(-)34.00			

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 354.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया जिस कारण राज्य भाग भी अप्रयुक्त रहा।

(iv) उपरोक्त बचत निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य (+) बचत (-)
2401- फसल कृषि-कर्म-			
109- विस्तार एवं कृषक प्रशिक्षण-			
31- कृषि मैकेनाइजेशन पर उप-मिशन- केन्द्रीय प्रायोजित योजना	..	35.51	(+)35.51

₹ 35.51 लाख का समस्त व्यय बिना प्रावधान के किया गया; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

119- बागवानी तथा वनस्पति फसलें-				
22- उद्यानिक विपणन नियंत्रण- राज्य भाग				
मूल	1,416.00			
पूरक	2,006.12	6,805.00	6,781.96	(-)23.04
पुनर्वि०	3,382.88			

मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 3,382.88 लाख का आवर्धन योजना के अंतर्गत लंबित देनदारियों के निपटान के लिए अधिक निधियों की आवश्यकता के कारण हुआ।

2415- कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा-	
01- फसल कृषि-कर्म-	
004- अनुसंधान-	

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-12 (समाप्त)

03- डॉ० यशवंत सिंह परमार उद्यानिक एवं
वानिकी विश्वविद्यालय को सहायता अनुदान-
राज्य भाग

मूल	7,981.13			
पूरक	300.00	8,702.80	8,702.78	(-)0.02
पुनर्वि०	421.67			

मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 421.67 लाख का आवर्धन यशवंत सिंह परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय के कर्मचारियों और पेंशनरों के वेतन तथा पेंशन दायित्वों को पूरा करने के लिए निधियों की आवश्यकता के कारण हुआ।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-13- सिंचाई, जलापूर्ति एवं सफाई

(शीर्ष- 2059-लोक निर्माण-कार्य, 2215-जलापूर्ति तथा सफाई, 2216- आवास, 2700-मुख्य सिंचाई, 2701- मध्यम सिंचाई, 2702-लघु सिंचाई, 2711-बाढ़ नियंत्रण तथा जल निकास, 4215-जलापूर्ति तथा स्वच्छता पर पूंजीगत परिव्यय, 4701-मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, 4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, 4705-कमांड क्षेत्र विकास पर पूंजीगत परिव्यय तथा 4711-बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय)

		कुल अनुदान/ विनियोजन	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य (+) बचत (-)
राजस्व प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	29,17,98,39			
		29,17,98,40	23,99,44,18	(-)5,18,54,22
पूरक	1			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)				2,88,88,85
प्रभारित				
मूल	1			
		1,89,05	1,86,14	(-)2,91
पूरक	1,89,04			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..
पूंजीगत प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	10,24,47,00			
		12,19,06,32	6,48,71,22	(-)5,70,35,10
पूरक	1,94,59,32			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)				31,83,19
प्रभारित				
मूल	..			
		22,87,25	19,59,62	(-)3,27,63
पूरक	22,87,25			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..

टिप्पणियाँ तथा अभ्युक्तियाँ

- (i) राजस्व प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 51,854.22 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से ₹ 28,888.85 लाख का अभ्यर्पण अपर्याप्त सिद्ध हुआ।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-13 (क्रमशः)

- (ii) राजस्व प्रवर्ग के प्रभारित विनियोजन में ₹ 2.91 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में प्राप्त ₹ 189.04 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्याधिक सिद्ध हुआ।
- (iii) पूंजीगत प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 57,035.10 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में प्राप्त ₹ 19,459.32 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ जबकि मूल अनुदान भी अप्रयुक्त रहा तथा ₹ 3,183.19 लाख का अभ्यर्पण अपर्याप्त सिद्ध हुआ।
- (iv) पूंजीगत प्रवर्ग के प्रभारित विनियोजन में ₹ 327.63 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में प्राप्त ₹ 2,287.25 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्याधिक सिद्ध हुआ तथा वर्ष के दौरान विभाग द्वारा कोई भी राशी अभ्यर्पित नहीं की गई।

राजस्व प्रवर्ग

		(₹ लाख में)		
		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
(v) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-				
	शीर्ष			
2059-	लोक निर्माण कार्य-			
01-	कार्यालय भवन-			
053-	रखरखाव तथा मरम्मत-			
89-	सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य विभाग के भवनों का रखरखाव- राज्य भाग			
	मूल	84.26	84.26	55.59
				(-)28.67
₹ 28.67 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।				
2215-	जलापूर्ति तथा सफाई-			
01-	जलापूर्ति-			
001-	निदेशन एवं प्रशासन-			
01-	निदेशन- राज्य भाग			
	मूल	4,100.82		
			3,485.91	3,459.27
				(-)26.64
	पुनर्वि0	(-)614.91		
मार्च 2025 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 614.91 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।				
02-	निष्पादन- राज्य भाग			
	मूल	13,137.33		
			12,613.90	12,522.67
				(-)91.23
	पुनर्वि0	(-)523.43		
₹ 91.23 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 523.43 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-13 (क्रमशः)

₹ 91.23 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

005-	सर्वेक्षण तथा जांच पड़ताल-				
02-	आउटसोर्सिंग द्वारा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट का निर्माण-				
	राज्य भाग				
	मूल	57.75	57.75	20.01	(-)37.74

₹ 37.74 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

101-	शहरी जलापूर्ति कार्यक्रम-				
02-	विभिन्न जिलों में शहरी जलापूर्ति योजनाओं का रखरखाव तथा मरम्मत-				
	राज्य भाग				
	मूल	29,602.26			
			27,775.89	27,187.98	(-)587.91
	पूरक	(-)1,826.37			

₹ 587.91 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,826.37 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने तथा अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन न होने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 587.91 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

04-	वसूली के समायोजन के लिए रखरखाव प्रावधान-				
	राज्य भाग				
	मूल	11,789.60			
			10,789.60	9,083.52	(-)1,706.08
	पूरक	(-)1,000.00			

₹ 1,706.08 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,000.00 लाख की कमी वर्कचार्ज स्टाफ के वेतन पर कम व्यय होने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 1,706.08 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

05-	दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के वेतन तथा सामग्री हेतु व्यय-				
	राज्य भाग				
	मूल	2,556.83			
			2,553.38	1,782.57	(-)770.81
	पुनर्वि०	(-)3.45			

₹ 770.81 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

102-	ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम-				
03-	ग्रामीण पेयजल आपूर्ति स्कीमों की मरम्मत एवं रखरखाव-				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-13 (क्रमशः)

राज्य भाग				
मूल	69,176.87			
		61,380.61	60,841.53	(-)539.08
पुनर्वि०	(-)7,796.26			
₹ 539.08 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 7,796.26 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने तथा अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों के कम आयोजन के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।				
₹ 539.08 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।				
12- वसूलियों का समायोजन करने हेतु रखरखाव में प्रावधान-				
राज्य भाग				
मूल	41,073.11			
		34,073.11	23,492.73	(-)10,580.38
पुनर्वि०	(-)7,000.00			
₹ 10,580.38 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 7,000.00 लाख की कमी वर्कचार्ज स्टाफ के वेतन पर कम व्यय होने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।				
₹ 10,580.38 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।				
13- दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के वेतन तथा सामग्री हेतु व्यय-				
राज्य भाग				
(i) मूल	4,453.02			
		4,441.13	3,617.44	(-)823.69
पुनर्वि०	(-)11.89			
799- उच्चंत-				
01- उच्चंत स्टॉक पर व्यय-				
राज्य भाग				
(ii) मूल	18,797.35	18,797.35	15,315.41	(-)3,481.94
02- स्टॉक मैनुफेक्चर-				
राज्य भाग				
(iii) मूल	716.10	716.10	351.75	(-)364.35
उपरोक्त तीन मामलों में ₹ 4,669.98 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।				
800- अन्य व्यय-				
01- जल विद्युत उत्पादन पर हिमाचल प्रदेश राज्य जल उपकर आयोग-				
राज्य भाग				
मूल	200.00			
		250.00	199.90	(-)50.10
पुनर्वि०	50.00			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-13 (क्रमशः)

₹ 50.10 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 50.00 लाख का आवर्धन व्यावसायिक सेवाओं की नियुक्तियों पर अधिक व्यय होने के कारण हुआ जोकि अनावश्यक सिद्ध हुआ।

₹ 50.10 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

2216- आवास-

05- सामान्य-

053- रखरखाव तथा मरम्मत-

01- अन्य रखरखाव व्यय-

राज्य भाग

मूल	5.27	5.27	1.42	(-)3.85
-----	------	------	------	---------

₹ 3.85 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

2700- मुख्य सिंचाई-

01- शाहनहर परियोजना (गैर-वाणिज्यिक)-

001- निदेशन तथा प्रशासन-

01- स्थापना पर व्यय-

राज्य भाग

मूल	1,114.51	961.39	923.79	(-)37.60
-----	----------	--------	--------	----------

पुनर्वि0 (-)153.12

₹ 37.60 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 153.12 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 37.60 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

799- उचंत-

01- स्टॉक-

राज्य भाग

मूल	393.86	393.86	..	(-)393.86
-----	--------	--------	----	-----------

₹ 393.86 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

02- स्टॉक मैनुफेक्चर-

राज्य भाग

मूल	286.44	286.44	0.42	(-)286.02
-----	--------	--------	------	-----------

₹ 286.02 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

03- विविध लोक निर्माण अग्रिम-

राज्य भाग

मूल	205.89	205.89	..	(-)205.89
-----	--------	--------	----	-----------

₹ 205.89 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

2701- मध्यम सिंचाई-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-13 (क्रमशः)

12- बल्ह घाटी परियोजना (अवाणिज्यिक)-

001- निदेशक तथा प्रशासन-

01- स्थापना पर व्यय-

राज्य भाग

मूल 20.97

11.59

11.58

(-)0.01

पुनर्वि० (-)9.38

मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 9.38 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने तथा स्थानांतरण व्यय दावों की प्राप्ति न होने के कारण हुई।

13- भभौर साहिब परियोजना (अवाणिज्यिक)-

001- निदेशन तथा प्रशासन-

01- स्थापना पर व्यय-

राज्य भाग

मूल 22.33

14.44

13.52

(-)0.92

पुनर्वि० (-)7.89

मार्च 2025 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 7.89 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने तथा चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

16- बहाव सिंचाई योजना सिद्धाता (अवाणिज्यिक)-

001- निदेशन तथा प्रशासन-

01- स्थापना पर व्यय-

राज्य भाग

मूल 69.04

47.50

47.19

(-)0.31

पुनर्वि० (-)21.54

मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 21.54 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति तथा यात्रा व्यय दावों की प्राप्ति न होने के कारण हुई।

101- रखरखाव तथा मुरम्मत-

01- अन्य रखरखाव व्यय-

राज्य भाग

मूल 47.83

पूरक 0.01

49.56

17.48

(-)32.08

पुनर्वि० 1.72

₹ 32.08 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

20- फिनासिंह परियोजना (अवाणिज्यिक)-

799- उचंत-

01- स्टॉक-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-13 (क्रमशः)

	राज्य भाग				
(i)	मूल	310.00	310.00	210.67	(-)99.33
02-	स्टॉक निर्माण-				
	राज्य भाग				
(ii)	मूल	70.76	70.76	1.88	(-)68.88
	उपरोक्त दो मामलों में ₹ 168.21 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।				
03-	विविध लोक निर्माण अग्रिम-				
	राज्य भाग				
(i)	मूल	45.29	45.29	..	(-)45.29
21-	हल्टी सुरंग बंटाते मध्यम				
	सिंचाई परियोजना (अवाणिज्यिक)-				
799-	उचंत-				
01-	स्टॉक-				
	राज्य भाग				
(ii)	मूल	70.76	70.76	..	(-)70.76
02-	स्टॉक निर्माण-				
	राज्य भाग				
(iii)	मूल	14.15	14.15	..	(-)14.15
03-	विविध लोक निर्माण अग्रिम-				
	राज्य भाग				
(iv)	मूल	6.37	6.37	..	(-)6.37
	उपरोक्त चार मामलों में ₹ 136.57 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।				
2702-	लघु सिंचाई-				
01-	सतही जल-				
799-	उचंत-				
01-	स्टॉक-				
	राज्य भाग				
(i)	मूल	3,000.00	3,000.00	863.45	(-)2,136.55
02-	स्टॉक निर्माण-				
	राज्य भाग				
(ii)	मूल	566.08	566.08	38.26	(-)527.82
03-	रखरखाव-				
102-	उद्धार सिंचाई योजना-				
01-	अन्य रखरखाव व्यय-				
	राज्य भाग				
(iii)	मूल	7,057.30			
			7,057.29	6,773.36	(-)283.93
	पुनर्वि0	(-)0.01			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-13 (क्रमशः)

उपरोक्त तीन मामलों में ₹ 2,948.30 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

80-	सामान्य-				
001-	निदेशन तथा प्रशासन-				
01-	स्थापना पर व्यय-				
	राज्य भाग				
	मूल	9,226.35			
			7,904.75	7,863.48	(-)41.27
	पुनर्वि०	(-)1,321.60			
	₹ 41.27 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,321.60 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, यात्रा व्यय और चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति के कारण हुई जोकि सम्पत्ति कर के भुगतान तथा आउटसोर्स सेवाओं पर अधिक व्यय होने के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।				
	₹ 41.27 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।				
02-	वर्कचार्ज स्टाफ के लिए स्थापना पर व्यय-				
	राज्य भाग				
	मूल	27,066.22			
			21,908.31	21,878.46	(-)29.85
	पुनर्वि०	(-)5,157.91			
	मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 5,157.91 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने तथा चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति के कारण हुई।				
06-	वसूली के समायोजन हेतु रखरखाव प्रावधान-				
	राज्य भाग				
	मूल	27,066.21			
			23,566.21	15,065.39	(-)8,500.82
	पुनर्वि०	(-)3,500.00			
	₹ 8,500.82 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 3,500.00 लाख की कमी वर्कचार्ज स्टाफ के वेतन पर कम व्यय होने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।				
	₹ 8,500.82 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।				
07-	दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के वेतन				
	तथा सामग्री हेतु व्यय-				
	राज्य भाग				
	मूल	1,623.73			
			1,667.46	1,044.50	(-)622.96
	पुनर्वि०	43.73			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-13 (क्रमशः)

₹ 622.96 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 43.73 लाख का आवर्धन रखरखाव पर अधिक व्यय होने के कारण हुआ जोकि अनावश्यक सिद्ध हुआ।

₹ 622.96 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

2711- बाढ़ नियन्त्रण तथा जल निकासी-

01- बाढ़ नियन्त्रण-

001- निदेशन तथा प्रशासन-

01- निदेशन-

राज्य भाग

मूल 127.10

98.47

98.38

(-)0.09

पुनर्वि० (-)28.63

मार्च 2025 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 28.63 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, पेट्रोल, तेल, स्नेहक, मरम्मत और चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

103- सिविल निर्माण कार्य-

01- स्वान परियोजना का व्यापक रखरखाव-

राज्य भाग

(i) मूल 97.14

95.14

67.00

(-)28.14

पुनर्वि० (-)2.00

799- उच्चत-

01- स्टॉक-

राज्य भाग

(ii) मूल 488.24

488.24

1.06

(-)487.18

02- स्टॉक निर्माण-

राज्य भाग

(iii) मूल 113.93

113.93

21.10

(-)92.83

उपरोक्त तीन मामलों में ₹ 608.15 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

03- विविध लोक निर्माण अग्रिम-

राज्य भाग

मूल 97.65

97.65

..

(-)97.65

₹ 97.65 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

(vi) उपरोक्त बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अर्न्तगत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-

शीर्ष कुल अनुदान वास्तविक आधिक्य (+)

व्यय बचत (-)

(₹ लाख में)

2215- जलापूर्ति तथा सफाई-

01- जलापूर्ति-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-13 (क्रमशः)

799-	उच्चत-				
03-	विविध लोक निर्माण अग्रिम- राज्य भाग				
	मूल	14,285.98	14,285.98	24,594.00	(+)10,308.02
					₹ 10,308.02 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।
2701-	मध्यम सिंचाई-				
11-	गिरीबाटा प्रोजेक्ट (अवाणिज्यिक)-				
001-	निदेशन एवं प्रशासन-				
01-	स्थापना पर व्यय-				
	राज्य भाग				
	मूल	16.70			
			21.28	21.28	..
	पुनर्वि०	4.58			
					मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 4.58 लाख का आवर्धन कर्मचारियों के वेतन भुगतान पर अधिक व्यय होने के कारण हुआ।
	पूंजीगत प्रवर्ग				
(vii)	दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-				
	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)	
			(₹ लाख में)		
4215-	जलापूर्ति तथा स्वच्छता पर पूंजीगत परिव्यय-				
01-	जलापूर्ति-				
101-	शहरी जलपूर्ति-				
01-	विभिन्न जिलों में शहरी पेयजल योजनाएँ- राज्य भाग				
	मूल	3,366.00			
			3,046.86	2,412.61	(-)634.25
	पुनर्वि०	(-)319.14			
					₹ 634.25 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 319.14 लाख की कमी संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।
					₹ 634.25 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।
102-	ग्रामीण जलापूर्ति-				
01-	विभिन्न जिलों में ग्रामीण जल आपूर्ति स्कीमें- राज्य भाग				
(i)	मूल	856.00			
			6,720.49	532.48	(-) 6,188.01
	पूरक	5,864.49			
08-	हैंड पम्प-				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-13 (क्रमशः)

	राज्य भाग				
(ii)	मूल	264.00			
			261.00	124.00	(-)136.90
	पुनर्वि०	(-)3.00			
16-	ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास निधि/ राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक- राज्य भाग				
(iii)	मूल	15,000.00	15,000.00	12,736.11	(-)2,263.89
23-	जल जीवन मिशन- राज्य भाग				
(iv)	मूल	1,974.00	1,974.00	1,235.65	(-)738.35
	उपरोक्त चार मामलों में ₹ 9,327.15 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।				
24-	मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजलापूर्ति योजना-बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना (राष्ट्रीय विकास बैंक)- राज्य भाग				
	मूल	6,581.00			
	पूरक	7,161.86	14,062.00	10,565.45	(-)3,496.55
	पुनर्वि०	319.14			
	₹ 3,496.55 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 319.14 लाख का आवर्धन मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल आपूर्ति योजना को लागू करने के लिए अधिक निधियों की आवश्यकता के कारण हुआ जोकि अनावश्यक सिद्ध हुआ। ₹ 3,496.55 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।				
25-	बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं के अन्तर्गत मल निकासी योजना- राज्य भाग				
	मूल	7,500.00			
			4,475.00	1,837.00	(-)2,637.04
	पुनर्वि०	(-)3,025.00			
	₹ 2,637.04 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 3,025.00 लाख की कमी निविदाओं के अंतिमीकरण न होने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई। ₹ 2,637.04 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।				
26-	पुरानी ग्रामीण जल आपूर्ति योजनाओं का पुनः निर्माण/नवीनीकरण (बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना)- राज्य भाग				
(i)	मूल	6,581.00			
			10,321.50	9,096.62	(-)1,224.88
	पूरक	3,740.50			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-13 (क्रमशः)

4702-	लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय-				
101-	सतही जल-				
01-	विभिन्न जिलों में लिफ्ट सिंचाई स्कीमें- राज्य भाग				
(ii)	मूल	390.00			
			717.82	536.10	(-)181.72
	पूरक	327.82			
02-	विभिन्न जिलों में जल प्रवाह सिंचाई स्कीमें- राज्य भाग				
(iii)	मूल	202.00			
			371.00	116.01	(-)254.99
	पूरक	169.00			
03-	राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के अंतर्गत विभिन्न जिलों में उठाऊ पेय जल योजना- राज्य भाग				
(iv)	मूल	7,966.00	7,966.00	5,431.31	(-)2,534.69
	उपरोक्त चार मामलों में ₹ 4,196.28 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।				
06-	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम) के अन्तर्गत विभिन्न जिलों में उठाऊ सिंचाई योजनाएं- केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(i)	मूल	25,000.00			
			19,608.70	6,059.97	(-)13,548.73
	पुनर्वि०	(-)5,391.30			
	राज्य भाग				
(ii)	मूल	1,466.00			
			868.35	673.33	(-)195.02
	पुनर्वि०	(-)597.65			
	उपरोक्त दो मामलों में ₹ 13,743.75 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 5,988.95 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने और केन्द्रीय हिस्सेदारी की प्राप्ति न होने के कारण हुई तथा इसलिए राज्य की हिस्सेदारी अप्रयुक्त रही जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई। जबकि भारत सरकार से क्रम संख्या (i) में ₹ 1,506.01 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ था।				
	उपरोक्त दो मामलों में ₹ 13,743.75 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।				
07-	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अन्तर्गत विभिन्न जिलों में जल प्रवाह सिंचाई योजना- केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(i)	मूल	13,565.00	13,565.00	1,873.18	(-)11,691.82

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-13 (क्रमशः)

	राज्य भाग				
(ii)	मूल	629.00	629.00	208.13	(-)420.87
	उपरोक्त दो मामलों में ₹ 12,112.69 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।				
12-	पर्वतधारा-				
	राज्य भाग				
	मूल	114.00			
			20.81	20.55	(-)0.26
	पुनर्वि०	(-)93.19			
	मार्च 2025 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 93.19 लाख की कमी कार्यों के कम निष्पादन के कारण हुई।				
102-	भू-जल-				
01-	विभिन्न जिलों में नलकूप स्कीमें-				
	राज्य भाग				
	मूल	110.00	110.00	59.62	(-)50.38
	₹ 50.38 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।				
03-	राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के				
	अन्तर्गत विभिन्न जिलों में ट्यूबवैल स्कीम-				
	राज्य भाग				
	मूल	3,200.00			
			2,526.26	1,921.12	(-)605.14
	पुनर्वि०	(-)673.74			
	₹ 605.14 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 673.74 लाख की कमी कार्यों के कम निष्पादन के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई तथा संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।				
	₹ 605.14 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।				
4705-	कमान क्षेत्र विकास पर पूंजीगत परिव्यय-				
313-	लघु सिंचाई योजनाओं के अन्तर्गत कमान क्षेत्र का विकास-				
01-	लघु सिंचाई योजनाओं के अन्तर्गत कमान क्षेत्र का विकास-				
	राज्य भाग				
	मूल	3,950.00			
			3,949.00	2,483.89	(-)1,465.11
	पुनर्वि०	(-)1.00			
	₹ 1,465.11 लाख के अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।				
4711-	बाढ़ नियन्त्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय-				
01-	बाढ़ नियन्त्रण-				
103-	सिविल निर्माण कार्य-				
01-	बाढ़ नियंत्रण कार्य-				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-13 (क्रमशः)

राज्य भाग				
मूल	608.00			
		574.00	384.62	(-)189.38
पुनर्वि०	(-)34.00			
₹ 189.38 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 34.00 लाख की कमी कार्यों के कम निष्पादन के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।				
₹ 189.38 लाख के अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।				
02-	ग्रामीण अधोसंरचना विकास कोष/राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के अंतर्गत बाढ़ नियंत्रण कार्य-			
राज्य भाग				
मूल	295.00			
		405.98	248.51	(-)157.47
पुनर्वि०	110.98			
₹ 157.47 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 110.98 लाख का आवर्धन कार्यों के अधिक निष्पादन के कारण हुआ जोकि अनावश्यक सिद्ध हुआ।				
₹ 157.47 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।				
(viii)	उपरोक्त बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-			
	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
				(₹ लाख में)
4215-	जलापूर्ति तथा स्वच्छता पर पूंजीगत परिव्यय-			
02-	मल निकासी तथा सफाई-			
106-	जल मल सेवाएँ-			
03-	नाबार्ड के अंतर्गत ग्रामीण मल निकासी योजना-			
राज्य भाग				
मूल	796.00			
		922.52	810.69	(-)111.83
पुनर्वि०	126.52			
₹ 111.83 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 126.52 लाख का आवर्धन योजना के अंतर्गत कार्यों के अधिक निष्पादन के कारण हुआ जोकि अत्यधिक सिद्ध हुआ।				
₹ 111.83 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।				
4701-	मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय-			
20-	फिना सिंह परियोजना (अवाणिज्यिक)-			
800-	अन्य व्यय-			
02-	अन्य व्यय-			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-13 (क्रमशः)

	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(i)	मूल	1.00			
			5,049.68	897.55	(-)4,152.13
	पुनर्वि०	5,048.68			
	राज्य भाग				
(ii)	मूल	2.00			
			560.58	99.73	(-)460.85
	पुनर्वि०	558.58			
21-	नादौन क्षेत्र मध्यम सिंचाई परियोजना (अवाणिज्यिक)-				
800-	अन्य व्यय-				
01-	नादौन क्षेत्र मध्यम सिंचाई परियोजना-				
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(iii)	मूल	1.00			
	पूरक	170.54	514.17	306.13	(-)208.04
	पुनर्वि०	342.63			
	राज्य भाग				
(iv)	मूल	1.00			
	पूरक	17.54	56.61	34.01	(-)22.60
	पुनर्वि०	38.07			
	उपरोक्त चार मामलों में ₹ 4,843.62 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 5,987.96 लाख का आवर्धन भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति के कारण हुआ; केन्द्रीय हिस्सेदारी के अनुपात में राज्य की हिस्सेदारी जारी की गई जोकि अत्यधिक सिद्ध हुई।				
	उपरोक्त चार मामलों में ₹ 4,843.62 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।				
4702-	लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय-				
101-	सतही जल-				
04-	राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के अंतर्गत विभिन्न जिलों में बहाव सिंचाई योजनाएं-				
	राज्य भाग				
	मूल	2,000.00			
			2,436.24	2,155.23	(-)281.01
	पुनर्वि०	436.24			
	₹ 281.01 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 436.24 लाख का आवर्धन कार्यों के अधिक निष्पादन होने के कारण हुआ जोकि अत्यधिक सिद्ध हुआ।				
	₹ 281.01 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।				
4711-	बाढ़ नियन्त्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय-				
01-	बाढ़ नियन्त्रण-				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-13 (क्रमशः)

103- सिविल निर्माण कार्य-

13- धर्मपुर निर्वाचन क्षेत्र जिले में स्ट्रेन, मेथोड, थोथू डोल
एवं समौर खंड के लिए कटाव रोधी उपाय-
राज्य भाग

मूल 0.50

पूरक 198.57

201.07

201.07

..

पुनर्वि० 2.00

मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2.00 लाख का आवर्धन केन्द्रीय हिस्सेदारी के अनुपात में राज्य की हिस्सेदारी जारी करने के कारण हुआ।

(ix) प्रभारित विनियोजन में बचत निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल विनियोजन	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य (+) बचत (-)
-------	--------------	---------------------------------	-----------------------

4215- जलापूर्ति तथा स्वच्छता पर पूंजीगत परिव्यय-

01- जलापूर्ति-

101- शहरी जल पूर्ति-

01- विभिन्न जिलों में शहरी पेयजल योजनाएँ-
राज्य भाग-

(i) पूरक 319.14

319.14

..

(-)319.14

102- ग्रामीण जलापूर्ति-

01- विभिन्न जिलों में ग्रामीण जल आपूर्ति स्कीमें-
राज्य भाग

(ii) पूरक 8.49

8.49

..

(-)8.49

उपरोक्त दो मामलों में अनुपूरक अनुदान द्वारा प्राप्त ₹ 327.63 लाख का समस्त विनियोजन अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-13 (क्रमशः)

(x) उच्चंत लेन-देन

- (i) इस अनुदान के अन्तर्गत सम्मिलित व्यय ₹ 41,904.02 लाख में (राजस्व प्रवर्ग के अन्तर्गत ₹ 41,904.02 लाख और पूंजीगत प्रवर्ग के अंतर्गत ₹ 0.00 लाख) 'उच्चंत' लघु शीर्ष के अन्तर्गत लेखाबद्ध किए गये है।
- (ii) उच्चंत लेन-देनों के स्वरूप का वर्णन अनुदान संख्या-10 लोक निर्माण कार्य- सड़कें, पुल तथा भवन के अन्तर्गत पैरा संख्या- (ix) में किया गया है।
- (iii) इस अनुदान के अन्तर्गत वर्ष 2024-25 के दौरान लेखाबद्ध किए गए 'उच्चंत' लेन-देनों का विश्लेषण विभिन्न उप शीर्षों के अन्तर्गत प्रारम्भिक एवं अंतिम शेषों सहित नीचे दिया गया है:-

शीर्ष	01 अप्रैल 2024 को प्रारम्भिक शेष	डैबिट	क्रेडिट	31 मार्च 2025 को अन्त शेष
	डैबिट (+) क्रेडिट (-)		(₹ लाख में)	डैबिट (+) क्रेडिट (-)
राजस्व प्रवर्ग				
2215- जलापूर्ति तथा स्वच्छता-				
01- जलापूर्ति-				
799- उच्चंत-				
01- उच्चंत पर व्यय				
	(स्टॉक)- (+)2,986.54	15,315.41	16,368.79	(+)1,933.16
02- स्कन्ध विनिर्माण-	(+)3,493.21	351.75	190.34	(+)3,654.62
03- विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम-	(+)74,174.54	24,594.00	25,375.51	(+)73,393.03
कुल योग 2215-	(+)80,654.29	40,261.16	41,934.64	(+)78,980.81
2700- मुख्य सिंचाई-				
01- शाह नहर परियोजना (गैस-वाणिज्यिक)-				
799- उच्चंत-				
01- स्कन्ध-				
	(+)580.49	0.00	0.00	(+)580.49
02- स्कन्ध विनिर्माण-				
	(+)71.80	0.42	0.00	(+)72.22
03- विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम-				
	(-)30.44	0.00	0.00	(-)30.44*
कुल योग 2700-	(+)621.85	0.42	0.00	(+)622.27

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-13 (क्रमशः)

शीर्ष	01 अप्रैल 2024 को प्रारम्भिक शेष डैबिट (+) क्रेडिट (-)	डैबिट	क्रेडिट	31 मार्च 2025 को अन्त शेष डैबिट (+) क्रेडिट (-)
		(₹ लाख में)		
2701- मध्यम सिंचाई-				
11- गिरी बाटा परियोजना (गैर-वाणिज्यिक)-				
799- उच्चंत-				
01- स्कन्ध -	(-)0.61	0.00	0.00	(-)0.61*
02- स्कन्ध विनिर्माण-	(-)8.41	0.00	0.00	(-)8.41*
03- विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम-	(+)35.11	0.00	0.00	(+)35.11
कुल योग- 2701-11	(+)26.09	0.00	0.00	(+)26.09
15- चंगर क्षेत्र सिंचाई परियोजना (गैर-वाणिज्यिक)-				
799- उच्चंत-				
01- स्कन्ध-	(-)0.54	0.00	0.00	(-)0.54*
02- स्कन्ध विनिर्माण-	(-)2.42	0.00	0.00	(-)2.42*
03- विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम-	(+)5.93	0.00	0.00	(+)5.93
कुल- 2701-15-	(+)2.97	0.00	0.00	(+)2.97
16- प्रवाह सिंचाई परियोजना सिधाता (गैर-वाणिज्यिक)-				
799- उच्चंत-				
01- स्कन्ध-	(+)2.09	0.00	0.00	(+)2.09
02- स्कन्ध विनिर्माण-	(+)1.75	0.00	0.00	(+)1.75
03- विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम-	(-) 3.93	0.00	0.00	(-)3.93*
कुल-2701-16-	(-)0.09	0.00	0.00	(-)0.09*
20- फीना सिंह परियोजना नहर परियोजना (गैर-वाणिज्यिक)-				
799- उच्चंत-				
01- स्कन्ध-	(+)745.12	210.67	0.00	(+)955.79
02- स्कन्ध विनिर्माण-	(+)114.80	1.88	0.00	(+)116.68
03- विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम-	(+)906.33	0.00	0.00	(+)906.33
कुल- 2701-20-	(+)1,766.25	212.55	0.00	(+)1,978.80

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-13 (क्रमशः)

शीर्ष	01 अप्रैल 2024 को प्रारम्भिक शेष डैबिट (+) क्रेडिट (-)	डैबिट (₹ लाख में)	क्रेडिट	31 मार्च 2025 को अन्त शेष डैबिट (+) क्रेडिट (-)
<i>21- हल्टी सुनराग बंटान्टा मध्यम सिंचाई परियोजना (गैर-वाणिज्यिक)-</i>				
799- उच्चंत-				
01- स्कन्ध-	0.00	0.00	0.00	0.00
02- स्कन्ध विनिर्माण-	(+)2.01	0.00	0.00	(+)2.01
03- विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम-	(-)0.01	0.00	0.00	(-)0.01*
कुल-2701-21-	(+)2.00	0.00	0.00	(+)2.00
<i>80- सामान्य-</i>				
799- उच्चंत-				
01- स्कन्ध-	(+)185.80	0.00	0.00	(+)185.80
02- स्कन्ध विनिर्माण-	(-)26.20	0.00	0.00	(-)26.20*
03- विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम-	(+)124.24	0.00	0.00	(+)124.24
कुल-2701-80-	(+)283.84	0.00	0.00	(+)283.84
कुल 2701-	(+)2,081.06	212.55	0.00	(+)2,293.61
2702- लघु सिंचाई-				
<i>01- सतही जल-</i>				
799- उच्चंत-				
01- स्कन्ध-	(-)1,374.20	863.45	1581.98	(-)2,092.73*
02- स्कन्ध विनिर्माण-	(+)382.1	38.26	16.30	(+)404.06
03- विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम-	(+)187.22	506.02	214.70	(+)478.54
कुल 2702-01-	(-)804.88	1407.73	1812.98	(-)1,210.13*
<i>80- सामान्य-</i>				
799- उच्चंत-				
01- स्कन्ध-	(-)628.73	0.00	0.00	(-)628.73*
02- स्कन्ध विनिर्माण-	(+)553.79	0.00	0.00	(+)553.79
03- विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम-	(+)315.57	0.00	0.00	(+)315.57
कुल 2702-80-	(+)240.63	0.00	0.00	(+)240.63
कुल 2702-	(-)564.25	1,407.73	1,812.98	(-)969.50*

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-13 (क्रमशः)

शीर्ष	01 अप्रैल 2024 को प्रारम्भिक शेष डैबिट (+) क्रेडिट (-)	डैबिट	क्रेडिट	31 मार्च 2025 को अन्त शेष डैबिट (+) क्रेडिट (-)
		(₹ लाख में)		
2711- बाढ़ नियंत्रण तथा जल निकास-				
01- बाढ़ नियंत्रण-				
799- उच्चंत-				
01- स्कन्ध-	(+)6,186.69	1.06	0.00	(+)6,187.75
02- स्कन्ध विनिर्माण-	(+)725.39	21.10	0.00	(+)746.49
03- विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम-	(+)2,981.43	0.00	96.84	(+)2,884.59
कुल 2711-	(+)9,893.51	22.16	96.84	(+)9,818.83
कुल राजस्व प्रवर्ग-	(+)92,686.46	41,904.02	43,844.46	(+) 90,746.02
पूंजीगत प्रवर्ग-				
4215- जलापूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय-				
01- जलापूर्ति-				
799- उच्चंत-				
01- स्कन्ध-	(+)30.71	0.00	0.00	(+)30.71
कुल 4215-	(+)30.71	0.00	0.00	(+)30.71
4700- मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय-				
01- शाहनहर परियोजना (गैर -वाणिज्यिक)-				
799- उच्चंत-				
01- स्कन्ध-	(+)38.42	0.00	0.00	(+)38.42
02- स्कन्ध विनिर्माण-	(+)37.54	0.00	0.00	(+)37.54
03- विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम-	(+)96.89	0.00	0.00	(+)96.89
कुल 4700-	(+)172.85	0.00	0.00	(+)172.85
4701- मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय-				
01- मध्यम सिंचाई पर व्यय-				
799- उच्चंत-				
01- स्कन्ध-	(-)0.15	0.00	0.00	(-)0.15*
02- स्कन्ध विनिर्माण-	(+)10.82	0.00	0.00	(+)10.82
03- विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम-	(+)13.54	0.00	0.00	(+)13.54
कुल 4701-01-	(+)24.21	0.00	0.00	(+)24.21

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-13 (क्रमशः)

शीर्ष	01 अप्रैल 2024 को प्रारम्भिक शेष डैबिट (+) क्रेडिट (-)	डैबिट (₹ लाख में)	क्रेडिट	31 मार्च 2025 को अन्त शेष डैबिट (+) क्रेडिट (-)
<i>15- चंगर क्षेत्र परियोजना (गैर वाणिज्यिक)-</i>				
799- उच्चंत-				
01- स्कन्ध-	(+)83.49	0.00	0.00	(+)83.49
02- स्कन्ध विनिर्माण-	(+)2.98	0.00	0.00	(+)2.98
03- विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम-	(-)2.72	0.00	0.00	(-)2.72*
कुल-4701-15-	(+)83.75	0.00	0.00	(+)83.75
<i>16- प्रवाह सिंचाई परियोजना सिधाता (गैर-वाणिज्यिक)-</i>				
799- उच्चंत-				
01- स्कन्ध	(+)68.54	0.00	0.00	(+)68.54
02- स्कन्ध विनिर्माण-	(-)14.71	0.00	0.00	(-)14.71*
03- विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम-	(+)32.91	0.00	0.00	(+)32.91
कुल-4701-16-	(+)86.74	0.00	0.00	(+)86.74
<i>80- सामान्य-</i>				
799- उच्चंत-				
01- स्कन्ध-	(-)132.94	0.00	0.00	(-)132.94*
02- स्कन्ध विनिर्माण-	(-)0.83	0.00	0.00	(-)0.83*
03- विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम-	(+)155.24	0.00	0.00	(+)155.24
कुल-योग 4701-80-	(+)21.47	0.00	0.00	(+)21.47
कुल- 4701-	(+)216.17	0.00	0.00	(+)216.17

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-13 (समाप्त)

शीर्ष	01 अप्रैल 2024 को प्रारम्भिक शेष डैबिट (+) क्रेडिट (-)	डैबिट	क्रेडिट	31 मार्च 2025 को अन्त शेष डैबिट (+) क्रेडिट (-)
		(₹ लाख में)		
4702- लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय-				
799- उच्चंत-				
01- स्कन्ध-	(-)608.15	0.00	0.00	(-)608.15*
02- स्कन्ध विनिर्माण-	(-)12.72	0.00	0.00	(-)12.72*
03- विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम-	(+)564.43	0.00	0.00	(+)564.43
कुल 4702-	(-)56.44	0.00	0.00	(-)56.44*
4711- बाढ़ नियन्त्रण पर पूंजीगत परिव्यय-				
01- बाढ़ नियन्त्रण-				
799- उच्चंत-				
01- स्कन्ध-	(-)8.77	0.00	0.00	(-)8.77*
02- स्कन्ध विनिर्माण-	(+)9.98	0.00	0.00	(+)9.98
03- विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम-	(+)27.88	0.00	0.00	(+)27.88
कुल 4711-	(+)29.09	0.00	0.00	(+)29.09
कुल-पूंजीगत प्रवर्ग	(+)392.38	0.00	0.00	(+)392.38
कुल मांग	(+)93,078.84	41,904.02	43,844.46	(+)91,138.40

* ऋणात्मक शेषों के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

विनियोग लेखे

अनुदान संख्या-14- पशुपालन, दुग्ध विकास एवं मत्स्य

(शीर्ष- 2059-लोक निर्माण-कार्य, 2216-आवास, 2403-पशु पालन, 2404-दुग्ध विकास, 2405-मत्स्य पालन, 4403-पशु पालन पर पूंजीगत परिव्यय तथा 4405- मत्स्य पालन पर पूंजीगत परिव्यय)

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य बचत (+) (-)
राजस्व प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	4,83,36,44			
		5,11,04,30	4,69,83,37	(-)41,20,93
पूरक	27,67,86			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)				
				9,93,33
पूंजीगत प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	10,87,30			
		24,27,28	20,71,30	(-)3,55,98
पूरक	13,39,98			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)				
				2,00

टिप्पणियाँ तथा अभ्युक्तियाँ

- (i) राजस्व प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 4,120.93 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में प्राप्त ₹ 2,767.86 लाख का अनूपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ जबकि मूल अनुदान भी अप्रयुक्त रहा तथा ₹ 993.33 लाख का अभ्यर्पण अपर्याप्त सिद्ध हुआ।
- (ii) पूंजीगत प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 355.98 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में प्राप्त ₹ 1,339.98 लाख का अनूपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ तथा ₹ 2.00 लाख का अभ्यर्पण अपर्याप्त सिद्ध हुआ।

राजस्व प्रवर्ग

- (iii) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य बचत (+) (-)
-------	------------	---------------------------------	-----------------------------

2403- पशु पालन-

- 001- निदेशन तथा प्रशासन-
- 01- मुख्यालय स्थापना-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-14 (क्रमशः)

राज्य भाग				
मूल	756.38			
		691.19	690.40	(-)0.79
पुनर्वि०	(-)65.19			
मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 65.19 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।				
101-	पशु चिकित्सा सेवाएँ तथा पशु स्वास्थ्य-			
01-	अस्पताल और औषधालय-			
राज्य भाग				
मूल	34,495.82			
पूरक	1,736.22	35,867.26	35,534.24	(-)333.02
पुनर्वि०	(-)364.78			
₹ 333.02 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 364.78 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने तथा औषधियों के कम क्रय के कारण हुई जोकि पशु चिकित्सा अधिकारियों के बकाया भुगतान के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुआ जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुआ।				
₹ 333.02 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।				
07-	खुर एवं मुंह बिमारियों पर नियंत्रण-			
केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
मूल	154.40			
		111.33	..	(-)111.33
पुनर्वि०	(-)43.07			
₹ 111.33 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 43.07 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण हुआ जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।				
₹ 111.33 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।				
10-	पशु रोग नियंत्रण के लिए राज्य को सहायता-			
केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(i)	मूल	151.14		
	पूरक	3.08	116.31	67.89
	पुनर्वि०	(-)37.91		(-)48.42
राज्य भाग				
(ii)	मूल	15.44		
	पूरक	2.06	12.95	7.50
	पुनर्वि०	(-)4.55		(-)5.45
उपरोक्त दो मामलों में ₹ 53.87 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 42.46 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति के कारण हुई; जिसके कारण समतुल्य राज्य भाग भी अप्रयुक्त रहा जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-14 (क्रमशः)

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 53.87 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

13-	पेस्टे डेस पेटिट्स रूमिनेट्स नियंत्रण कार्यक्रम- केन्द्रीय प्रायोजित योजना	मूल	67.89			
				52.98	..	(-)52.98
	पुनर्वि०		(-)14.91			

₹ 52.98 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 14.91 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न हाने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 52.98 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

15-	कॉल सेन्टर की स्थापना- केन्द्रीय प्रायोजित योजना					
(i)	मूल	22.59				
			
	पुनर्वि०		(-)22.59			
	राज्य भाग					
(ii)	मूल	2.51				
			
	पुनर्वि०		(-)2.51			

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2025 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 25.10 लाख के समस्त प्रावधान को भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न हाने के कारण कम कर दिया गया; अतः राज्य भाग अप्रयुक्त रहा।

16-	चलित पशु चिकित्सालय यूनिट- केन्द्रीय प्रायोजित योजना	मूल	501.28			
				299.32	299.31	(-)0.01
	पुनर्वि०		(-)201.96			

मार्च 2025 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 201.96 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न हाने के कारण हुई।

17-	क्लीसिक स्वाइन फीवर नियंत्रण कार्यक्रम- केन्द्रीय प्रायोजित योजना	मूल	3.70			
			
	पुनर्वि०		(-)3.70			

मार्च 2025 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 3.70 लाख के समस्त प्रावधान को भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न हाने के कारण कम कर दिया गया।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-14 (क्रमशः)

102-	मवेशी और भैंस विकास-				
06-	सिमेन प्रयोगशाला की स्थापना-				
	राज्य भाग				
	मूल	690.00			
			656.38	654.82	(-) 1.56
	पुनर्वि०	(-) 33.62			
	मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 33.62 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने तथा कार्यालय सामग्रियों के कम क्रय के कारण हुई।				
15	पशु पालन कल्याण बोर्ड पर व्यय-				
	राज्य भाग				
(i)	मूल	10.00	10.00	5.00	(-) 5.00
18-	गरीबी रेखा के नीचे परिवारों को पशुचारा उपदान-				
	राज्य भाग				
(ii)	मूल	509.55			
			509.52	59.28	(-) 450.24
	पुनर्वि०	(-) 0.03			
19-	गौ सेवा आयोग-				
	राज्य भाग				
(iii)	मूल	750.00	750.00	312.50	(-) 437.50
21-	उत्तम पशु पुरस्कार योजना-				
	राज्य भाग				
(iv)	मूल	100.00			
			98.05	66.77	(-) 31.28
	पुनर्वि०	(-) 1.95			
103-	कुक्कुट विकास-				
09-	5000 ब्रॉयलर योजना				
	(हिम कुक्कुट पालन योजना)-				
	राज्य भाग				
(v)	मूल	263.00			
			261.36	79.20	(-) 182.16
	पुनर्वि०	(-) 1.64			
104-	भेड तथा ऊन विकास-				
09-	भेड प्रजन को मेमनों पर उपदान-				
	राज्य भाग				
(vi)	मूल	2.50			
			2.26	0.19	(-) 2.07
	पुनर्वि०	(-) 0.24			
	उपरोक्त छः मामलों में ₹ 1,108.25 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-14 (क्रमशः)

106-	अन्य पशुधन विकास-				
12-	राष्ट्रीय पशुधन मिशन-				
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(i)	मूल	4.00			
		
	पुनर्वि०	(-)4.00			
	राज्य भाग				
(ii)	मूल	3.00			
		
	पुनर्वि०	(-)3.00			
109-	विस्तार तथा प्रशिक्षण-				
02-	पशु चिकित्सा परिषद को सहायता अनुदान-				
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(iii)	मूल	13.00			
		
	पुनर्वि०	(-)13.00			
	राज्य भाग				
(iv)	मूल	13.00			
		
	पुनर्वि०	(-)13.00			
	उपरोक्त चार मामलों में मार्च 2025 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 33.00 लाख के समस्त प्रावधान को भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया; अतः राज्य भाग भी अप्रयुक्त रहा।				
2404-	दुग्ध विकास-				
191-	सहकारी समितियों तथा अन्य निकायों को सहायता-				
02-	हिमाचल प्रदेश दुग्ध संगठन को सहायता अनुदान-				
	राज्य भाग				
	मूल	2,238.00	2,238.00	1,492.00	(-)746.00
	₹ 746.00 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।				
05-	दुग्ध सहकारी समितियों को मालभाड़ा उपदान-				
	राज्य भाग				
	मूल	111.00			
	पूरक	229.95	301.00	280.94	(-)20.06
	पुनर्वि०	(-)39.95			
	मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 39.95 लाख की कमी दुग्ध सहकारी समितियों से उपदान मामलों की कम प्राप्ति होने के कारण हुई।				
2405-	मत्स्य पालन-				
001-	निदेशन तथा प्रशासन-				
01-	निदेशालय स्तर-				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-14 (क्रमशः)

राज्य भाग				
मूल	265.95			
		233.82	234.45	(+)0.63
पुनर्वि०	(-)32.13			
मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 32.13 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।				
02- जिला स्तर-				
राज्य भाग				
मूल	1,346.24			
		1,214.32	1,237.01	(+)22.69
पुनर्वि०	(-)131.92			
₹ 22.69 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 131.92 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जोकि बाह्य स्रोत वाहनों के भुगतान, अधिक चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की प्राप्ति तथा मछली चारा पर अधिक व्यय के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई जोकि अत्यधिक सिद्ध हुई।				
₹ 22.69 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।				
101- अंतर्देशीय मत्स्य पालन-				
10- प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना-				
केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
मूल	478.99			
		1,128.93	574.69	(-)554.24
पूरक	649.94			
₹ 554.24 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)। जबकि भारत सरकार से ₹ 108.80 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ था।				
राज्य भाग				
मूल	62.70			
पूरक	48.34	137.21	75.62	(-)61.59
पुनर्वि०	26.17			
₹ 61.59 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 26.17 लाख का आवर्धन केन्द्रीय हिस्सेदारी के अनुपात में राज्य हिस्सेदारी के जारी होने के कारण हुआ जोकि अत्यधिक सिद्ध हुआ।				
₹ 61.59 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।				
121- मछुआरों के लिए कल्याणकारी योजनाएं-				
01- मछुआरों के लिए जोखिम निधि-				
राज्य भाग				
मूल	3.00			
		2.52	..	(-)2.52
पुनर्वि०	(-)0.48			
₹ 2.52 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-14 (समाप्त)

(iv) उपरोक्त बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्ष के अन्तर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
			(₹ लाख में)

2405- मछली पालन-

101- अन्तर्देशीय मछली पालन-

04- कार्प फार्मों का विकास एवं रख रखाव-
राज्य भाग

मूल	20.00			
पूरक	0.01	158.88	75.87	(-)83.01
पुनर्वि०	138.87			

₹ 83.01 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 138.87 लाख का आवर्धन प्रस्तावों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ जोकि अत्यधिक सिद्ध हुआ।

₹ 83.01 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

पूंजीगत प्रवर्ग

(v) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
			(₹ लाख में)

4403- पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय-

101- पशु चिकित्सा सेवाएं तथा पशु स्वास्थ्य-

01- भवन कार्यक्रम-
राज्य भाग

(i) मूल	599.00			
		598.00	514.00	(-)84.00
पुनर्वि०	(-)1.00			

4405- मत्स्य पालन पर पूंजीगत परिव्यय-

101- अंतर्देशीय मत्स्य पालन-

02- भवन-
राज्य भाग

(ii) मूल	138.00	138.00	49.45	(-)88.55
----------	--------	--------	-------	----------

03- मत्स्य क्रीड़ा का विकास एवं रखरखाव-
राज्य भाग

(iii) मूल	211.78	211.78	97.42	(-)114.36
-----------	--------	--------	-------	-----------

04- कार्प फार्मों का विकास एवं रखरखाव-
राज्य भाग

(iv) मूल	127.50	27.50	60.43	(-)67.07
----------	--------	-------	-------	----------

उपरोक्त चार मामलों में ₹ 353.98 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-15- योजना एवं पिछड़ा क्षेत्र विकास कार्यक्रम

(शीर्ष- 2202-सामान्य शिक्षा, 2210-चिकित्सा एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य, 2216-आवास, 2401-फसल पालन, 2402-मृदा एवं जल संरक्षण, 2403-पशु-पालन, 2406-वानिकी एवं वन्य जीवन, 2851-ग्राम एवं लघु उद्योग, 3451-सचिवालय-आर्थिक सेवायें, 4202-शिक्षा, खेलकूद, कला और संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय, 4210-चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय, 4215-जल आपूर्ति और स्वच्छता पर पूंजीगत परिव्यय, 4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय, 4401- फसल पालन पर पूंजीगत परिव्यय, 4402- मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय, 4403-पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय, 4406- वानिकी तथा वन्य जीवों पर पूंजीगत परिव्यय, 4702-अल्प सिचाई पर पूंजीगत परिव्यय, 4851-ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय, 5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय तथा 5475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य (+) बचत (-)
राजस्व प्रवर्ग			
दत्तमत			
मूल	76,47,57		
	76,47,57	57,68,02	(-)18,79,55
पूरक	..		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)			11,99,53
पूंजीगत प्रवर्ग			
दत्तमत			
मूल	6,99,62,00		
	6,99,62,00	2,71,43,74	(-)4,28,18,26
पूरक	..		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			..

टिप्पणियाँ तथा अभ्युक्तियाँ

- (i) राजस्व प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 1,879.55 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से ₹ 1,199.53 लाख का अभ्यर्पण अपर्याप्त सिद्ध हुआ।
- (ii) पूंजीगत प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 42,818.26 लाख की कुल बचत हुई परन्तु वर्ष के दौरान विभाग द्वारा कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-15 (क्रमशः)

राजस्व प्रवर्ग

(iii) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य (+) बचत (-)
-------	------------	---------------------------------	-----------------------

2202- सामान्य शिक्षा-

01- प्रारम्भिक शिक्षा-

101- राजकीय प्राथमिक विद्यालय-

17- प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत अभिभावक

शिक्षक संघ को सहायता अनुदान-

राज्य भाग

मूल 20.00

11.15

10.18

(-)0.97

पुनर्वि० (-)8.85

मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में 8.85 लाख की कमी अभिभावक शिक्षक संघ के अंतर्गत शिक्षकों के नियमितिकरण के कारण हुई।

2210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-

03- ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-

पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति-

101- स्वास्थ्य उप-केन्द्र-

01- स्वास्थ्य उप-केन्द्र-

राज्य भाग

मूल 1,488.52

1,216.29

1,181.55

(-)34.74

पुनर्वि० (-)272.23

₹ 34.74 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 272.23 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने तथा चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 34.74 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतिक्षित थे (जुलाई 2025)।

103- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र-

01- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र-

राज्य भाग

मूल 401.34

354.51

346.72

(-)7.79

पुनर्वि० (-)46.83

मार्च 2025 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 46.83 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने तथा सामग्रियों के कम क्रय के कारण हुई।

04- ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-अन्य चिकित्सा पद्धतियाँ-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-15 (क्रमशः)

101-	आयुर्वेद-				
02-	आयुर्वेदिक औषधालय-				
	राज्य भाग				
	मूल	1,720.15			
			1,637.14	1,623.07	(-)14.07
	पुनर्वि०	(-)83.01			
	मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 83.01 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।				
06-	लोक स्वास्थ्य-				
101-	रोगों की रोकथाम तथा नियन्त्रण-				
13-	बहुउद्देशीय कार्यकर्ता योजना-				
	(न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम)-				
	राज्य भाग				
	मूल	111.74			
			77.41	74.93	(-)2.48
	पुनर्वि०	(-)34.33			
	मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 34.33 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने तथा सामग्रियों की कम खरीद करने के कारण हुई।				
2401-	फसल कृषि-कर्म-				
109-	विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण-				
28-	शैक्षणिक प्रवास पर स्थानीय व्यय-				
	राज्य भाग				
(i)	मूल	8.70	8.70	2.57	(-)6.13
29-	दालों तथा उर्वरक तिलों के बीजों के लिए				
	लघु वर्ग को निःशुल्क वितरण-				
	राज्य भाग				
(ii)	मूल	7.00	7.00	4.98	(-)2.02
2402-	भू तथा जल संरक्षण-				
102-	मृदा संरक्षण-				
08-	जल संरक्षण हेतु ढांचे का बनाना-				
	राज्य भाग				
(iii)	मूल	75.88	75.88	58.61	(-)17.27
2406-	वानिकी तथा वन्य जीवन-				
01-	वानिकी-				
102-	सामाजिक और फार्म वानिकी-				
18-	सामाजिक वानिकी कार्यक्रम-				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-15 (क्रमशः)

राज्य भाग				
(iv)	मूल	586.49		
			586.08	550.16
				(-)35.92
	पुनर्वि०	(-)0.41		
उपरोक्त चार मामलों में ₹ 61.34 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतिक्षित थे (जुलाई 2025)।				
3451-	सचिवालय-आर्थिक सेवाएं-			
101-	नीति आयोग-			
01-	मुख्यालय-			
	राज्य भाग			
(i)	मूल	1,017.68		
			562.58	523.54
				(-)39.04
	पुनर्वि०	(-)455.10		
02-	जिले-			
	राज्य भाग			
(ii)	मूल	731.38		
			447.71	412.16
				(-)35.55
	पुनर्वि०	(-)283.67		
उपरोक्त दो मामलों में ₹ 74.59 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 738.77 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।				
उपरोक्त दो मामलों में ₹ 74.59 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतिक्षित थे (जुलाई 2025)।				
18-	तेरहवें वित्त आयोग के अंतर्गत जिला अभिनव निधि-			
	राज्य भाग			
(i)	मूल	300.00	300.00	..
				(-)300.00
20-	राज्य अभिनव निधि-			
	राज्य भाग			
(ii)	मूल	150.00	150.00	..
				(-)150.00
उपरोक्त दो मामलों में ₹ 450.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।				
21-	सत्त विकास हेतु लक्ष्य-			
	राज्य भाग			
	मूल	15.00		
			7.70	0.34
				(-)7.36
	पुनर्वि०	(-)7.30		
₹ 7.36 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 7.30 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।				
₹ 7.36 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतिक्षित थे (जुलाई 2025)।				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-15 (क्रमशः)

पूँजीगत प्रवर्ग

(iv)	दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-				
शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+)	बचत (-)	
		(₹ लाख में)			
4202-	शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय-				
01-	सामान्य शिक्षा-				
201-	प्रारम्भिक शिक्षा-				
07-	भवनों का निर्माण- राज्य भाग				
(i)	मूल 1,200.00	1,200.00	309.51	(-)890.49	
202-	माध्यमिक शिक्षा-				
06-	भवनों का निर्माण- राज्य भाग				
(ii)	मूल 1,000.00	1,000.00	541.24	(-)458.76	
4210-	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय-				
02-	ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-				
103-	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र-				
01-	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (निर्माण कार्य)- राज्य भाग				
(iii)	मूल 1,000.00	1,000.00	312.44	(-)687.56	
03-	चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-				
101-	आयुर्वेद-				
01-	आयुर्वेद (निर्माण कार्य)- राज्य भाग				
(iv)	मूल 95.00	95.00	42.26	(-)52.74	
4215-	जलापूर्ति तथा स्वच्छता पर पूँजीगत परिव्यय-				
01-	जलापूर्ति-				
102-	ग्रामीण जलापूर्ति-				
01-	विभिन्न जिलों में ग्रामीण जलापूर्ति योजनाएं- राज्य भाग				
(v)	मूल 1,716.00	1,716.00	1,540.81	(-)175.19	

उपरोक्त पाँच मामलों में ₹ 2,264.74 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतिक्षित थे (जुलाई 2025)।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-15 (क्रमशः)

4216- आवास पर पूंजीगत परिव्यय-

01- सरकारी आवासीय भवन-

700- अन्य आवास-

15- जिला योजना अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए
आवास निर्माण-

राज्य भाग

मूल	80.00	80.00	..	(-)80.00
-----	-------	-------	----	----------

₹ 80.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

4401- फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय-

119- बागवानी तथा साग भाजी फसलें-

03- उद्यान विभाग के भवन-

राज्य भाग

(i) मूल	100.00	100.00	9.93	(-)90.07
---------	--------	--------	------	----------

800- अन्य व्यय-

01- कृषि विभाग के भवन-

राज्य भाग

(ii) मूल	70.00	70.00	2.50	(-)67.50
----------	-------	-------	------	----------

4402- मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय-

102- मृदा संरक्षण-

07- कृषि-

राज्य भाग

(iii) मूल	65.00	65.00	5.50	(-)59.50
-----------	-------	-------	------	----------

4403- पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय-

101- पशु चिकित्सा सेवाएं तथा पशु स्वास्थ्य-

01- भवन कार्यक्रम-

राज्य भाग

(iv) मूल	65.00	65.00	29.43	(-)35.57
----------	-------	-------	-------	----------

4406- वानिकी तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय-

01- वानिकी-

101- वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण

01- वानिकी-

राज्य भाग

(v) मूल	110.00	110.00	42.23	(-)67.77
---------	--------	--------	-------	----------

4702- लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय-

101- सतही जल-

01- विभिन्न जिलों में लिफ्ट सिंचाई स्कीमें-

राज्य भाग

(vi) मूल	70.00	70.00	33.38	(-)36.62
----------	-------	-------	-------	----------

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-15 (समाप्त)

उपरोक्त छः मामलों में ₹ 357.03 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

**4851- ग्राम तथा लघु उद्योगों पर
पूंजीगत परिव्यय-**

102- लघु उद्योग-

09- ग्राम तथा लघु उद्योग

राज्य भाग

मूल	70.00	70.00	..	(-)70.00
-----	-------	-------	----	----------

₹ 70.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-

04- जिला तथा अन्य सड़कें-

337- सड़क निर्माण कार्य-

27- सड़कें एवं पुल-

राज्य भाग

(i) मूल	5,000.00	5,000.00	3,669.71	(-)1,330.29
---------	----------	----------	----------	-------------

5475- अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय-

115- बुनियादी ढांचे के विकास के लिए वित्तीय सहायता-

01- विकेन्द्रीकृत नियोजन क्षेत्र-

राज्य भाग

(ii) मूल	37,290.90	37,290.90	6,869.14	(-)30,421.76
----------	-----------	-----------	----------	--------------

02- विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना-

राज्य भाग

(iii) मूल	15,000.00	15,000.00	11,588.24	(-)3,411.76
-----------	-----------	-----------	-----------	-------------

03- स्थानीय जिला नियोजन/विकास में जन सहयोग-

राज्य भाग

(iv) मूल	6,050.00	6,050.00	1,786.73	(-)4,263.27
----------	----------	----------	----------	-------------

04- मुख्यमंत्री ग्राम पथ योजना-

राज्य भाग

(v) मूल	980.10	980.10	360.69	(-)619.41
---------	--------	--------	--------	-----------

उपरोक्त पाँच मामलों में ₹ 40,046.49 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-16- वन और वन्य जीवन

(शीर्ष- 2059- लोक निर्माण कार्य, 2402-मृदा तथा जल संरक्षण, 2406-वानिकी एवं वन्य जीवन, 2415-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा, 4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय तथा 4406-वानिकी तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय)

		कुल अनुदान/ विनियोजन	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य (+) बचत (-)
राजस्व प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	7,76,81,56			
		8,02,94,56	8,33,41,13	(+)30,46,57
पूरक	26,13,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..
प्रभारित				
मूल	..			
		1,10	1,10	..
पूरक	1,10			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..
पूंजीगत प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	7,20,00			
		7,20,00	2,81,65	(-)4,38,35
पूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..
(31 मार्च 2025)				1,40,89

टिप्पणियाँ तथा अभ्यक्तियाँ

- (i) राजस्व प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 30,46,56,882 के आधिक्य का नियमन अपेक्षित है।
- (ii) राजस्व प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 3,046.57 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2025 में प्राप्त ₹ 2,613.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अपर्याप्त सिद्ध हुआ।
- (iii) पूंजीगत प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 438.35 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से ₹ 140.89 लाख का अभ्यर्पण अपर्याप्त सिद्ध हुआ।

राजस्व प्रवर्ग

- (iv) दत्तमत अनुदान में आधिक्य मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-
- | शीर्ष | कुल अनुदान | वास्तविक
व्यय
(₹ लाख में) | आधिक्य (+)
बचत (-) |
|-------|------------|---------------------------------|-----------------------|
|-------|------------|---------------------------------|-----------------------|

2406- वानिकी तथा वन्य जीवन-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-16 (क्रमशः)

01-	वानिकी-			
102-	समाज तथा फार्म वानिकी-			
37-	स्रोत स्थिरता और जलवायु-अनुकूल वर्षा आधारित कृषि के लिए एकीकृत परियोजना- राज्य भाग			
	मूल	5,064.00		
	पूरक	2,612.88	13,405.91	13,063.14
	पुनर्वि०	5,729.03		(-)342.77

₹ 342.77 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 5,729.03 लाख का आवर्धन विभिन्न परियोजना कार्यक्रमों जैसे मृदा संरक्षण कार्य, लैटाना उन्मूलन एवं जल संचयन संरचनाओं तथा लाभार्थियों/किसानों को अनुदान जारी करने के कारण हुआ जोकि रिक्त पदों को न भरने तथा परामर्शदात्री सेवाओं की कम नियुक्ति से हुई बचत से अंशतः प्रतिसंतुलित हुआ जोकि अत्यधिक सिद्ध हुआ।

₹ 342.77 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

02-	पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव-			
110-	वन्य जीव संरक्षण-			
11-	हाथी परियोजना- केन्द्रीय प्रायोजित योजना			
(i)	पूरक	0.06		
			40.57	40.57
	पुनर्वि०	40.51		..
	राज्य भाग			
(ii)	पूरक	0.06		
			4.51	4.51
	पुनर्वि०	4.45		..

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 44.96 लाख का आवर्धन भारत सरकार से प्राप्त केन्द्रीय हिस्सेदारी के अनुपात में राज्य की हिस्सेदारी जारी करने के कारण हुआ।

111-	चिडियाघर-			
02-	हिमाचल प्रदेश चिडियाघर संरक्षण एवं बीडिंग सोसाइटी को सहायता अनुदान- राज्य भाग			
	मूल	3,149.00		
			6,177.07	11,417.05
	पुनर्वि०	3,028.07		(+)5,239.98

₹ 5,239.98 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 3,028.07 लाख का आवर्धन बनखंडी, कांगड़ा में चिडियाघर के निर्माण के लिए भारत सरकार से विशेष केन्द्रीय सहायता की प्राप्ति के कारण हुआ जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुआ।

₹ 5,239.98 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-16 (क्रमशः)

(v) उपरोक्त आधिक्य मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई बचत से अंशतः प्रतिसंतुलित हुआ:-

	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य (+) बचत (-)
2402-	भू तथा जल संरक्षण-			
109-	विस्तार तथा प्रशिक्षण-			
20-	भू-संरक्षण प्रशिक्षण- राज्य भाग			
(i)	मूल	15.47		
			7.08	
			6.74	(-)0.34
	पुनर्वि०	(-)8.39		
2406-	वानिकी तथा वन्य जीवन-			
01-	वानिकी-			
001-	निदेशन तथा प्रशासन-			
01-	निदेशन- राज्य भाग			
(ii)	मूल	1,386.02		
			1,185.74	
			1,177.78	(-)7.96
	पुनर्वि०	(-)200.28		
	उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 208.67 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।			
02-	परिमण्डल/मण्डलीय स्थापना- राज्य भाग			
	मूल	37,836.90		
			33,957.96	
			33,385.55	(-)572.41
	पुनर्वि०	(-)3,878.94		
	₹ 572.41 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 3,878.94 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जोकि विभिन्न अदालती मामलों में परिषद् शुल्क के भुगतान के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।			
	₹ 572.41 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।			
03-	प्राकृतिक संसाधन प्रबंध प्रशिक्षण विकास सोसाइटी को सहायता अनुदान- राज्य भाग			
	मूल	275.00		
			268.99	
			197.32	(-)71.67
	पुनर्वि०	(-)6.01		
	₹ 71.67 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-16 (क्रमशः)

101-	वन संरक्षण, विकास और संपोषण-				
01-	वन चंकबंदी तथा सीमांकन-				
	राज्य भाग				
	मूल	158.00			
			127.13	119.39	(-)7.74
	पुनर्वि०	(-)30.87			
	मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 30.87 लाख की कमी वनों के सीमांकन के पूरा न होने तथा वनों के सीमांकन के लिए कंटीले तारों व बाड़ की कम खरीद के कारण हुई।				
03-	एकीकृत वन सुरक्षा योजना-				
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(i)	मूल	329.00			
			0.39	0.39	..
	पुनर्वि०	(-)328.61			
	राज्य भाग				
(ii)	मूल	35.00			
			0.04	0.04	..
	पुनर्वि०	(-)34.96			
	उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 363.57 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति के कारण हुई; अतः राज्य भाग भी अप्रयुक्त रहा।				
08-	हिमाचल प्रदेश वन इको सिस्टम जलवायु प्रूफिंग				
	परियोजना (बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना)-				
	राज्य भाग				
	मूल	3,441.00			
			2,937.15	2,821.76	(-)115.39
	पुनर्वि०	(-)503.85			
	₹ 115.39 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 503.85 लाख की कमी ग्राम वन प्रबंधन समितियों से कम माँग की प्राप्ति, लघु निर्माण कार्यों के कम निष्पादन, रिक्त पदों को न भरने, योजना के अन्तर्गत कंटीले तारों व बाड़ की कम खरीद इत्यादि के कारण हुई जोकि पेट्रोल एवं वाहनों की मरम्मत बिलों के भुगतान के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।				
	₹ 115.39 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।				
10-	हिमाचल प्रदेश वन पारिस्थितिकीय प्रबंधन और				
	जीव विज्ञान सुधार परियोजना-				
	राज्य भाग				
	मूल	3,700.00			
			3,670.00	3,629.51	(-)40.49
	पुनर्वि०	(-)30.00			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-16 (क्रमशः)

₹ 40.49 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 30.00 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 40.49 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

11- वन अग्नि प्रबंधन योजना-
राज्य भाग

मूल 148.00

140.65

107.16

(-)33.49

पुनर्वि० (-)7.35

₹ 33.49 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

102- सामाजिक तथा कृषि वानिकी-
39- प्रायोगिक सिल्वीकल्चरल फेलिंग
राज्य भाग

मूल 150.00

108.87

107.90

(-)0.97

पुनर्वि० (-)41.13

मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 41.13 लाख की कमी सिल्वीकल्चर फेलिंग के लिए सामग्री की कम खरीद तथा कार्यशालाओं एवं संगोष्ठियों के कम आयोजन के कारण हुई।

42- हरित भारत के लिए राष्ट्रीय अभियान-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना

(i) मूल 1,125.00

..

..

..

पुनर्वि० (-)1,125.00

राज्य भाग

(ii) मूल 125.00

..

..

..

पुनर्वि० (-)125.00

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2025 में ₹ 1,250.00 लाख के समस्त प्रावधान को भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया; अतः राज्य भाग अप्रयुक्त रहा।

43- विभागीय राज्य वानिकी कार्यक्रम-
राज्य भाग

मूल 2,444.00

2,040.08

2,016.55

(-)23.53

पुनर्वि० (-)403.92

मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 403.92 लाख की कमी लघु निर्माण कार्यों के कम निष्पादन तथा सामग्री की कम खरीद के कारण हुई।

105- वन उत्पाद -

02- ग्राहकों तथा अन्य पदार्थ ले जाना-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-16 (क्रमशः)

राज्य भाग

मूल	22.47	22.47	17.62	(-)4.85
-----	-------	-------	-------	---------

₹ 4.85 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

07- चीड़ की पत्तियों का जंगलों से सकलन तथा इस पर आधारित उद्योगों में निवेश हेतु उपदान-
राज्य भाग

मूल	25.00			
-----	-------	--	--	--

पुनर्वि०	(-)25.00
----------	----------	----	----	----

मार्च 2025 में ₹ 25.00 लाख के समस्त प्रावधान को मुख्यतः लाभार्थियों को उपदान जारी न करने तथा सामग्री की खरीद न होने के कारण कम कर दिया गया।

02- पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीवन-

110- वन्य जीवन परिक्षण-

01- वन्य प्राणी-

राज्य भाग

मूल	1,529.00			
-----	----------	--	--	--

		1,399.48	1,294.16	(-)105.32
--	--	----------	----------	-----------

पुनर्वि०	(-)129.52			
----------	-----------	--	--	--

₹ 105.32 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 129.52 लाख की कमी रिक्त पदों के न भरने तथा वन्य जीवन परिक्षण के लिए सामग्री की कम खरीद के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 105.32 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

10- राष्ट्रीय पार्को शरणस्थलों की विकास हेतु सहायता-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना

(i) मूल 592.00

		138.11	138.11	..
--	--	--------	--------	----

पुनर्वि०	(-)453.89			
----------	-----------	--	--	--

राज्य भाग

(ii) मूल 50.00

		15.34	15.34	..
--	--	-------	-------	----

पुनर्वि०	(-)34.66			
----------	----------	--	--	--

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 488.55 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति के कारण हुई; अतः राज्य भाग भी अप्रयुक्त रहा।

111- चिडियाघर-

01- हिमालयन प्राणी उप वन विकास-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-16 (क्रमशः)

राज्य भाग				
मूल	494.00			
		449.60	438.62	(-)10.98
पुनर्वि०	(-)44.40			

मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 44.40 लाख की कमी सामग्री की कम खरीद तथा पेट्रोल और वाहनों के मरम्मत पर कम व्यय के कारण हुई।

04- वनीकरण एवं पारिस्थितिकी विकास-

103- राज्य क्षतिपूरक वनारोपण-

01- प्रतिपूरक वनीकरण-

राज्य भाग				
मूल	2,500.00			
		2,088.36	2,039.77	(-)48.59
पुनर्वि०	(-)411.64			

₹ 48.59 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 411.64 लाख की कमी सामग्री की कम खरीद, रखरखाव तथा लघु कार्यों के कम निष्पादन के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 48.59 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

02- जलग्रहण क्षेत्र उपचार योजना-

राज्य भाग				
मूल	2,400.00			
		2,228.66	1,958.03	(-)270.63
पुनर्वि०	(-)171.34			

₹ 270.63 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 171.34 लाख की कमी पौधारोपण के कम निष्पादन, पौधशाला, अवसंरचना, मृदा नमी कार्य, सामग्री की कम खरीद, आकस्मिक व्यय एवं परिचालन प्रभार के कम भुगतान तथा भाड़े के वाहन, मशीनरी, पदार्थ व उपकरण पर कम व्यय के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 270.63 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

03- एकीकृत वन्य जीवन प्रबंधन योजना-

राज्य भाग				
मूल	1,300.00			
		1,114.65	856.41	(-)258.24
पुनर्वि०	(-)185.35			

₹ 258.24 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 185.35 लाख की कमी चैकडैमों, वन रक्षकों की झोपड़ियों व पौधारोपण के लिए सामग्रियों की कम खरीद, भाड़े के वाहनों पर कम व्यय, प्रशिक्षण, जागरूकता कार्यक्रम के कम आयोजन और लघु कार्यों के कम निष्पादन के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 258.24 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-16 (क्रमशः)

04-	वन भूमि का निवल वर्तमान मूल्य- राज्य भाग				
	मूल	6,000.00			
			5,710.66	5,528.46	(-)182.20
	पुनर्वि०	(-)289.34			

₹ 182.20 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 289.34 लाख की कमी सामग्रियों की कम खरीद, प्रशिक्षण शिविरों के कम आयोजन, वृक्षों की गणना के लिए मशीनरी, मर्दों की कम खरीद, पेट्रोल, वाहनों की मरम्मत, विज्ञापन एवं प्रचार पर कम व्यय के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 182.20 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

05-	ब्याज- राज्य भाग				
	मूल	350.00			
			158.52	124.32	(-)34.20
	पुनर्वि०	(-)191.48			

₹ 34.20 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 191.48 लाख की कमी मुद्रण, कार्यशालाओं, बैठकों, दूरभाष, बिजली बिल व भवनों के भाड़े पर हुए कम व्यय के कारण हुई जोकि बाह्य स्रोत सेवाओं, भाड़े के वाहनों, पेट्रोल, तेल एवं स्नेहक तथा मरम्मत शुल्क के भुगतान से हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 34.20 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

2415- कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा-

06-	वानिकी-				
004-	अनुसंधान-				
03-	विभागीय वानिकी अनुसंधान स्कीम- राज्य भाग				
	मूल	100.00			
			21.10	20.27	(-)0.83
	पुनर्वि०	(-)78.90			

मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 78.90 लाख की कमी लघु कार्यों के कम निष्पादन, लाभार्थियों को कम अनुदान जारी करने तथा बैठक/संगोष्ठी के कम आयोजन के कारण हुई।

पूंजीगत प्रवर्ग

(vi)	दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-			
	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
			(₹ लाख में)	

4216- आवास पर पूंजीगत परिव्यय-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-16 (क्रमशः)

01-	सरकारी आवासीय भवन-				
700-	अन्य आवास-				
10-	वानिकी के अंतर्गत भवन निर्माण-				
	राज्य भाग				
(i)	मूल	300.00			
			179.11	55.55	(-)123.56
	पुनर्वि०	(-)120.89			

₹ 123.56 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 120.89 लाख की कमी कार्यों के कम निष्पादन के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 123.56 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

4406- वानिकी तथा वन्य जीवन पर
पूंजीगत परिव्यय-

01-	वानिकी-				
070-	संचार तथा भवन-				
01-	सडकें तथा पुल-				
	राज्य भाग				
(i)	मूल	100.00	100.00	69.49	(-)30.51
02-	भवन-				
	राज्य भाग				
(ii)	मूल	300.00	300.00	156.62	(-)143.38

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 173.89 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

02-	पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीवन-				
110-	वन्य जीवन-				
03-	वन्य प्राणी-				
	राज्य भाग				
(i)	मूल	10.00			
		
	पुनर्वि०	(-)10.00			
111-	चिडियाघर-				
01-	चिडियाघर के अंतर्गत भवन निर्माण-				
	राज्य भाग				
(ii)	मूल	10.00			
		
	पुनर्वि०	(-)10.00			

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2025 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 20.00 लाख के समस्त प्रावधान को कार्यों के निष्पादन न होने के कारण कम कर दिया गया।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-16 (समाप्त)

(vii) राज्य प्रतिपूरक वनीकरण कोष (एस.सी.ए.एफ.)

हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने वर्ष 2016 में राज्य प्रतिपूरक वनीकरण निधि (एस.सी.ए.एफ.) की स्थापना की जिसे राज्य सरकार द्वारा स्वयं नियंत्रित किया जाता है तथा 2 जुलाई 2009 के दिशा निर्देशों की अनुपालना में निधि का नियंत्रण राज्य में गठित राज्य प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण द्वारा प्रबंधित किया जाता है। प्रतिपूरक वनीकरण निधि अधिनियम 2016 की धारा 3(4) में दिये गये प्रावधानों के अनुसार उपयोगकर्ता अभिकरण/एजेंसी से प्राप्त दस प्रतिशत की राशि जिसे सीधे प्रति वर्ष राज्य निधि में जमा किया जायेगा और राष्ट्रीय निधि में स्थानान्तरित किया जायेगा।

हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार के अधिनियम 2016 के अनुसार मुख्य शीर्ष 8121-सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधियां के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा राज्य प्रतिपूरक वनीकरण निधि का गठन किया गया। 1 अप्रैल 2024 तक राज्य प्रतिपूरक वनीकरण निधि में ₹ 1,86,746.46 लाख कुल अथ शेष था। वर्ष 2024-25 के दौरान राज्य सरकार द्वारा मुख्य शीर्ष 8121- सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधियां, 129-राज्य प्रतिपूरक वनीकरण निधि के अन्तर्गत ₹ 78,466.64 लाख प्राप्त हुए। वर्ष 2024-25 के दौरान प्रतिपूरक वनीकरण की विभिन्न गतिविधियों पर ₹ 10,556.98 लाख व्यय किये गये। वर्ष के दौरान अथशेष पर कुल प्राप्त ब्याज की राशि ₹ 7,686.27 लाख है। 31 मार्च 2025 को राज्य प्रतिपूरक वनीकरण निधि में ₹ 2,62,342.40 लाख है। (निधि के संचालन के विस्तृत विवरण के लिए वर्ष 2024-25 के वित्त लेखों के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 8121-सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधियाँ, 129-राज्य प्रतिपूरक वनीकरण निधि की विवरणी क्रमांक 21 का अवलोकन करें)।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-17- निर्वाचन

(शीर्ष- 2015-निर्वाचन, 2059-लोक निर्माण-कार्य, 2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं और 4059-लोक निर्माण कार्यो पर पूंजीगत परिवयय)

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य (+) बचत (-)
राजस्व प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	88,49,76			
		1,22,83,78	1,19,71,29	(-)3,12,49
पूरक	34,34,02			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)				1,45,59
पूंजीगत प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	1,75,00			
		3,75,00	3,75,00	..
पूरक	2,00,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..

टिप्पणियाँ तथा अभ्युक्तियाँ

(i) राजस्व प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 312.49 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में प्राप्त ₹ 3,434.02 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ तथा ₹ 145.59 लाख का अभ्यर्पण अपर्याप्त सिद्ध हुआ।

राजस्व प्रवर्ग

(ii) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षो के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य (+) बचत (-)
2015- निर्वाचन -			
102- निर्वाचन अधिकारी-			
01- मुख्य निर्वाचन अधिकारी तथा कर्मचारी- राज्य भाग			
मूल	2,337.12		
पूरक	0.01	2,119.50	2,107.93
पुनर्वि0	(-)217.63		(-)11.57

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-17 (क्रमशः)

मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 217.63 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जोकि चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों, बिजली, दूरभाष बिलों की अधिक प्राप्ति एवं अधिक बाह्य स्रोत वाहनों को भाड़े पर लिए जाने से हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।

105- संसद के चुनाव कराने के लिए प्रभार-
01- संसदीय-
राज्य भाग

(i)	मूल	5,179.56			
	पूरक	2,425.22	7,571.64	7,493.46	(-)78.18
	पुनर्वि०	(-)33.14			

106- राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के विधानमण्डल
के चुनाव कराने के लिए प्रभार-
01- विधानसभा चुनाव-
राज्य भाग

(ii)	मूल	0.09			
	पूरक	734.41	704.84	696.51	(-)8.33
	पुनर्वि०	(-)29.66			

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 86.51 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 62.80 लाख की कमी पेट्रोल, तेल, स्नेहक तथा वाहनों की मरम्मत के बिलों की कम प्राप्ति के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 86.51 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

(iii)	उपरोक्त बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्ष के अन्तर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-			
	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
			(₹ लाख में)	

2015- निर्वाचन-

103- मतदाता सूचियों का निर्माण और मुद्रण-
01- विधानसभा-
राज्य भाग

	मूल	934.81			
	पूरक	124.98	1,197.37	1,174.27	(-)23.10
	पुनर्वि०	137.58			

मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 137.58 लाख का आवर्धन बाह्य स्रोत सेवाओं को भाड़े पर रखे जाने, बूथ स्तर अधिकारियों के मानदेय के भुगतान, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2025 को मनाने के कारण हुआ जोकि मतदाता सूचियों की कम तैयारी व मुद्रण से हुई बचत से अंशतः प्रतिसंतुलित हुआ।

109- पंचायतों/स्थानीय निकायों को चुनाव के
आयोजन के लिए प्रभार-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-17 (समाप्त)

01- पंचायतों/स्थानीय निकायों को चुनाव के आयोजन के लिए प्रभार-राज्य भाग

मूल	72.72			
पूरक	88.57	185.95	162.06	(-)23.89
पुनर्वि०	24.66			

₹ 23.89 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 24.66 लाख का आवर्धन योजना के अन्तर्गत उपचुनाव का आयोजन तथा यात्रा व्यय की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ जोकि अत्यधिक सिद्ध हुआ।

₹ 23.89 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

विनियोग लेखे

अनुदान संख्या-18- उद्योग, खनिज, आपूर्ति एवं सूचना प्रौद्योगिकी

(शीर्ष- 2057-आपूर्ति तथा निपटान, 2059-लोक निर्माण कार्य, 2216-आवास, 2851- ग्रामीण तथा लघु उद्योग, 2852-उद्योग, 2853-अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग, 4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय तथा 4851-ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य (+) बचत (-)
राजस्व प्रवर्ग			
दत्तमत			
मूल	1,38,31,18		
	1,47,25,15	96,36,91	(-)50,88,24
पूरक	8,93,97		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)			26,82,12
प्रभारित			
मूल	..		
	3,76,30	3,76,29	(-)1
पूरक	3,76,30		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			..
पूंजीगत प्रवर्ग			
दत्तमत			
मूल	9,67,00		
	90,06,02	84,65,92	(-)5,40,10
पूरक	80,39,02		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)			5,90

टिप्पणियाँ तथा अभ्युक्तियाँ

- (i) राजस्व प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 5,088.24 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में प्राप्त ₹ 893.97 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ जबकि मूल अनुदान भी अप्रयुक्त रहा तथा ₹ 2,682.12 लाख का अभ्यर्पण अपर्याप्त सिद्ध हुआ।
- (ii) पूंजीगत प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 540.10 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में प्राप्त ₹ 8,039.02 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ तथा ₹ 5.90 लाख का अभ्यर्पण अपर्याप्त रहा।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-18 (क्रमशः)

राजस्व प्रवर्ग

(iii) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य (+) बचत (-)
2059- लोक निर्माण कार्य-			
01- कार्यालय भवन-			
053- रखरखाव तथा मरम्मत-			
16- उद्योग विभाग के भवनों का रखरखाव- राज्य भाग			
मूल	45.00		
		27.85	(-)0.31
पुनर्वि०	(-)17.15		
मार्च 2025 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 17.15 लाख की कमी रखरखाव एवं मरम्मत कार्यों के कम निष्पादन के कारण हुई।			
2851- ग्रामीण तथा लघु उद्योग-			
001- निदेशन तथा प्रशासन-			
01- निदेशालय- राज्य भाग			
मूल	40.27		
		28.88	(-)0.03
पुनर्वि०	(-)11.39		
मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 11.39 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।			
003- प्रशिक्षण-			
02- ग्रामीण इंजीनियरिंग आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम- राज्य भाग			
मूल	25.00		
		13.60	(-)13.25
पुनर्वि०	(-)11.40		
₹ 13.25 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 11.40 लाख की कमी लाभार्थियों से मांग की कम प्राप्ति होने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।			
₹ 13.25 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।			
102- लघु उद्योग-			
10- उद्योगिक विकास एवं प्रशिक्षण- राज्य भाग			
मूल	25.00	25.00	(-)25.00
₹ 25.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-18 (क्रमशः)

13-	जिला उद्योग केंद्र- राज्य भाग				
	मूल	2,179.37			
			1,927.38	1,926.45	(-)0.93
	पुनर्वि०	(-)251.99			
	मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 251.99 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जोकि बाह्य सेवाओं के अधिक भुगतान के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।				
29-	मुख्यमंत्री स्टार्ट-अप योजना के अन्तर्गत प्रोत्साहन- राज्य भाग				
	मूल	300.00			
			259.05	117.31	(-)141.74
	पुनर्वि०	(-)40.95			
	₹ 141.74 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 40.95 लाख की कमी लाभार्थियों से माँग की कम प्राप्ति होने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।				
	₹ 141.74 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।				
32-	कुटीर खाद्य प्रसंस्करण उद्यम की स्थापना-आत्मनिर्भर भारत- केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
	मूल	1,292.00			
	पूरक	0.01	305.01	254.57	(-)50.44
	पुनर्वि०	(-)987.00			
	₹ 50.44 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 987.00 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।				
	₹ 50.44 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।				
	राज्य भाग				
	मूल	125.00			
			22.78	22.78	..
	पुनर्वि०	(-)102.22			
	मार्च 2025 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 102.22 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति के कारण हुई; अतः राज्य की हिस्सेदारी अप्रयुक्त रही।				
105-	खादी ग्रामोद्योग-				
01-	उद्योग का विकास- राज्य भाग				
	मूल	403.00			
	पूरक	0.01	443.00	403.00	(-)40.00
	पुनर्वि०	39.99			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-18 (क्रमशः)

₹ 40.00 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 39.99 लाख का आवर्धन मशीनरी की खरीद तथा भवन निर्माण पर अधिक व्यय के कारण हुआ जोकि अनावश्यक सिद्ध हुआ ।

₹ 40.00 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

107- रेशम उत्पादन उद्योग-

01- रेशम उद्योग का विकास-
राज्य भाग

मूल 862.67

797.44 773.86 (-)23.58

पुनर्वि० (-)65.23

मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 65.23 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, कार्यों के कम निष्पादन तथा यात्रा व्यय दावों की कम प्राप्ति के कारण हुई जोकि चिकित्सा दावों की अधिक प्राप्ति के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।

03- उत्प्रेरक विकास कार्यक्रम हेतु सहायता-
राज्य भाग

मूल 74.00

70.73 19.04 (-)51.69

पुनर्वि० (-)3.27

₹ 51.69 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

111- बेरोजगार शिक्षित युवाओं के लिए रोजगार योजना-

01- मुख्यमंत्री स्वालम्बन योजना-
राज्य भाग

मूल 3,479.00

2,271.44 658.28 (-)1,613.16

पुनर्वि० (-)1,207.56

₹ 1,613.16 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,207.56 लाख की कमी लाभार्थियों से मांग की कम प्राप्ति होने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 1,613.16 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

2852- उद्योग-

80- सामान्य-

001- निदेशन तथा प्रशासन-

01- निदेशालय-
राज्य भाग

(i) मूल 427.62

358.11 358.02 (-)0.09

पुनर्वि० (-)69.51

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-18 (क्रमशः)

102-	औद्योगिक उत्पादकता-				
01-	औद्योगिक क्षेत्रों का विकास एवं संवर्धन योजनाएं- राज्य भाग				
(ii)	मूल	95.58			
			73.56	73.53	(-)0.03
	पुनर्वि०	(-)22.02			
	उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 91.53 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।				
09-	औद्योगिक इकाइयों को प्रोत्साहन- राज्य भाग				
(i)	मूल	600.00			
			592.85	261.02	(-)331.83
	पुनर्वि०	(-)7.15			
11-	निवेश प्रोत्साहन योजना- राज्य भाग				
(ii)	मूल	150.00			
			129.60	77.60	(-)52.00
	पुनर्वि०	(-)20.40			
	उपरोक्त दो मामलों में ₹ 383.83 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।				
2853-	अलौह खनन तथा धातु उद्योग-				
02-	खानों का विनियमन तथा विकास-				
102-	खनिज खोज-				
01-	खनिज अन्वेषण स्टाफ और अन्य कार्य- राज्य भाग				
	मूल	1,346.32			
			1,188.61	1,188.86	(+)0.25
	पुनर्वि०	(-)157.71			
	मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 157.71 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।				
(iv)	उपरोक्त बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-				
	शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
				(₹ लाख में)	
2851-	ग्रामीण तथा लघु उद्योग-				
102-	लघु उद्योग-				
19-	सूचना एवं प्रौद्योगिकी और ई-गवर्नैस- राज्य भाग				
	मूल	1,720.00			
	पूरक	584.98	2,517.80	2,480.35	(-)37.45
	पुनर्वि०	212.82			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-18 (समाप्त)

₹ 37.45 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 212.82 लाख का आवर्धन हिमस्वान कनेक्टिविटी शुल्क के अधिक भुगतान के कारण हुआ जोकि रिक्त पदों को न भरने तथा मशीनों व उपकरणों की कम खरीद के कारण हुई बचत से अंशतः प्रतिसंतुलित हुआ जोकि अत्यधिक सिद्ध हुआ।

₹ 37.45 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

103- हथकरघा उद्योग-

25- राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम-
राज्य भाग

मूल	80.00			
		130.00	100.00	(-)30.00
पुनर्वि०	50.00			

₹ 30.00 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 50.00 लाख का आवर्धन हिम महोत्सव मेले पर अधिक व्यय होने के कारण हुआ जोकि अत्यधिक सिद्ध हुआ।

₹ 30.00 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

पूंजीगत प्रवर्ग

(v) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य (+) बचत (-)
4851- ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय-			
101- औद्योगिक क्षेत्र-			
03- औद्योगिक भवनों का निर्माण- राज्य भाग			
(i) मूल	367.00		
		366.99	215.67
			(-)151.32
पुनर्वि०	(-)0.01		
102- लघु उद्योग-			
11- विभिन्न औद्योगिक पार्कों की स्थापना- राज्य भाग			
(ii) मूल	375.00		
		8,375.00	8,000.00
			(-)375.00
पूरक	8,000.00		

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 526.32 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

विनियोग लेखे

अनुदान संख्या-19- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता

(शीर्ष- 2059-लोक निर्माण-कार्य, 2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों एवं अल्पसंख्यकों का कल्याण, 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, 2236-पोषण, 4225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों एवं अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय, 4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय तथा 6225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों एवं अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए ऋण)

		कुल अनुदान/ विनियोजन	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य (+) बचत (-)
राजस्व प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	18,90,74,49			
		19,83,19,86	18,77,61,75	(-)1,05,58,11
पूरक	92,45,37			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)				51,56,56
प्रभारित				
मूल	..			
		56,74	30,83	(-)25,91
पूरक	56,74			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..
पूंजीगत प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	24,36,00			
		1,16,84,39	99,08,94	(-)17,75,45
पूरक	92,48,39			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)				1,00,00

टिप्पणियाँ तथा अभ्युक्तियाँ

- (i) राजस्व प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 10,558.11 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में प्राप्त ₹ 9,245.37 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ जबकि मूल अनुदान भी अप्रयुक्त रहा तथा ₹ 5,156.56 लाख का अभ्यर्पण अपर्याप्त सिद्ध हुआ।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-19 (क्रमशः)

- (ii) राजस्व प्रवर्ग के प्रभारित विनियोजन में ₹ 25.91 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में प्राप्त ₹ 56.74 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ तथा विभाग द्वारा वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
- (iii) पूंजीगत प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 1,775.45 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में प्राप्त ₹ 9,248.39 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ तथा ₹ 100.00 लाख का अभ्यर्पण अपर्याप्त सिद्ध हुआ।

राजस्व प्रवर्ग

- (iv) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य (+) बचत (-)
2059- लोक निर्माण-कार्य-			
01- कार्यालय भवन-			
053- रखरखाव तथा मरम्मत-			
67- सरकारी आंगनबाड़ी केन्द्रों की मरम्मत- राज्य भाग			
(i) मूल	13.00	13.00	.. (-)13.00
60- अन्य भवन			
053- रखरखाव तथा मरम्मत-			
02- वन स्टॉप सेंटर भवन का रखरखाव- केन्द्रीय प्रायोजित योजना			
(ii) मूल	60.00	60.00	.. (-)60.00
उपरोक्त दो मामलों में ₹ 73.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।			
2225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण-			
02- अनुसूचित जातियों का कल्याण-			
283- आवास-			
01- गैर जनजातीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए स्वर्ण जयंती आश्रय योजना- राज्य भाग			
मूल	120.00	105.75	61.50 (-)44.25
पुनर्वि०	(-)14.25		
₹ 44.25 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।			
03- पिछड़े वर्गों का कल्याण-			
001- निदेशन तथा प्रशासन-			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-19 (क्रमशः)

01-	पिछड़ा वर्ग आयोग- राज्य भाग				
	मूल	136.33			
			97.78	97.78	..
	पुनर्वि०	(-)38.55			
	मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 38.55 लाख की कमी पिछड़ा वर्ग आयोग में कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति और अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति न करने के कारण हुई।				
102-	आर्थिक विकास-				
01-	अन्य पिछड़ा वर्गों का आर्थिक विकास- राज्य भाग				
	मूल	46.00			
		
	पुनर्वि०	(-)46.00			
	मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा ₹ 46.00 लाख का समस्त प्रावधान हिमाचल प्रदेश के स्टोर नियंत्रण द्वारा अनुबंध की दरों को अंतिम रूप न दिए जाने तथा योजना के अन्तर्गत प्रस्तावों की कम प्राप्ति के कारण कम कर दिया गया।				
02-	गुज्जर, लब्बाना, गद्दी जातियों के कल्याण हेतु गठित बोर्ड- राज्य भाग				
	मूल	15.44			
		
	पुनर्वि०	(-)15.44			
	मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा ₹ 15.44 लाख का समस्त प्रावधान कल्याण बोर्ड की बैठकों का आयोजन न होने तथा कार्यालय सामग्री की खरीद पर कम व्यय होने के कारण कम कर दिया गया।				
04-	कंप्यूटर अनुप्रयोग प्रशिक्षण- राज्य भाग				
	मूल	329.00			
			245.84	62.60	(-)183.24
	पुनर्वि०	(-)83.16			
	₹ 183.24 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 83.16 लाख की कमी नये पाठ्यक्रम शुरू न होने तथा प्रवीणता प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे प्रशिक्षुओं के मध्य सत्र में सम्मिलित न होने तथा बीच में पाठ्यक्रम छोड़ देने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।				
	₹ 183.24 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।				
283-	आवास-				
01-	स्वर्ण जयंती आश्रय योजना-				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-19 (क्रमशः)

राज्य भाग				
मूल	280.00			
		257.25	152.25	(-)105.00
पुनर्वि०	(-)22.75			
₹ 105.00 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।				
<i>80- सामान्य-</i>				
190-	सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों को सहायता-			
01-	अल्पसंख्यक विकास निगम को सहायता अनुदान- केन्द्रीय प्रायोजित योजना			
मूल	400.00			
	
पुनर्वि०	(-)400.00			
मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 400.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया।				
2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-				
<i>01- पुनर्वास-</i>				
<i>202- अन्य पुनर्वास योजनाएं-</i>				
02-	कुष्ठ रोगियों का पुनर्वास			
राज्य भाग				
मूल	208.00			
		149.46	149.46	..
पुनर्वि०	(-)58.54			
मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 58.54 लाख की कमी सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए अनुरोधों की कम प्राप्ति के कारण हुई।				
05-	शराब और नशीली दवाओं के लिए रोकथाम योजना-			
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना			
मूल	2.00			
	
पुनर्वि०	(-)2.00			
मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा ₹ 2.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया।				
राज्य भाग				
मूल	63.00			
		39.38	10.43	(-)28.95
पुनर्वि०	(-)23.62			
₹ 28.95 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 23.62 लाख की कमी गैर सरकारी संगठनों से प्रस्तावों की कम प्राप्ति के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-19 (क्रमशः)

₹ 28.95 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

06-	मानसिक रोगी उपचारित हेतु पुर्नवास - राज्य भाग				
	मूल	100.00			
			87.00	48.59	(-)38.41
	पुनर्वि०	(-)13.00			

₹ 38.41 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

02-	समाज कल्याण-				
001-	निदेशन तथा प्रशासन-				
01-	निदेशालय-				
	राज्य भाग				
	मूल	220.91			
			175.99	174.47	(-)1.52
	पुनर्वि०	(-)44.92			

मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 44.92 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

101-	विकलांगों का कल्याण-				
03-	विकलांगों का उत्थान-				
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
	मूल	2.00			
		
	पुनर्वि०	(-)2.00			

मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया।

	राज्य भाग				
	मूल	619.00			
			514.87	377.08	(-)137.79
	पुनर्वि०	(-)104.13			

₹ 137.79 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 104.13 लाख की कमी गैर सरकारी संगठनों से प्रस्तावों की कम प्राप्ति के कारण हुई जोकि विशेष रूप से सक्षम बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान करने के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 137.79 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

102-	बाल कल्याण-				
01-	राज्य सामाजिक कल्याण सलाहकार बोर्ड को सहायता अनुदान-				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-19 (क्रमशः)

	राज्य भाग				
	मूल	78.75			
			24.38	24.38	..
	पुनर्वि०	(-)54.37			
	मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 54.37 लाख की कमी कर्मचारियों के रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।				
05-	एकीकृत शिशु कल्याण सेवाएं- केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
	मूल	20,248.00			
			18,636.78	18,636.78	..
	पुनर्वि०	(-)1,611.22			
	मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,611.22 लाख की कमी रिक्त पदों के न भरने, सिंगल नॉडल एजेंसी खाते में पर्याप्त निधियाँ उपलब्ध होने से प्रावधान समर्पित किए जाने तथा भारत सरकार से बीमा प्रीमियम की प्राप्ति न होने के कारण हुई जोकि आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए उपकरण और फर्नीचर की खरीद हेतु भारत सरकार से अधिक निधियाँ प्राप्त होने के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई। जबकि भारत सरकार से ₹ 24,660.99 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ था।				
	राज्य भाग				
	मूल	14,539.67			
			8,919.46	7,983.36	(-)936.10
	पुनर्वि०	(-)5,620.21			
	₹ 936.10 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 5,620.21 लाख की कमी रिक्त पदों के न भरने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।				
	₹ 936.10 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।				
13-	बेटी है अनमोल-				
	राज्य भाग				
	मूल	953.00	953.00	602.79	(-)350.21
	₹ 350.21 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।				
15-	एकीकृत शिशु संरक्षण योजना के अन्तर्गत शहरी तथा अर्ध शहरी क्षेत्रों में आवास एवं गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा संचालित शिशु घर- केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
	मूल	2,445.00			
			2,122.15	2,122.14	(-)0.01
	पुनर्वि०	(-)322.85			
	मार्च 2025 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 322.85 लाख की कमी रिक्त पदों के न भरने, जागरूकता कार्यक्रमों/गतिविधियों के कम आयोजन तथा बाह्य स्रोत कार्मिकों के पद रिक्त रहने के कारण हुई।				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-19 (क्रमशः)

राज्य भाग				
मूल	747.11			
		445.92	433.09	(-)12.83
पुनर्वि०	(-)301.19			
मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 301.19 लाख की कमी रिक्त पदों के न भरने के कारण हुई।				
18-	बाल संरक्षण राज्य आयोग-			
	राज्य भाग			
मूल	34.80			
		27.78	26.28	(-)1.50
पुनर्वि०	(-)7.02			
मार्च 2025 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 7.02 लाख की कमी प्रशिक्षण/जागरूकता कार्यक्रमों के कम आयोजन तथा हिमाचल प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के पद रिक्त रहने के कारण हुई।				
21-	राजीव गांधी राष्ट्रीय शिशु सदन योजना-			
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना			
(i)	मूल	272.00	272.00	..
				(-)272.00
	राज्य भाग			
(ii)	मूल	38.00	38.00	..
				(-)38.00
उपरोक्त दो मामलों में ₹ 310.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।				
23-	बाल पोषाहार-			
	राज्य भाग			
मूल	1,974.00	1,974.00	1,918.64	(-)55.36
₹ 55.36 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।				
24-	लडकियों की शादी के लिए अनुदान-			
	राज्य भाग			
मूल	1,976.00			
		1,486.62	898.69	(-)587.93
पुनर्वि०	(-)489.38			
₹ 587.93 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 489.38 लाख की कमी लाभार्थियों से आवेदनों की कम प्राप्ति होने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।				
₹ 587.93 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।				
103-	महिला कल्याण-			
07-	राजीव गांधी योजना के अन्तर्गत			
	किशोरियों के पोषाहार-			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-19 (क्रमशः)

	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(i)	मूल	289.00	289.00	141.01	(-)147.99
	राज्य भाग				
(ii)	मूल	30.00	30.00	15.67	(-)14.33
	उपरोक्त दो मामलों में ₹ 162.32 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।				
15-	मदर टेरेसा मातृ आश्रय संबल योजना-				
	राज्य भाग				
	मूल	658.00			
			481.42	355.36	(-)126.06
	पुनर्वि०	(-)176.58			
	₹ 126.06 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 176.58 लाख की कमी योजना के मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना में विलय के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।				
	₹ 126.06 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।				
17-	मुख्यमंत्री कन्यादान योजना-				
	राज्य भाग				
	मूल	788.00			
			695.46	387.20	(-)308.26
	पुनर्वि०	(-)92.54			
	₹ 308.26 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 92.54 लाख की कमी लाभार्थियों से प्रस्तावों की कम प्राप्ति के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।				
	₹ 308.26 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।				
19-	प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना-				
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
	मूल	1,595.00			
			1,278.75	829.74	(-)449.01
	पुनर्वि०	(-)316.25			
	₹ 449.01 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 316.25 लाख की कमी प्रशासनिक व्ययों को नई योजना महिला सशक्तिकरण केन्द्र में स्थानांतरित किए जाने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।				
	₹ 449.01 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।				
	राज्य भाग				
	मूल	177.00	177.00	92.19	(-)84.81
	₹ 84.81 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-19 (क्रमशः)

20- सशक्त महिला योजना-
राज्य भाग
मूल 66.00

पुनर्वि० (-)66.00

मार्च 2025 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 66.00 लाख का समस्त प्रावधान जागरूकता शिविरों एवं गतिविधियों के कम आयोजन के कारण कम कर दिया गया।

23- सक्षम गुडिया बोर्ड-
राज्य भाग

मूल 14.05 14.05 9.07 (-)4.98

₹ 4.98 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

31- सखी निवास-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना

(i) मूल 126.00

79.82 13.94 (-)65.88

पुनर्वि० (-)46.18

राज्य भाग

(ii) मूल 13.00

7.55 1.55 (-)6.00

पुनर्वि० (-)5.45

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 71.88 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 51.63 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति और केन्द्रीय हिस्सेदारी की कम प्राप्ति के कारण हुई; अतः राज्य की हिस्सेदारी अप्रयुक्त रही जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 71.88 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

32- महिला सशक्तिकरण केन्द्र-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना

(i) मूल 249.00

241.43 146.01 (-)95.42

पुनर्वि० (-)7.57

राज्य भाग

(ii) मूल 28.00

27.16 16.17 (-)10.99

पुनर्वि० (-)0.84

34- महिलाओं को स्वरोजगार-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-19 (क्रमशः)

	राज्य भाग				
(iii)	मूल	13.00	13.00	8.30	(-)4.70
	उपरोक्त तीन मामलों में ₹ 111.11 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)। जबकि क्रम संख्या (i) पर भारत सरकार से ₹ 25.63 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ था।				
35-	महिला विकास निगम-				
	राज्य भाग				
	मूल	30.00			
			10.00	10.00	..
	पुनर्वि०	(-)20.00			
	मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 20.00 लाख की कमी अधिकृत शेयर पूंजी में वृद्धि न होने के कारण हुई।				
104-	वृद्ध अशक्त तथा निस्सहाय व्यक्तियों का कल्याण-				
02-	मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना-				
	राज्य भाग				
	मूल	900.00			
	पूरक	756.65	1,547.71	1,410.88	(-)136.83
	पुनर्वि०	(-)108.94			
	₹ 136.83 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 108.94 लाख की कमी संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने, प्रस्तावों की कम प्राप्ति तथा गृह रक्षकों की तैनाती न होने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।				
	₹ 136.83 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।				
107-	स्वैच्छिक संगठनों को सहायता-				
02-	अन्य ऐच्छिक संस्थाओं को अनुदान-				
	राज्य भाग				
	मूल	227.36			
			35.03	35.02	(-)0.01
	पुनर्वि०	(-)192.33			
	मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 192.33 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने तथा हिमाचल प्रदेश राज्य समाज कल्याण बोर्ड को समाप्त करने के कारण हुई।				
04-	परिवार सहायता-				
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
	मूल	309.00			
			147.80	147.80	..
	पुनर्वि०	(-)161.20			
	मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 161.20 लाख की कमी लाभार्थियों तथा क्षेत्रीय कार्यालय से मांग की कम प्राप्ति के कारण हुई।				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-19 (क्रमशः)

08-	अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक मामले विभाग के अंतर्गत अन्य स्वैच्छिक संस्थाओं को अनुदान- राज्य भाग	मूल	175.00			
				250.00	173.21	(-)76.79
		पुनर्वि०	75.00			
	₹ 76.79 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 75.00 लाख का आवर्धन वृद्धाश्रम संचालित करने वाले स्वैच्छिक संगठन को अनुदान जारी करने के कारण हुआ जोकि अनावश्यक सिद्ध हुआ। ₹ 76.79 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।					
60-	अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम-					
102-	सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अन्तर्गत पेंशन-					
01-	सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अन्तर्गत वृद्धावस्था पेंशन- केन्द्रीय प्रायोजित योजना	मूल	3,094.00			
				3,004.00	3,004.00	..
		पुनर्वि०	(-)90.00			
	मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 90.00 लाख की कमी भारत डाक विभाग के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर न होने के कारण हुई। राज्य भाग					
		मूल	71,149.00			
				70,348.36	70,348.36	..
		पुनर्वि०	(-)800.64			
	मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 800.64 लाख की कमी वृद्धावस्था पेंशन के पात्र पेंशनरों/लाभार्थियों की मृत्यु होने के कारण हुई।					
03-	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना-					
	राज्य भाग	मूल	2,892.60			
				2,634.31	2,634.31	..
		पुनर्वि०	(-)258.29			
	मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 258.29 लाख की कमी विधवा पेंशन के लाभार्थियों की मृत्यु होने के कारण हुई।					
06-	सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अन्तर्गत ट्रांसजेंडर को पेंशन-					
	राज्य भाग	मूल	15.00			
				1.35	1.35	..
		पुनर्वि०	(-)13.65			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-19 (क्रमशः)

मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 13.65 लाख की कमी सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए आवेदनों की कम प्राप्ति होने के कारण हुई।

104-	निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना- सरकारी भविष्य निधि-				
01-	जमा से सम्बद्ध बीमा योजना के अन्तर्गत देय राशि-				
	राज्य भाग				
	मूल	220.00	220.00	110.13	(-)109.87

₹ 109.87 लाख की अंतिम बचत अनुमान से कम मामले प्राप्त होने के कारण हुई।

200-	अन्य कार्यक्रम-				
12-	सरकारी कर्मचारियों के परिवारों को अनुग्रहित भुगतान-				
	राज्य भाग				
	मूल	750.00			
	पूरक	50.00	799.74	738.41	(-)61.33
	पुनर्वि०	(-)0.26			

₹ 61.33 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

800-	अन्य व्यय-				
06-	वित्त विभाग के पास आरक्षित निधि के पेंशनर्स-				
	राज्य भाग				
	मूल	6,000.00			
		
	पुनर्वि०	(-)6,000.00			

मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 6,000.00 लाख का समस्त प्रावधान विभिन्न विभागों को आरक्षित निधियों का कम वितरण होने के कारण कम कर दिया गया।

(v)	उपरोक्त बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसन्तुलित हुई:-			
	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
			(₹ लाख में)	

2225-	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण-				
01-	अनुसूचित जातियों का कल्याण-				
001-	निर्देशन तथा प्रशासन-				
02-	जिला कर्मचारी-				
	राज्य भाग				
	मूल	1,593.43			
			1,694.62	1,691.21	(-)3.41
	पुनर्वि०	101.19			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-19 (क्रमशः)

मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 101.19 लाख का आवर्धन वेतन के भुगतान पर अधिक व्यय होने के कारण हुआ।

80-	सामान्य-				
800-	अन्य व्यय-				
01-	सिविल सेवा कोचिंग के लिए सहायता-				
	राज्य भाग				
	मूल	5.00			
			10.80	10.50	(-)0.30
	पुनर्वि०	5.80			

मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 5.80 लाख का आवर्धन सिविल सेवाओं के लिए कोचिंग के मामलों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ।

2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-

02-	सामाजिक कल्याण-				
101-	विकलांग व्यक्तियों का कल्याण-				
06-	विकलांगों के लिए प्रचलित योजनाओं में				
	समन्वय तथा अतिरिक्त सहायता-				
	राज्य भाग				
	मूल	57.41			
			167.74	147.08	(-)20.66
	पुनर्वि०	110.33			

₹ 20.66 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 110.33 लाख का आवर्धन ढली में विशेष बच्चों के लिए नवनिर्मित भवन के लिए पानी का कनेक्शन तथा फर्नीचर, लोहे का गेट, ग्रिलें, खिड़कियों के शीशे आदि वस्तुएँ उपलब्ध कराने के कारण हुआ जोकि अत्यधिक सिद्ध हुआ।

₹ 20.66 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

102-	बाल कल्याण-				
11-	आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं/सहायिकाओं को मानदेय-				
	राज्य भाग				
	मूल	12,241.00			
	पूरक	282.28	14,543.81	14,295.75	(-)248.06
	पुनर्वि०	2,020.53			

₹ 248.06 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2,020.53 लाख का आवर्धन आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी सहायकों के मानदेय में संशोधन होने के कारण हुआ जोकि अत्यधिक सिद्ध हुआ।

₹ 248.06 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

20- बेटे बचाओ बेटे पढ़ाओ-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-19 (क्रमशः)

	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
	मूल	1.00			
			155.00	14.33	(-)140.67
	पुनर्वि०	154.00			
	₹ 140.67 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 154.00 लाख का आवर्धन भारत सरकार से निधियों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ जोकि अत्यधिक सिद्ध हुआ।				
	₹ 140.67 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।				
34-	मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना- राज्य भाग				
	पूरक	0.01			
			176.58	3.32	(-)173.26
	पुनर्वि०	176.57			
	₹ 173.26 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 176.57 लाख का आवर्धन नई शुरू की गई योजना के अन्तर्गत अधिक व्यय होने के कारण हुआ जोकि अत्यधिक सिद्ध हुआ।				
	₹ 173.26 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।				
103-	महिला कल्याण-				
22-	पोषण अभियान-				
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(i)	मूल	2,177.00			
	पूरक	1,569.24	6,174.56	6,174.55	(-)0.01
	पुनर्वि०	2,428.32			
	राज्य भाग				
(ii)	मूल	242.00			
	पूरक	174.36	686.09	686.06	(-)0.03
	पुनर्वि०	269.73			
	उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2,698.05 लाख का आवर्धन भारत सरकार से निधियों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ तथा केन्द्रीय हिस्सेदारी की अधिक प्राप्ति होने पर राज्य की हिस्सेदारी अनुपातिक रूप से जारी की गई।				
28-	वन स्टॉप सेंटर-				
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
	पुनर्वि०	247.62	247.62	14.74	(-)232.88
	बिना मूल/अनुपूरक बजट अनुमानों के ₹ 232.88 लाख की सारभूत अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा बिना प्रावधान के ₹ 247.62 लाख का आवर्धन भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति के कारण हुआ जोकि अनुचित सिद्ध हुआ। निधियों को मूल/अनुपूरक बजट अनुमानों से प्राप्त किया जाना चाहिए था। बिना बजट प्रावधान पुनर्विनियोजन करना अनुचित था एवं हिमाचल प्रदेश के बजट नियमावली के पैरा 12.5 का उल्लंघन था।				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-19 (क्रमशः)

₹ 232.88 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

60-	अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम-			
102-	समाज सुरक्षा योजनाओं के अधीन पेंशन-			
02-	सामाजिक सुरक्षा स्कीम के अंतर्गत विधवा पेंशन-			
	राज्य भाग			
(i)	मूल	15,674.40		
			15,887.42	15,887.42
	पुनर्वि०	213.02		..
04-	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अपंग पेंशन योजना-			
	राज्य भाग			
(ii)	मूल	9,517.00		
			9,714.15	9,714.15
	पुनर्वि०	197.15		..
	उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 410.17 लाख का आवर्धन नए पेंशन मामलों की प्राप्ति और पेंशन दरों में संशोधन के कारण हुआ।			
07-	इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना-			
	राज्य भाग			
	पूरक	1,027.71		
			1,584.45	1,584.45
	पुनर्वि०	556.74		..
	मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 556.74 लाख का आवर्धन इस योजना के अन्तर्गत सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रदान करने के लिए क्षेत्रीय कार्यालय से अधिक प्रस्तावों की प्राप्ति के कारण हुआ।			
105-	सरकारी कर्मचारी बीमा योजना-			
02-	सरकारी कर्मचारियों के लिए सूचक समूह			
	व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना-			
	राज्य भाग			
	मूल	190.00	190.00	347.24
				(+)157.24

₹ 157.24 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

800-	अन्य व्यय-			
03-	सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग के पेंशनर-			
	राज्य भाग			
(i)	मूल	305.81		
			605.81	600.52
	पुनर्वि०	300.00		(-)5.29
04-	आर्थिक और सांख्यिकी विभाग के पेंशनर-			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-19 (क्रमशः)

	राज्य भाग				
(ii)	मूल	17.47			
			33.63	33.63	..
	पुनर्वि०	16.16			
05-	कोष एवं लेखा विभाग के पेंशनर- राज्य भाग				
(iii)	मूल	43.67			
			83.67	83.39	(-)0.28
	पुनर्वि०	40.00			
07-	मत्स्य विभाग के पेंशनर- राज्य भाग				
(iv)	मूल	8.73			
			31.14	31.12	(-)0.02
	पुनर्वि०	22.41			
08-	पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग के पेंशनर- राज्य भाग				
(v)	मूल	4.36			
			9.11	9.09	(-)0.02
	पुनर्वि०	4.75			
09-	सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता विभाग के पेंशनर- राज्य भाग				
(vi)	मूल	14.86			
			33.86	33.01	(-)0.85
	पुनर्वि०	19.00			
10-	नगर एवं ग्राम योजना विभाग के पेंशनर- राज्य भाग				
(vii)	मूल	6.11			
			11.44	11.40	(-)0.04
	पुनर्वि०	5.33			
11-	तकनीकी शिक्षा विभाग के पेंशनर- राज्य भाग				
(viii)	मूल	38.45			
			86.45	86.12	(-)0.33
	पुनर्वि०	48.00			
12-	कृषि विभाग के पेंशनर-				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-19 (क्रमशः)

	राज्य भाग				
(ix)	मूल	104.84			
			259.84	259.39	(-)0.45
	पुनर्वि०	155.00			
13-	मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग के पेंशनर-राज्य भाग				
(x)	मूल	12.22			
			67.22	67.22	..
	पुनर्वि०	55.00			
14-	उद्यानप विभाग के पेंशनर-राज्य भाग				
(xi)	मूल	31.46			
			119.87	118.87	(-)1.00
	पुनर्वि०	88.41			
15-	पशुपालन विभाग के पेंशनर-राज्य भाग				
(xii)	मूल	104.84			
			289.84	288.74	(-)1.10
	पुनर्वि०	185.00			
16-	उद्योग विभाग के पेंशनर-राज्य भाग				
(xiii)	मूल	27.95			
			67.95	67.48	(-)0.47
	पुनर्वि०	40.00			
17-	खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के पेंशनर-राज्य भाग				
(xiv)	मूल	31.46			
			70.51	70.51	..
	पुनर्वि०	39.05			
18-	परिवहन विभाग के पेंशनर-राज्य भाग				
(xv)	मूल	61.15			
			91.15	91.12	(-)0.03
	पुनर्वि०	30.00			
19-	उपभोक्ता फॉर्म के पेंशनर-				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-19 (क्रमशः)

	राज्य भाग				
(xvi)	मूल	0.18			
	पुनर्वि०		3.58	3.58	..
		3.40			
20-	जेल विभाग के पेंशनर- राज्य भाग				
(xvii)	मूल	10.49			
	पुनर्वि०		18.49	18.49	..
		8.00			
21-	गृह रक्षा विभाग के पेंशनर- राज्य भाग				
(xviii)	मूल	13.98			
	पुनर्वि०		46.98	46.92	(-)0.06
		33.00			
22-	सैनिक कल्याण विभाग हमीरपुर के पेंशनर- राज्य भाग				
(xix)	मूल	0.87			
	पुनर्वि०		4.87	4.83	(-)0.04
		4.00			
23-	लोक संपर्क विभाग के पेंशनर- राज्य भाग				
(xx)	मूल	26.21			
	पुनर्वि०		49.21	49.21	..
		23.00			
24-	हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान के पेंशनर- राज्य भाग				
(xxi)	मूल	1.74			
	पुनर्वि०		6.41	6.40	(-)0.01
		4.67			
26-	ग्रामीण विकास विभाग के पेंशनर- राज्य भाग				
(xxii)	मूल	78.63			
	पुनर्वि०		138.63	131.92	(-)6.71
		60.00			
27-	सचिवालय प्रशासन विभाग के पेंशनर-				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-19 (क्रमशः)

	राज्य भाग				
(xxiii)	मूल	174.75			
			395.99	395.99	..
	पुनर्वि०	221.24			
28-	हिमाचल प्रदेश आवासीय आयुक्त, नई दिल्ली के पेंशनर- राज्य भाग				
(xxiv)	मूल	2.61			
			11.11	11.03	(-)0.08
	पुनर्वि०	8.50			
29-	पंचायती राज विभाग के पेंशनर- राज्य भाग				
(xxv)	मूल	34.94			
			62.94	62.53	(-)0.41
	पुनर्वि०	28.00			
30-	भाषा, कला एवं संस्कृति विभाग के पेंशनर- राज्य भाग				
(xxvi)	मूल	2.78			
			21.78	21.78	..
	पुनर्वि०	19.00			
31-	पुलिस विभाग के पेंशनर- राज्य भाग				
(xxvii)	मूल	262.13			
	पूरक	406.59	762.13	762.06	(-)0.07
	पुनर्वि०	93.41			
32-	विधानसभा के पेंशनर- राज्य भाग				
(xxviii)	मूल	89.25			
			119.25	118.22	(-)1.03
	पुनर्वि०	30.00			
33-	माध्यमिक उच्चतर शिक्षा विभाग के पेंशनर- राज्य भाग				
(xxix)	मूल	655.35			
			1,705.35	1,676.81	(-)28.54
	पुनर्वि०	1,050.00			
34-	आयुर्वेद विभाग के पेंशनर-				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-19 (क्रमशः)

राज्य भाग					
(xxx)	मूल	34.94			
			166.34	159.43	(-)6.91
	पुनर्वि०	131.40			
35-	स्वास्थ्य विभाग के पेंशनर- राज्य भाग				
(xxxix)	मूल	306.99			
			680.43	672.02	(-)8.41
	पुनर्वि०	373.44			
36-	निर्वाचन विभाग के पेंशनर- राज्य भाग				
(xxxix)	मूल	5.76			
			25.76	25.61	(-)0.15
	पुनर्वि०	20.00			
37-	राज्यपाल सचिवालय के पेंशनर- राज्य भाग				
(xxxix)	मूल	6.11			
			20.11	20.11	..
	पुनर्वि०	14.00			
38-	उच्च न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालयों के पेंशनर- राज्य भाग				
(xxxix)	मूल	78.63			
			272.28	272.28	..
	पुनर्वि०	193.65			
39-	लोक सेवा आयोग के पेंशनर- राज्य भाग				
(xxxix)	मूल	6.97			
			34.97	34.96	(-)0.01
	पुनर्वि०	28.00			
42-	श्रम एवं रोजगार विभाग के पेंशनर- राज्य भाग				
(xxxix)	मूल	22.70			
			49.70	49.54	(-)0.16
	पुनर्वि०	27.00			
43-	स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग के पेंशनर- राज्य भाग				
(xxxix)	मूल	1.74			
			13.24	13.24	..
	पुनर्वि०	11.50			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-19 (क्रमशः)

44-	भू एकत्रीकरण के पेंशनर- राज्य भाग				
(xxxviii)	मूल	12.22			
			42.22	42.21	(-)0.01
	पुनर्वि०	30.00			
47-	अग्निशमन विभाग के पेंशनर- राज्य भाग				
(xxxix)	मूल	5.23			
			35.23	35.23	..
	पुनर्वि०	30.00			
48-	अभियोजन विभाग के पेंशनर- राज्य भाग				
(xL)	मूल	19.22			
			79.22	79.22	..
	पुनर्वि०	60.00			
49-	आबकारी एवं कराधान विभाग के पेंशनर- राज्य भाग				
(xLi)	मूल	34.94			
			137.84	137.43	(-)0.41
	पुनर्वि०	102.90			
50-	सहकारिता विभाग के पेंशनर- राज्य भाग				
(xLii)	मूल	61.15			
			106.39	106.36	(-)0.03
	पुनर्वि०	45.24			
51-	चिकित्सा शिक्षा के पेंशनर- राज्य भाग				
(xLiii)	मूल	54.16			
			202.34	200.88	(-)1.46
	पुनर्वि०	148.18			
53-	आतिथ्य सत्कार संगठन के पेंशनर- राज्य भाग				
(xLiv)	मूल	2.60			
			4.78	4.78	..
	पुनर्वि०	2.18			
54-	संपदा अधिकारी के पेंशनर- राज्य भाग				
(xLv)	मूल	0.87			
			3.27	3.27	..
	पुनर्वि०	2.40			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-19 (क्रमशः)

58-	आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ के पेंशनर- राज्य भाग				
(xLvi)	मूल	0.87			
			3.59	3.53	(-)0.06
	पुनर्वि०	2.72			
59-	लोकायुक्त के पेंशनर- राज्य भाग				
(xLvii)	मूल	0.87			
			3.42	3.37	(-)0.05
	पुनर्वि०	2.55			
60-	महाधिवक्ता के पेंशनर- राज्य भाग				
(xLviii)	मूल	1.74			
			9.74	9.74	..
	पुनर्वि०	8.00			
62-	खेल एवं युवा सेवाओं विभाग के पेंशनर- राज्य भाग				
(xLix)	मूल	1.41			
			3.41	3.32	(-)0.09
	पुनर्वि०	2.00			
63-	जनजातीय विकास के पेंशनर- राज्य भाग				
(L)	मूल	0.35			
			4.10	4.05	(-)0.05
	पुनर्वि०	3.75			
65-	बंदोबस्त अधिकारी, शिमला के पेंशनर- राज्य भाग				
(Li)	मूल	8.74			
			39.28	39.28	..
	पुनर्वि०	30.54			
66-	लघु बचत संगठन के पेंशनर- राज्य भाग				
(Lii)	मूल	0.87			
			5.87	5.87	..
	पुनर्वि०	5.00			
67-	योजना विभाग के पेंशनर- राज्य भाग				
(Liii)	मूल	1.74			
			26.74	26.37	(-)0.37
	पुनर्वि०	25.00			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-19 (क्रमशः)

68-	सामान्य प्रशासनिक विभाग के पेंशनर- राज्य भाग				
(Liv)	मूल	8.74			
			11.49	11.49	..
	पुनर्वि०	2.75			
69-	राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो के पेंशनर- राज्य भाग				
(Lv)	मूल	20.97			
			42.47	42.46	(-)0.01
	पुनर्वि०	21.50			
70-	राज्य निर्वाचन आयोग के पेंशनर- राज्य भाग				
(Lvi)	मूल	0.54			
			5.54	5.54	..
	पुनर्वि०	5.00			
71-	वन विभाग के पेंशनर- राज्य भाग				
(Lvii)	मूल	262.13			
			562.13	560.30	(-)1.83
	पुनर्वि०	300.00			
73-	प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के पेंशनर- राज्य भाग				
(Lviii)	मूल	576.68			
			1,547.63	1,527.83	(-)19.80
	पुनर्वि०	970.95			
78-	लोक निर्माण विभाग के पेंशनर- राज्य भाग				
(Lix)	मूल	314.56			
			823.56	801.04	(-)22.52
	पुनर्वि०	509.00			
81-	न्यायिक अकादमी के पेंशनर- राज्य भाग				
(Lx)	मूल	0.87			
			4.87	4.87	..
	पुनर्वि०	4.00			
83-	राजस्व विभाग-				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-19 (क्रमशः)

राज्य भाग				
(Lxi)	मूल	111.50		
			252.77	247.53
				(-)5.24
	पुनर्वि०	141.27		
86-	महिला एवं बाल विकास विभाग के पेंशनर- राज्य भाग			
(Lxii)	मूल	8.74		
			103.74	96.86
				(-)6.88
	पुनर्वि०	95.00		

उपरोक्त बासठ मामलों में मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 5,983.25 लाख का आवर्धन चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ।

(vi) प्रभारित विनियोजन में बचत निम्नवत् शीर्ष के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल विनियोजन	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य (+) बचत (-)
-------	--------------	---------------------------------	-----------------------

**2225- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े
वर्गों एवं अल्पसंख्यकों का कल्याण-**

01-	अनुसूचित जातियों का कल्याण-			
001-	निदेशन तथा प्रशासन-			
02-	जिला कर्मचारी-			
	राज्य भाग			
	पूरक	56.74	56.74	16.24
				(-)40.50

₹ 40.50 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

(vii) उपरोक्त बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्ष के अन्तर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-

शीर्ष	कुल विनियोजन	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य (+) बचत (-)
-------	--------------	---------------------------------	-----------------------

2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-

02-	समाज कल्याण-			
102-	बाल कल्याण-			
05-	एकीकृत शिशु कल्याण सेवाएं-			
	राज्य भाग			
	14.59	(+)14.59

₹ 14.59 लाख का व्यय बजट विनियोजन के बिना हुआ; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-19 (क्रमशः)

पूंजीगत प्रवर्ग

(viii) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य (+) बचत (-)
4225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों एवं अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-			
03- पिछड़े वर्गों का कल्याण-			
190- सार्वजनिक क्षेत्रों तथा अन्य उपक्रमों में निवेश-			
01- हिमाचल पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक एवं महिला वित्त विकास निगम में निवेश- राज्य भाग	मूल 250.00
	पुनर्वि० (-)250.00
मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 250.00 लाख का समस्त प्रावधान निगमों से प्रस्तावों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया।			
277- शिक्षा-			
02- अन्य पिछड़ा वर्ग के लड़के/लड़कियों के लिए छात्रावास का निर्माण- केन्द्रीय प्रायोजित योजना	(i) मूल 4.00
	पुनर्वि० (-)4.00
राज्य भाग			
(ii) मूल 2.00
	पुनर्वि० (-)2.00
4235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-			
02- समाज कल्याण-			
102- बाल कल्याण-			
05- भवनों का निर्माण- केन्द्रीय प्रायोजित योजना	(iii) मूल 342.00
	पुनर्वि० (-)342.00

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-19 (क्रमशः)

उपरोक्त तीन मामलों में मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 348.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया; अतः राज्य का हिस्सा अप्रयुक्त रहा।

103-	महिला कल्याण-				
01-	वन स्टॉप सेंटर-				
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
	मूल	60.00	60.00	47.22	(-)12.78

₹ 12.78 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

104-	वृद्ध, अशक्त तथा निरसहाय				
	व्यक्तियों का कल्याण-				
01-	सुख आश्रय भवन का निर्माण-				
	राज्य भाग				
	मूल	1,645.00	1,645.00	..	(-)1,645.00

₹ 1,645.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

190-	सार्वजनिक क्षेत्रों तथा अन्य				
	उपक्रमों में निवेश-				
02-	महिला विकास निगम-				
	राज्य भाग				
	मूल	100.00			
		
	पुनर्वि०	(-)100.00			

मार्च 2025 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 100.00 लाख का समस्त प्रावधान अधिकृत अंश पूंजी में वृद्धि न होने के कारण कम कर दिया गया।

6225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों,
अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के
कल्याण के लिए ऋण-

01-	अनुसूचित जातियों का कल्याण-				
190-	सार्वजनिक क्षेत्रों तथा अन्य उपक्रमों को ऋण-				
01-	आई.आर.डी.पी. परिवारों के बच्चों को उच्च				
	शिक्षा के लिए ब्याज मुक्त ऋण-				
	राज्य भाग				
	मूल	4.00			
		
	पुनर्वि०	(-)4.00			

मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 4.00 लाख का समस्त प्रावधान योजना के अंतर्गत प्रस्तावों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-19 (समाप्त)

(ix) उपरोक्त बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-
शीर्ष कुल अनुदान वास्तविक व्यय आधिक्य (+) बचत (-)
(₹ लाख में)

4225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों एवं अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-

80- सामान्य-

800- अन्य व्यय-

01- भवनों का निर्माण-

राज्य भाग

मूल 1.00

पूरक 536.39

1,101.00

1,100.00

(-)1.00

पुनर्वि० 563.61

मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 563.61 लाख का आवर्धन कंडाघाट में उत्कृष्टता केंद्र तथा कोटला भरोग में आर्ट मॉडल नशा मुक्ति केन्द्र के निर्माण के कारण हुआ।

4235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-

02- समाज कल्याण-

102- बाल कल्याण-

03- विशेष बच्चों के लिए आवासीय संस्थान-

राज्य भाग

मूल 1.00

42.39

25.72

(-)16.67

पुनर्वि० 41.39

₹ 16.67 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 41.39 का आवर्धन हीरानगर, शिमला में विशेष बच्चों के लिए भवन का निर्माण कार्य पूरा होने के कारण हुआ जोकि अत्यधिक सिद्ध हुआ।

₹ 16.67 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-20- ग्रामीण विकास

(शीर्ष 2216-आवास, 2230- श्रम, रोजगार तथा कौशल विकास, 2501- ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम, 2505- ग्रामीण रोजगार, 2515- अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम, 4216- आवास पर पूंजीगत परिव्यय तथा 4515- अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम पर पूंजीगत परिव्यय)

		कुल अनुदान/ विनियोजन	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य (+) बचत (-)
राजस्व प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	17,38,02,84			
		21,59,74,88	18,67,21,41	(-)2,92,53,47
पूरक	4,21,72,04			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..
प्रभारित				
मूल	..			
		13,70	13,70	..
पूरक	13,70			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..
पूंजीगत प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	13,65,00			
		13,65,00	11,54,00	(-)2,11,00
पूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..

टिप्पणियाँ तथा अभ्यक्तियाँ

- (i) राजस्व प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 29,253.47 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में प्राप्त ₹ 42,172.04 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ तथा वर्ष के दौरान विभाग द्वारा कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
- (ii) पूंजीगत प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में कुल ₹ 211.00 लाख की बचत हुई लेकिन विभाग द्वारा वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

राजस्व प्रवर्ग

- (iii) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य (+) बचत (-)
-------	------------	---------------------------------	-----------------------

2216- आवास-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-20 (क्रमशः)

03-	<i>ग्रामीण आवास-</i>				
102-	भूमिहीनों के लिए आवास स्थल की व्यवस्था-				
04-	मुख्यमंत्री आवास योजना- राज्य भाग				
(i)	मूल	658.00	658.00	427.43	(-)230.57
2501-	ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम-				
02-	<i>सूखा ग्रस्त क्षेत्रों का विकास कार्यक्रम-</i>				
101-	लघु सिंचाई-				
01-	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना- केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(ii)	मूल	1,777.00			
			2,336.00	1,536.00	(-)800.00
	पूरक	559.00			
06-	<i>स्वरोजगार कार्यक्रम-</i>				
101-	स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना-				
03-	जिला ग्रामीण विकास अभिकरण- राज्य भाग				
(iii)	मूल	1,400.00	1,400.00	755.19	(-)644.81
05-	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजना- केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(iv)	मूल	5,923.00	5,923.00	4,646.44	(-)1,276.56
	राज्य भाग				
(v)	मूल	658.00	658.00	516.27	(-)141.73
	उपरोक्त पाँच मामलों में ₹ 3,093.67 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)। जबकि भारत सरकार से क्रम संख्या (iv) में ₹ 8,511.14 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ था।				
07-	दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना- केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(i)	मूल	9,872.00			
			1,733.00	1,152.08	(-)580.92
	पुनर्वि०	(-)8,139.00			
	राज्य भाग				
(ii)	मूल	1,097.00			
			218.63	130.64	(-)87.99
	पुनर्वि०	(-)878.37			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-20 (क्रमशः)

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 668.91 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 9,017.37 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति के कारण हुई; अतः राज्य की हिस्सेदारी अप्रयुक्त रही जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 668.91 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

13- स्टार्ट अप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना

(i) मूल	1.00			
		444.44	300.00	(-)144.44

पूरक 443.44

राज्य भाग

(ii) मूल	1.00			
		49.38	33.33	(-)16.05

पूरक 48.38

14- महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना

(iii) मूल	1.00			
		245.00	52.43	(-)192.57

पूरक 244.00

राज्य भाग

(iv) मूल	1.00			
		27.22	5.83	(-)21.39

पूरक 26.22

उपरोक्त चार मामलों में ₹ 374.45 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

15- मुख्यमंत्री लघु दुकानदार कल्याण योजना-
राज्य भाग

पूरक	553.21	553.21	..	(-)553.21
------	--------	--------	----	-----------

अनुपूरक अनुदान द्वारा प्राप्त ₹ 553.21 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

800- अन्य व्यय-

03- मातृ शक्ति बीमा योजना-
राज्य भाग

मूल 217.00

		131.99	49.00	(-)82.99
--	--	--------	-------	----------

पुनर्वि0 (-)85.01

₹ 82.99 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 85.01 लाख की कमी योजना के तहत प्रस्तावों की कम प्राप्ति के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 82.99 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-20 (क्रमशः)

07-	बालिका गौरव पुरस्कार योजना- राज्य भाग				
	मूल	99.00			
	पुनर्वि०	(-)99.00			
	मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 99.00 लाख का समस्त प्रावधान योजना के तहत व्यय न होने के कारण कम कर दिया गया।				
09-	स्वर्ण जयंती स्वयं सहायता समूह सहयोग योजना- राज्य भाग				
	मूल	329.00			
	पुनर्वि०	(-)329.00			
	मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 329.00 लाख का समस्त प्रावधान योजना के अंतर्गत दिशा-निर्देशों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण कम कर दिया गया।				
11-	ग्रामीण स्वरोजगार- केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
	मूल	242.00			
	पूरक	1,158.00	1,400.00		(-)1,400.00
	₹ 1,400.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।				
2505-	ग्रामीण रोजगार-				
01-	राष्ट्रीय कार्यक्रम-				
702-	जवाहर ग्राम समृद्धि योजना-				
06-	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) - राज्य भाग				
	मूल	2,567.00			
	पुनर्वि०	(-)2,567.00			
	मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,567.00 लाख का समस्त प्रावधान योजना के अंतर्गत लाभार्थियों द्वारा दावों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया।				
02-	ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम-				
101-	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम-				
01-	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम (मनरेगा)-				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-20 (क्रमशः)

केन्द्रीय प्रायोजित योजना					
मूल	32,535.00				
		37,484.92	29,206.21		(-)8,278.71
पूरक	4,949.92				
₹ 8,278.71 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)। जबकि भारत सरकार से ₹ 41,358.25 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ था।					
2515-	अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-				
101-	पंचायती राज-				
01-	पंचायती राज (विभाग)-				
	राज्य भाग				
मूल	3,424.98				
पूरक	37.50	3,079.81	3,031.16		(-)48.65
पुनर्वि०	(-)382.67				
₹ 48.65 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 382.67 लाख की कमी मंहगाई भत्ते का भुगतान न करने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।					
₹ 48.65 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।					
02-	पंचायती राज संस्थाओं को सहायता-				
	राज्य भाग				
मूल	82.01	82.01	39.82		(-)42.19
₹ 42.19 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।					
10-	पंचायती राज एक्ट के अंतर्गत खनिजों पर				
	रॉयल्टी के बदले सहायता अनुदान-				
	राज्य भाग				
(i)	मूल	0.01			
			266.71	12.82	(-)253.89
	पूरक	266.70			
15-	राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान-				
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(ii)	मूल	1,271.00			
			3,813.00	1,821.00	(-)1,992.00
	पूरक	2,542.00			
	राज्य भाग				
(iii)	मूल	141.00			
			423.00	202.33	(-)220.67
	पूरक	282.00			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-20 (क्रमशः)

उपरोक्त तीन मामलों में ₹ 2,466.56 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)। जबकि भारत सरकार से क्रम संख्या (ii) पर ₹ 1,821.00 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ था।

102-	सामुदायिक विकास-				
01-	ग्रामीण विकास विभाग-				
	राज्य भाग				
	मूल	9,503.40			
	पूरक	190.56	9,002.22	8,349.44	(-)652.78
	पुनर्वि०	(-)691.74			

₹ 652.78 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 691.74 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 652.78 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

14-	ग्राम सेवक कुटीर तथा आवास निर्माण /नवीनीकरण				
	राज्य भाग				
(i)	मूल	263.00	263.00	215.25	(-)47.75
16-	कार्यालय भवन/भण्डार निर्माण/नवीनीकरण-				
	राज्य भाग				

(ii)	मूल	658.00	658.00	486.83	(-)171.17
------	-----	--------	--------	--------	-----------

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 218.92 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

18-	महिला मंडलों को प्रोत्साहन अनुदान				
	(उत्पादन गतिविधियां)-				
	राज्य भाग				
(i)	मूल	50.00			
			450.00	..	(-)450.00
	पूरक	400.00			

20-	शौचालय योजना के अंतर्गत राज्य प्रोत्साहन-				
	राज्य भाग				
(ii)	मूल	79.00	79.00	..	(-)79.00

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 529.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

23-	स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)-				
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
	मूल	2,961.00			
			1,084.87	1,084.87	..
	पुनर्वि०	(-)1,876.13			

मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,876.13 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति के कारण हुई। जबकि भारत सरकार से ₹ 532.63 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ था।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-20 (क्रमशः)

राज्य भाग				
मूल	329.00			
		120.57	120.54	(-)0.03
पुनर्वि०	(-)208.43			
मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 208.43 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति के कारण हुई; अतः राज्य की हिस्सेदारी अप्रयुक्त रही।				
196- जिला परिषदों को सहायता-				
04- पांचवें राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत जिला परिषदों को अनुदान-				
राज्य भाग				
मूल	22,339.16			
		19,071.64	18,353.08	(-)718.56
पुनर्वि०	(-)3,267.52			
₹ 718.56 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 3,267.52 लाख की कमी मंहगाई भत्ते के बकाया का भुगतान न होने तथा नवसृजित ग्राम पंचायत के रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।				
₹ 718.56 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।				
08- 15वीं वित्त आयोग के अंतर्गत जिला परिषदों को स्वास्थ्य क्षेत्र अनुदान-				
राज्य भाग				
मूल	1,528.80	1,528.80	453.00	(-)1,075.80
₹ 1,075.80 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।				
197- पंचायत समितियों को सहायता-				
08- 15वीं वित्त आयोग के तहत ग्राम पंचायत को स्वास्थ्य सहायता-				
राज्य भाग				
(i) मूल	1,528.79	1,528.79	..	(-)1,528.79
198- ग्राम पंचायतों को सहायता-				
07- पंद्रहवीं वित्त आयोग के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों को स्वास्थ्य क्षेत्र अनुदान-				
राज्य भाग				
(ii) मूल	7,134.00	7,134.40	..	(-)7,134.00
उपरोक्त दो मामलों में ₹ 8,663.19 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।				
(iv) उपरोक्त बचत मुख्यत निम्नवत शीर्षों के अन्तर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसन्तुलित हुई:-				
शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
				(₹ लाख में)

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-20 (क्रमशः)

03-	ग्रामीण आवास-			
102-	भूमिहीनों के लिए आवास स्थल की व्यवस्था-			
07-	प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)-			
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना			
	मूल	11,549.00		
	पूरक	3,050.58	28,384.00	28,384.00 ..
	पुनर्वि०	13,784.42		
	मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 13,784.42 लाख का आवर्धन भारत सरकार द्वारा अधिक निधियाँ जारी करने के कारण हुआ। जबकि भारत सरकार से ₹ 42,718.38 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ था।			
2501-	ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम-			
02-	सुखाग्रस्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम-			
101-	लघु सिंचाई-			
01-	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-			
	राज्य भाग			
	मूल	197.00		
	पूरक	62.56	1,363.91	1,275.02 (-)88.89
	पुनर्वि०	1,104.35		
	₹ 88.89 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,104.35 लाख का आवर्धन पूर्ववर्ती वाटरशेड विकास परियोजना (प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 1.0) की बकाया वित्तीय देनदारियों के भुगतान के कारण हुआ जोकि अत्यधिक सिद्ध हुआ।			
	₹ 88.89 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।			
2515-	अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-			
196-	जिला परिषदों को सहायता-			
06-	केन्द्रीय वित्तियोग के अंतर्गत जिला परिषदों को बुनियादी अनुदान-			
	राज्य भाग			
	मूल	1,995.76		
	पूरक	543.07	2,948.30	2,948.30 ..
	पुनर्वि०	409.47		
	मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 409.47 लाख का आवर्धन भारत सरकार द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए 15वें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित अनुदान की किस्त जारी करने के कारण हुआ।			
197-	पंचायत समितियों को सहायता-			
04-	पाँचवें राज्य वित्तियोग के अंतर्गत			
	पंचायत समितियों को अनुदान-			
	राज्य भाग			
	मूल	885.19		
			1,146.72	1,113.35 (-)33.37
	पुनर्वि०	261.53		

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-20 (क्रमशः)

₹ 33.37 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 261.53 लाख का आवर्धन पंचायत समिति के निर्वाचित प्रतिनिधियों के मानदेय में वृद्धि के कारण हुआ जोकि अत्यधिक सिद्ध हुआ।

₹ 33.37 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

198- ग्राम पंचायतों को सहायता-

04- पाँचवे राज्य वित्तियोग के अंतर्गत ग्राम पंचायतों को अनुदान-
राज्य भाग

मूल 10,296.51

13,302.50

13,048.78

(-)253.72

पुनर्वि० 3,005.99

₹ 253.72 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 3,005.99 लाख का आवर्धन पंचायती राज संस्थान के निर्वाचित प्रतिनिधियों के मानदेय तथा कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि के कारण हुआ जोकि अत्यधिक सिद्ध हुआ।

₹ 253.72 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

पूंजीगत प्रवर्ग

(v) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
		(₹ लाख में)	

4216- आवास पर पूंजीगत परिव्यय-

02- शहरी आवास-

800- अन्य व्यय-

01- जिला पंचायत अधिकारी/प्रधानाचार्य
प्रशिक्षण संस्थान एवं अन्य कर्मचारियों
के रिहायशी भवन का निर्माण-
राज्य भाग

(i) मूल 100.00 100.00 .. (-)100.00

03- ग्रामीण आवास-

800- अन्य व्यय-

01- पंचायत निरीक्षक/उप निरीक्षक के रिहायशी भवन का निर्माण-
राज्य भाग

(ii) मूल 50.00 50.00 .. (-)50.00

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 150.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

4515- अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम पर पूंजीगत परिव्यय-

101- पंचायती राज-

01- भवन-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-20 (समाप्त)

	राज्य भाग				
(i)	मूल	1,176.00	1,176.00	1,131.00	(-)45.00
103-	ग्रामीण विकास-				
02-	मुख्यमंत्री लोक भवन-				
	राज्य भाग				
(ii)	मूल	39.00	39.00	23.00	(-)16.00

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 61.00 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-21- सहकारिता

(शीर्ष- 2059-लोक निर्माण-कार्य, 2425-सहकारिता तथा 6425-सहकारिता हेतु ऋण)

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य (+) बचत (-)
राजस्व प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	48,00,76			
		48,00,81	46,56,72	(-)1,44,09
पूरक	5			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)				6,36
पूंजीगत प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	2,00			
		2,00	..	(-)2,00
पूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)				2,00

टिप्पणियाँ तथा अभ्युक्तियाँ

- (i) राजस्व प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 144.09 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से ₹ 6.36 लाख का अभ्यर्पण अपर्याप्त सिद्ध हुआ।

राजस्व प्रवर्ग

- (ii) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य (+) बचत (-)
2425- सहकारिता-				
001- निदेशन तथा प्रशासन-				
02- जिला कर्मचारी वर्ग-				
राज्य भाग				
मूल	2,333.96			
		2,202.30	2,170.06	(-)32.24
पुनर्वि0	(-)131.66			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-21 (क्रमशः)

₹ 32.24 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 131.66 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण, यात्रा व्यय दावों व चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति तथा दैनिक वेतन भोगियों के नियमतीकरण के कारण हुई जोकि संपत्ति कर बिलों की अधिक प्राप्ति होने के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 32.24 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

101- सहकारी समितियों की लेखा परीक्षा-

01- अंकेक्षण कर्मचारी वर्ग-

राज्य भाग

मूल 1,236.50

1,087.54

1,068.64

(-)18.90

पुनर्वि० (-)148.96

मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 148.96 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने तथा यात्रा व्यय दावों की कम प्राप्ति होने के कारण हुई।

107- ऋण सहकारी समितियों को सहायता-

08- प्राथमिक कृषि ऋण समितियों का कम्प्यूटरीकरण-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

मूल 750.00

750.00

675.00

(-)75.00

₹ 75.00 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

(iii) उपरोक्त बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
		(₹ लाख में)	

2425- सहकारिता-

003- प्रशिक्षण-

01- हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी विपणन एवं

उपभोक्ता संघ लिमिटेड प्रशिक्षण केंद्र-

राज्य भाग

मूल 1.00

167.00

167.00

..

पुनर्वि० 166.00

मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 166.00 लाख का आवर्धन कर्मचारियों के वेतन पर अधिक व्यय होने के कारण हुआ।

107- ऋण सहकारी समितियों को सहायता-

09- पंजीयक सहकारी सभाएं कार्यालय के

कम्प्यूटरीकरण हेतु सहायता-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-21 (समाप्त)

	केन्द्रीय प्रायोजित योजना			
(i)	पूरक	0.02		
			35.76	35.75
				(-)0.01
	पुनर्वि०	35.74		
	राज्य भाग			
(ii)	पूरक	0.01		
			3.97	3.97
				..
	पुनर्वि०	3.96		
10-	कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (ए.आर.डी.बी) के कम्प्यूटरीकरण हेतु सहायता- केन्द्रीय प्रायोजित योजना			
(iii)	पूरक	0.01		
			56.09	56.09
				..
	पुनर्वि०	56.08		
	राज्य भाग			
(iv)	पूरक	0.01		
			6.23	6.23
				..
	पुनर्वि०	6.22		

उपरोक्त चार मामलों में मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 102.00 लाख का आवर्धन भारत सरकार से निधियों की अधिक प्राप्ति तथा उसी अनुपात में राज्य की हिस्सेदारी जारी करने के कारण हुआ।

विनियोग लेखे

अनुदान संख्या-22- खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति

(शीर्ष- 2059-लोक निर्माण-कार्य, 2236-पोषण, 2408- खाद्यान भंडारण तथा भांडागार, 3456-नागरिक आपूर्ति, 3475- अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं, 4408- खाद्यान भंडारण तथा भांडागार पर पूंजीगत परिव्यय तथा 5475- अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य (+) बचत (-)
राजस्व प्रवर्ग			
दत्तमत			
मूल	1,21,69,95		
पूरक	58,31,07	1,80,01,02	1,23,73,26
			(-)56,27,76
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)			1,39,15
पूंजीगत प्रवर्ग			
दत्तमत			
मूल	10,00		
पूरक	..	10,00	8,71
			(-)1,29
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)			1,29

टिप्पणियाँ तथा अभ्युक्तियाँ

- (i) राजस्व प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 5,627.76 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में प्राप्त ₹ 5,831.07 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ तथा ₹ 139.15 लाख का अभ्यर्पण अपर्याप्त सिद्ध हुआ।

राजस्व प्रवर्ग

- (ii) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य (+) बचत (-)
2408- खाद्य भंडारण तथा भण्डागार-			
01- खाद्य-			
001- निदेशन तथा प्रशासन-			
02- जिला फोरम के कर्मचारी वर्ग- राज्य भाग			
मूल	870.08		
पूरक	0.02	862.55	824.48
पुनर्वि0	(-)7.55		(-)38.07

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-22 (क्रमशः)

₹ 38.07 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

03- राज्य खाद्य आयोग-
राज्य भाग

मूल	61.17			
		45.44	44.96	(-)0.48
पुनर्वि०	(-)15.73			

मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 15.73 लाख की कमी कार्यालय परिसर को निजी परिसर से सरकारी परिसर में स्थानांतरण करने, रिक्त पदों को न भरने तथा बाह्य स्रोत कर्मचारियों पर कम व्यय होने के कारण हुई।

102- खाद्य सहायता-

11- उपदान पर दालें, गेहूं, चावल, तेल
और आयोडीन युक्त नमक की खरीद-
राज्य भाग

मूल	5,686.00	5,686.00	1,253.34	(-)4,432.66
-----	----------	----------	----------	-------------

₹ 4,432.66 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

12- चीनी की खरीद-
राज्य भाग

मूल	2,234.00			
पूरक	2,591.30	4,866.40	3,866.17	(-)1,000.23
पुनर्वि०	41.10			

₹ 1,000.23 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 41.10 लाख का आवर्धन चीनी पर उपदान की देनदारी को पूरा करने के कारण हुआ जोकि अनावश्यक सिद्ध हुआ।

₹ 1,000.23 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

13- गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों
को गेहूं और चावल पर उपदान-
राज्य भाग

मूल	1,086.00			
		983.70	983.70	..
पुनर्वि०	(-)102.30			

मार्च 2025 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 102.30 लाख की कमी उपदान बिलों की प्राप्ति न होने के कारण हुई।

3456- नागरिक आपूर्ति-

001- निदेशन और प्रशासन-
04- उपभोक्ता जागरूकता-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-22 (क्रमशः)

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

मूल 18.00

..

पुनर्वि० (-)18.00

मार्च 2025 में ₹ 18.00 लाख के समस्त प्रावधान को अभ्यर्पण द्वारा भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया।

राज्य भाग

मूल 20.00

220.00 216.00 (-)4.00

पूरक 200.00

₹ 4.00 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

05- लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कम्प्यूटरीकरण-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना

मूल 2.00

पूरक 23.27

23.27

23.27

..

पुनर्वि० (-)2.00

मार्च 2025 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 2.00 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण हुई। जबकि भारत सरकार से ₹ 23.27 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ था।

3475- अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं-

106- भार तथा माप का विनियमन-

01- भार तथा माप संगठन-

राज्य भाग

मूल 360.94

329.18

327.86

(-)1.32

पुनर्वि० (-)31.76

मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 31.76 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जोकि बाह्य स्रोत सेवाओं, संपत्ति कर व यात्रा व्यय बिलों के भुगतान पर अधिक व्यय होने के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।

(iii) उपरोक्त बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्ष के अन्तर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
		(₹ लाख में)	

3456- नागरिक आपूर्ति-

001- निदेशन और प्रशासन-

01- निदेशालय-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-22 (समाप्त)

राज्य भाग

मूल	512.22			
पूरक	0.01	537.48	532.35	(-)5.13
पुनर्वि०	25.25			

मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 25.25 लाख का आवर्धन बाह्य स्रोत सेवाओं, वेतन तथा परामर्शदाता शुल्क के भुगतान पर अधिक व्यय होने के कारण हुआ जोकि कर्मचारियों के नियमितीकरण के कारण हुई बचत से अंशतः प्रतिसंतुलित हुआ।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-23- विद्युत विकास

(शीर्ष- 2045-वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क, 2059-लोक निर्माण-कार्य, 2501-ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम, 2801-विद्युत, 4801- विद्युत परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय तथा 6801-विद्युत परियोजनाओं के लिए ऋण)

		कुल अनुदान/ विनियोजन	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य (+) बचत (-)
राजस्व प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	2,18,37,79			
		8,95,58,22	12,57,25,73	(+) 3,61,67,51
पूरक	6,77,20,43			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..
प्रभारित				
मूल	..			
		2,01,51,48	2,01,51,48	..
पूरक	2,01,51,48			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..
पूंजीगत प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	32,76,00			
		2,39,98,73	1,61,79,56	(-) 78,19,17
पूरक	2,07,22,73			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..

टिप्पणियाँ तथा अभ्युक्तियाँ

- (i) राजस्व प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 3,61,67,51,038 के आधिक्य का नियमन अपेक्षित है।
- (ii) राजस्व प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 36,167.51 लाख के आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2025 में प्राप्त ₹ 67,720.43 लाख का अनुपूरक अनुदान अपर्याप्त सिद्ध हुआ।
- (iii) पूंजीगत प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 7,819.17 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में प्राप्त ₹ 20,722.73 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ तथा विभाग द्वारा वर्ष के दौरान किसी भी राशि का अभ्यर्पण नहीं किया गया।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-23 (क्रमशः)

राजस्व प्रवर्ग

(iv) दत्तमत अनुदान में आधिक्य मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य (+) बचत (-)
-------	------------	---------------------------------	-----------------------

2501- ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम-

04- समेकित ग्रामीण ऊर्जा योजना कार्यक्रम-

105- परियोजना कार्यान्वयन-

02- हिमाचल प्रदेश ऊर्जा क्षेत्र विकास कार्यक्रम
(एचपीएसएलडीसी)-

राज्य भाग

पूरक 88.50

270.00

270.00

..

पुनर्वि० 181.50

मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 181.50 लाख का आवर्धन हिमाचल प्रदेश विद्युत क्षेत्र विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के कारण हुआ।

2801- विद्युत-

80- सामान्य-

800- अन्य व्यय-

07- रेणुका जी बांध विस्थापितों को मुआवजा-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना

पूरक 20,723.00

20,723.00

55,940.50

35,217.50

₹ 35,217.50 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

राज्य भाग

पूरक 15,818.42

16,429.55

19,731.48

(+3,301.93

पुनर्वि० 611.13

₹ 3,301.93 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 611.13 लाख का आवर्धन भारत सरकार से अधिक निधियां प्राप्त होने तथा केन्द्रीय अंश के अनुपात में राज्य अंश जारी होने के कारण हुआ जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुआ।

₹ 3,301.93 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

(v) उपरोक्त आधिक्य मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई बचत से अंशतः प्रतिसंतुलित हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य (+) बचत (-)
-------	------------	---------------------------------	-----------------------

2501- ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-23 (क्रमशः)

04-	समेकित ग्रामीण ऊर्जा योजना कार्यक्रम-				
105-	परियोजना कार्यान्वयन-				
01-	कार्यक्रम अभिकरणों को सहायता अनुदान-				
	राज्य भाग				
	मूल	780.00			
			598.50	598.50	..
	पुनर्वि०	(-)181.50			

मार्च 2025 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 181.50 लाख की कमी ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सौर ऊर्जा संयंत्र कार्यक्रम के बंद होने के कारण हुई।

2801- विद्युत-

80- सामान्य-

001- निदेशन तथा प्रशासन-

02- हिमाचल प्रदेश विद्युत क्षेत्र विकास कार्यक्रम-

राज्य भाग

पूरक 830.00

218.87

187.95

(-)30.92

पुनर्वि० (-)611.13

₹ 30.92 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 611.13 लाख की कमी प्रशिक्षण कार्यक्रमों के कम आयोजन, परामर्शदात्री/व्यावसायिक सेवाओं को किराये पर कम लेने तथा हिमाचल प्रदेश ऊर्जा प्रबन्धन केन्द्र की स्थापना न होने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 30.92 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

101- विद्युत बोर्ड को सहायता-

07- टैरिफ रोल बैक पर अनुदान-

राज्य भाग

मूल 20,100.00

50,089.00

47,806.00

(-)2,283.00

पूरक 29,989.00

₹ 2,283.00 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

पूंजीगत प्रवर्ग

(vi) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
		(₹ लाख में)	

4801- विद्युत परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय-

01- पन बिजली उत्पादन-

190- सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों में निवेश-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-23 (क्रमशः)

06-	हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम लिमिटेड में इक्विटी योगदान- राज्य भाग				
	मूल	500.00	500.00	125.00	(-)375.00
	₹ 375.00 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।				
09-	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड में इक्विटी योगदान- राज्य भाग				
(i)	मूल	473.00			
			5,273.00	..	(-)5,273.00
	पूरक	4,800.00			
05-	<i>संचरण तथा वितरण-</i>				
190-	सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश-				
04-	क्रेडिटनस्टाल्ट फर विडेराउफबाउ (केएफडब्ल्यू (ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर I और II के लिए इक्विटी)- राज्य भाग				
(ii)	मूल	66.00	66.00	..	(-)66.00
05-	विश्व बैंक परियोजना में इक्विटी (एचपीपीटीसीएल)- राज्य भाग				
(iii)	मूल	197.00	197.00	..	(-)197.00
6801-	बिजली परियोजनाओं के लिए ऋण-				
190-	सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों को ऋण-				
01-	हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम लिमिटेड को ऋण- राज्य भाग				
(iv)	मूल	197.00	197.00	..	(-)197.00
	उपरोक्त चार मामलों में ₹ 5,733.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।				
07-	हिमाचल प्रदेश विद्युत क्षेत्र विकास कार्यक्रम (एचपीपीटीसीएल)- राज्य भाग				
(i)	मूल	198.00			
			4,346.00	415.00	(-)3,931.00
	पूरक	4,148.00			
08-	हिमाचल प्रदेश ऊर्जा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (एचपीपीटीसीएल)- राज्य भाग				
(ii)	पूरक	6,353.00	6,353.00	635.00	(-)5,718.00
09-	हिमाचल प्रदेश ऊर्जा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (एचपीएसईबीएल)- राज्य भाग				
(iii)	पूरक	3,878.00	3,878.00	388.00	(-)3,490.00

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-23 (क्रमशः)

10- हिमाचल प्रदेश ऊर्जा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (हिम ऊर्जा)-
राज्य भाग

(iv) पूरक 415.00 415.00 41.00 (-)374.00

उपरोक्त चार मामलों में ₹ 13,513.00 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

(vii) उपरोक्त बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसन्तुलित हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य (+) बचत (-)
-------	------------	---------------------------------	-----------------------

4801- विद्युत परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय-

01- पन बिजली उत्पादन-

190- सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों में निवेश-

13- हिमाचल प्रदेश ऊर्जा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (हिम ऊर्जा)-
राज्य भाग

(i) मूल 329.00 329.00 374.00 (+)45.00

05- संचरण तथा वितरण-

190- सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों में निवेश-

02- हिमाचल प्रदेश विद्युत क्षेत्र विकास
कार्यक्रम (एचपीएसईबीएल)-
राज्य भाग

(ii) मूल 658.00 658.00 3,490.00 (+)2,832.00

03- हिमाचल प्रदेश विद्युत क्षेत्र विकास
कार्यक्रम (एचपीपीटीसीएल)-
राज्य भाग

(iii) मूल 658.00 658.00 3,733.00 (+)3,075.00

उपरोक्त तीन मामलों में ₹ 5,952.00 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

06- हिमाचल प्रदेश विद्युत क्षेत्र विकास
कार्यक्रम (एचपीपीटीसीएल)-
राज्य भाग

.. .. 5,718.00 (+)5,718.00

₹ 5,718.00 लाख का समस्त व्यय बिना बजट प्रावधान के किया गया; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

6801- बिजली परियोजनाओं के लिए ऋण-

190- सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों को ऋण-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-23 (समाप्त)

02-	हिमाचल प्रदेश ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन निगम लिमिटेड- राज्य भाग				
	पूरक	1,128.73	1,128.73	1,260.56	(+)131.83

₹ 131.83 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-24- मुद्रण एवं लेखन सामग्री

(शीर्ष- 2058-लेखन सामग्री तथा मुद्रण, 2059-लोक निर्माण-कार्य, 2216-आवास, 4058-लेखन सामग्री तथा मुद्रण पर पूंजीगत परिव्यय)

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य (+) बचत (-)
राजस्व प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	26,33,97			
		26,33,97	24,37,25	(-)1,96,72
पूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)				1,96,47
पूंजीगत प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	3,75,00			
		3,75,00	15	(-)3,74,85
पूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)				3,74,85

अभ्युक्तियाँ

राजस्व प्रवर्ग

(i) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्ष के अन्तर्गत हुई:-

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य (+) बचत (-)
2058- लेखन सामग्री तथा मुद्रण-				
103- सरकारी मुद्रणालय-				
01- हिमाचल प्रदेश सरकारी मुद्रणालय-				
राज्य भाग				
मूल	1,541.24			
		1,314.55	1,314.32	(-)0.23
पुनर्वि0	(-)226.69			

मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 226.69 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जोकि आपूर्तिकर्ताओं के लंबित भुगतानों और विभिन्न मशीनों के वार्षिक रखरखाव प्रभारों के निपटान के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।

विनियोजन लेखे
अनुदान संख्या-24 (समाप्त)

(ii) उपरोक्त बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-
शीर्ष कुल अनुदान वास्तविक आधिक्य (+)
व्यय बचत (-)
(₹ लाख में)

2058- लेखन सामग्री तथा मुद्रण-

101- लेखन सामग्री भंडार क्रय तथा पूर्ति-

01- लेखन सामग्री

राज्य भाग

मूल 515.17

554.42

554.41

(-)0.01

पुनर्वि० 39.25

मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 39.25 लाख का आवर्धन मुख्यतः लेखन सामग्री की खरीद पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

2059- लोक निर्माण

01- कार्यालय भवन-

053- रखरखाव तथा मरम्मत-

13- लेखन सामग्री विभाग के भवनों

के रखरखाव पर व्यय-

राज्य भाग

मूल 0.01

15.01

15.00

(-)0.01

पुनर्वि० 15.00

मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 15.00 लाख का आवर्धन प्रिंटिंग प्रेस कैबिनेट और कार्यालय भवन की मरम्मत और रखरखाव पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

पूँजीगत प्रवर्ग

(iii) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष कुल अनुदान वास्तविक आधिक्य (+)
व्यय बचत (-)
(₹ लाख में)

4058- मुद्रण और लेखन सामग्री पर पूँजीगत परिव्यय-

103- सरकारी मुद्रणालय-

01- भवन-

राज्य भाग

मूल 375.00

0.15

0.15

..

पुनर्वि० (-)374.85

मार्च 2025 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 374.85 लाख की कमी संहितागत औपचारिकताएं पूरी न होने के कारण हुई।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-25- सड़क और जल परिवहन

(शीर्ष- 2041-वाहनों पर कर, 2059-लोक निर्माण-कार्य, 2235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण, 3055-सड़क परिवहन, 3056-अंतर्देशीय जल परिवहन, 3075-अन्य परिवहन सेवाएं, 5002- भारतीय रेल-वाणिज्यिक लाइनों पर पूंजीगत परिव्यय, 5055-सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय तथा 5075-अन्य परिवहन सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य (+) बचत (-)
राजस्व प्रवर्ग			
दत्तमत			
मूल	2,02,98,79		
		4,36,70,94	(-)17,14,71
पूरक	2,33,72,15		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)			80,59
पूंजीगत प्रवर्ग			
दत्तमत			
मूल	61,03,00		
		6,56,10,17	(+29,00,00)
पूरक	5,95,07,17		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			..

टिप्पणियाँ तथा अभ्युक्तियाँ

- (i) पूंजीगत प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 29,00,00,000 के आधिक्य का नियमन अपेक्षित है।
- (ii) राजस्व प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 1,714.71 लाख के अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में प्राप्त ₹ 23,372.15 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ और ₹ 80.59 लाख का अभ्यर्पण अपर्याप्त सिद्ध हुआ।
- (iii) पूंजीगत प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 2,900.00 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2025 में प्राप्त ₹ 59,507.17 लाख का अनुपूरक अनुदान अपर्याप्त सिद्ध हुआ।

राजस्व प्रवर्ग

- (iv) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-
- | | कुल अनुदान | वास्तविक
व्यय
(₹ लाख में) | आधिक्य (+)
बचत (-) |
|-------|------------|---------------------------------|-----------------------|
| शीर्ष | | | |

2041- वाहनों पर कर-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-25 (क्रमशः)

001-	निदेशन और प्रशासन-				
01-	मुख्यालय तथा क्षेत्र कर्मचारी वर्ग-				
	राज्य भाग				
	मूल	403.06			
			365.09	342.34	(-)22.75
	पुनर्वि०	(-)37.97			
	मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 37.97 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।				
800-	अन्य व्यय-				
01-	सडक सुरक्षा कोष-				
	राज्य भाग				
	मूल	2,370.05	2,370.05	1,949.17	(-)420.88
	₹ 420.88 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतिक्षित थे (जुलाई 2025)।				
2235-	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-				
60-	अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम-				
101-	गरीब परिवारों के लिए व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना-				
04-	यात्रियों को अनुग्रह अनुदान अदायगी-				
	राज्य भाग				
	मूल	68.00			
		
	पुनर्वि०	(-)68.00			
	मार्च 2025 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 68.00 लाख का समस्त प्रावधान दावों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया।				
200-	अन्य कार्यक्रम-				
28-	गैर बीमाकृत राज्य सरकार/बोर्ड/निगम				
	वाहन की दुर्घटनाओं पर दावों के				
	निपटान हेतु मुआवजा-				
	राज्य भाग				
	मूल	800.00	800.00	112.92	(-)687.08
	₹ 687.08 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।				
3055-	सडक परिवहन-				
001-	निदेशन एवं प्रशासन-				
01-	निदेशालय-				
	राज्य भाग				
	मूल	1,445.63			
			1,318.34	1,286.16	(-)32.18
	पुनर्वि०	(-)127.29			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-25 (क्रमशः)

₹ 32.18 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 127.29 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 32.18 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

04-	कम्प्यूटरीकरण- राज्य भाग				
	मूल	75.00	75.00	..	(-)75.00

₹ 75.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतिक्षित थे (जुलाई 2025)।

06-	हिमाचल प्रदेश परिवहन अपीलीय अधिकरण - राज्य भाग				
	मूल	72.79			
			57.60	50.13	(-)7.47
	पुनर्वि०	(-)15.19			

मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 15.19 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

3075- अन्य परिवहन सेवाएँ-

60-	अन्य-				
190-	सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों को सहायता-				
01-	रोपवे और रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टमट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड को सहायता-				
	राज्य भाग				
	मूल	388.75	388.75	..	(-)388.75

₹ 388.75 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतिक्षित थे (जुलाई 2025)।

(v)	उपरोक्त बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्ष के अंतर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई-				
	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)	
			(₹ लाख में)		

3055- सड़क परिवहन-

190-	सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों को सहायता-				
01-	परिवहन सेवाओं को सहायता-				
	राज्य भाग				
	मूल	14,667.00			
	पूरक	23,372.15	38,208.24	38,208.24	..
	पुनर्वि०	169.09			

मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 169.09 लाख का आवर्धन कर्मचारियों को वेतन तथा पेंशन जारी करने के लिए किया गया।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-25 (समाप्त)

पूजीगत प्रवर्ग

(vi)	दत्तमत अनुदान में आधिक्य मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुआ:-			
	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य (+) बचत (-)

5055- सड़क परिवहन पर पूजीगत परिव्यय-

050-	भूमि तथा भवन-			
01-	बस अड्डों का निर्माण-			
	राज्य भाग			
	मूल	1,154.00		
	पूरक	3,310.31	4,465.31	5,259.31
	पुनर्वि०	1.00		(+)794.00

₹ 794.00 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

03-	क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों के भवनों का निर्माण-			
	राज्य भाग			
	1,108.00	(+)1,108.00

₹ 1,108.00 लाख का समस्त व्यय बिना प्रावधान के किया गया; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

12-	ड्राइविंग प्रशिक्षण परीक्षण ट्रैक का निर्माण-			
	राज्य भाग			
	मूल	1.00	1.00	1,000.00
				(+)999.00

₹ 999.00 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-26- पर्यटन और नागर विमानन

(शीर्ष 2059-लोक निर्माण-कार्य, 3053-नागर विमानन, 3452-पर्यटन, 5053-नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय तथा 5452- पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय)

		कुल अनुदान/ विनियोजन	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य (+) बचत(-)
राजस्व प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	29,08,71			
		1,23,18,95	1,14,22,51	(-)8,96,44
पूरक	94,10,24			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)				47,11
प्रभारित				
मूल	..			
		23,97	23,97	..
पूरक	23,97			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..
पूंजीगत प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	5,15,73,00			
		5,93,44,03	6,41,54,22	(+)48,10,19
पूरक	77,71,03			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..

टिप्पणियाँ तथा अभ्युक्तियाँ

- (i) पूंजीगत प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 48,10,18,546 के आधिक्य का नियमन अपेक्षित है।
- (ii) राजस्व प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 896.44 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में प्राप्त ₹ 9,410.24 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ तथा ₹ 47.11 लाख का अभ्यर्पण अपर्याप्त सिद्ध हुआ।
- (iii) पूंजीगत प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 4,810.19 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2025 में प्राप्त ₹ 7,771.03 लाख का अनुपूरक अनुदान अपर्याप्त सिद्ध हुआ।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-26 (क्रमशः)

राजस्व प्रवर्ग

(iv) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य (+) बचत (-)
3053- नागर विमानन-			
02- विमानपत्तन-			
102- विमानपत्तन-			
01- क्षेत्रिय संपर्क योजना उड़े देश का आम नागरिक (यूडीएएन)- राज्य भाग			
मूल	400.00		
		347.05	236.08
पुनर्वि0	(-)52.95		(-)110.97
₹ 110.97 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 52.95 लाख की कमी मुख्यतः हेलीपोर्टस पर कम श्रमशक्ति की तैनाती के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।			
₹ 110.97 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।			
02- पुनर्वास और एयरपोर्टस/हेलीपोर्टस का रखरखाव- राज्य भाग			
मूल	700.00	700.00	662.60
			(-)37.40
₹ 37.40 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।			
3452- पर्यटन-			
80- सामान्य-			
003- प्रशिक्षण-			
01- प्रशिक्षणार्थियों के लिए शिष्यवृत्तियां/छात्रवृत्तियाँ- केन्द्रीय प्रायोजित योजना			
मूल	2.00	2.00	..
			(-)2.00
₹ 2.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।			
104- संबर्धन तथा प्रचार-			
04- पर्यटन, उत्सव, मेले एवं प्रचार का विकास-			
राज्य भाग			
मूल	329.00		
		1,329.00	670.39
पूरक	1,000.00		(-)658.61
₹ 658.61 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-26 (क्रमशः)

800-	अन्य व्यय-				
08-	पर्यटन संरचना के लिए प्रोत्साहन-				
	राज्य भाग				
	मूल	15.00			
		
	पुनर्वि०	(-)15.00			

मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 15.00 लाख का समस्त प्रावधान देनदारियों को अन्य उपशीर्ष में स्थानांतरित करने के कारण कम कर दिया गया।

(v)	उपरोक्त बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्ष के अन्तर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसन्तुलित हुई:-			
	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
			(₹ लाख में)	

3452-	पर्यटन-				
80-	सामान्य-				
104-	संवर्धन तथा प्रचार-				
05-	पर्यटन अवसंरचना के लिए प्रोत्साहन-				
	राज्य भाग				
	पूरक	0.01			
			15.00	5.46	(-)9.54
	पुनर्वि०	14.99			

₹ 9.54 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 14.99 लाख का आवर्धन बैठकों और संगोष्ठियों के आयोजन के कारण हुआ जोकि अत्यधिक सिद्ध हुआ।

₹ 9.54 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

पूंजीगत प्रवर्ग

(vi)	दत्तमत अनुदान में आधिक्य मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुआ:-			
	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
			(₹ लाख में)	

5053-	नागरिक विमानन पर पूंजीगत परिव्यय-				
02-	विमानपत्तन-				
102-	विमानपत्तन-				
02-	एयरपोर्टस/हैलीपोर्टस का विकास-				
	राज्य भाग				
(i)	मूल	50,960.00	50,960.00	53,254.57	(+)2,294.57

5452- पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय-

01-	पर्यटन अवसंरचना-
101-	पर्यटन केंद्र-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-26 (समाप्त)

02- पर्यटन विकास-
राज्य भाग

(ii) मूल 216.00

7,588.03

10,589.83

(+)3,001.80

पूरक 7,372.03

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 5,296.37 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

(vii) उपरोक्त आधिक्य मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई बचत से अंशतः प्रतिसन्तुलित हुआ:-
शीर्ष कुल अनुदान वास्तविक आधिक्य (+)
व्यय बचत (-)
(₹ लाख में)

5053- नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय-

02- विमानपत्तन-

102- विमानपत्तन-

01- हेलीपैड और हवाई पट्टियों का निर्माण-
राज्य भाग

(i) मूल 197.00

197.00

152.27

(-)44.73

5452- पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय-

01- पर्यटक अवसंरचना-

101- पर्यटन केंद्र-

01- विभिन्न भवनों का निर्माण-
राज्य भाग

(ii) मूल 199.00

पूरक 399.00

599.00

157.54

(-)441.46

पुनर्वि० 1.00

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 486.19 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-27- श्रम, रोजगार और प्रशिक्षण

(शीर्ष- 2059- लोक निर्माण-कार्य, 2203-तकनीकी शिक्षा, 2216-आवास, 2230- श्रम, रोजगार और कौशल विकास, 4202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय तथा 4250- अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय)

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य (+) बचत (-)
राजस्व प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	3,31,10,93			
		3,92,77,00	3,60,96,64	(-)31,80,36
पूरक	61,66,07			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)				2,75,41
पूंजीगत प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	59,03,00			
		61,44,00	56,18,17	(-)5,25,83
पूरक	2,41,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..

टिप्पणियाँ तथा अभ्युक्तियाँ

- (i) राजस्व प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 3,180.36 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में प्राप्त ₹ 6,166.07 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ तथा ₹ 275.41 लाख का अभ्यर्पण अपर्याप्त सिद्ध हुआ।
- (ii) पूंजीगत प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 525.83 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में प्राप्त ₹ 241.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ जबकि मूल अनुदान भी अप्रयुक्त रहा तथा विभाग द्वारा वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

राजस्व प्रवर्ग

- (iii) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य (+) बचत (-)
-------	--	------------	---------------------------------	-----------------------

2203- तकनीकी शिक्षा-

001- निदेशन तथा प्रशासन-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-27 (क्रमशः)

01-	निदेशालय-				
	राज्य भाग				
	मूल	361.78			
			258.98	258.87	(-)0.11
	पुनर्वि०	(-)102.80			
	मार्च 2025 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 102.80 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।				
105-	बहुतकनीकी -				
01-	राजकीय बहुतकनीकी-				
	राज्य भाग				
	मूल	7,372.64			
			6,976.68	6,967.36	(-)9.32
	पुनर्वि०	(-)395.96			
	मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 395.96 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने व अंशकालिक कर्मचारियों की कम सहभागिता के कारण हुई।				
04-	मौजूदा राजकीय बहुतकनीकी संस्थानों का उन्नयन-				
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(i)	मूल	3.00			
		
	पुनर्वि०	(-)3.00			
05-	केन्द्रीय सहायता के अंतर्गत (बहुतकनीकी के				
	माध्यम से सामुदायिक विकास योजना)				
	राजकीय बहुतकनीकी संस्थान-				
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(ii)	मूल	4.00			
		
	पुनर्वि०	(-)4.00			
06-	नए बहुतकनीकी संस्थानों की स्थापना-				
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(iii)	मूल	3.00			
		
	पुनर्वि०	(-)3.00			
	उपरोक्त तीन मामलों में ₹ 10.00 लाख का समस्त प्रावधान मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया।				
2230-	श्रम रोजगार एवं कौशल विकास-				
01-	श्रम-				
101-	औद्योगिक संबंध-				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-27 (क्रमशः)

01-	श्रम नियमों को लागू करना- राज्य भाग				
	मूल	529.12			
	पूरक	0.01	500.75	462.35	(-)38.40
	पुनर्वि०	(-)28.38			

₹ 38.40 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

02-	रोजगार सेवाएँ-				
001-	निदेशन तथा प्रशासन-				
01-	रोजगार निदेशालय का कर्मचारी वर्ग- राज्य भाग				
(i)	मूल	91.90			
			97.82	68.76	(-)29.06
	पुनर्वि०	5.92			

004-	अनुसंधान, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी-				
01-	रोजगार बाजार की सूचना का संग्रह- राज्य भाग				
(ii)	मूल	58.65			
			61.36	44.52	(-)16.84
	पुनर्वि०	2.71			

101-	रोजगार सेवाएँ-				
01-	रोजगार सेवाओं का आवरण विस्तार- राज्य भाग				
(iii)	मूल	1,218.67			
			1,188.98	1,068.02	(-)120.96
	पुनर्वि०	(-)29.69			

उपरोक्त तीन मामलों में ₹ 166.86 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

07-	बेरोजगारी भत्ता- राज्य भाग				
	मूल	3,000.00			
			2,384.42	1,954.65	(-)429.77
	पुनर्वि०	(-)615.59			

₹ 429.77 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 615.59 लाख की कमी निधियों व प्रस्तावों की कम प्राप्ति के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 429.77 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

09-	राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्ट-अप योजना-				
-----	---	--	--	--	--

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-27 (क्रमशः)

राज्य भाग				
मूल	368.19			
		897.00	200.75	(-)696.25
पुनर्वि०	528.81			
₹ 696.25 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 528.81 लाख का आवर्धन राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना को लागू होने के कारण हुआ जोकि अनावश्यक सिद्ध हुआ।				
₹ 696.25 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।				
03- प्रशिक्षण-				
001- निदेशन और प्रशासन-				
01- तकनीकी शिक्षा, व्यवसायिक और औद्योगिक प्रशिक्षण निदेशालय के कर्मचारी-				
राज्य भाग				
मूल	44.13			
		18.82	18.82	(-)0.01
पुनर्वि०	(-)25.31			
मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 25.31 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।				
003- दस्तकारों तथा पर्यवेक्षकों को प्रशिक्षण-				
05- दस्तकारों तथा पर्यवेक्षकों को प्रशिक्षण-				
राज्य भाग				
मूल	11,991.64			
		11,279.48	11,248.62	(-)30.86
पुनर्वि०	(-)712.16			
₹ 30.86 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 712.16 लाख की कमी अधिकारियों/कर्मचारियों की कम सहभागिता और रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।				
₹ 30.86 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।				
09- कौशल विकास भत्ता-				
राज्य भाग				
मूल	3,554.00			
		3,845.24	2,372.45	(-)1,472.79
पुनर्वि०	291.24			
₹ 1,472.79 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 291.24 लाख का आवर्धन मुख्यतः कौशल विकास भत्ते के अन्तर्गत अधिक आवेदन प्राप्त होने के कारण हुआ जोकि अनावश्यक सिद्ध हुआ।				
₹ 1,472.79 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-27 (क्रमशः)

10-	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का मॉडल औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में उन्नयन- राज्य भाग				
	मूल	50.00			
	पुनर्वि०	(-)50.00			
	मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 50.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया; अतः राज्य का हिस्सा अप्रयुक्त रहा।				
14-	औद्योगिक कौशल विकास भत्ता- राज्य भाग				
	मूल	150.00			
			25.47	10.78	(-)14.69
	पुनर्वि०	(-)124.53			
	मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 124.53 लाख की कमी औद्योगिक कौशल विकास भत्ते के लिए कम आवेदन पत्रों के कारण हुई।				
102-	प्रशिक्षु प्रशिक्षण-				
02-	राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना (एनएपीएस)- केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
	मूल	2.00			
	पुनर्वि०	(-)2.00			
	मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियाँ प्राप्त न होने के कारण कम कर दिया गया।				
(iv)	उपरोक्त बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-				
	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य (+) बचत (-)	
2203-	तकनीकी शिक्षा-				
112-	इंजीनियरिंग/तकनीकी कॉलेज तथा संस्थान-				
01-	राजकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय/तकनीकी कॉलेज तथा संस्थान-				
	राज्य भाग				
	मूल	2,779.71			
			3,026.78	3,010.84	(-)15.94
	पुनर्वि०	247.07			
	मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 247.07 लाख का आवर्धन मुख्यतः रिक्त पदों को भरने के कारण हुआ।				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-27 (क्रमशः)

2230- श्रम रोजगार एवं कौशल विकास-

03- प्रशिक्षण-

003- दस्तकारों एवं पर्यवेक्षकों को प्रशिक्षण-

11- विश्व बैंक सहायता प्राप्त औद्योगिक कौशल उपयोगिता
सवर्धन/सशक्तिकरण परियोजना-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना

मूल 2.00

373.70

373.70

..

पुनर्वि० 371.70

मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 371.70 लाख का आवर्धन भारत सरकार से निधियों की अधिक प्राप्ति होने के कारण हुआ।

800- अन्य व्यय-

01- हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम-
राज्य भाग

मूल 1,319.00

पूरक 5,793.62

7,521.45

7,521.45

..

पुनर्वि० 408.83

मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 408.83 लाख का आवर्धन प्रस्तावों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ जोकि संहितागत औपचारिकताओं के पूरा न होने के कारण हुई बचत से अंशतः प्रतिसंतुलित हुआ।

पूँजीगत प्रवर्ग

(v) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
		(₹ लाख में)	

4202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय-

02- तकनीकी शिक्षा-

104- बहुशिल्प-

01- भवन-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

(i) मूल 3.00

..

..

..

पुनर्वि० (-)3.00

02- महिला छात्रावासों का निर्माण-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

(ii) मूल 3.00

..

..

..

पुनर्वि० (-)3.00

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-27 (समाप्त)

03- बहुतकनीकी संस्थानों को खोलना-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना

(iii) मूल 3.00

पुनर्वि० (-)3.00

उपरोक्त तीन मामलों में मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 9.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियां प्राप्त न होने के कारण कम कर दिया गया।

105- इंजीनियरिंग/तकनीकी कॉलेज तथा संस्थान-
01- भवन-
राज्य भाग

(i) मूल 2,100.00

पूरक 241.00 2,350.00 2,024.68 (-)325.32

पुनर्वि० 9.00

03- औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के भवनों का निर्माण-
राज्य भाग

(ii) मूल 2,170.00 2,170.00 2,003.49 (-)166.51

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 491.83 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

4250- अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय-

201- श्रम-

01- भवनों-

राज्य भाग

मूल 24.00 24.00 .. (-)24.00

₹ 24.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

विनियोग लेखे

अनुदान संख्या-28- शहरी विकास, नगर और ग्राम योजना तथा आवास

(शीर्ष 2059- लोक निर्माण-कार्य, 2215- जलापूर्ति तथा स्वच्छता, 2216-आवास, 2217- शहरी विकास, 3054-सड़क तथा सेतु, 4215- जलापूर्ति तथा स्वच्छता पर पूंजीगत परिव्यय तथा 4217- शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय)

		कुल अनुदान/ विनियोजन	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य (+) बचत (-)
राजस्व प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	5,29,87,74			
		6,46,62,92	6,22,76,73	(-)23,86,19
पूरक	1,16,75,18			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..
पूंजीगत प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	52,40,00			
		1,83,76,56	1,74,68,80	(-)9,07,76
पूरक	1,31,36,56			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)				22,94
प्रभारित				
मूल	..			
		35,20	..	(-)35,20
पूरक	35,20			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..

टिप्पणियाँ तथा अभ्युक्तियाँ

- (i) राजस्व प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 2,386.19 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में प्राप्त ₹ 11,675.18 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ तथा विभाग द्वारा वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
- (ii) पूंजीगत प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 907.76 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में प्राप्त ₹ 13,136.56 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ तथा ₹ 22.94 लाख का अभ्यर्पण अपर्याप्त सिद्ध हुआ।
- (iii) पूंजीगत प्रवर्ग में मार्च 2025 में अनुपूरक अनुदान द्वारा प्राप्त ₹ 35.20 लाख का समस्त प्रभारित विनियोजन अप्रयुक्त रहा।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-28 (क्रमशः)

राजस्व प्रवर्ग

(iv) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत शीर्षों के अन्तर्गत हुई-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य (+) बचत(-)
2215- जलापूर्ति तथा स्वच्छता-			
02- सीवरेज तथा स्वच्छता-			
105- स्वच्छता सेवाएँ-			
04- मुरम्मत और रखरखाव- राज्य भाग			
मूल	1,870.00	1,870.00	1,363.23
			(-)506.77

₹ 506.77 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

2216- आवास-

02- शहरी आवास-				
105- भू-संपदा (विनियम और विकास) अधिनियम, 2016 के अन्तर्गत निर्माण-				
01- हिमाचल प्रदेश भू-संपदा नियामक प्राधिकरण - राज्य भाग				
मूल	267.90		167.24	(-)60.06
		227.30		
पुनर्वि०	(-)40.60			

₹ 60.06 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 40.60 लाख की कमी रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण में अध्यक्ष एवं सदस्यों के रिक्त पदों के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 60.06 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

2217- शहरी विकास-

80- सामान्य-				
001- निदेशन और प्रशासन-				
02- नगर एवं ग्राम योजना का संगठन निदेशालय- राज्य भाग				
मूल	1,782.56			
पूरक	56.74	1,762.94	1,758.53	(-)4.41
पुनर्वि०	(-)76.36			

मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 76.36 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

- 191- स्थानीय निकाय, निगम, शहरी विकास प्राधिकरण
जिला सुधार बोर्ड, अन्य को सहायता-
- 01- वित्तियोग की सिफारिशों पर व्यय-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-28 (क्रमशः)

राज्य भाग				
मूल	6,663.24			
		6,813.24	6,399.26	(-)413.98
पूरक	150.00			
₹ 413.98 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।				
04-	दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन-केन्द्रीय प्रायोजित योजना			
मूल	100.00			
		73.20	73.20	..
पुनर्वि०	(-)26.80			
मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 26.80 लाख की कमी भारत सरकार से कम निधियों के प्राप्त होने के कारण हुई। जबकि भारत सरकार से ₹ 273.20 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ था।				
42-	नगर निगम को विविध अनुदान-राज्य भाग			
पूरक	200.00	200.00	..	(-)200.00
अनुपूरक अनुदान द्वारा प्राप्त ₹ 200.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।				
47-	स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम) हेतु सहायता अनुदान-केन्द्रीय प्रायोजित योजना			
मूल	100.00			
	
पुनर्वि०	(-)100.00			
मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 100.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियां प्राप्त न होने के कारण कम कर दिया गया।				
राज्य भाग				
मूल	10.00			
		2.00	2.00	..
पुनर्वि०	(-)8.00			
मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 8.00 लाख की कमी भारत सरकार से प्राप्त केन्द्रीय अंश के अनुपात में कम राज्य अंश के जारी होने के कारण हुई।				
50-	प्रधानमंत्री आवास योजना-सभी के लिए आवास-			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-28 (क्रमशः)

केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
मूल	400.00			
		153.90	..	(-)153.90
पुनर्वि०	(-)246.10			
₹ 153.90 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 246.10 लाख की कमी भारत सरकार से कम निधियां प्राप्त होने के कारण हुईं जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुईं। जबकि भारत सरकार ₹ 695.85 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ था।				
₹ 153.90 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।				
राज्य भाग				
मूल	90.00			
		17.10	..	(-)17.10
पुनर्वि०	(-)72.90			
मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 72.90 लाख की कमी भारत सरकार से कम निधियां प्राप्त होने के कारण हुईं; अतः राज्य का हिस्सा अप्रयुक्त रहा।				
57-	अटल श्रेष्ठ शहर योजना- राज्य भाग			
	मूल 280.00			
	
	पुनर्वि० (-)280.00			
मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 280.00 लाख का समस्त प्रावधान शहरी स्थानीय निकायों से प्रस्तावों के प्राप्त न होने के कारण कम कर दिया गया।				
58-	नगर निगम क्षेत्रों की सड़को की मुरम्मत- राज्य भाग			
	मूल 125.00			
		325.00	225.00	(-)100.00
	पूरक 200.00			
₹ 100.00 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।				
60-	निजी सार्वजनिक भागीदारी आधारित परियोजनाओं पर परामर्श- राज्य भाग			
	मूल 13.00			
	
	पुनर्वि० (-)13.00			
मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 13.00 लाख का समस्त प्रावधान शहरी स्थानीय निकायों से प्रस्तावों के प्राप्त न होने के कारण कम कर दिया गया।				
62-	पंद्रहवें वित्त आयोग के अंतर्गत नगर निगमों को स्वास्थ्य क्षेत्र अनुदान-			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-28 (क्रमशः)

	राज्य भाग				
	मूल	272.00	272.00	181.34	(-)90.66
	₹ 90.66 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।				
68-	स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम 2.0) के अंतर्गत प्रयुक्त जल प्रबंधन-केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(i)	पूरक	0.01			
			200.01	..	(-)200.01
	पुनर्वि०	200.00			
	राज्य भाग				
(ii)	पूरक	0.01			
			22.23	..	(-)22.23
	पुनर्वि०	22.22			
70-	स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम 2.0) के अंतर्गत क्षमता निर्माण, कौशल विकास और ज्ञान प्रबंधन-केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(iii)	पूरक	0.01			
			75.01	..	(-)75.01
	पुनर्वि०	75.00			
	राज्य भाग				
(iv)	पूरक	0.01			
			8.34	..	(-)8.34
	पुनर्वि०	8.33			
	उपरोक्त चार मामलों में ₹ 305.59 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 305.55 लाख का आवर्धन भारत सरकार से अधिक निधियाँ प्राप्त होने से उसी अनुपात में राज्य का अंश जारी करने के कारण हुआ जोकि अनावश्यक सिद्ध हुआ।				
	उपरोक्त चार मामलों में ₹ 305.59 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।				
192-	नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता-				
01-	राज्य वित्तयोग की सिफारिशों पर व्यय-राज्य भाग				
(i)	मूल	6,574.77			
			6,619.77	5,259.81	(-)1,359.96
	पूरक	45.00			
04-	दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन-				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-28 (क्रमशः)

	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(ii)	मूल	300.00	300.00	200.00	(-100.00
	उपरोक्त दो मामलों में ₹ 1,459.96 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)। जबकि भारत सरकार से क्रम संख्या (ii) में ₹ 273.20 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ था।				
	राज्य भाग				
	मूल	30.00	30.00	..	(-30.00
	₹ 30.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।				
14-	केन्द्रीय वित्तायोग का अवार्ड-				
	राज्य भाग				
	मूल	7,576.97			
			6,888.28	6,690.82	(-197.46
	पुनर्वि०	(-)688.69			
	₹ 197.46 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 688.69 लाख की कमी तीन नगर परिषदों का नगर निगमों में उन्नयन होने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।				
	₹ 197.46 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।				
18-	प्रधानमंत्री आवास योजना-सभी				
	के लिए आवास (शहरी)-				
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना-				
	मूल	800.00			
			648.84	648.84	..
	पुनर्वि०	(-)151.16			
	मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 151.16 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति होने के कारण हुई। जबकि भारत सरकार से ₹ 695.85 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ था।				
	राज्य भाग				
	मूल	184.00			
			143.85	143.85	..
	पुनर्वि०	(-)40.15			
	मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 40.15 लाख की कमी भारत सरकार से कम निधियों की प्राप्ति होने के कारण हुई; अतः राज्य का हिस्सा केन्द्र के हिस्से के अनुपात में कम कर दिया गया।				
27-	पंद्रहवें वित्त आयोग के अंतर्गत नगर				
	पालिकाओं को स्वास्थ्य क्षेत्र अनुदान-				
	राज्य भाग				
(i)	मूल	253.00	253.00	176.27	(-)76.73

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-28 (क्रमशः)

193-	नगर पंचायतों/अधिसूचित क्षेत्र समितियों या उसके समकक्ष को सहायता-				
01-	राज्य वित्तयोग की सिफारिशों पर व्यय- राज्य भाग				
(ii)	मूल	1,931.01			
	पूरक	210.00	2,141.01	1,544.81	(-596.20)
	उपरोक्त दो मामलों में ₹ 672.93 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।				
04-	दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन- केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(i)	मूल	226.00			
	पुनर्वि०	(-)226.00
	राज्य भाग				
(ii)	मूल	22.00			
	पुनर्वि०	(-)22.00
	उपरोक्त दो मामलों में ₹ 248.00 लाख का समस्त प्रावधान मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा भारत सरकार से निधियां प्राप्त न होने के कारण कम कर दिया गया; अतः राज्य का अंश अप्रयुक्त रहा। जबकि क्रम संख्या (i) में भारत सरकार से ₹ 273.20 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ था।				
05-	पार्किंग का निर्माण- राज्य भाग				
(i)	मूल	125.00	125.00	5.00	(-120.00)
13-	केन्द्रीय वित्तयोग का अवार्ड- राज्य भाग				
(ii)	मूल	2,066.40	2,066.40	1,384.76	(-681.64)
15-	अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन- केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(iii)	मूल	0.90			
	पूरक	5,141.86	5,142.76	5,111.06	(-31.70)
	उपरोक्त तीन मामलों में ₹ 833.34 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)। जबकि भारत सरकार से क्रम संख्या (iii) में ₹ 5,111.06 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ था।				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-28 (क्रमशः)

16- प्रधानमंत्री आवास योजना-सभी
के लिए आवास (शहरी)-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना

(i) मूल 550.00

पुनर्वि० (-)550.00

राज्य भाग

(ii) मूल 126.00

पुनर्वि० (-)126.00

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 676.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियां प्राप्त न होने के कारण कम कर दिया गया; अतः राज्य का अंश अप्रयुक्त रहा। जबकि भारत सरकार द्वारा क्रम संख्या (i) में ₹ 695.85 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ था।

20- छावनी बोर्डों को केन्द्रीय वित्तायोग
के अन्तर्गत सहायता-
राज्य भाग

(i) मूल 661.95 661.95 327.44 (-)334.51

23- मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना-
राज्य भाग

(ii) मूल 100.00 100.00 51.63 (-)48.37

26- पंद्रहवें वित्त आयोग के अंतर्गत नगर पंचायतों/
अधिसूचित क्षेत्र समिति को स्वास्थ्य क्षेत्र अनुदान-
राज्य भाग

(iii) मूल 73.00 73.00 46.94 (-)26.06

27- पंद्रहवें वित्त आयोग के अंतर्गत छावनी
बोर्डों की स्वास्थ्य क्षेत्र अनुदान-
राज्य भाग

(iv) मूल 25.00 25.00 9.21 (-)15.79

उपरोक्त चार मामलों में ₹ 424.73 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

(v) उपरोक्त बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसन्तुलित हुई:-
शीर्ष कुल अनुदान वास्तविक आधिक्य (+)
व्यय बचत (-)
(₹ लाख में)

2217- शहरी विकास-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-28 (क्रमशः)

80- सामान्य-

191- स्थानीय निकाय निगम, शहरी विकास प्राधिकरण,
जिला सुधार बोर्ड, अन्य को सहायता-

45- केन्द्रीय वित्तायोग का आवार्ड-
राज्य भाग

मूल 7,794.68

8,483.37

8,483.37

..

पुनर्वि० 688.69

मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 688.69 लाख का आवर्धन तीन नगर परिषदों को नगर निगमों में उन्नयन करने के कारण किया गया।

51- पार्किंग का निर्माण-
राज्य भाग

मूल 100.00

600.00

1,861.00

(+)1,261.00

पुनर्वि० 500.00

₹ 1,261.00 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 500.00 लाख का आवर्धन भारत सरकार से विशेष केन्द्रीय सहायता प्राप्त होने के कारण हुआ जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुआ।

₹ 1,261.00 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

54- पूंजी परिसंपत्तियों के लिए नगर निगम को अनुदान-
राज्य भाग

पूरक 2,408.30

2,908.30

2,908.30

..

पुनर्वि० 500.00

मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 500.00 लाख का आवर्धन भारत सरकार से विशेष केन्द्रीय सहायता प्राप्त होने के कारण हुआ।

67- स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम 2.0) के अन्तर्गत
व्यक्तिगत घरेलू शौचालय/सामुदायिक शौचालय/
सार्वजनिक शौचालय/एस्पिरेशनल टॉयलेटस-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना

पूरक 0.01

25.01

16.44

(-)8.57

पुनर्वि० 25.00

₹ 8.57 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 25.00 लाख का आवर्धन भारत सरकार से अधिक निधियाँ प्राप्त होने के कारण हुआ जोकि अत्यधिक सिद्ध हुआ। जबकि भारत सरकार द्वारा ₹ 16.44 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ था।

₹ 8.57 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-28 (क्रमशः)

69-	स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम 2.0) के अन्तर्गत सूचना, शिक्षा एवं संचार तथा व्यवहार में बदलाव- केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(i)	पूरक	0.01			
			100.01	3.75	(-)96.26
	पुनर्वि०	100.00			
	राज्य भाग				
(ii)	पूरक	0.01			
			11.12	2.23	(-)8.89
	पुनर्वि०	11.11			

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 105.15 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 111.11 लाख का आवर्धन भारत सरकार से निधियां प्राप्त होने तथा केन्द्रीय अंश के अनुपात राज्य अंश जारी किए जाने के कारण हुआ जोकि अत्यधिक तथा अन्याय संगत सिद्ध हुआ। जबकि भारत सरकार से क्रम संख्या (i) में ₹ 5.39 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ था।

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 105.15 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

192-	नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता-				
15-	पार्किंग निर्माण-				
	राज्य भाग				
	मूल	150.00			
			610.07	2,576.66	(+)1,966.59
	पुनर्वि०	460.07			

₹ 1,966.59 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 460.07 लाख का आवर्धन पार्किंग के निर्माण के लिए भारत सरकार द्वारा विशेष केन्द्रीय सहायता प्राप्त होने के कारण हुआ जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुआ।

₹ 1,966.59 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

29-	स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम 2.0) के अन्तर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन- केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
	पूरक	0.01			
			100.01	82.91	(-)17.10
	पुनर्वि०	100.00			

₹ 17.10 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 100.00 लाख का आवर्धन भारत सरकार से अधिक निधियाँ प्राप्त होने के कारण हुआ जोकि अत्यधिक सिद्ध हुआ जबकि भारत सरकार से ₹ 82.91 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ था।

₹ 17.10 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-28 (क्रमशः)

राज्य भाग				
पूरक	0.01			
		11.12	9.21	(-)1.91
पुनर्वि०	11.11			

मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 11.11 लाख का आवर्धन भारत सरकार से निधियां प्राप्त होने तथा केन्द्रीय अंश के अनुपात में राज्य अंश जारी होने के कारण हुआ।

पूंजीगत प्रवर्ग

(vi) दत्तमत्त अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य (+) बचत (-)
-------	------------	------------------------------	-----------------------

4215- जलापूर्ति तथा स्वच्छता पर पूंजीगत परिव्यय-

02- सीवरेज तथा स्वच्छता-

106- सीवरेज सेवाएं-

02- विभिन्न जिलों में जलोस्तर सीवरेज स्वच्छता योजनाएं-

राज्य भाग

मूल 1,000.00

10,247.07

9,373.05

(-)874.02

पूरक 9,247.07

₹ 874.02 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

4217- शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय-

03- छोटे और माध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास-

051- निर्माण-

05- प्रारूप विकास योजना विस्तार-

राज्य भाग

मूल 290.00

156.55

145.76

(-)10.79

पुनर्वि० (-)133.45

मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 133.45 लाख की कमी संहितागत औपचारिकताएँ पूरी न होने के कारण हुई।

(vii) उपरोक्त बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसन्तुलित हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य (+) बचत (-)
-------	------------	------------------------------	-----------------------

4217- शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय-

01- राज्य की राजधानी का विकास-

190- सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों में निवेश-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-28 (समाप्त)

01- शिमला जल प्रबंधन निगम लिमिटेड
(एस0जे0पी0एन0एल0) में इक्विटी/निवेश-
राज्य भाग

मूल	3,950.00			
पूरक	3,889.49	7,950.00	7,950.00	..
पुनर्वि0	110.51			

मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 110.51 लाख का आवर्धन विश्व बैंक द्वारा वित्तपोषित शिमला जल प्रबंधन निगम लिमिटेड में निवेश के कारण हुआ, ताकि शिमला में निरंतर जलापूर्ति और सिवरेज नेटवर्क के विस्तार के लिए विभिन्न कार्यों को निष्पादित किया जा सके।

(viii) प्रभारित विनियोजन में बचत निम्नवत् शीर्ष के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल विनियोजन	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
-------	--------------	-----------------------------------	-----------------------

4215- जलापूर्ति तथा स्वच्छता पर पूंजीगत परिव्यय-

02- सीवरेज तथा स्वच्छता-

106- सीवरेज सेवाएं-

02- विभिन्न जिलों में जलोस्तर सीवरेज स्वच्छता योजनाएं-

राज्य भाग

पूरक	35.20	35.20	..	(-)35.20
------	-------	-------	----	----------

अनुपूरक अनुदान द्वारा प्राप्त ₹ 35.20 लाख का समस्त विनियोजन अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-29- वित्त

(शीर्ष- 2047-अन्य वित्तीय सेवाएं, 2048- ऋण में कमी या परिहार के लिए विनियोग, 2049- ब्याज अदायगी, 2054- खजाना तथा लेखा प्रशासन, 2059- लोक निर्माण कार्य, 2070- अन्य प्रशासनिक सेवाएं, 2071- पेंशन तथा अन्य सेवा निवृत्ति लाभ, 2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, 3451- सचिवालय आर्थिक सेवायें, 3454- जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, 4059-लोक निर्माण कार्यो पर पूंजीगत परिव्यय, 6003- राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण, 6004- केन्द्रीय सरकार से ऋण तथा अग्रिम तथा 7610- सरकारी कर्मचारी आदि को ऋण)

		कुल अनुदान/ विनियोजन	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य (+) बचत (-)
राजस्व प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	1,03,16,10,80			
		1,10,81,38,10	1,07,81,14,50	(-)3,00,23,60
पूरक	7,65,27,30			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)				1,90,38
प्रभारित				
मूल	62,55,34,19			
		62,66,29,96	62,61,20,37	(-)5,09,59
पूरक	10,95,77			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..
पूंजीगत प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	6,62,52			
		6,62,53	3,51,73	(-)3,10,80
पूरक	1			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)				3,03,14
प्रभारित				
मूल	54,79,10,52			
		1,56,16,17,67	1,81,68,80,81	(+)25,52,63,14
पूरक	1,01,37,07,15			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-29 (क्रमशः)
टिप्पणियाँ तथा अभ्युक्तियाँ

- (i) पूंजीगत प्रवर्ग के प्रभारित विनियोजन में ₹ 25,52,63,14,381 के आधिक्य का नियमन अपेक्षित है।
- (ii) राजस्व प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 30,023.60 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में प्राप्त ₹ 76,527.30 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ तथा ₹ 190.38 लाख का अभ्यर्पण अपर्याप्त सिद्ध हुआ।
- (iii) राजस्व प्रवर्ग के प्रभारित विनियोजन में ₹ 509.59 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में प्राप्त ₹ 1,095.77 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ तथा विभाग द्वारा वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
- (iv) पूंजीगत प्रवर्ग के प्रभारित विनियोजन में ₹ 2,55,263.14 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2025 में प्राप्त ₹ 10,13,707.15 लाख का अनुपूरक अनुदान अपर्याप्त सिद्ध हुआ।

राजस्व प्रवर्ग

- (v) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-
- | शीर्ष | कुल अनुदान | वास्तविक
व्यय | आधिक्य (+)
बचत (-) |
|-------|------------|------------------|-----------------------|
| | | | (₹ लाख में) |

2054- खजाना तथा लेखा प्रशासन-

095- लेखा तथा खजाना निदेशालय-

05- मुख्यालय लेखा विंग-

राज्य भाग

मूल 73.48

57.57

56.73

(-)0.84

पुनर्वि० (-)15.91

मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 15.91 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जोकि यात्रा व्यय दावों की अधिक प्राप्ति के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।

097- खजाना स्थापना-

01- जिला स्थापना तथा उप कोषागार-

राज्य भाग

मूल 3,800.15

3,259.67

3,255.11

(-)4.56

पुनर्वि० (-)540.48

मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 540.48 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जोकि पेट्रोल, तेल, स्नेहक और वाहनों की मरम्मत के बिलों की अधिक प्राप्ति के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।

2070- अन्य प्रशासनिक सेवाएँ-

105- विशेष जांच आयोग-

02- राज्य वित्तयोग-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-29 (क्रमशः)

राज्य भाग

पूरक 4.00

पुनर्वि० (-)4.00

अनुपूरक अनुदान द्वारा प्राप्त ₹ 4.00 लाख का समस्त प्रावधान मार्च 2025 में अभ्यर्पण द्वारा संहितागत औपचारिकताएं पूरा न करने के कारण कम कर दिया गया।

2071- पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभ-

01- सिविल-

101- अधिवार्षिता तथा सेवानिवृत्ति भत्ते-

03- 1.11.1966 से अधिवार्षिकी-

राज्य भाग

मूल 5,84,611.23

पूरक 36,416.76 6,25,612.33 6,12,985.61 (-)12,626.72

पुनर्वि० 4,584.34

₹ 12,626.72 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 4,584.34 लाख का आवर्धन पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों की अदायगी के कारण हुआ जोकि अत्यधिक सिद्ध हुआ।

₹ 12,626.72 लाख की अंतिम बचत मामलों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

104- उपदान-

02- 1.11.1966 से पश्चात देय उपदान-

राज्य भाग

मूल 1,13,779.10

पूरक 21,804.50 1,35,678.10 1,14,560.59 (-)21,117.51

पुनर्वि० 94.50

₹ 21,117.51 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 94.50 लाख का आवर्धन उपदान की अदायगी के कारण हुआ जोकि अत्यधिक सिद्ध हुआ।

₹ 21,117.51 लाख की अंतिम बचत उपदान मामलो की कम प्राप्ति के कारण हुई।

03- विभिन्न ग्रेच्युटी अधिनियमों के तहत ग्रेच्युटी-

राज्य भाग

मूल 2,090.00

1,995.50 664.53 (-)1,330.97

पुनर्वि० (-)94.50

₹ 1,330.97 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 94.50 लाख की कमी मामलों की कम प्राप्ति के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 1,330.97 लाख की अंतिम बचत उपदान मामलो की कम प्राप्ति के कारण हुई।

105- परिवार पेंशन-

01- 1.11.1966 से पूर्व देय राशि-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-29 (क्रमशः)

राज्य भाग				
मूल	9.43			
पुनर्वि०	(-)9.43			
मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 9.43 लाख का समस्त प्रावधान निधियों की कम आवश्यकता के कारण कम कर दिया गया।				
02-	1.11.1996 से पश्चात देय राशि-			
राज्य भाग				
मूल	1,53,616.24			
पूरक	6,889.83	1,60,515.50	1,49,029.21	(+)11,486.29
पुनर्वि०	9.43			
₹ 11,486.29 लाख की अंतिम बचत मामलों की कम प्राप्ति के कारण हुई।				
111-	विधायकों को पेंशन-			
01-	राज्य के विधायक-			
राज्य भाग				
मूल	2,744.58			
		2,824.50	2,403.14	(-)421.36
पूरक	79.92			
₹ 421.36 लाख की अंतिम बचत विधायकों के पेंशन मामलों की कम प्राप्ति के कारण हुई।				
117-	परिभाषित योगदान पेंशन योजना के लिए सरकारी अंशदान-			
01-	अंशदायी पेंशन योजना-			
राज्य भाग				
मूल	5,884.15			
		1,305.80	1,279.41	(-)26.39
पुनर्वि०	(-)4,578.35			
मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 4,578.35 लाख की कमी अंशदायी पेंशन योजना पर नियोक्ता के हिस्से के भुगतान की कम आवश्यकता के कारण हुई।				
3451-	सचिवालय-आर्थिक सेवाएँ-			
091-	संलग्न कार्यालय-			
01-	वित्त और सार्वजनिक उद्यम संस्थागत निदेशालय-			
राज्य भाग				
मूल	200.00			
		250.00	194.71	(-)55.29
पूरक	50.00			
₹ 55.29 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।				
3454-	जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी-			
02-	सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी-			
111-	जन्म-मृत्यु सांख्यिकी-			
01-	मुख्यालय तथा जिला कर्मचारी वर्ग-			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-29 (क्रमशः)

राज्य भाग				
मूल	1,021.95			
पूरक	39.37	958.03	958.03	..
पुनर्वि०	(-)103.29			
मार्च 2025 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 103.29 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, बैठकों/सेमिनारों के कम आयोजन, टेलीफोन, बिजली, पानी के कम बिलों और दैनिक मजदूरों की कम नियुक्ति के कारण हुई।				
(vi)	उपरोक्त बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसन्तुलित हुई:-			
शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+)	बचत (-)
		(₹ लाख में)		
2054-	खजाना तथा लेखा प्रशासन-			
095-	लेखा एवं खजाना निदेशालय-			
01-	मुख्यालय संगठन-			
राज्य भाग				
मूल	703.77			
पूरक	0.04	1,013.04	984.66	(-)28.38
पुनर्वि०	309.23			
मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 309.23 लाख का आवर्धन बाह्य स्रोतों के भुगतान, स्थायी सेवानिवृति खाता संख्या (PRAN) के आबंटन के लिए एन०एस०डी०एल० को भुगतान और एन०पी०एस० ग्राहकों के रखरखाव शुल्क, किराये दरों और करों के बिलों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ जोकि रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई बचत से अंशतः प्रतिसन्तुलित हुआ।				
2059-	लोक निर्माण कार्य-			
01-	कार्यालय भवन-			
053-	रखरखाव तथा मुरम्मत-			
05-	कोष तथा लेखा विभाग के रखरखाव पर व्यय-			
राज्य भाग				
मूल	0.01			
		7.97	7.96	(-)0.01
पुनर्वि०	7.96			
मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 7.96 लाख का आवर्धन कोषागार एवं लेखा विभाग के भवनों के रखरखाव के कारण हुआ।				
2071-	पेंशन तथा अन्य सेवानिवृति लाभ-			
01-	सिविल-			
102-	पेंशन का सराशिकृत मूल्य-			
02-	1.11.1966 से देय राशि-			
राज्य भाग				
(i)	मूल	80,852.74		
		91,866.72	1,04,952.71	(+)13,085.99
	पूरक	11,013.98		

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-29 (क्रमशः)

115- छुट्टी नकदीकरण हितलाभ-
01- अवकाश भुगतान-
राज्य भाग

(ii) मूल 79,522.52 79,522.52 83,735.31 (+)4,212.79

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 17,298.78 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-

60- अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम-

102- सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अन्तर्गत पेंशन-

05- अटल पेंशन योजना-

राज्य भाग

मूल 1,500.00

पूरक 145.05

1,833.00

1,801.49

(-)31.51

पुनर्वि० 187.95

₹ 31.51 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 187.95 लाख का आवर्धन अटल पेंशन योजना की लम्बित देनदारियों के निपटान हेतु किया गया जोकि अत्यधिक सिद्ध हुआ।

₹ 31.51 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

(vii) प्रभारित विनियोजन में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल विनियोजन	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
		(₹ लाख में)	

2049- ब्याज अदायगी-

01- आंतरिक ऋण पर ब्याज-

101- बाजार ऋणों पर ब्याज-

89- प्रतिशत हिमाचल प्रदेश राज्य

विकास ऋण (नए ऋण)-

राज्य भाग

मूल 40,845.00

..

..

..

पुनर्वि० (-)40,845.00

मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 40,845.00 लाख का समस्त विनियोजन अनुसूची अनुसार ऋण पर ब्याज के भुगतान के लिए निधियों की कम आवश्यकता के कारण कम कर दिया गया। ऐसा विनियोजन वर्ष 2010-11 से रखा जा रहा है।

03- अल्प बचत, भविष्य निधि आदि पर ब्याज-

104- राज्य भविष्य निधि पर ब्याज-

03- अखिल भारतीय सेवा भविष्य निधि-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-29 (क्रमशः)

राज्य भाग				
मूल	500.00			
		550.00	485.05	(-)64.95
पुनर्वि०	50.00			

₹ 64.95 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा विनियोजन में ₹ 50.00 लाख का आवर्धन ब्याज का भुगतान करने के लिए किया गया जोकि अनावश्यक सिद्ध हुआ।

₹ 64.95 लाख की अंतिम बचत सामान्य भविष्य निधि (ए.आई.एस) के अंतिम भुगतान मामलों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

108- बीमा तथा पेंशन निधि पर ब्याज-				
01- हिमाचल प्रदेश सरकारी कर्मचारी समूह बीमा योजना-				
राज्य भाग				
मूल	2,750.00			
		2,700.00	2,675.44	(-)24.56
पुनर्वि०	(-)50.00			

₹ 24.56 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा विनियोजन में ₹ 50.00 लाख की कमी अनुसूचि के अनुसार ब्याज के भुगतान के लिए निधियों की कम आवश्यकता के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 24.56 लाख की अंतिम बचत योजना के अंतर्गत मामलों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

2071- पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभ-				
01- सिविल-				
104- उपदान-				
03- विभिन्न ग्रेच्युटी अधिनियमों के अन्तर्गत ग्रेच्युटी-				
राज्य भाग				
पूरक	88.42	88.42	..	(-)88.42

₹ 88.42 लाख का समस्त विनियोजन मामले प्राप्त न होने के कारण अप्रयुक्त रहा।

04- ग्रेच्युटी के विलंबित भुगतान पर ब्याज-				
राज्य भाग				
मूल	0.01			
		32.34	27.81	(-)4.53
पूरक	32.33			

₹ 4.53 लाख की अंतिम बचत उपदान के विलम्बित मामलों की कम संख्या के कारण हुई।

(viii) उपरोक्त बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसन्तुलित हुई:-

शीर्ष	कुल विनियोजन	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
		(₹ लाख में)	

2049- ब्याज अदायगी-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-29 (क्रमशः)

01-	आंतरिक ऋण पर ब्याज-				
101-	बाजार ऋणों पर ब्याज-				
एम 5-	7.39 प्रतिशत हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार प्रतिभूति 2034-राज्य भाग				
(i)	पूरक	0.01			
			3,695.00	3,695.00	..
	पुनर्वि०	3,694.99			
एम 6-	7.41 प्रतिशत हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार प्रतिभूति 2036-राज्य भाग				
(ii)	पूरक	0.01			
			4,446.00	4,446.00	..
	पुनर्वि०	4,445.99			
एम 7-	7.52 प्रतिशत हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार प्रतिभूति 2039-राज्य भाग				
(iii)	पूरक	0.01			
			5,053.44	5,053.44	..
	पुनर्वि०	5,053.43			
एम 8-	7.45 प्रतिशत हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार प्रतिभूति 2044-राज्य भाग				
(iv)	पूरक	0.01			
			3,725.00	3,725.00	..
	पुनर्वि०	3,729.99			
एम 9-	7.47 प्रतिशत हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार प्रतिभूति 2033-राज्य भाग				
(v)	पूरक	0.01			
			2,614.50	2,614.50	..
	पुनर्वि०	2,614.49			
एन 1-	7.44 प्रतिशत हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार प्रतिभूति 2034-राज्य भाग				
(vi)	पूरक	0.01			
			1,860.00	1,860.00	..
	पुनर्वि०	1,859.99			
एन 2-	7.46 प्रतिशत हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार प्रतिभूति 2036-राज्य भाग				
(vii)	पूरक	0.01			
			2,611.00	2,611.00	..
	पुनर्वि०	2,610.99			
एन 3-	7.35 प्रतिशत हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार प्रतिभूति 2034-				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-29 (क्रमशः)

	राज्य भाग				
(viii)	पूरक	0.01			
			1,837.50	1,837.50	..
	पुनर्वि०	1,837.49			
एन 4-	7.25 प्रतिशत हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार प्रतिभूति 2033-राज्य भाग				
(ix)	पूरक	0.01			
			1,812.50	1,812.50	..
	पुनर्वि०	1,812.49			
एन 5-	7.22 प्रतिशत हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार प्रतिभूति 2039-राज्य भाग				
(x)	पूरक	0.01			
			2,527.00	2,527.00	..
	पुनर्वि०	2,526.99			
	उपरोक्त दस मामलों में मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा विनियोजन में ₹ 30,181.84 लाख का आवर्धन अनुसूची के अनुसार ब्याज के भुगतान हेतु किया गया।				
115-	भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम पर ब्याज-				
01-	भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम प्रभार पर ब्याज-राज्य भाग				
	मूल	0.01			
			1,000.00	1,010.04	(+)10.04
	पुनर्वि०	999.99			
	₹ 10.04 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा विनियोजन में ₹ 999.99 लाख का आवर्धन ब्याज के भुगतान हेतु किया गया जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुआ।				
	₹ 10.04 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।				
02-	ओवरड्राफ्ट पर ब्याज-राज्य भाग				
	मूल	0.01			
			300.00	230.00	(-)70.00
	पुनर्वि०	299.99			
	₹ 70.00 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा विनियोजन में ₹ 299.99 लाख का आवर्धन ब्याज के भुगतान हेतु किया गया जोकि अत्याधिक सिद्ध हुआ।				
	₹ 70.00 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।				
116-	14 दिन के खजाना बिलों पर ब्याज-				
01-	14 दिन के खजाना बिलों पर ब्याज -राज्य भाग				
	मूल	400.00	400.00	576.85	(+)176.85

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-29 (क्रमशः)

₹ 176.85 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

200-	अन्य आंतरिक ऋणों पर ब्याज-				
07-	राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक-				
	राज्य भाग				
	मूल	15,600.00			
			16,100.00	15,891.77	(-)208.23
	पुनर्वि०	500.00			

₹ 208.23 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा विनियोजन में ₹ 500.00 लाख का आवर्धन ब्याज के भुगतान हेतु किया गया जोकि अत्यधिक सिद्ध हुआ।

₹ 208.23 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

25-	राष्ट्रीय आवास बैंक से ऋण पर ब्याज-				
	राज्य भाग				
	पूरक	0.01			
			44.20	43.59	(-)0.61
	पुनर्वि०	44.19			

मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा विनियोजन में ₹ 44.19 लाख का आवर्धन ब्याज के भुगतान हेतु किया गया।

305-	ऋण प्रबन्धन-				
01-	ऋण का प्रबन्ध				
	राज्य भाग				
	मूल	800.00	800.00	1,420.44	(+)620.44

₹ 620.44 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

02-	फ्लोटेशन शुल्क पर वस्तु एवं सेवा कर-				
	राज्य भाग				
	मूल	0.01			
			1,418.35	17.22	(-)1,401.13
	पुनर्वि०	1,418.34			

₹ 1,401.13 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा विनियोजन में ₹ 1,418.34 लाख का आवर्धन ब्याज के भुगतान हेतु किया गया जोकि अत्याधिक सिद्ध हुआ।

₹ 1,401.13 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

03-	अल्प बचत, भविष्य निधि आदि पर ब्याज-				
104-	राज्य भविष्य निधि पर ब्याज-				
01-	सामान्य भविष्य निधि-				
	राज्य भाग				
	मूल	1,30,000.00			
			1,35,000.00	1,35,459.69	(+)459.69
	पुनर्वि०	5,000.00			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-29 (क्रमशः)

₹ 459.69 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा विनियोजन में ₹ 5,000.00 लाख का आवर्धन ब्याज के भुगतान के लिए निधियों की अधिक आवश्यकता के कारण हुआ जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुआ।

₹ 459.69 लाख का अंतिम आधिक्य सामान्य भविष्य निधि के अंतिम भुगतान मामलों की संख्या में वृद्धि तथा सामान्य भविष्य निधि में ₹ 5.00 लाख की अधिकतम अंशदान सीमा के कार्यान्वयन न होने के कारण हुआ।

04- केन्द्रीय सरकार से ऋणों तथा अग्रिमों पर ब्याज-

101- राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की योजनागत योजनाओं के लिए कर्जों पर ब्याज-

01- खण्ड विकास ऋण पर ब्याज-
राज्य भाग

मूल 7,099.56

8,298.22

8,298.23

(+)0.01

पुनर्वि० 1,198.66

मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा विनियोजन में ₹ 1,198.66 लाख का आवर्धन ऋण पर ब्याज के भुगतान के लिए अधिक धनराशि की आवश्यकता के कारण हुआ।

05- आरक्षित निधि पर ब्याज-

105- सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधियों पर ब्याज-

02- कैम्पा फंड पर ब्याज-
राज्य भाग

मूल 5,500.00

पूरक 898.01

7,600.00

7,686.27

(+)86.27

पुनर्वि० 1,201.99

₹ 86.27 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा विनियोजन ₹ 1,201.99 लाख का आवर्धन आरक्षित निधि पर ब्याज के भुगतान के लिए अधिक धनराशि की आवश्यकता के कारण हुआ जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुआ।

₹ 86.27 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

पूंजीगत प्रवर्ग

(ix) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
		(₹ लाख में)	

7610- सरकारी कर्मचारी आदि को ऋण-

201- गृह निर्माण अग्रिम-

01- सरकारी कर्मचारियों को गृह निर्माण अग्रिम-
राज्य भाग

मूल 600.00

141.89

134.23

(-)7.66

पुनर्वि० (-)458.11

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-29 (क्रमशः)

मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 458.11 लाख की कमी गृह ऋण अग्रिम के लिए सरकारी कर्मचारियों से प्रस्तावों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

02- मंत्रियों/उपमंत्रियों तथा राज्यसभा के पीठासीन अध्यक्षों को अग्रिम-राज्य भाग

मूल 50.00

25.00

25.00

..

पुनर्वि० (-)25.00

मार्च 2025 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 25.00 लाख की कमी प्रस्तावों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

800- अन्य अग्रिम-

04- शिक्षा ऋण-

राज्य भाग

मूल 5.00

..

..

..

पुनर्वि० (-)5.00

मार्च 2025 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 5.00 लाख का समस्त प्रावधान प्रस्तावों की कम प्राप्ति के कारण कम कर दिया गया।

(x) उपरोक्त बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अंतर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसन्तुलित हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
		(₹ लाख में)	

4059- लोक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय-

01- कार्यालय भवन-

051- निर्माण-

08- कोषागार-

राज्य भाग-

पूरक 0.01

80.00

80.00

..

पुनर्वि० 79.99

मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 79.99 लाख का आवर्धन हिमुडा कॉलोनी, कसुम्पटी में आवासीय आवास के संबंध में लंबित देनदारियों को पूरा करने के लिए किया गया।

7610- सरकारी कर्मचारी आदि को ऋण-

201- गृह निर्माण अग्रिम-

03- हाई कोर्ट के जजों/लोकायुक्त इत्यादि

को अग्रिम-

राज्य भाग

(i) मूल 7.50

12.50

12.50

..

पुनर्वि० 5.00

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-29 (क्रमशः)

202-	मोटर वाहन को क्रय करने के लिए अग्रिम-				
03-	मंत्रियों तथा राज्य विधानसभा के अधिकारियों				
	को मोटर कार हेतु अग्रिम-				
	राज्य भाग				
(ii)	मूल	0.01			
			100.00	100.00	..
	पुनर्वि०	99.99			
	उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 104.99 लाख का आवर्धन प्रस्तावों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ।				
(xi)	प्रभारित विनियोजन में आधिक्य मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अंतर्गत हुआ:-				
	शीर्ष	कुल विनियोजन	वास्तविक	आधिक्य (+)	
			व्यय	बचत (-)	
			(₹ लाख में)		
6003-	राज्य सरकार का आंतरिक ऋण-				
105-	राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से ऋण-				
01-	राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक से ऋण-				
	राज्य भाग				
	मूल	63,765.75			
			63,800.75	63,800.74	(-)0.01
	पुनर्वि०	35.00			
	मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा विनियोजन में ₹ 35.00 लाख का आवर्धन अनसूची के अनुसार ऋण की अदायगी के कारण हुआ।				
110-	भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम-				
01-	साधारण अर्थोपाय अग्रिम तथा ओवर				
	ड्राफ्ट अधिविकरण-				
	राज्य भाग				
	मूल	1,00,000.00			
	पूरक	7,88,207.15	8,91,465.00	10,49,083.00	(+)1,57,618.00
	पुनर्वि०	3,257.85			
	₹ 1,57,618.00 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा विनियोजन में ₹ 3,257.85 लाख का आवर्धन राज्य सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक से लिए गए ऋण और औसत अग्रिमों के पुनर्भुगतान के कारण हुआ जोकि अनुपूरक अनुदान मांग के पारित होने के बाद कम आवरड्राफ्ट का लाभ उठाने के कारण हुई बचत से आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हुआ जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुआ।				
	₹ 1,57,618.00 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।				
03-	भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आवरड्राफ्ट तथा कमियाँ-				
	राज्य भाग				
	मूल	50,000.00			
			2,75,500.00	3,73,145.20	(+)97,645.20
	पूरक	2,25,500.00			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-29 (समाप्त)

₹ 97,645.20 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

6004- केन्द्रीय सरकार से ऋण तथा अग्रिम-

09- राज्यों/विधानमंडल मुक्त केन्द्र शासित प्रदेशों के लिए अन्य ऋण-

101- ब्लॉक ऋण-

01- ब्लॉक ऋण-सामान्य ऋण-
राज्य भाग

मूल 434.31

767.27

767.27

..

पुनर्वि० 332.96

मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा विनियोजन में ₹ 332.96 लाख का आवर्धन अनुसूची के अनुसार ऋणों के पुनर्भुगतान के कारण हुआ।

(xii) उपरोक्त आधिक्य मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अंतर्गत हुई बचत से अंशतः प्रतिसन्तुलित हुआ:-

शीर्ष	कुल विनियोजन	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
			(₹ लाख में)

6003- राज्य सरकार का आंतरिक ऋण-

108- राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से ऋण-

02- राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से ऋण-
राज्य भाग

(i) मूल 2,589.58

2,509.66

2,509.66

..

पुनर्वि० (-)79.92

6004- केन्द्रीय सरकार से ऋण तथा अग्रिम-

02- राज्य/संघ राज्य क्षेत्र योजनागत स्कीमों के लिए ऋण-

105- बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अन्तर्गत संचित राज्य योजना ऋण-

01- बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों पर संगठित संचित ऋण-
राज्य भाग

(ii) मूल 4,528.94

983.06

983.01

(-)0.05

पुनर्वि० (-)3,545.88

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा विनियोजन में ₹ 3,625.80 लाख की कमी अनुसूची के अनुसार ऋणों के कम पुनर्भुगतान के कारण हुई।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-30 विविध सामान्य सेवाएँ

(शीर्ष- 2059-लोक निर्माण-कार्य, 2070- अन्य प्रशासनिक सेवाएं, 2202- सामान्य शिक्षा, 2204- खेलकूद तथा युवा सेवाएं, 2205- कला एवं संस्कृति, 2220- सूचना तथा प्रचार, 2235- सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण 2250- अन्य सामाजिक सेवाएं, 4059-लोक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय, 4202- शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय तथा 4220- सूचना तथा प्रचार पर पूंजीगत परिव्यय)

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य (+) बचत (-)
राजस्व प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	94,29,60			
		1,16,40,03	1,09,35,63	(-)7,04,40
पूरक	22,10,43			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)				27,94
पूंजीगत प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	22,63,00			
		67,61,59	67,05,66	(-)55,93
पूरक	44,98,59			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)				1,22

टिप्पणियाँ तथा अभ्युक्तियाँ

- (i) राजस्व प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 704.40 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में प्राप्त ₹ 2,210.43 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ तथा ₹ 27.94 लाख का अभ्यर्पण अपर्याप्त सिद्ध हुआ।
- (ii) पूंजीगत प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 55.93 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में प्राप्त ₹ 4,498.59 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।

राजस्व प्रवर्ग

- (iii) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य (+) बचत (-)
शीर्ष				

2070- अन्य प्रशासनिक सेवाएं-
003- प्रशिक्षण-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-30 (क्रमशः)

01- परिवीक्षाधीन भारतीय प्रशासनिक
अधिकारियों पर प्रशिक्षण व्यय-
राज्य भाग

मूल	252.43			
पूरक	31.50	187.97	179.04	(-)8.93
पुनर्वि०	(-)95.96			

मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 95.96 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने तथा मंहगाई भत्ते का भुगतान न करने के कारण हुई।

02- हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा के
परिवीक्षार्थियों का प्रशिक्षण व्यय-
राज्य भाग

(i) मूल	158.05			
पूरक	0.15	127.29	126.56	(-)0.73
पुनर्वि०	(-)30.91			

2204- खेलकूद तथा युवा सेवाएं-

001- निर्देशन एवं प्रशासन-
01- निदेशालय-
राज्य भाग

(ii) मूल	1,253.40			
पूरक	25.70	1,227.95	1,223.66	(-)4.29
पुनर्वि०	(-)51.15			

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 82.06 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

101- व्यायाम शिक्षा-
01- शारीरिक शिक्षा योजना-
राज्य भाग

मूल	48.12			
		22.62	23.28	(+)0.66
पुनर्वि०	(-)25.50			

मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 25.50 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने तथा मंहगाई भत्ते का भुगतान न करने के कारण हुई।

104- खेलकूद-
04- हिमाचल प्रदेश स्वर्णिम जयंती
खेल नीति के तहत पुरस्कार-
राज्य भाग

मूल	0.01			
पूरक	1,814.86	1,902.01	1,477.28	(-)424.73
पुनर्वि०	87.14			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-30 (क्रमशः)

₹ 424.73 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 87.14 लाख का आवर्धन उत्कृष्ट पदक विजेताओं पर अधिक व्यय के कारण हुआ जोकि अनावश्यक सिद्ध हुआ।

₹ 424.73 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

2205- कला एवं संस्कृति-

102- कला तथा संस्कृति को संवर्धन-

01- हिमाचल प्रदेश कला, संस्कृति एवं भाषा
अकादमी को सहायता अनुदान-
राज्य भाग

(i)	मूल	150.00			
			175.00	123.38	(-)51.62
	पूरक	25.00			

02- उत्सवों पर व्यय-
राज्य भाग

(ii)	मूल	250.00			
			280.00	168.89	(-)111.11
	पूरक	30.00			

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 162.73 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

2220- सूचना तथा प्रचार-

01- चलचित्र-

001- निदेशन और प्रशासन-

01- निदेशालय-
राज्य भाग

(i)	मूल	708.54			
			615.99	615.99	..
	पुनर्वि०	(-)92.55			

02- जिला स्थापना-
राज्य भाग

(ii)	मूल	904.00			
			778.73	778.65	(-)0.08
	पुनर्वि०	(-)125.27			

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 217.82 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

60- अन्य-

107- गीत तथा नाटक सेवाएँ-

01- गीत तथा नाटक सेवाओं पर व्यय-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-30 (क्रमशः)

राज्य भाग				
मूल	281.87			
		115.38	115.21	(-)0.17
पुनर्वि०	(-)113.49			
मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 113.49 लाख की कमी लोक मिडिया के माध्यम से प्रचार पर कम व्यय और रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।				
110-	प्रकाशन-			
01-	प्रकाशन योजना पर व्यय-			
	राज्य भाग			
मूल	248.82			
		138.15	138.15	..
पुनर्वि०	(-)110.67			
मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 110.67 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने तथा प्रचार सामग्री के कम प्रकाशन के कारण हुई।				
(iv)	उपरोक्त बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसन्तुलित हुई:-			
शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
			(₹ लाख में)	
2070-	अन्य प्रशासनिक सेवाएँ-			
003-	प्रशिक्षण-			
03-	हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासनिक संस्थान-			
	राज्य भाग			
मूल	376.18			
पूरक	69.57	572.62	576.66	(+)4.04
पुनर्वि०	126.87			
मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 126.87 लाख का आवर्धन कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम के अधिक आयोजन के कारण हुआ।				
2202-	सामान्य शिक्षा-			
05-	भाषा विकास-			
001-	निदेशन और प्रशासन			
01-	निदेशालय-			
	राज्य भाग			
मूल	417.30			
पूरक	8.72	459.65	439.65	(-)20.00
पुनर्वि०	33.63			
मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 33.63 लाख का आवर्धन मुख्यतः बाह्य स्रोत सेवाओं की दर में वृद्धि के कारण हुआ।				
2220-	सूचना तथा प्रचार-			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-30 (क्रमशः)

60- अन्य-

101- विज्ञापन और दृश्य प्रचार-

01- विज्ञापन और दृश्य प्रचार पर व्यय-
राज्य भाग

मूल 1,929.99

पूरक 183.31

2,440.03

2,440.03

..

पुनर्वि० 326.73

मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 326.73 लाख का आवर्धन विज्ञापन और प्रचार पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

102- सूचना केन्द्र-

01- प्रैस सूचना सेवाओं पर व्यय-
राज्य भाग

मूल 397.77

512.30

512.27

(-)0.03

पुनर्वि० 114.53

मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 114.53 लाख का आवर्धन बाह्य स्रोत कर्मचारियों और मीडिया एजेंसी को अधिक भुगतान के कारण हुआ।

पूँजीगत प्रवर्ग

(v) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य (+) बचत (-)
-------	------------	------------------------------	-----------------------

4202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय-

03- खेलकूद तथा युवा सेवाएं-

101- युवा छात्रावास-

01- भवन-

राज्य भाग

(i) मूल 316.00

316.00

253.61

(-)62.39

102- खेल क्रीडा स्थल-

05- मुख्यमंत्री युवा खेल प्रोत्साहन योजना-
राज्य भाग

(ii) मूल 735.00

735.00

705.00

(-)30.00

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 92.39 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

4220- सूचना तथा प्रचार पर पूँजीगत परिव्यय-

60- अन्य-

101- भवन-

02- प्रेस क्लब भवन का निर्माण-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-30 (समाप्त)

राज्य भाग

पुनर्वि०	9.78	9.78	..	(-)9.78
----------	------	------	----	---------

मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 9.78 लाख का समस्त प्रावधान प्राप्त किया गया जोकि अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)। जबकि धनराशि मूल/अनुपूरक बजटब अनुमानों के माध्यम से प्राप्त की जानी थी बिना बजट प्रावधान के पुनर्विनियोजन हिमाचल प्रदेशा की बजट नियमावली के पैरा 12.5 में निहित प्रावधान का उल्लंघन था।

(vi) उपरोक्त बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसन्तुलित हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
			(₹ लाख में)

4202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति
पर पूंजीगत परिव्यय-

03- खेलकूद तथा युवा सेवाएं-

102- खेल क्रीड स्थल-

01- बहुउद्देशीय खेल परिसर-
राज्य भाग

मूल	1,000.00			
		4,000.00	4,048.00	(+)48.00
पुनर्वि०	3,000.00			

₹ 48.00 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

विनियोग लेखे

अनुदान संख्या-31- जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम

(शीर्ष- 2014 - न्याय प्रशासन, 2015- निर्वाचन, 2029- भू-राजस्व, 2030- स्टॉम्प तथा पंजीकरण, 2045- वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क, 2047- अन्य राजकोषीय सेवाएं, 2053- जिला प्रशासन, 2054-खजाना तथा लेखा प्रशासन, 2055- पुलिस, 2059-लोक निर्माण-कार्य, 2062-सतर्कता, 2202- सामान्य शिक्षा, 2203- तकनीकी शिक्षा, 2204-खेलकूद तथा युवा सेवाएं, 2205- कला एवं संस्कृति, 2210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 2211- परिवार कल्याण, 2215- जलापूर्ति तथा सफाई, 2216- आवास, 2217- शहरी विकास, 2220- सूचना तथा प्रचार, 2225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण, 2230- श्रम रोजगार और कौशल विकास, 2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, 2236- पोषण, 2251- सचिवालय सामाजिक सेवाएं, 2401- फसल कृषि-कर्म, 2402- भू तथा जल संरक्षण, 2403- पशु पालन, 2404- दुग्ध विकास, 2405- मत्स्य पालन, 2406- वानिकी तथा वन्य जीवन, 2408- खाद्य भण्डारण तथा भाण्डागार, 2415- कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा, 2425- सहकारिता, 2435- अन्य कृषि कार्यक्रम, 2501- ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम, 2505- ग्राम रोजगार, 2506- भूमि-सुधार, 2515- अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम, 2702- लघु सिंचाई, 2801-विद्युत्, 2851- ग्रामीण तथा लघु उद्योग, 2852- उद्योग, 2853- अलौह खनन तथा धातु उद्योग, 3054- सड़कें तथा सेतु, 3055- सड़क परिवहन, 3452- पर्यटन, 3454- जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, 3456- नागरिक आपूर्ति, 3475- अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं, 4055- पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय, 4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय, 4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय, 4202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय, 4210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय, 4215-जलापूर्ति तथा स्वच्छता पर पूंजीगत परिव्यय, 4216- आवास पर पूंजीगत परिव्यय, 4217-शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय, 4225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय, 4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत व्यय, 4401- फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय, 4402- मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय, 4403- पशु पालन पर पूंजीगत परिव्यय, 4405-मत्स्य पालन पर पूंजीगत परिव्यय, 4406- वानिकी तथा वन्य प्राणियों पर पूंजीगत परिव्यय, 4408-खाद्य, भण्डारण तथा भाण्डागार पर पूंजीगत परिव्यय, 4425-सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय, 4515- अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम पर पूंजीगत परिव्यय, 4702- लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, 4705-कमान क्षेत्र विकास पर पूंजीगत परिव्यय, 4711-बाढ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय, 4801-बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय, 4851-ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय, 5002-भारतीय रेलवे वाणिज्यिक लाइनों पर पूंजीगत परिव्यय, 5053- नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय, 5054- सड़कों तथा पुलों पर पूंजीगत परिव्यय, 5055- सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय, 5075-अन्य परिवहन सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय 5452- पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय, 5475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय तथा 6801-बिजली परियोजनाओं के लिए ऋण)

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-31 (क्रमशः)

		कुल अनुदान/ विनियोजन	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य (+) बचत (-)
राजस्व प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	20,18,40,34			
		21,79,45,95	16,78,37,23	(-)5,01,08,72
पूरक	1,61,05,61			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)				23,03,11
प्रभारित				
मूल	..			
		2,54,20	2,48,17	(-)6,03
पूरक	2,54,20			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..
पूंजीगत प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	5,38,16,50			
		5,47,75,14	2,82,13,40	(-)2,65,61,74
पूरक	9,58,64			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)				58,47,76

टिप्पणियाँ तथा अभ्युक्तियाँ

- (i) राजस्व प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 50,108.72 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में प्राप्त ₹ 16,105.61 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ जबकि मूल अनुदान भी अप्रयुक्त रहा तथा ₹ 2,303.11 लाख का अभ्यर्पण अपर्याप्त सिद्ध हुआ।
- (ii) राजस्व प्रवर्ग के प्रभारित विनियोजन में ₹ 6.03 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में प्राप्त ₹ 254.20 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।
- (iii) पूंजीगत प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 26,561.74 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में प्राप्त ₹ 958.64 लाख का अनुपूरक अनुदान अपर्याप्त सिद्ध हुआ जबकि मूल अनुदान भी अप्रयुक्त रहा तथा ₹ 5,847.76 लाख का अभ्यर्पण अपर्याप्त सिद्ध हुआ।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-31 (क्रमशः)

राजस्व प्रवर्ग

(iv) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-				
शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य (+) बचत (-)	
2029- भू-राजस्व-				
796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-				
01- जिला स्थापना पर व्यय- राज्य भाग				
(i) मूल	561.89	561.89	504.21	(-)57.68
03- प्राथमिक तथा पर्यवेक्षण भू-अभिलेख ऐजेन्सियों का सुदृढीकरण राज्य भाग				
(ii) मूल	97.59	97.59	72.45	(-)25.14
2047- अन्य राजकोषीय सेवएं-				
796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-				
01- लघु बचत संस्थाओं पर व्यय- राज्य भाग				
(iii) मूल	11.67	11.67	9.05	(-)2.62
उपरोक्त तीन मामलों में ₹ 85.44 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।				
2053- जिला प्रशासन-				
796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-				
01- जिला स्थापना पर व्यय- राज्य भाग				
मूल	1,430.00			
		1,474.05	1,266.51	(-)207.54
पुनर्वि०	44.05			
₹ 207.54 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 44.05 लाख का आवर्धन दैनिक दिहाडीदारों की नियुक्ति, दैनिक मजदूरी दर में वृद्धि, बाह्य स्रोत वाहनों, पेट्रोल, तेल, स्नेहक तथा वाहनों की मरम्मत पर अधिक व्यय होने के कारण हुआ जोकि अनावश्यक सिद्ध हुआ।				
₹ 207.54 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।				
03- अनुसूचित क्षेत्र में एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना कार्यालय- राज्य भाग				
मूल	270.65			
		226.54	208.10	(-)18.44
पुनर्वि०	(-)44.11			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-31 (क्रमशः)

मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 44.11 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने तथा प्रस्तावों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

05- आवासीय आयुक्त, पांगी के कार्यालय पर व्यय-
राज्य भाग

(i) मूल	45.92			
		45.82	26.81	(-)19.01
पुनर्वि०	(-)0.10			

13- अतिरिक्त आयुक्त, पांगी के कार्यालय पर व्यय-
राज्य भाग

(ii) मूल	20.94	20.94	1.59	(-)19.35
----------	-------	-------	------	----------

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 38.36 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

14- प्रशिक्षण, जनजातीय संस्कृति/खेल एवं अन्य विकास
सुविधाओं को बढ़ावा देना-
राज्य भाग

मूल	310.00			
पूरक	8.92	54.94	33.49	(-)21.45
पुनर्वि०	(-)263.98			

मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 263.98 लाख की कमी खेलकूद व अन्य विकास सुविधाओं पर कम व्यय एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों के कम संचालन के कारण हुई।

2054- खजाना तथा लेखा प्रशासन-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

01- जिला कोषागार तथा अग्र कोषागार
स्थापना पर व्यय-
राज्य भाग

मूल	487.23			
		495.22	386.26	(-)108.96
पुनर्वि०	7.99			

₹ 108.96 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

2055- पुलिस-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

01- पुलिस संगठनों पर व्यय-
राज्य भाग

मूल	6,500.13			
पूरक	5.00	6,367.63	6,030.88	(-)336.75
पुनर्वि०	(-)137.50			

₹ 336.75 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 137.50 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जोकि बाह्य वाहनों, पेट्रोल, तेल, रनेहक, मरम्मत, बाह्य सेवाओं की अधिक नियुक्ति तथा चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की अधिक प्राप्ति से हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 336.75 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-31 (क्रमशः)

04-	पुलिस रेडिरू स्टाफ पर व्यय- राज्य भाग				
	मूल	992.38			
			794.88	765.54	(-)29.34
	पुनर्वि०	(-)197.50			
	मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 197.50 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।				
2059-	लोक निर्माण-कार्य-				
01-	कार्यालय भवन-				
796-	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-				
02-	सरकारी जिला राजस्व भवनों के रखरखाव एवं मरम्मत पर व्यय-				
	राज्य भाग				
(i)	मूल	3.02	3.02	0.94	(-)2.08
03-	लोक निर्माण विश्राम/सर्कट भवनों के रखरखाव एवं मरम्मत पर व्यय-				
	राज्य भाग				
(ii)	मूल	73.77	73.77	55.05	(-)18.72
	उपरोक्त दो मामलों में ₹ 20.80 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।				
05-	नए औजारों तथा सयंत्रों की आपूर्ति के लिए व्यय-				
	राज्य भाग				
	मूल	9.28			
			3.08	4.63	(+)1.55
	पुनर्वि०	(-)6.20			
	मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 6.20 लाख की कमी कार्यालय भवन की मरम्मत पर कम व्यय के कारण हुई।				
07-	उच्चंत के अन्तर्गत व्यय (स्कन्ध)-				
	राज्य भाग				
(i)	मूल	1,000.00	1,000.00	282.09	(-)717.91
08-	उच्चंत के अन्तर्गत व्यय (स्कन्ध निर्माण)-				
	राज्य भाग				
(ii)	मूल	500.00	500.00	231.64	(-)268.36
09-	उच्चंत के अन्तर्गत व्यय (विविध लोक निर्माण अग्रिम)-				
	राज्य भाग				
(iii)	मूल	500.00	500.00	31.43	(-)468.57
	उपरोक्त तीन मामलों में ₹ 1,454.84 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-31 (क्रमशः)

10-	भवनों के रखरखाव पर व्यय- राज्य भाग				
	मूल	9.22	9.22	..	(-)9.22
		₹ 9.22 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।			

80- सामान्य-

796-	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-				
01-	भवन निर्माण कार्यक्रम संबंधी स्थापना पर व्यय- राज्य भाग				
(i)	मूल	555.21			
			503.55	486.36	(-)17.19
	पुनर्वि०	(-)51.66			

02-	स्थाई स्थापना में परिवर्तित कार्य प्रभारी कर्मचारी वर्ग पर व्यय- राज्य भाग				
(ii)	मूल	1,248.98			
			990.29	975.71	(-)14.58
	पुनर्वि०	(-)258.69			

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 310.35 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

05-	प्राथमिक/माध्यमिक पाठशालाओं का रखरखाव- राज्य भाग				
	मूल	214.99	214.99	77.64	(-)137.35
		₹ 137.35 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।			

06-	वसूली के समायोजन हेतु रखरखाव प्रावधान- राज्य भाग				
	मूल	1,248.98			
			992.15	348.45	(-)643.70
	पुनर्वि०	(-)256.83			

₹ 643.70 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 256.83 लाख की कमी रखरखाव पर कम व्यय के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 643.70 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

2062- सतर्कता-

796-	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-				
01-	राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो-				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-31 (क्रमशः)

राज्य भाग				
मूल	259.83			
		209.33	211.39	(+)2.06
पुनर्वि०	(-)50.50			
मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 50.50 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।				
2070-	अन्य प्रशासनिक सेवाएँ-			
796-	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-			
03-	जिला गृह रक्षक कर्मचारी-			
	राज्य भाग			
(i)	मूल	469.88		
		446.88	412.52	(-)34.36
	पुनर्वि०	(-)23.00		
2202-	सामान्य शिक्षा-			
01-	प्रारंभिक शिक्षा-			
796-	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-			
02-	खण्ड प्राथमिक शिक्षा अधिकारी के			
	कार्यालय तथा स्टाफ पर व्यय-			
	राज्य भाग			
(ii)	मूल	474.79		
		476.29	381.80	(-)94.49
	पुनर्वि०	1.50		
उपरोक्त दो मामलों में ₹ 128.85 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।				
03-	प्राथमिक पाठशालाओं पर व्यय-			
	राज्य भाग			
	मूल	11,282.77		
		11,215.64	8,959.93	(-)2,255.71
	पुनर्वि०	(-)67.13		
₹ 2,255.71 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 67.13 लाख की कमी दैनिक वेतन भोगियों की कम भर्ती के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।				
₹ 2,255.71 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।				
07-	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों पर व्यय-			
	राज्य भाग			
(i)	मूल	355.80	355.80	307.37
				(-)48.43

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-31 (क्रमशः)

11-	गर्म पकाया हुआ भोजन-मध्याह्न भोजन- केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(ii)	मूल	758.00	758.00	376.57	(-)381.43
	राज्य भाग				
(iii)	मूल	755.00	755.00	641.58	(-)113.42
18-	निजी विद्यालयों के कमजोर वर्ग के छात्रों के शुल्क की प्रतिपूर्ति (कक्षा 1 से 8)- राज्य भाग				
(iv)	मूल	6.40	6.40	0.58	(-)5.82
21-	समग्र शिक्षा अभियान- केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(v)	मूल	5,094.00	5,094.00	1,714.86	(-)3,379.14
	राज्य भाग				
(vi)	मूल	486.00	486.00	190.56	(-)295.44
23-	एस.टी.ए.आर.एस.प्रोजेक्ट - केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(vii)	मूल	2,700.00	2,700.00	750.69	(-)1,949.31
	राज्य भाग				
(viii)	मूल	2,70.00	2,70.00	83.41	(-)186.59
26-	न्यू इंडिया साक्षरता कार्यक्रम- केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(ix)	मूल	17.00	17.00	8.52	(-)8.48
	उपरोक्त नौ मामलों में ₹ 6,368.06 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)। जबकि क्रम संख्या (ii) में ₹ 383.89 लाख, क्रम संख्या (v) में ₹ 2,823.81 लाख, क्रम संख्या (vii) में ₹ 750.69 लाख और क्रम संख्या (ix) में ₹ 8.52 लाख का अनुदान भारत सरकार से प्राप्त हुआ था।				
27-	राजकीय मॉडल केन्द्र प्राथमिक विद्यालय- राज्य भाग				
	मूल	9.00			
	पुनर्वि०	(-)9.00			
	मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 9.00 लाख के समस्त प्रावधान को सामग्री एवं पदार्थों के क्रय पर कम व्यय के कारण कम कर दिया गया।				
28-	प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया- केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(i)	पूरक	1,218.00	1,218.00	597.93	(-)620.07

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-31 (क्रमशः)

	राज्य भाग				
(ii)	पूरक	135.00	135.00	68.45	(-)68.55
02-	माध्यमिक शिक्षा-				
796-	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-				
01-	जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालयों तथा स्टॉफ पर व्यय-				
	राज्य भाग				
(iii)	मूल	256.08			
			255.90	203.21	(-)52.69
	पुनर्वि०	(-)0.18			
02-	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के तहत माध्यमिक पाठशालाओं पर व्यय-				
	राज्य भाग				
(iv)	मूल	7,365.38			
			7,385.38	6,415.66	(-)969.72
	पूरक	20.00			
	उपरोक्त चार मामलों में ₹ 1,711.03 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)। जबकि क्रम संख्या (i) में ₹ 920.60 लाख का अनुदान भारत सरकार से प्राप्त हुआ था।				
03-	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के तहत हाई स्कूल पर व्यय-				
	राज्य भाग				
	मूल	9,071.18			
	पूरक	2.00	9,028.18	7,655.59	(-)1,372.59
	पुनर्वि०	(-)45.00			
	₹ 1,372.59 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 45.00 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने तथा दैनिक वेतन भोगियों की कम भर्ती के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।				
	₹ 1,372.59 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।				
13-	श्रीनिवास रामानुजन स्टूडेंट डिजिटल योजना-				
	राज्य भाग				
(i)	मूल	225.00	225.00	..	(-)225.00
18-	अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए पूर्व-मैट्रिक योजना-				
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(ii)	मूल	120.00	120.00	..	(-)120.00

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-31 (क्रमशः)

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 345.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

25- समग्र शिक्षा अभियान-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना

(i)	मूल	2,825.00	2,825.00	2,103.34	(-) 721.66
	राज्य भाग				

(ii)	मूल	314.00	314.00	233.72	(-) 80.28
------	-----	--------	--------	--------	------------------

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 801.94 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

33- मुख्य मंत्री ज्ञान दीप योजना-
राज्य भाग

(i)	मूल	22.00	22.00	..	(-) 22.00
-----	-----	-------	-------	----	------------------

34- राजीव गांधी डे.बोर्डिंग स्कूल-
राज्य भाग

(ii)	मूल	6.00	6.00	..	(-) 6.00
------	-----	------	------	----	-----------------

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 28.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

03- विश्व विद्यालय और उच्चतर शिक्षा-

796- जनजातिय क्षेत्र उप-योजना-

09- सरदार वल्लभभाई पटेल क्लस्टर
विश्वविद्यालय-
राज्य भाग

(i)	मूल	80.00	80.00	58.92	(-) 21.08
-----	-----	-------	-------	-------	------------------

12- अनुसूचित जनजाति के छात्रों को पोस्ट
मैट्रिक छात्रवृत्ति-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना

(ii)	मूल	1,206.00	1,206.00	500.00	(-) 706.00
------	-----	----------	----------	--------	-------------------

राज्य भाग

(iii)	मूल	134.00	134.00	75.84	58.16
-------	-----	--------	--------	-------	-------

उपरोक्त तीन मामलों में ₹ 785.24 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

15- डॉ. यशवंत सिंह परमार ऋण योजना-
राज्य भाग

	मूल	45.00	45.00	..	(-) 45.00
--	-----	-------	-------	----	------------------

₹ 45.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

05- भाषा विकास-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-31 (क्रमशः)

796-	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-				
01-	हिन्दी के विकास पर व्यय-				
	राज्य भाग				
(i)	मूल	16.54	16.54	9.50	(-)7.04
80-	सामान्य-				
796-	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-				
02-	स्वर्ण जयंती सुपर 100 योजना-				
	राज्य भाग				
(ii)	मूल	45.00	45.00	3.65	(-)41.35
	उपरोक्त दो मामलों में ₹ 48.39 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।				
04-	मुख्य मंत्री प्रोत्साहन योजना-				
	राज्य भाग				
	मूल	14.00	14.00	..	(-)14.00
	₹ 14.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।				
2203-	तकनीकी शिक्षा-				
796-	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-				
03-	बहुतकनीकी संस्थानों के माध्यम से सामुदायिक विकास पर व्यय-केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
	मूल	2.00			
	पुनर्वि०	(-)2.00
	मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2.00 लाख के समस्त प्रावधान को भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया।				
2204-	खेलकूद तथा युवा सेवाएँ-				
796-	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-				
03-	युवा सेवाएँ तथा खेल निदेशालय पर व्यय-				
	राज्य भाग				
(i)	मूल	154.63	151.33	114.39	(-)36.94
	पुनर्वि०	(-)3.30			
2205-	कला एवं संस्कृति-				
796-	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-				
02-	पुरातत्व कक्ष पर व्यय-				
	राज्य भाग				
(ii)	मूल	97.00	97.00	65.97	(-)31.03

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-31 (क्रमशः)

03-	आर्ट गैलरी तथा आरकाइवाज पर व्यय- राज्य भाग				
(iii)	मूल	14.68	14.68	8.08	(-)6.60
2210-	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-				
03-	ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति-				
796-	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-				
02-	ऐलोपैथिक कार्यक्रम पर व्यय- राज्य भाग				
(iv)	मूल	1,909.61			
			1,912.60	1,748.64	(-)163.96
	पुनर्वि०	2.99			
03-	न्यूनतम आवश्यकता पर व्यय (प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र)- राज्य भाग				
(v)	मूल	2,624.43			
			2,620.18	2,131.48	(-)488.70
	पुनर्वि०	(-)4.25			
	उपरोक्त पाँच मामलों में ₹ 727.23 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।				
04-	ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-अन्य चिकित्सा पद्धतियाँ-				
796-	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-				
04-	आयुर्वेदिक कार्यक्रम पर व्यय- राज्य भाग				
	मूल	1,580.19			
			1,471.96	1,388.11	(-)83.85
	पुनर्वि०	(-)108.23			
	₹ 83.85 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 108.23 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।				
	₹ 83.85 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।				
05-	चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-				
796-	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-				
05-	डॉ राधाकृष्णन सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय, हमीरपुर- राज्य भाग				
	मूल	65.00			
			110.00	25.56	(-)84.44
	पुनर्वि०	45.00			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-31 (क्रमशः)

₹ 84.44 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 45.00 लाख का आवर्धन सामग्री/पदार्थों के क्रय पर अधिक व्यय के कारण हुआ जोकि अनावश्यक सिद्ध हुआ।

₹ 84.44 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

06-	पंडित जवाहर लाल नेहरू सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय चंबा- राज्य भाग				
	मूल	62.00	62.00	37.05	(-)24.95

₹ 24.95 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

08-	अटल चिकित्सा और अनुसंधान विश्वविद्यालय नेरचौक मंडी- राज्य भाग				
	मूल	6.71			
			4.21	4.21	..
	पुनर्वि०	(-)2.50			

मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2.50 लाख की कमी केन्द्रीय हिस्सेदारी की प्राप्ति न होने तथा समान राज्य की हिस्सेदारी अभ्यर्पित होने के कारण हुई।

06-	लोक स्वास्थ्य-				
796-	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-				
01-	स्टाफ पर व्यय- राज्य भाग				
(i)	मूल	41.82	41.82	22.01	(-)19.81
04-	यौन संक्रामक रोगों के नियंत्रण कार्यक्रम पर व्यय- राज्य भाग				
(ii)	मूल	27.65	27.65	17.57	(-)10.08
05-	विस्तारित रोग प्रतिरक्षा कार्यक्रम पर व्यय- राज्य भाग				
(iii)	मूल	122.98	122.98	86.45	(-)36.53
09-	बहुदेशीय कार्यक्रम स्कीम पर व्यय- राज्य भाग				
(iv)	मूल	219.74	219.74	133.41	(-)86.33
11-	राष्ट्रीय दृष्टिविहीनता कार्यक्रम पर व्यय- राज्य भाग				
(v)	मूल	23.54	23.54	9.98	(-)13.56

उपरोक्त पाँच मामलों में ₹ 166.31 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-31 (क्रमशः)

12-	राष्ट्रीय कुष्ठ नियंत्रण निगरानी युनिटों की स्थापना- केन्द्रीय प्रायोजित योजना	मूल	45.00			
				34.09	34.08	(-)0.01
	पुनर्वि०	(-)10.91				
	मार्च 2025 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 10.91 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने तथा यात्रा भत्ता दावों की कम प्राप्ति के कारण हुई।					
13-	दृष्टि/विहीनता नियंत्रण तथा बचाव कार्यक्रम तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर व्यय- केन्द्रीय प्रायोजित योजना	मूल	19.00			
				17.05	12.80	(-)4.25
	पुनर्वि०	(-)1.95				
	₹ 4.25 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।					
19-	मुख्यमंत्री क्षय रोग निवारण योजना- राज्य भाग	मूल	18.00			
				11.58	8.86	(-)2.72
	पुनर्वि०	(-)6.42				
	मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 6.42 लाख की कमी योजना के अंतर्गत प्रस्तावों की कम प्राप्ति के कारण हुई।					
20-	मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना- राज्य भाग	(i) मूल	135.00			
			
	पुनर्वि०	(-)135.00				
24-	सम्मान योजना- राज्य भाग	(ii) मूल	9.00			
			
	पुनर्वि०	(-)9.00				
	उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 144.00 लाख के समस्त प्रावधान को प्रस्तावों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया।					
25-	राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम-					

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-31 (क्रमशः)

	राज्य भाग				
(i)	मूल	99.00	99.00	71.36	(-)27.64
2211-	परिवार कल्याण-				
796-	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-				
01-	परिवार नियोजन कार्यक्रम पर व्यय-				
	राज्य भाग				
(ii)	मूल	48.96	48.96	24.24	(-)24.72
	उपरोक्त दो मामलों में ₹ 52.36 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।				
03-	परिवार कल्याण कार्यक्रम पर व्यय-				
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
	मूल	825.00			
			612.96	569.25	(-)43.71
	पुनर्वि०	(-)212.04			
	₹ 43.71 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में				
	₹ 212.04 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।				
	₹ 43.71 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।				
04-	दुग्ध आपूर्ति योजनाओं पर व्यय-				
	राज्य भाग				
	मूल	8.00			
			3.00	3.00	..
	पुनर्वि०	(-)5.00			
	मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 5.00 लाख की कमी आपूर्ति केन्द्रों से				
	दुग्ध के क्रय पर कम व्यय के कारण हुई।				
05-	इंदिरा गांधी बालिका सुरक्षा योजना-				
	राज्य भाग				
	मूल	6.00			
			3.55	..	(-)3.55
	पुनर्वि०	(-)2.45			
	₹ 3.55 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में				
	₹ 2.45 लाख की कमी प्रस्तावों की कम प्राप्ति के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।				
	₹ 3.55 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।				
06-	पंचायतों को उत्कृष्ट महिला जन्मदर अनुपात				
	हेतु अतिरिक्त विकास अनुदान				
	राज्य भाग				
	मूल	10.00	10.00	..	(-)10.00
	₹ 10.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-31 (क्रमशः)

08- राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना

मूल	4,354.00	4,354.00	3,626.25	(-)727.75
-----	----------	----------	----------	-----------

₹ 727.75 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)। जबकि ₹ 86.50 लाख का अनुदान भारत सरकार से प्राप्त हुआ।

राज्य भाग

मूल	1,092.00			
		1,032.87	1,022.48	(-)10.39

पुनर्वि० (-)59.13

मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 59.13 लाख की कमी प्रस्तावों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

14- प्रधान मंत्री-आयुष्मान भारत हेल्थ
इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना

मूल	607.00			
पूरक	50.00	607.00	406.98	(-)200.02
पुनर्वि०	(-)50.00			

₹ 200.00 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 50.00 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 200.02 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

राज्य भाग

मूल	67.00			
पूरक	20.61	45.22	45.22	..
पुनर्वि०	(-)42.39			

मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 42.39 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति के कारण हुई; अतः राज्य की हिस्सेदारी अप्रयुक्त रही।

2215- जलापूर्ति तथा स्वच्छता-

01- जलापूर्ति-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

01- ग्रामीण जल आपूर्ति स्कीमों पर व्यय-

राज्य भाग

मूल	603.45			
		548.92	504.91	(-)44.01
पुनर्वि०	(-)54.53			

₹ 44.01 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 54.53 लाख की कमी दैनिक वेतन भोगियों की कम भर्ती तथा रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-31 (क्रमशः)

₹ 44.01 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

02- स्थाई स्थापना में परिवर्तित कार्य
प्रभारी कर्मचारियों पर व्यय-
राज्य भाग

मूल 3,946.79

3,785.50

3,484.84

(-)300.66

पुनर्वि० (-)161.29

₹ 300.66 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 161.29 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 300.66 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

04- स्कन्ध-
राज्य भाग

(i) मूल 275.00

275.00

91.47

(-)183.53

05- स्कन्ध मैनुफेक्चर-
राज्य भाग

(ii) मूल 100.00

100.00

1.41

(-)98.59

06- विविध लोक निर्माण अग्रिम-
राज्य भाग

(iii) मूल 150.00

150.00

22.83

(-)127.17

उपरोक्त तीन मामलों में ₹ 409.29 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

08- ग्रामीण जलापूर्ति स्कीमों हेतु विद्युत प्रभार-
राज्य भाग

(i) मूल 2.63

2.63

..

(-)2.63

₹ 2.63 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

09- वसूलियों के समायोजन हेतू रखरखाव प्रावधान-
राज्य भाग

मूल 3,946.79

3,785.50

1,321.25

(-)2,464.25

पुनर्वि० (-)161.29

₹ 2,464.25 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 161.29 लाख की कमी कम रखरखाव कार्य होने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 2,464.25 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

2216- आवास-

03- ग्रामीण आवास-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

08- मुख्यमंत्री आवास योजना-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-31 (क्रमशः)

	राज्य भाग				
(i)	मूल	90.00	90.00	39.60	(-)50.40
05-	साधारण पूल आवास-				
796-	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-				
01-	रख-रखाव तथा मरम्मत पर व्यय-				
	राज्य भाग				
(ii)	मूल	55.02			
			46.14	34.25	(-)11.89
	पुनर्वि०	(-)8.88			
	उपरोक्त दो मामलों में ₹ 62.29 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।				
03-	सामान्य प्रशासन विभाग के सरकारी				
	आवासीय भवनों का रखरखाव-				
	राज्य भाग				
	मूल	8.75	8.75	..	(-)8.75
	₹ 8.75 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।				
2217-	शहरी विकास-				
03-	लघु और मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास-				
796-	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-				
01-	विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों को सहायता अनुदान-				
	राज्य भाग				
	मूल	340.00			
	पूरक	60.83	393.00	263.40	(-)129.60
	पुनर्वि०	(-)7.83			
	₹ 129.60 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।				
03-	दीन दयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी				
	आजीविका मिशन-				
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(i)	मूल	34.00			
			4.30	4.30	..
	पुनर्वि०	(-)29.70			
	राज्य भाग				
(ii)	मूल	5.00			
			0.48	0.48	..
	पुनर्वि०	(-)4.52			
04-	प्रधानमंत्री आवास योजना-सभी				
	के लिए आवास (शहरी)-				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-31 (क्रमशः)

	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(iii)	मूल	100.00			
			30.60	30.60	..
	पुनर्वि०	(-)69.40			
	राज्य भाग				
(iv)	मूल	20.00			
			9.94	9.94	..
	पुनर्वि०	(-)10.06			

उपरोक्त चार मामलों में मार्च 2025 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 113.68 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों तथा केन्द्रीय हिस्सेदारी की कम प्राप्ति के कारण हुई; अतः राज्य की हिस्सेदारी भी अप्रयुक्त रही। जबकि क्रम संख्या (i) में ₹ 4.30 लाख और क्रम संख्या (iii) में ₹ 19.20 लाख का अनुदान भारत सरकार से प्राप्त हुआ था।

2220- सूचना तथा प्रचार-

60- अन्य-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

01- जिला स्थापना पर व्यय-

राज्य भाग

मूल 47.44

26.44

25.51

(-)0.93

पुनर्वि० (-)21.00

मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 21.00 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

2225- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों एवं अल्पसंख्यकों का कल्याण-

02- अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

10- स्वर्ण जयंती आश्रय योजना-

राज्य भाग

मूल 300.00

262.50

69.75

(-)192.75

पुनर्वि० (-)37.50

₹ 192.75 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 37.50 लाख की कमी प्रस्तावों की कम प्राप्ति के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 192.75 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

12- कम्प्यूटर अनुप्रयोग-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-31 (क्रमशः)

राज्य भाग				
मूल	45.00			
		53.75	15.32	(-)38.43
पूरक	8.75			
₹ 38.43 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।				
14- अनुवर्ती कार्यक्रम-				
राज्य भाग				
मूल	13.00			
	
पुनर्वि०	(-)13.00			
मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा ₹ 13.00 लाख के समस्त प्रावधान को प्रस्तावों की कम प्राप्ति के कारण कम कर दिया गया।				
15- प्रचार अभियान-				
राज्य भाग				
मूल	9.00			
		6.56	3.43	(-)3.13
पुनर्वि०	(-)2.44			
₹ 3.13 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 2.44 लाख की कमी प्रस्तावों की कम प्राप्ति के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।				
₹ 3.13 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।				
2230- श्रम, रोजगार तथा कौशल विकास-				
01- श्रम-				
796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-				
01- श्रम कानूनों के प्रवर्तन पर व्यय-				
राज्य भाग				
मूल	22.86			
		15.20	15.13	(-)0.07
पुनर्वि०	(-)7.66			
मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 7.66 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।				
02- रोजगार सेवाएं-				
796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-				
02- बेरोजगारी भत्ता-				
राज्य भाग				
मूल	216.00			
पूरक	0.93	148.40	38.91	(-)109.49
पुनर्वि०	(-)68.53			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-31 (क्रमशः)

₹ 109.49 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 68.53 लाख की कमी प्रस्तावों की कम प्राप्ति के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 109.49 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

05- राजीव गाँधी स्वरोजगार स्टार्ट
अप योजना-
राज्य भाग

(i)	पूरक	65.00	65.00	20.00	(-)45.00
-----	------	-------	-------	-------	----------

03- प्रशिक्षण-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

03- कारीगरों और पर्यवेक्षकों के प्रशिक्षण-
राज्य भाग

(ii)	मूल	35.44	35.44	12.97	(-)22.47
------	-----	-------	-------	-------	----------

04- हिमाचल प्रदेश ग्रामीण प्रशिक्षण
संस्थानों (तकनीकी शिक्षा)-
राज्य भाग

(iii)	मूल	313.00	313.00	266.77	(-)46.23
-------	-----	--------	--------	--------	----------

उपरोक्त तीन मामलों में ₹ 113.70 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

06- कौशल विकास भत्ता-
राज्य भाग

	मूल	486.00			
			65.46	35.35	(-)30.11

पुनर्वि० (-)420.54

₹ 30.11 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 420.54 लाख की कमी कौशल विकास भत्ता पर कम व्यय के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 30.11 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

08- राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का आदर्श
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में उन्नयन-
राज्य भाग

	मूल	10.00			
		

पुनर्वि० (-)10.00

मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा ₹ 10.00 लाख के समस्त प्रावधान को प्रस्तावों की कम प्राप्ति के कारण कम कर दिया गया।

09- हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-31 (क्रमशः)

	राज्य भाग				
(i)	मूल	180.00			
	पूरक	1,259.75	1,433.00	1,028.25	(-)404.75
	पुनर्वि०	(-)6.75			

2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-

02- समाज कल्याण-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

03- आंगनवाड़ी सेवा स्कीम-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना

(ii)	मूल	1,029.00			
			1,002.95	782.18	(-)220.77
	पुनर्वि०	(-)26.05			

राज्य भाग

(iii)	मूल	1,460.00			
			1,445.60	904.65	(-)540.95
	पुनर्वि०	(-)14.40			

04- बेटा है अनमोल पर व्यय-
राज्य भाग

(iv)	मूल	20.00			
			28.00	12.14	(-)15.86
	पुनर्वि०	8.00			

उपरोक्त चार मामलों में ₹ 1,182.33 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

05- मुख्यमंत्री कन्यादान योजना-
राज्य भाग

(i)	मूल	107.00			
			19.18	10.20	(-)8.98
	पुनर्वि०	(-)87.82			

07- मदर टेरेसा असहाय मातृ संबल योजना-
राज्य भाग

(ii)	मूल	90.00			
			15.10	11.83	(-)3.27
	पुनर्वि०	(-)74.90			

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 162.72 लाख की कमी प्रस्तावों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

08- विधवा पुनर्विवाह पर व्यय-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-31 (क्रमशः)

राज्य भाग				
मूल	20.00			
		14.00	4.00	(-)10.00
पुनर्वि०	(-)6.00			
₹ 10.00 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 6.00 लाख की कमी प्रस्तावों की कम प्राप्ति के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।				
₹ 10.00 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।				
09-	जागरूकता अभियान स्कीम-			
	राज्य भाग			
(i)	मूल	8.00	8.00	..
				(-)8.00
10-	विशेष महिला उत्थान योजना-			
	राज्य भाग			
(ii)	मूल	9.00	9.00	..
				(-)9.00
उपरोक्त दो मामलों में ₹ 17.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।				
20-	प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना-			
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना			
(i)	मूल	218.00	218.00	43.70
				(-)174.30
	राज्य भाग			
(ii)	मूल	24.00	24.00	4.86
				(-)19.14
उपरोक्त दो मामलों में ₹ 193.44 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।				
21-	पोषण अभियान-			
	केन्द्रीय प्रायोजित याजना			
(i)	मूल	298.00	298.00	..
				(-)298.00
	राज्य भाग			
(ii)	मूल	33.00	33.00	..
				(-)33.00
उपरोक्त दो मामलों में ₹ 331.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।				
23-	बलात्कार, बाल उत्पादन और ऑब्जेक्टिफिकेशन			
	पृष्ठभूमि की नाबलिंग पीड़ितों के पुनर्वास के लिए			
	योजना-			
	राज्य भाग			
	मूल	20.00	20.00	14.03
				(-)5.97
₹ 5.97 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।				
24-	राष्ट्रीय शिशु गृह योजना-			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-31 (क्रमशः)

	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(i)	मूल	37.00	37.00	..	(-)37.00
	राज्य भाग				
(ii)	मूल	6.00	6.00	..	(-)6.00
	उपरोक्त दो मामलों में ₹ 43.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।				
26-	सशक्त महिला योजना-				
	राज्य भाग				
(i)	मूल	9.00			
			8.32	0.75	(-)7.57
	पुनर्वि०	(-)0.68			
27-	वो दिन-				
	राज्य भाग				
(ii)	मूल	9.00			
			7.34	3.99	(-)3.35
	पुनर्वि०	(-)1.66			
	उपरोक्त दो मामलों में ₹ 10.92 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।				
28-	मुख्यमंत्री बाल सुपोषण योजना-				
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
	मूल	8.00			
			0.78	0.78	..
	पुनर्वि०	(-)7.33			
	मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 7.22 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति के कारण हुई।				
33-	शक्ति सदन-				
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(i)	मूल	4.00	4.00	..	(-)4.00
34-	सखी निवास-				
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(ii)	मूल	17.00	17.00	..	(-)17.00
	राज्य भाग				
(iii)	मूल	2.00	2.00	..	(-)2.00
35-	महिला सशक्तिकरण केन्द्र-				
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(iv)	मूल	34.00	34.00	..	(-)34.00

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-31 (क्रमशः)

	राज्य भाग				
(v)	मूल	4.00	4.00	..	(-)4.00
	उपरोक्त पाँच मामलों में ₹ 61.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)। जबकि क्रम संख्या (iv) में ₹ 43.70 लाख का अनुदान भारत सरकार से प्राप्त हुआ था।				
37-	किशोरी बालिकाओं के लिए योजना- केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
	मूल	39.00	39.00	21.84	(-)17.16
	₹ 17.16 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।				
39-	कन्याओं को विवाह अनुदान- राज्य भाग				
	मूल	274.00			
			38.68	21.08	(-)17.60
	पुनर्वि०	(-)235.32			
	मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 235.32 लाख की कमी प्रस्तावों की कम प्राप्ति के कारण हुई।				
40-	परिवार सहायता- केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
	मूल	10.00			
			0.60	0.60	..
	पुनर्वि०	(-)9.40			
	मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 9.40 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति के कारण हुई।				
41-	महिलाओं को स्वरोजगार- राज्य भाग				
	मूल	2.00	2.00	..	(-)2.00
	₹ 2.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।				
43-	महिला आवास योजना राज्य भाग				
	मूल	2.00			
		
	पुनर्वि०	(-)2.00			
	मार्च 2025 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 2.00 लाख का समस्त प्रावधान प्रस्तावों की कम प्राप्ति के कारण कम कर दिया गया।				
47-	मुख्य मंत्री सुख आश्रय योजना-				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-31 (क्रमशः)

	राज्य भाग				
(i)	मूल	100.00			
			209.35	76.08	(-)133.27
	पूरक	109.35			
53-	मुख्य मंत्री सुख शिक्षा योजना-				
	राज्य भाग				
(ii)	पूरक	74.89	74.89	1.09	(-)73.80
	उपरोक्त दो मामलों में ₹ 207.07 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।				
60-	अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम-				
796-	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-				
01-	सामाजिक कल्याण योजना के अंतर्गत				
	वृद्धास्था पेंशन पर व्यय-				
	राज्य भाग				
(i)	मूल	2,285.00			
	पूरक	10.00	2,261.99	2,261.99	..
	पुनर्वि०	(-)33.01			
07-	कुष्ठरोगियों का पुनर्वास-				
	राज्य भाग				
(ii)	मूल	12.00			
			7.06	7.06	..
	पुनर्वि०	(-)4.94			
	उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 37.95 लाख की कमी प्रस्तावों की कम प्राप्ति के कारण हुई।				
08-	इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि योजना-				
	राज्य भाग				
(i)	मूल	152.00			
			652.00	238.55	(-)413.45
	पूरक	500.00			
2236-	पोषण-				
02-	पोषक और सुपेय का वितरण-				
796-	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-				
01-	भोजन कार्यक्रम पर व्यय-				
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(ii)	मूल	640.00	640.00	494.94	(-)145.06
	राज्य भाग				
(iii)	मूल	71.00	71.00	54.99	(-)16.01

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-31 (क्रमशः)

उपरोक्त तीन मामलों में ₹ 574.52 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

2251-	सचिवालय-सामाजिक सेवाएं-				
796-	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-				
03-	बुनियादी/अन्य सुविधाओं के लिए विकास निधि- राज्य भाग				
	मूल	442.00			
			14.55	14.54	(-)0.01
	पुनर्वि०	(-)427.45			
	मार्च 2025 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 427.45 लाख की कमी संहितागत औपचारिकताओं के पूरा न होने तथा प्रस्तावों की कम प्राप्ति के कारण हुई।				
04-	जनजातीय क्षेत्रों के लिए हेलीकाप्टर सुविधा- राज्य भाग				
	मूल	400.00			
		
	पुनर्वि०	(-)400.00			
	मार्च 2025 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 400.00 लाख के समस्त प्रावधान को जनजातीय क्षेत्र में हेलीकाप्टर सेवा पर कम व्यय के कारण कम कर दिया गया।				
07-	जनजातीय अनुसंधान संस्थान- केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
	मूल	1.00			
			125.00	..	(-)125.00
	पुनर्वि०	124.50			
	₹ 125.00 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 124.50 लाख का आवर्धन भारत सरकार से निधियों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ जोकि अनावश्यक सिद्ध हुआ।				
	₹ 125.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।				
	राज्य भाग				
	मूल	70.00			
			3.64	3.64	..
	पुनर्वि०	(-)66.36			
	मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 66.36 लाख की कमी मुआवजा मामलों की कम प्राप्ति, सामग्रियों तथा पदार्थों पर कम व्यय के कारण हुई।				
08-	जनजातीय उप योजनाओं हेतु विशेष केन्द्रीय सहायता- केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
	मूल	998.00			
		
	पुनर्वि०	(-)998.00			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-31 (क्रमशः)

मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा ₹ 998.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति नहीं होने के कारण हुई।

09- संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के अन्तर्गत अनुदान-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना

मूल	2,000.00			
पूरक	2,244.23	2,244.23	2,244.23	..
पुनर्वि०	(-)2,000.00			

मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2,000.00 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

10- जीवंत ग्राम कार्यक्रम-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना

(i) मूल	2,500.00			
पुनर्वि०	(-)2,500.00
राज्य भाग				

(ii) मूल	150.00			
पुनर्वि०	(-)150.00

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा ₹ 2,650.00 लाख के समस्त प्रावधान को भारत सरकार से निधियों तथा केन्द्रीय हिस्सेदारी की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया; अतः राज्य भाग अप्रयुक्त रहा।

2401- फसल कृषि-कर्म-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

02- कृषि विभाग की स्कीमों पर व्यय (सामान्य)-
राज्य भाग

मूल	185.31			
पुनर्वि०	(-)11.70	173.61	141.31	(-)32.30

₹ 32.30 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

05- उद्यान विकास-
राज्य भाग

मूल	816.44			
पुनर्वि०	(-)129.00	687.44	671.55	(-)15.89

मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 129.00 लाख का कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

07- फसल बीमा योजना-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-31 (क्रमशः)

राज्य भाग				
मूल	54.00			
	
पुनर्वि०	(-)54.00			
मार्च 2025 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 54.00 लाख की समस्त प्रावधान प्रस्तावों की कम प्राप्ति के कारण हुई।				
09-	उद्यान विभाग की स्कीमों पर विशेष केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत व्यय- राज्य भाग			
(i)	पूरक	43.00	43.00	17.72
				(-)25.28
22-	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (कृषि)- केन्द्रीय प्रायोजित योजना			
(ii)	पूरक	180.00	180.00	24.23
				(-)155.77
	राज्य भाग			
(iii)	मूल	20.00	20.00	2.69
				(-)17.31
45-	स्थाई कृषि हेतु राष्ट्रीय मिशन- केन्द्रीय प्रायोजित योजना			
(iv)	मूल	72.00	72.00	10.00
				(-)62.00
	राज्य भाग			
(v)	मूल	8.00	8.00	1.11
				(-)6.89
46-	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एन.एफ.एस.एम.)- केन्द्रीय प्रायोजित योजना			
(vi)	मूल	90.00	90.00	29.29
				(-)60.71
	राज्य भाग			
(vii)	मूल	10.00	10.00	3.25
				(-)6.75
उपरोक्त सात मामलों में ₹ 334.71 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)। जबकि क्रम संख्या (vi) में ₹ 2.50 लाख का अनुदान भारत सरकार से प्राप्त हुआ था।				
48-	उद्यान एकीकृत विकास मिशन- केन्द्रीय प्रायोजित योजना			
(i)	मूल	160.00		
			86.00	74.15
				(-)11.85
	पुनर्वि०	(-)74.00		
	राज्य भाग			
(ii)	मूल	18.00		
			9.56	8.24
				(-)1.32
	पुनर्वि०	(-)8.44		

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-31 (क्रमशः)

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 82.44 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों तथा केन्द्रीय हिस्सेदारी की कम प्राप्ति के कारण हुई; अतः राज्य भाग अप्रयुक्त रहा। जबकि क्रम संख्या (i) में ₹ 9.36 लाख का अनुदान भारत सरकार से प्राप्त हुआ था।

50- विस्तार एवं प्रोद्योगिकी पर राष्ट्रीय मिशन-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना

(i)	मूल	140.00	140.00	72.79	(-)67.21
-----	-----	--------	--------	-------	----------

राज्य भाग

(ii)	मूल	15.00	15.00	7.68	(-)7.32
------	-----	-------	-------	------	---------

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 74.53 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

54- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पी.एम.के.एस.वाई.)-
राज्य भाग

(i)	मूल	10.00			
-----	-----	-------	--	--	--

..

पुनर्वि० (-)10.00

57- मुख्यमंत्री किसान एवं खेतिहार मजदूर
जीवन सुरक्षा योजना-
राज्य भाग

(ii)	मूल	2.00			
------	-----	------	--	--	--

..

पुनर्वि० (-)2.00

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 12.00 लाख के समस्त प्रावधान को लाभार्थियों से प्रस्तावों की कम प्राप्ति के कारण कम कर दिया गया।

58- परम्परागत कृषि विकास योजना-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना

(i)	मूल	70.00	70.00	43.00	(-)27.00
-----	-----	-------	-------	-------	----------

राज्य भाग

(ii)	मूल	8.00	8.00	4.78	(-)3.22
------	-----	------	------	------	---------

59- मृदा की स्वास्थ्य एवं उर्वरता हेतु
राष्ट्रीय परियोजना-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना

(iii)	मूल	18.00	18.00	6.05	(-)11.95
-------	-----	-------	-------	------	----------

60- बीज और उपजाऊ सामग्री पर उपलाभ-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना

(iv)	मूल	95.00	95.00	20.72	(-)74.28
------	-----	-------	-------	-------	----------

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-31 (क्रमशः)

	राज्य भाग				
(v)	मूल	11.00	11.00	2.56	(-)8.44
61-	कृषि मशीनीकरण पर उप-मिशन- केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(vi)	मूल	225.00	225.00	122.69	(-)102.31
	राज्य भाग				
(vii)	मूल	25.00	25.00	13.63	(-)11.37
	उपरोक्त सात मामलों में ₹ 238.57 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)। जबकि क्रम संख्या (i) में ₹ 0.74 लाख, क्रम संख्या (iii) में ₹ 3.00 लाख, क्रम संख्या (iv) में ₹ 10.16 लाख तथा क्रम संख्या (vi) में ₹ 2.24 लाख का अनुदान भारत सरकार से प्राप्त हुआ था।				
63-	कृषि मशीनीकरण पर उप-मिशन- केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(i)	मूल	18.00			
		
	पुनर्वि०	(-)18.00			
	राज्य भाग				
(ii)	मूल	2.00			
		
	पुनर्वि०	(-)2.00			
	उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 20.00 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों तथा केन्द्रीय हिस्सेदारी की प्राप्ति न होने के कारण हुई; अतः राज्य हिस्सेदारी अप्रयुक्त रही। जबकि क्रम संख्या (i) में ₹ 2.25 लाख का अनुदान भारत सरकार से प्राप्त हुआ था।				
65-	राज्य कृषि यंत्रीकरण योजना- राज्य भाग				
(i)	मूल	45.00	45.00	2.00	(-)43.00
78-	मुख्यमंत्री मधु विकास योजना- राज्य भाग				
(ii)	मूल	1.00			
			4.00	0.80	(-)3.20
	पूरक	3.00			
84-	मुख्यमंत्री कृषि संवर्धन योजना- राज्य भाग				
(iii)	मूल	315.00			
	पूरक	7.16	302.50	181.96	(-)120.54
	पुनर्वि०	(-)19.66			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-31 (क्रमशः)

उपरोक्त तीन मामलों में ₹ 166.74 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

85- मुख्यमंत्री कृषि उत्पादन संरक्षण योजना-
राज्य भाग

मूल	360.00				
		249.25	112.03	(-)137.22	
पुनर्वि०	(-)110.75				

₹ 137.22 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 110.75 लाख की कमी उपदान तथा पदार्थों पर कम व्यय के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 137.22 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

86- प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण के लिए समर्थन-
राज्य भाग

(i) मूल	14.00				
		11.00	1.49	(-)9.51	
पुनर्वि०	(-)3.00				

87- पोस्टिक अनाज का प्रचार-
राज्य भाग

(ii) मूल	14.00				
		8.25	4.10	(-)4.15	
पुनर्वि०	(-)5.75				

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 13.66 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 8.75 लाख की कमी प्रस्तावों की कम प्राप्ति के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 13.66 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

88- राष्ट्रीय ई-शासन कृषि योजना-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना

मूल	9.00	9.00	..		
				(-)9.00	

₹ 9.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

89- परिवर्तनकारी पहल के माध्यम से उत्कृष्ट उत्पादन,
प्राकृतिक खेती और कृषि पर किसान परिवारों के
उत्थान के लिए हिमालयन एकीकृत मॉडल-
राज्य भाग

मूल	135.00				
		10.93	8.63	(-)2.30	
पुनर्वि०	(-)124.07				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-31 (क्रमशः)

मार्च 2025 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में 124.07 लाख की कमी प्रस्तावों, बिजली, टेलीफोन, पानी के बिलों की कम प्राप्ति, बाह्य स्रोत वाहनों, पेट्रोल, स्नेहक व मरम्मत पर कम व्यय होने के कारण हुई।

90-	कृषि वाणिकी पर उप-मिशन- केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
	मूल	9.00	9.00	6.00	(-)3.00

₹ 3.00 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

91-	प्राकृतिक खेती पर राष्ट्रीय मिशन- केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(i)	मूल	100.00			
			2.87	1.44	(-)1.43
	पुनर्वि०	(-)97.13			

राज्य भाग

(ii)	मूल	10.00			
			0.32	0.16	(-)0.16
	पुनर्वि०	(-)9.68			

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2025 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 106.81 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों तथा केन्द्रीय हिस्सेदारी की कम प्राप्ति के कारण हुई; अतः राज्य की हिस्सेदारी अप्रयुक्त रही। जबकि क्रम संख्या (i) में ₹ 1.44 लाख का अनुदान भारत सरकार से प्राप्त हुआ था।

2402- भू तथा जल संरक्षण-

796-	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-				
02-	भू एवं जल संरक्षण कार्यक्रम (वन विभाग)- राज्य भाग				
	मूल	500.00			
	पूरक	1.00	358.33	358.26	(-)0.07
	पुनर्वि०	(-)142.67			

मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 142.67 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, निर्माण कार्य, सामग्री, आपूर्ति तथा पदार्थों पर कम व्यय के कारण हुई।

06-	लघु तथा सीमान्त किसानों को कृषि उत्पादन बढ़ाने हेतु सहायता- राज्य भाग				
(i)	मूल	18.00	18.00	0.19	(-)17.81

11-	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना- केन्द्रीय प्रयोजित योजना				
(ii)	मूल	180.00	180.00	36.81	(-)143.19

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-31 (क्रमशः)

राज्य भाग

(iii) मूल 28.00 28.00 4.09 (-)23.91

उपरोक्त तीन मामलों में ₹ 184.91 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

16- सौर सिंचाई योजना

राज्य भाग

मूल 45.00

10.09

..

(-)10.09

पुनर्वि० (-)34.91

₹ 10.09 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 34.91 लाख की कमी किसानों से मांग की कम प्राप्ति के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 10.09 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

2403- पशु पालन-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

01- क्षेत्रीय स्थापना-

राज्य भाग

(i) मूल 244.89 244.89 203.20 (-)41.69

02- अस्पताल एवं औषधालय-
राज्य भाग

(ii) मूल 2,826.47

2,832.87

2,448.92

(-)383.95

पुनर्वि० 6.40

04- भेड़ एवं ऊँट विकास पर व्यय-
राज्य भाग

(iii) मूल 170.57 170.57 122.04 (-)48.53

उपरोक्त तीन मामलों में ₹ 474.17 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

05- पशुपालन कार्यक्रम पर व्यय
(विशेष केन्द्रीय सहायता)-
राज्य भाग

मूल 100.00

60.63

46.43

(-)14.20

पुनर्वि० (-)39.37

मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 39.37 लाख की कमी प्रस्तावों की कम प्राप्ति और सामग्री एवं आपूर्ति पर कम व्यय के कारण हुई।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-31 (क्रमशः)

07-	जनजातीय क्षेत्र से बाहर रहने वाले जनजातियों लोगों के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत पशु पालन कार्यक्रम पर व्यय- राज्य भाग				
	मूल	60.00	60.00	..	(-)60.00

₹ 60.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

12-	पशुओं की बीमारी की नियंत्रण के लिए राज्य को सहायता- केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
	मूल	20.99			
	पूरक	0.41	13.37	1.66	(-)11.71
	पूरक	(-)8.03			

₹ 11.71 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में
₹ 8.03 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति के कारण हुई जोकि अपर्याप्त
सिद्ध हुई।

₹ 11.71 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

15-	पैर और मुँह रोग नियंत्रण कार्यक्रम- केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(i)	मूल	21.44			
			20.94	..	(-)20.94
	पुनर्वि०	(-)0.50			

16-	पेस्टे डेस पेटिट्स रूमिनेंट्स-नियन्त्रण प्रोग्राम- केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(ii)	मूल	9.43			
			6.43	..	(-)6.43
	पुनर्वि०	(-)3.00			

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 27.37 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण
प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

20-	पशु चिकित्सा परिषद को अनुदान- केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(i)	मूल	2.00			
		
	पुनर्वि०	(-)2.00			
	राज्य भाग				
(ii)	मूल	2.00			
		
	पुनर्वि०	(-)2.00			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-31 (क्रमशः)

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2025 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 4.00 लाख के समस्त प्रावधान को भारत सरकार से निधियों तथा केन्द्रीय हिस्सेदारी की कम प्राप्ति के कारण कम कर दिया गया; अतः राज्य हिस्सेदारी अप्रयुक्त रही।

21- गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवारों को
पशु चारे पर उपदान-
राज्य भाग

(i)	मूल	71.90			
			66.91	12.81	(-)54.10
	पुनर्वि०	(-)4.99			

22- हिम कुक्कुट पालन योजना-
राज्य भाग

(ii)	मूल	36.00			
			35.64	15.84	(-)19.80
	पुनर्वि०	(-)0.36			

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 73.90 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

25- चलित पशु चिकित्सालय यूनिट-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना
मूल

	69.63				
		38.63	26.99		(-)11.64
	पुनर्वि०	(-)31.00			

मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 31.00 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

2404- दुग्ध विकास-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

02- दुग्ध संघ को सहायता अनुदान-
राज्य भाग

मूल	306.00	306.00	204.00	(-)102.00
-----	--------	--------	--------	-----------

₹ 102.00 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

06- कृषि उपज विपणन समिति को
अनुदान सहायता-
राज्य भाग

मूल	18.00			
पूरक	18.00	18.00	18.00	..
पुनर्वि०	(-)18.00			

मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 18.00 लाख की कमी प्रस्तावों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-31 (क्रमशः)

2405- मत्स्य पालन-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

02- जिला स्तर-

राज्य भाग

मूल 85.68

66.58

64.27

(-)2.31

पुनर्वि० (-)19.10

मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 19.10 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

10- प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

मूल 99.00

215.28

34.59

(-)180.69

पूरक 116.28

₹ 180.69 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)। जबकि भारत सरकार से ₹ 33.25 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ था।

राज्य भाग

मूल 12.00

24.62

4.53

(-)20.09

पुनर्वि० 12.62

₹ 20.09 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 12.62 लाख का आवर्धन भारत सरकार के अनुपात में राज्य की हिस्सेदारी जारी होने के कारण हुआ जोकि अनावश्यक सिद्ध हुआ।

₹ 20.09 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

11- कार्प फार्मों का विकास एवं रखरखाव-

राज्य भाग

पूरक 19.84

19.84

..

(-)19.84

अनुपूरक अनुदान द्वारा प्राप्त ₹ 19.84 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

2406- वानिकी तथा वन्य जीवन-

01- वानिकी-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

01- कर्मचारी वर्ग पर व्यय-

राज्य भाग

मूल 1,579.95

1,354.81

1,328.41

(-)26.40

पुनर्वि० (-)225.14

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-31 (क्रमशः)

मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 225.14 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

02- वानिकी कार्यक्रम-

राज्य भाग

मूल 523.79

447.61

359.19

(-)88.42

पुनर्वि० (-)76.18

₹ 88.42 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 76.18 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने तथा दैनिक वेतन भोगियों की कम भर्ती के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 88.42 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

07- चिलगोजा पाईन के पुनर्त्पादन पर व्यय-

राज्य भाग

मूल 17.01

12.01

11.38

(-)0.63

पुनर्वि० (-)5.00

मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 5.00 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

22- एकीकृत वन संरक्षण योजना-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

मूल 45.00

..

..

..

पुनर्वि० (-)45.00

मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 45.00 लाख के समस्त प्रावधान को चल रहे कार्यों का निष्पादन न होने तथा भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति के कारण कम कर दिया गया।

राज्य भाग

मूल 5.00

..

..

..

पुनर्वि० (-)5.00

मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 5.00 लाख का समस्त प्रावधान केन्द्रीय हिस्सेदारी की कम प्राप्ति, राज्य भाग के अप्रयुक्त रहने तथा संहितागत औपचारिकताओं के पूरा न होने के कारण कम कर दिया गया।

24- हिमाचल प्रदेश फोरेस्ट इको-सिस्टम क्लार्ईमेट

प्रूफिंग परियोजना-

राज्य भाग

मूल 174.00

12.73

11.48

(-)1.25

पुनर्वि० (-)161.27

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-31 (क्रमशः)

मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 161.27 लाख की कमी संहितागत औपचारिकताओं के पूरा न होने तथा सामग्रियों एवं पदार्थों का क्रय कम होने के कारण हुई।

29-	हिमाचल प्रदेश फारेस्ट इको-सिस्टम क्लाइमेट प्रूफिंग प्रोजेक्ट- राज्य भाग				
	मूल	400.00	400.00	300.00	(-)100.00

₹ 100.00 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

38-	हरित भारत के लिए राष्ट्रीय अभियान- केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(i)	मूल	154.00			
	पुनर्वि०	(-)154.00
	राज्य भाग				
(ii)	मूल	17.00			
	पुनर्वि०	(-)17.00

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 171.00 लाख के समस्त प्रावधान को भारत सरकार से निधियों तथा केन्द्रीय हिस्सेदारी की कम प्राप्ति के कारण कम कर दिया; अतः राज्य भाग अप्रयुक्त रहा। जबकि भारत सरकार से क्रम संख्या (i) में ₹ 29.71 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ था।

41-	वन चकबन्दी तथा सीमांकन- राज्य भाग				
	मूल	22.00			
			3.34	3.34	..
	पुनर्वि०	(-)18.66			

मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 18.66 लाख की कमी सामग्री, पूर्ति तथा लघु कार्यों पर कम व्यय के कारण हुई।

43-	स्रोत स्थिरता तथा जलवायु अनुकूल वर्षा पर आधारित कृषि के लिए एकीकृत विकास परियोजना- राज्य भाग				
	मूल	173.00			
	पुनर्वि०	(-)173.00

मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 173.00 लाख का समस्त प्रावधान लघु कार्यों, सामग्री, पूर्ति व पदार्थों पर कम व्यय होने के कारण कम कर दिया गया।

02- पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-31 (क्रमशः)

796-	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-				
01-	वन्य प्राणी प्रबन्ध तथा प्राकृतिक संरक्षण पर व्यय-				
	राज्य भाग				
	मूल	67.99			
			40.95	37.75	(-)3.20
	पुनर्वि०	(-)27.04			
	मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 27.04 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।				
02-	वन्य प्राणी आश्रम स्थान के सुधार तथा विकास पर व्यय-				
	राज्य भाग				
	मूल	13.24			
		
	पुनर्वि०	(-)13.24			
	मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 13.24 लाख का समस्त प्रावधान दैनिक मजदूरों की भर्ती न होने के कारण कम कर दिया गया।				
03-	वन्य प्राणी आश्रम के स्थलों का गहन प्रबन्धन पर व्यय-				
	राज्य भाग				
	मूल	30.00			
			3.23	3.23	..
	पुनर्वि०	(-)26.77			
	मार्च 2025 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 26.77 लाख की कमी लघु मरम्मत, सामग्री एवं पूर्ति के क्रय, वन्य प्राणी आश्रम के स्थलों पर कम व्यय होने के कारण हुई।				
04-	पिन घाटी राष्ट्रीय पार्क के विकास पर व्यय-				
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(i)	मूल	9.00			
			5.11	5.11	..
	पुनर्वि०	(-)3.89			
	राज्य भाग				
(ii)	मूल	20.00			
			0.57	0.57	..
	पुनर्वि०	(-)19.43			
	उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 23.32 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों की तथा केन्द्रीय हिस्सेदारी की कम प्राप्ति के कारण हुई; अतः राज्य भाग अप्रयुक्त रहा।				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-31 (क्रमशः)

09-	वन्य प्राणी- राज्य भाग				
	मूल	150.00			
	पूरक	38.50	174.00	139.99	(-)34.01
	पुनर्वि०	(-)14.50			
	₹ 34.01 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।				
10-	हिमालयन प्राणी उप वन विकास- राज्य भाग				
	मूल	68.00			
		
	पुनर्वि०	(-)68.00			
	मार्च 2025 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 68.00 लाख का समस्त प्रावधान लघु कार्यो, सामग्री, पूर्ति एवं पदार्थो पर कम व्यय होने के कारण कम कर दिया गया।				
11-	चिड़ियाघरों की स्थापना- राज्य भाग				
	मूल	540.00			
		
	पुनर्वि०	(-)540.00			
	मार्च 2025 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 540.00 लाख का समस्त प्रावधान संहितागत औपचारिकताओं के पूरा न होने के कारण कम कर दिया गया।				
2408-	खाद्य भण्डार तथा भाण्डागार-				
	<i>01- खाद्य-</i>				
796-	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-				
01-	खाद्य संगठन पर व्यय- राज्य भाग				
(i)	मूल	166.42			
	पूरक	0.12	167.79	106.94	(-)60.85
	पुनर्वि०	1.25			
02-	सहकारी सेवाओं को उपदान- राज्य भाग				
(ii)	मूल	16.00			
			19.00	11.00	(-)8.00
	पूरक	3.00			
03-	विशेष केन्द्रीय सहायता के अंतर्गत सोसाइटियों की उपदान सहायता पर व्यय- राज्य भाग				
(iii)	मूल	5.00			
			10.47	3.84	(-)6.63
	पूरक	5.47			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-31 (क्रमशः)

08- उपदान पर दालों गेहूँ, चावल, तेल और
आयोडीनयुक्त नमक की खरीद-
राज्य भाग

(iv)	मूल	823.00			
			1,183.00	941.51	(-)241.49
	पूरक	360.00			

2415- कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा-

01- फसल कृषि कर्म-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

04- हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय
अनुसंधान को सहायता-
राज्य भाग

(v)	मूल	69.00	69.00	40.50	(-)28.50
-----	-----	-------	-------	-------	----------

उपरोक्त पाँच मामलों में ₹ 345.47 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

2501- ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम-

04- समकित ग्रामीण ऊर्जा योजना कार्यक्रम-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

01- एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम पर व्यय-
राज्य भाग

	मूल	150.00			
	पूरक	200.00	287.50	67.50	(-)220.00
	पुनर्वि०	(-)62.50			

₹ 220.00 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 62.50 लाख की कमी प्रस्तावों की कम प्राप्ति के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 220.00 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

06- स्वरोजगार योजना -

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

03- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन
(एन.आर.एल.एम.)-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना

(i)	मूल	810.00			
			753.40	602.88	(-)150.52
	पुनर्वि०	(-)56.60			

06- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना

(ii)	मूल	243.00			
			178.37	64.00	(-)114.37
	पुनर्वि०	(-)64.63			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-31 (क्रमशः)

	राज्य भाग			
(iii)	मूल	27.00		
	पूरक	151.63	171.45	158.74
	पुनर्वि०	(-)7.18		(-)12.71
07-	दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना- (डी.डी.यू.जी.के.वाई)- केन्द्रीय प्रायोजित योजना			
(iv)	मूल	1,350.00		
			728.00	178.48
	पुनर्वि०	(-)622.00		(-)549.52
	राज्य भाग			
(v)	मूल	150.00		
			60.00	19.83
	पुनर्वि०	(-)90.00		(-)40.17
	उपरोक्त पाँच मामलों में ₹ 867.29 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 840.41 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों तथा केन्द्रीय हिस्सेदारी की कम प्राप्ति के कारण हुई जिसके कारण राज्य भाग भी अप्रयुक्त रहा जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई। जबकि भारत सरकार से क्रम संख्या (i) में ₹ 755.50 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ था।			
	उपरोक्त पाँच मामलों में ₹ 867.29 लाख लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।			
09-	मातृ शक्ति बीमा योजना- राज्य भाग			
	मूल	30.00		
			12.37	2.00
	पुनर्वि०	(-)17.63		(-)10.37
	₹ 10.37 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 17.63 लाख की कमी दावों की कम प्राप्ति के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।			
	₹ 10.37 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।			
11-	बालिका गौरव पुरस्कार योजना- राज्य भाग			
	मूल	14.00		
		
	पुनर्वि०	(-)14.00		..
	मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 14.00 लाख का समस्त प्रावधान दावों के लिए माँग की कम प्राप्ति के कारण कम कर दिया।			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-31 (क्रमशः)

14-	स्वर्णजयंती स्वयं सहायता समूह योजना- राज्य भाग				
	मूल	45.00			
	पुनर्वि०	(-)44.00	1.00	1.00	(-)1.00
	मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 44.00 लाख की कमी प्रस्तावों की कम प्राप्ति के कारण हुई।				
15-	महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना- केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(i)	मूल	1.00			
	पूरक	20.00	21.00	4.60	(-)16.40
2505-	ग्राम रोजगार-				
01-	राष्ट्रीय कार्यक्रम-				
796-	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-				
07-	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना- केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(ii)	मूल	4,302.00	4,302.00	3,070.74	(-)1,231.26
2515-	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम-				
796-	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-				
01-	पंचायती योजनाओं पर व्यय- राज्य भाग				
(iii)	मूल	1,539.30	1,539.30	1,442.45	(-)96.85
	उपरोक्त तीन मामलों में ₹ 1,344.51 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।				
02-	सामुदायिक विकास कार्यक्रम के विस्तार पर व्यय- राज्य भाग				
	मूल	703.48			
	पूरक	2.00	562.56	532.11	(-)30.45
	पुनर्वि०	(-)142.92			
	₹ 30.45 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 142.92 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने तथा दैनिक वेतन भोगियों की कम भर्ती के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।				
	₹ 30.45 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।				
10-	सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान- केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(i)	मूल	404.00	404.00	358.64	(-)45.36

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-31 (क्रमशः)

14-	आवासीय भवन/ग्राम सेवक हट-				
	राज्य भाग				
(ii)	मूल	36.00			
			53.64	31.25	(-)22.39
	पूरक	17.64			

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 67.75 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

15-	स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत राज्य				
	पुरस्कार योजना				
	राज्य भाग				
	मूल	11.00			
			6.00	..	(-)6.00
	पुनर्वि०	(-)5.00			

₹ 6.00 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 5.00 लाख की कमी प्रस्तावों की प्राप्ति न होने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 6.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

16-	राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान				
	(आर.जी.एस.ए.)-				
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(i)	मूल	174.00			
			522.00	150.00	(-)372.00
	पूरक	348.00			
	राज्य भाग				
(ii)	मूल	19.00			
			57.01	16.67	(-)40.34
	पूरक	38.01			

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 412.34 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)। जबकि भारत सरकार से क्रम संख्या (i) पर ₹ 150.00 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ था।

17-	कार्यालय भवन/भण्डार निर्माण/नवीनीकरण-				
	राज्य भाग				
	मूल	90.00			
			50.00	36.14	(-)13.86
	पुनर्वि०	(-)40.00			

मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 40.00 लाख की कमी रखरखाव कार्यों के कम निष्पादन होने के कारण हुई।

18-	महिला मंडल प्रोत्साहन योजना-				
-----	------------------------------	--	--	--	--

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-31 (क्रमशः)

राज्य भाग				
मूल	20.00			
		17.36	..	(-)17.36
पुनर्वि०	(-)2.64			

₹ 17.36 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

2702- लघु सिंचाई-

80- सामान्य-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

02- उठाऊ सिंचाई योजनाओं की मरम्मत पर व्यय (विशेष मरम्मत)-

राज्य भाग

मूल	28.05			
		19.84	19.60	(-)0.24
पुनर्वि०	(-)8.21			

मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 8.21 लाख की कमी दैनिक मजदूरों की कम भर्ती के कारण हुई।

03- अन्य लघु सिंचाई स्कीमों का रखरखाव तथा मरम्मत पर व्यय-

राज्य भाग

(i) मूल	252.82			
		223.72	120.65	(-)103.07
पुनर्वि०	(-)29.10			

04- अन्य लघु सिंचाई स्कीमों के रखरखाव तथा मरम्मत-
राज्य भाग

(ii) मूल	262.75			
		245.79	190.10	(-)55.69
पुनर्वि०	(-)16.96			

06- स्थाई स्थापना में परिवर्तित कार्य प्रभारित कर्मचारी वर्ग-
राज्य भाग

(iii) मूल	728.24			
		707.91	596.18	(-)111.73
पुनर्वि०	(-)20.33			

उपरोक्त तीन मामलों में ₹ 270.49 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

07- स्थापना पर व्यय-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-31 (क्रमशः)

राज्य भाग				
मूल	588.00			
		518.87	456.84	(-)62.03
पुनर्वि०	(-)69.13			
₹ 62.03 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 69.13 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।				
₹ 62.03 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।				
08-	स्कन्ध (स्टाक)-			
	राज्य भाग			
(i)	मूल	300.00	300.00	84.24
				(-)215.76
09-	स्कन्ध पर व्यय (स्टॉक मैन्वूफेक्चर)-			
	राज्य भाग			
(ii)	मूल	75.00	75.00	26.68
				(-)48.32
10-	स्कन्ध (विविध लोक निर्माण अग्रिम)			
	राज्य भाग			
(iii)	मूल	150.00	150.00	14.26
				(-)135.74
11-	वसूली के समायोजन के लिए रखरखाव का प्रावधान-			
	राज्य भाग			
(iv)	मूल	728.24		
			707.91	41.78
				(-)666.13
	पुनर्वि०	(-)20.33		
उपरोक्त चार मामलों में ₹ 1,065.95 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।				
2851-	ग्रामीण तथा लघु उद्योग-			
796-	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-			
21-	खाद्य विद्यायन हेतु राज्य मिशन-			
	राज्य भाग			
	मूल	45.00	45.00	..
				(-)45.00
₹ 45.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।				
22-	हिमाचल राज्य विस्तृत क्षेत्र नेटवर्किंग (हिमसवान)-			
	राज्य भाग			
	मूल	300.00	300.00	204.91
				(-)95.09
₹ 95.09 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-31 (क्रमशः)

26-	ग्रामीण इंजीनियरिंग आधारित उद्योग केन्द्र- राज्य भाग				
	मूल	15.00			
			1.80	..	(-)1.80
	पुनर्वि०	(-)13.20			
	मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 13.20 लाख की कमी प्रस्तावों की कम प्राप्ति के कारण हुई।				
29-	सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम- आत्मनिर्भर भारत- केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(i)	मूल	94.00			
			94.01	39.85	(-)54.16
	पूरक	0.01			
	राज्य भाग				
(ii)	मूल	10.00	10.00	4.43	(-)5.57
30-	मुख्यमंत्री स्वावलम्बन योजना राज्य भाग				
(iii)	मूल	521.00	521.00	120.06	(-)400.94
	उपरोक्त तीन मामलों में ₹ 460.67 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।				
3054-	सड़कें तथा सेतू-				
04-	जिला तथा अन्य सड़कें-				
796-	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-				
01-	ग्रामीण सड़कों एवं पुल कार्यक्रम के अंतर्गत स्थापना- राज्य भाग				
(i)	मूल	1,662.64			
			1,439.17	1,405.24	(-)33.93
	पुनर्वि०	(-)223.47			
02-	अस्थाई स्थापना को स्थाई बनाने पर व्यय- राज्य भाग				
(ii)	मूल	11,114.53			
			9,282.68	9,123.44	(-)159.24
	पुनर्वि०	(-)1,831.85			
	उपरोक्त दो मामलों में ₹ 193.17 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2,055.32 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।				
	उपरोक्त दो मामलों में ₹ 193.17 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।				
03-	जिला सड़कों के रखरखाव एवं मरम्मत पर व्यय-				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-31 (क्रमशः)

राज्य भाग				
मूल	2,750.55			
		2,872.89	2,086.38	(-)786.51
पुनर्वि०	122.34			

₹ 786.51 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 122.34 लाख आवर्धन दैनिक मजदूरों के भुगतान पर अधिक व्यय तथा दरों में वृद्धि के कारण हुआ जोकि अनावश्यक सिद्ध हुआ।

₹ 786.51 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

04-	बाहरवें वित्तायोग के अन्तर्गत जिला एवं अन्य सडकों का रखरखाव- राज्य भाग			
	मूल	1,725.72	1,725.72	357.46
				(-)1,368.26

₹ 1,368.26 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

05-	वसूलियों के समायोजन हेतु रखरखाव प्रावधान- राज्य भाग			
	मूल	11,114.53		
			9,291.65	543.12
	पुनर्वि०	(-)1,822.88		(-)8,748.53

₹ 8,748.53 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,822.88 लाख की कमी कार्यालय भवनों के रखरखाव पर कम व्यय के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 8,748.53 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

3055- सड़क परिवहन-

796-	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-			
02-	स्मार्ट कार्ड सिस्टम विकसित करने हेतु हिमाचल पथ परिवहन निगम को सहायता अनुदान- राज्य भाग			
	मूल	25.00	25.00	..
				(-)25.00

₹ 25.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

3452- पर्यटन-

80- सामान्य-

796-	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-			
01-	जनजातीय क्षेत्र में पर्यटन के विकास पर व्यय राज्य भाग			
(i)	मूल	45.00		
	पूरक	25.00	67.00	36.36
	पुनर्वि०	(-)3.00		(-)30.64

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-31 (क्रमशः)

02-	क्षेत्रिय कर्मचारी वर्ग पर व्यय राज्य भाग				
(ii)	मूल	18.31	18.31	12.16	(-)6.15
3454-	जनगणन सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी-				
02-	सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी-				
796-	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-				
01-	सर्वेक्षण कर्मचारी वर्ग मूल्यांकन अध्ययन तथा तकनीकी पर व्यय- राज्य भाग				
(iii)	मूल	60.13			
	पुनर्वि०	0.16	60.29	46.37	(-)13.92
	उपरोक्त तीन मामलों में ₹ 50.71 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।				
(v)	उपरोक्त बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:- शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
				(₹ लाख में)	
2014-	न्याय प्रशासन-				
796-	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-				
01-	सिविल तथा सत्र न्यायालय पर व्यय- राज्य भाग				
	मूल	313.24			
	पूरक	0.20	375.06	350.46	(-)24.60
	पुनर्वि०	61.62			
	मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 61.62 लाख का आवर्धन वेतन के भुगतान पर अधिक व्यय, स्थानांतरण यात्रा व्यय के लिए दावों की अधिक प्राप्ति तथा बाह्य स्रोत वाहनों, पेट्रोल, तेल, स्नेहक एवं वाहनों की मरम्मत पर अधिक व्यय के कारण हुआ।				
02-	सक्षिकों की मात्रा तथा भोजन की राशि पर व्यय- राज्य भाग				
	मूल	2.00			
	पुनर्वि०	3.50	5.50	5.50	..
	मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 3.50 लाख का आवर्धन संक्षिकों की मात्रा तथा भोजन की राशि पर अधिक व्यय के कारण हुआ।				
2015-	निर्वाचन-				
796-	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-31 (क्रमशः)

04-	विधानसभा सभा चुनाव प्रभार- राज्य भाग				
	मूल	0.07			
			36.70	36.60	(-)0.10
	पुनर्वि०	36.63			
	मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 36.63 लाख का आवर्धन विधानसभा चुनाव के लंबित बिलों के भुगतान, बाह्य स्रोत वाहनों, पेट्रोल, तेल, स्नेहक, वाहनों की मरम्मत एवं मानदेय के भुगतान पर अधिक व्यय के कारण हुआ।				
05-	संसद के चुनाव पर व्यय- राज्य भाग				
	मूल	146.25			
			375.60	367.58	(-)8.02
	पुनर्वि०	229.35			
	मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 229.35 लाख का आवर्धन संसद चुनाव के लंबित बिलों के भुगतान, बाह्य स्रोत वाहनों, पेट्रोल, तेल, स्नेहक, वाहनों की मरम्मत, दूरभाष, पानी एवं बिजली बिलों तथा मानदेय के भुगतान पर अधिक व्यय के कारण हुआ।				
06-	पंचायत/स्थानीक संस्थाओं के चुनाव प्रभार पर व्यय- राज्य भाग				
	मूल	1.88			
	पूरक	0.50	13.99	8.64	(-)5.35
	पुनर्वि०	11.61			
	₹ 5.35 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 11.61 लाख का आवर्धन पंचायती राज चुनाव के लिए सामग्रियों के क्रय पर अधिक व्यय तथा यात्रा व्यय दावों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ जोकि अत्याधिक सिद्ध हुआ।				
	₹ 5.35 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।				
2053-	जिला प्रशासन-				
796-	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-				
10-	सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम- केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(i)	मूल	1,350.00			
			2,140.18	2,140.18	..
	पुनर्वि०	790.18			
	राज्य भाग				
(ii)	मूल	150.00			
			237.80	237.80	..
	पुनर्वि०	87.80			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-31 (क्रमशः)

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 877.98 लाख का आवर्धन भारत सरकार से निधियों की अधिक प्राप्ति तथा भारत सरकार के अनुपात में राज्य की हिस्सदारी जारी होने के कारण हुआ।

12-	अतिरिक्त उपायुक्त काजा के कार्यालय पर व्यय- राज्य भाग				
	मूल	4.71			
			5.70	13.88	(+)8.18
	पुनर्वि०	0.99			

₹ 8.18 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

2055- पुलिस-

796-	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-				
07-	सुरक्षा संबंधी व्यय- राज्य भाग				
	मूल	10.00			
			21.00	20.65	(-)0.35
	पुनर्वि०	11.00			

मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 11.00 लाख का आवर्धन बढ़े हुए मानदेय के भुगतान के कारण हुआ।

2070- अन्य प्रशासनिक सेवाएँ-

796-	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-				
01-	अग्नि शमन केन्द्रों पर व्यय- राज्य भाग				
	मूल	369.74			
			444.09	433.36	(-)10.73
	पुनर्वि०	74.35			

मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 74.35 लाख का आवर्धन बढ़ी हुई दरों पर मजदूरी के भुगतान, वेतन, दूरभाष, पानी एवं बिजली बिलों के भुगतान पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

2202- सामान्य शिक्षा-

02-	माध्यमिक शिक्षा-				
796-	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-				
14-	स्कूल प्रबंधन समिति को सहायता अनुदान- राज्य भाग				
	मूल	346.50			
			446.50	438.87	(-)7.63
	पुनर्वि०	100.00			

मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 100.00 लाख का आवर्धन स्कूल प्रबंधन समिति को सहायता अनुदान पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-31 (क्रमशः)

2205- कला एवं संस्कृति-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

01- पुस्तकालयों पर व्यय-

राज्य भाग

मूल 22.85

57.97

79.10

(+)21.13

पुनर्वि० 35.12

₹ 21.13 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 35.12 लाख का आवर्धन वेतन के भुगतान पर अधिक व्यय के कारण हुआ जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुआ।

₹ 21.13 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

04- विशेष केन्द्रीय सहायता के अंतर्गत

पुस्तकालयों पर व्यय-

राज्य भाग

मूल 11.18

21.78

23.75

(+)1.97

पुनर्वि० 10.60

मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 10.60 लाख का आवर्धन वेतन के भुगतान पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

2216- आवास-

03- ग्रामीण आवास-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

01- ग्रामीण क्षेत्रों में बेघर गरीबों को गांधी

कुटीर योजना/इंदिरा आवास योजना/

प्रधानमंत्री आवास योजना-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

मूल 1,580.00

12,956.57

11,511.91

(-)1,444.66

पुनर्वि० 11,376.57

₹ 1,444.66 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 11,376.57 लाख का आवर्धन भारत सरकार से निधियों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ जोकि अत्यधिक सिद्ध हुआ।

₹ 1,444.66 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

राज्य भाग

मूल 221.00

1,586.01

1,484.63

(-)101.38

पुनर्वि० 1,365.01

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-31 (क्रमशः)

₹ 101.38 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,365.01 लाख का आवर्धन केन्द्रीय भाग की अधिक प्राप्ति, केन्द्रीय भाग के अनुपात में राज्य भाग के जारी होने तथा गरीब लोगों के लिए अधिक आवासों के निर्माण के कारण हुआ जोकि अत्यधिक सिद्ध हुआ।

₹ 101.38 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

**2225- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति,
पिछड़े वर्गों एवं अल्पसंख्यकों का कल्याण-**

02- अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

13- अल्पसंख्यकों के लिए बहुपक्षीय
विकास कार्यक्रम-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

मूल 1.00

पूरक 112.42

500.00

500.00

..

पुनर्वि० 386.58

मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 386.58 लाख का आवर्धन भारत सरकार से निधियों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ।

2251- सचिवालय सामाजिक सेवाएँ-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

01- सचिवालय कर्मचारी वर्ग-
राज्य भाग

(i) मूल 55.00

90.00

88.39

(-)1.61

पुनर्वि० 35.00

2506- भूमि सुधार-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

01- जिला कर्मचारी वर्ग पर व्यय-
राज्य भाग

(ii) मूल 9.20

17.70

19.44

(+)1.74

पुनर्वि० 8.50

उपरोक्त दो मामलो में मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 43.50 का आवर्धन वेतन के भुगतान पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

2515- अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

20- केन्द्रीय वित्तयोग के अंतर्गत जिला
परिषदों को बुनियादी अनुदान-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-31 (क्रमशः)

	राज्य भाग				
(i)	मूल	116.24			
			159.70	159.70	..
	पुनर्वि०	43.46			
21-	केन्द्रीय वित्तायोग के अंतर्गत जिला परिषदों को बंधा अनुदान- राज्य भाग				
(ii)	मूल	174.35			
			236.49	236.49	..
	पुनर्वि०	62.14			
22-	केन्द्रीय वित्तायोग के अंतर्गत पंचायत समितियों को बुनियादी अनुदान- राज्य भाग				
(iii)	मूल	150.33			
			220.79	220.79	..
	पुनर्वि०	70.46			
23-	केन्द्रीय वित्तायोग के अंतर्गत पंचायत समितियों को बंधा अनुदान- राज्य भाग				
(iv)	मूल	225.49			
			295.33	295.33	..
	पुनर्वि०	69.84			
24-	केन्द्रीय वित्तायोग के अंतर्गत पंचायतों को बुनियादी अनुदान- राज्य भाग				
(v)	मूल	701.50			
			1,028.69	1,028.69	..
	पुनर्वि०	327.19			
25-	केन्द्रीय वित्तायोग के अंतर्गत पंचायतों को निष्पादन अनुदान- राज्य भाग				
(vi)	मूल	1,052.25			
			1,445.07	1,445.07	..
	पुनर्वि०	392.82			

उपरोक्त छः मामलों में मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 965.91 लाख का आवर्धन पन्द्रहवें वित्त आयोग के अंतर्गत अनुदान की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-31 (क्रमशः)

पूँजीगत प्रवर्ग

(vi) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य (+) बचत (-)
4055- पुलिस पर पूँजीगत परिव्यय-			
796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-			
01- पुलिस बल का आधुनिकीकरण- केन्द्रीय प्रायोजित योजना			
(i) मूल	39.00	39.00	..
राज्य भाग			(-)39.00
(ii) मूल	4.00	4.00	..
उपरोक्त दो मामलों में ₹ 43.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।			(-)4.00
02- पुलिस विभाग के आवासीय भवनों का निर्माण- राज्य भाग			
मूल	250.00		
		259.00	205.07
पुनर्वि०	9.00		(-)53.93
₹ 53.93 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।			
4059- लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय-			
01- कार्यालय भवन-			
796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-			
02- अन्य प्रशासन पर व्यय- राज्य भाग			
मूल	550.00		
		721.57	426.23
पुनर्वि०	171.57		(-)295.34
₹ 295.34 लाख के अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 171.57 लाख का आवर्धन चल रहे कार्यों को पूरा करने के कारण हुआ जोकि अनावश्यक सिद्ध हुआ।			
₹ 295.34 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।			
04- कारागार पर व्यय- राज्य भाग			
मूल	100.00		
		3.24	3.24
पुनर्वि०	(-)96.76		..

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-31 (क्रमशः)

मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा ₹ 96.76 लाख की कमी कार्य के कम निष्पादन के कारण हुई।

13- संयुक्त कार्यालय भवन एवं मिनी सचिवालय-
राज्य भाग

मूल 250.00

300.50

205.40

(-)95.10

पुनर्वि० 50.50

₹ 95.10 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 50.50 लाख का आवर्धन कार्यो के अधिक निष्पादन के कारण हुआ जोकि अनावश्यक सिद्ध हुआ।

₹ 95.10 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

15- आबकारी और कराधान-
राज्य भाग

(i) मूल 50.00

50.00

..

(-)50.00

16- न्यायपालिका के बुनियादी ढांचे का उन्नयन-
राज्य भाग

(ii) मूल 2.00

2.00

..

(-)2.00

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 52.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

4202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय-

03- खेल तथा युवा सेवाएं-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

03- पर्वतारोहण विभाग के भवनों पर व्यय-
राज्य भाग

मूल 25.00

30.00

25.00

(-)5.00

पूरक 5.00

₹ 5.00 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

**4210- चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य पर
पूंजीगत परिव्यय-**

03- चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

02- आयुष संस्थानों का उन्नयन-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना

(i) मूल 76.00

76.00

..

(-)76.00

राज्य भाग

(ii) मूल 9.00

9.00

..

(-)9.00

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-31 (क्रमशः)

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 85.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)। जबकि क्रम संख्या (i) पर ₹ 94.34 लाख का अनुदान भारत सरकार से प्राप्त हुआ था।

03- इंदिरा गांधी मेडिकल कालेज शिमला में
निर्माण कार्य-
राज्य भाग
मूल 252.00

162.00 161.01 (-)0.99

पुनर्वि० (-)90.00

मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 90.00 लाख की कमी मशीनरी एवं उपकरणों की खरीद पर कम व्यय तथा कार्यों के कम निष्पादन के कारण हुआ।

06- मेडिकल कॉलेज, नाहन
राज्य भाग

(i) मूल 91.00

90.00 29.11 (-)60.89

पुनर्वि० (-)1.00

07- मेडिकल कॉलेज, हमीरपुर
राज्य भाग

(ii) मूल 36.00

36.00 16.00 (-)20.00

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 80.89 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

09- दंत चिकित्सा महाविद्यालय शिमला-
राज्य भाग

मूल 100.00

..

पुनर्वि० (-)100.00

मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 100.00 लाख का समस्त प्रावधान कार्य का निष्पादन न होने के कारण कम कर दिया गया।

**4215- जलापूर्ति तथा स्वच्छता पर पूंजीगत
परिव्यय-**

01- जलापूर्ति-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

09- राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक/ग्रामीण
आधारभूत संरचनाविकास निधि के अन्तर्गत
ग्रामीण पेयजल योजनाओं पर व्यय-
राज्य भाग

मूल 2,500.00

15.00 0.81 (-)14.19

पुनर्वि० (-)2,485.00

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-31 (क्रमशः)

मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2,485.00 लाख की कमी कार्यों के कम निष्पादन के कारण हुई।

14- जल जीवन मिशन-
राज्य भाग
मूल 270.00

पुनर्वि० (-)270.00

मार्च 2025 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 270.00 लाख का समस्त प्रावधान केन्द्रीय भाग प्राप्त न होने के कारण कम कर दिया, राज्य हिस्सेदारी अप्रयुक्त रही।

02- मल निकासी तथा सफाई-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

01- ग्रामीण क्षेत्रों में मल निकासी योजनाएं (ग्रामीण
बुनियादी ढांचा विकास निधि के अंतर्गत) -
राज्य भाग

मूल 110.00

551.25

6.40

(-)544.85

पुनर्वि० 441.25

₹ 544.85 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 441.25 लाख का आवर्धन कार्य के अधिक निष्पादन के कारण हुआ जोकि अनावश्यक सिद्ध हुआ।

₹ 544.85 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

4216- आवास पर पूंजीगत परिव्यय-

01- सरकारी आवासीय भवन-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

02- भवनों का निर्माण-

राज्य भाग

मूल 550.00

377.60

229.20

(-)148.40

पुनर्वि० (-)172.40

₹ 148.40 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 172.40 लाख की कमी कार्य के कम निष्पादन के कारण हुआ जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 148.40 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

03- आवासीय भवनों का निर्माण (वन विभाग)-

राज्य भाग

मूल 90.00

117.86

38.90

(-)78.96

पुनर्वि० 27.86

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-31 (क्रमशः)

₹ 78.96 लाख के अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 27.86 लाख का आवर्धन चल रहे कार्यों के पूरा होने के कारण हुआ जोकि अनावश्यक सिद्ध हुआ।

₹ 78.96 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

09-	सामान्य प्रशासन विभाग के सरकारी आवासीय भवनों का निर्माण- राज्य भाग				
(i)	मूल	72.00	72.00	..	(-)72.00
10-	आबकारी और कराधान के लिए आवासीय भवन- राज्य भाग				
(ii)	मूल	50.00	50.00	..	(-)50.00
4225-	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-				
02-	<i>अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-</i>				
796-	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-				
01-	अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति विकास निगम को सहायता- राज्य भाग				
(iii)	मूल	50.00	50.00	..	(-)50.00
	उपरोक्त तीन मामलों में ₹ 172.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।				
03-	आधार भूत संरचना का विकास- राज्य भाग				
	मूल	1,855.00			
			20.07	..	(-)20.07
	पुनर्वि०	(-)1,834.93			
	मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,834.93 लाख की कमी कार्य के कम निष्पादन के कारण हुई।				
4235-	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-				
02-	<i>समाज कल्याण-</i>				
796-	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-				
01-	विभागीय भवनों का निर्माण- केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
	मूल	8.00			
			
	पुनर्वि०	(-)8.00			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-31 (क्रमशः)

मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 8.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया।

03- मुख्यमंत्री सुख आश्रय भवन का निर्माण-
राज्य भाग

मूल	225.00	225.00	..	(-)225.00
-----	--------	--------	----	-----------

₹ 225.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

08- आंगनवाड़ी सेवा योजना के अंतर्गत
स्वच्छता एक्शन प्लान-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना

मूल	2.00
-----	------	----	----	----

पुनर्वि० (-)2.00

मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया।

4401- फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना -

01- कृषि विभाग के भवन-
राज्य भाग

मूल	36.00	38.00	21.72	(-)16.28
-----	-------	-------	-------	----------

पुनर्वि० 2.00

₹ 16.28 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

02- उद्यान विभाग के भवन-
राज्य भाग

मूल	9.00	16.00	7.00	(-)9.00
-----	------	-------	------	---------

पुनर्वि० 7.00

₹ 9.00 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 7.00 लाख का आवर्धन कार्यों के अधिक निष्पादन के कारण हुआ जोकि अनावश्यक सिद्ध हुआ।

₹ 9.00 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

4405 मछली पालन पर पूंजीगत परिव्यय-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

01- भवन निर्माण-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-31 (क्रमशः)

राज्य भाग				
मूल	140.00			
		75.00	60.00	(-)15.00
पुनर्वि०	(-)65.00			
मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 65.00 लाख की कमी कार्यों के कम निष्पादन के कारण हुई।				
4406-	वानिकी तथा वन्य जीवन पर			
	पूंजीगत परिव्यय-			
01-	वानिकी-			
796-	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-			
01-	सड़क निर्माण पर व्यय-			
राज्य भाग				
मूल	150.00			
		238.37	80.29	(-)158.08
पुनर्वि०	88.37			
₹ 158.08 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 88.37 लाख का आवर्धन कार्य के अधिक निष्पादन के कारण हुआ जोकि अनावश्यक सिद्ध हुआ।				
₹ 158.08 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।				
02-	भवन निर्माण पर व्यय-			
राज्य भाग				
मूल	200.00			
		212.01	59.95	(-)152.06
पुनर्वि०	12.01			
₹ 152.06 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।				
4515-	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम पर पूंजीगत			
	परिव्यय-			
796-	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-			
01-	मुख्यमंत्री लोक भवन-			
राज्य भाग				
मूल	5.00			
	
पुनर्वि०	(-)5.00			
मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 5.00 लाख का समस्त प्रावधान कार्यों के निष्पादन न होने के कारण कम कर दिया गया।				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-31 (क्रमशः)

03- पंचायती राज संस्थान भवन-
राज्य भाग

(i) मूल	180.00			
		195.00	160.00	(-)35.00
पुनर्वि०	15.00			

4702- लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

01- विभिन्न जिलों में उठाऊ सिंचाई स्कीमें-
राज्य भाग

(ii) मूल	24.00			
		87.26	71.51	(-)15.75
पूरक	63.26			

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 50.75 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

02- विभिन्न जिलों में डायवर्सन एवं प्रवाह स्कीमें-
राज्य भाग

मूल	85.00			
पूरक	358.20	824.44	311.69	(-)512.75
पुनर्वि०	381.24			

₹ 512.75 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 381.24 लाख का आवर्धन चल रहे कार्यों के अधिक निष्पादन के कारण हुआ जोकि अत्यधिक सिद्ध हुआ।

₹ 512.75 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

06- कृषि और ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय
बैंक के अंतर्गत लिफ्ट सिंचाई योजनाएं-
राज्य भाग

मूल	600.00			
		782.81	490.90	(-)291.91
पुनर्वि०	182.81			

₹ 291.91 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 182.81 लाख का आवर्धन चल रहे कार्यों के अधिक निष्पादन के कारण हुआ जोकि अनावश्यक सिद्ध हुआ।

₹ 291.91 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

08- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (हर खेत
को पानी) के अन्तर्गत लघु सिंचाई योजनाएं-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-31 (क्रमशः)

	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(i)	मूल	2,000.00			
		
	पुनर्वि०	(-)2,000.00			
	राज्य भाग				
(ii)	मूल	50.00			
		
	पुनर्वि०	(-)50.00			
10-	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना हर खेत को पानी के अन्तर्गत डायवर्सन तथा प्रवाह सिंचाई योजना-केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(iii)	मूल	3,274.00			
		
	पुनर्वि०	(-)3,274.00			
	राज्य भाग				
(iv)	मूल	150.00			
		
	पुनर्वि०	(-)150.00			
	उपरोक्त चार मामलों में मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 5,474.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियों तथा केन्द्रीय हिस्सेदारी की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया; अतः राज्य की हिस्सेदारी अप्रयुक्त रही।				
4705-	कमान क्षेत्र विकास पर पूंजीगत परिव्यय-				
796-	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-				
01-	कमान क्षेत्र का विकास-				
	राज्य भाग				
	मूल	541.00			
			369.02	317.04	(-)51.98
	पुनर्वि	(-)171.98			
	₹ 51.98 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 171.98 लाख की कमी कार्य के कम निष्पादन के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।				
	₹ 51.98 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।				
4801-	विद्युत परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय-				
01-	हाइडल उत्पादन-				
796-	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-				
02-	हिमाचल प्रदेश ट्रांसमिशन निगम लिमिटेड में इक्विटी योगदान-				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-31 (क्रमशः)

	राज्य भाग				
	मूल	36.00	36.00	..	(-)36.00
	₹ 36.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।				
06-	हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम लिमिटेड में इक्विटी योगदान-				
	राज्य भाग				
	मूल	1,000.00	1,000.00	250.00	(-)750.00
	₹ 750.00 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।				
07-	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड में इक्विटी योगदान-				
	राज्य भाग				
	मूल	225.00	225.00	..	(-)225.00
	₹ 225.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।				
4851-	ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय-				
796-	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-				
05-	औद्योगिक भवनों का निर्माण/संपदा-				
	राज्य भाग				
	मूल	10.00			
			5.00	1.99	(-)3.01
	पुनर्वि0	(-)5.00			
	₹ 3.01 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 5.00 लाख की कमी चल रहे कार्यों के कम निष्पादन के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।				
	₹ 3.01 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।				
5002-	भारतीय रेल-वाणिज्यिक लाइनों पर पूंजीगत परिव्यय-				
	03- पूंजीगत परिव्यय-				
796-	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-				
01-	रेलवे लाइन का निर्माण-				
	राज्य भाग				
	मूल	120.00	120.00	..	(-)120.00
	₹ 120.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।				
5053-	नागरिक विमानन पर पूंजीगत परिव्यय-				
	80- सामान्य-				
796-	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-31 (क्रमशः)

02-	हेलिपेडस का निर्माण- राज्य भाग				
	मूल	27.00			
			14.99	14.96	(-)0.03
	पुनर्वि०	(-)12.01			
	मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 12.01 लाख की कमी कार्यों के कम निष्पादन के कारण हुई।				

03-	हवाई अड्डों और हेलिपोर्ट्स का विकास- राज्य भाग				
	मूल	11,663.00			
	पूरक	0.01	11,663.00	25.29	(-)11,637.71
	पुनर्वि०	(-)0.01			
	₹ 11,637.71 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।				

**5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत
परिव्यय-**

04- जिला तथा अन्य सड़कें-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

01- ग्रामीण सड़कों का निर्माण-

राज्य भाग

मूल 2,835.00

पूरक 350.00

पुनर्वि० 630.45

3,815.45

2,812.93

(-)1,002.52

₹ 1,002.52 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 630.45 लाख का आवर्धन चल रहे कार्यों पर अधिक व्यय के कारण हुआ जोकि अनावश्यक सिद्ध हुआ।

₹ 1,002.52 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

03- ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि/

राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास

बैंक के अन्तर्गत ग्रामीण सड़कों

के निर्माण पर व्यय-

राज्य भाग

मूल 2,500.00

1,501.00

1,181.86

(-)319.14

पुनर्वि० (-)999.00

₹ 319.14 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 999.00 लाख की कमी कार्यों के कम निष्पादन के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 319.14 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-31 (क्रमशः)

08-	केन्द्रीय सड़क निधि के अन्तर्गत सड़कों का निर्माण- केन्द्रीय प्रायोजित योजना	मूल	600.00			
	पुनर्वि०	(-)600.00				
	मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 600.00 लाख का समस्त प्रावधान कार्यों के निष्पादन न होने के कारण कम कर दिया गया।					
09-	सड़कों और पुलों के डिजाइन/विस्तार परियोजना रिपोर्ट के लिए परामर्श- राज्य भाग	(i) मूल	18.00	15.00	5.19	(-)9.81
	पुनर्वि०	(-)3.00				
11-	ब्लैक स्पॉट्स का सुधार, सड़क सुरक्षा के उपाय और जियोमेट्रिक्स और राइडिंग गुणवत्ता में सुधार- राज्य भाग	(ii) मूल	90.00	99.00	72.02	(-)26.98
	पुनर्वि०	9.00				
	उपरोक्त दो मामलों में ₹ 36.79 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।					
12-	मुख्यमंत्री सड़क योजना- राज भाग	मूल	800.00	820.00	364.68	(-)455.32
	पुनर्वि०	20.00				
	₹ 455.32 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 20.00 लाख का आवर्धन चल रहे कार्यों के अधिक निष्पादन होने के कारण हुआ जोकि अनावश्यक सिद्ध हुआ।					
	₹ 455.32 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।					
13-	सड़क किनारे सुविधा/वृक्षारोपण (बागवानी मंडल)- राज्य भाग	मूल	72.00			
	पुनर्वि०	(-)72.00				
	मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 72.00 लाख का समस्त प्रावधान कार्यों का निष्पादन न होने के कारण कम कर दिया गया।					

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-31 (क्रमशः)

14-	मध्यस्थता मामलों के लिए भुगतान (सड़कें और पुल)- राज्य भाग				
	मूल	45.00			
			1,137.87	21.33	(-)1,116.54
	पुनर्वि०	1,092.87			
	₹ 1,116.54 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,092.87 लाख का आवर्धन मुआवजा मामलों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ जोकि अनावश्यक सिद्ध हुआ।				
	₹ 1,116.54 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।				
15-	विश्व बैंक राज्य सड़कें- राज्य भाग				
	मूल	1, 000.00	1,000.00	200.00	(-)800.00
	₹ 800.00 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।				
80-	<i>सामान्य-</i>				
796-	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-				
05-	मुख्य पुलों के निर्माण पर व्यय- राज्य भाग				
	मूल	585.00			
			496.01	271.66	(-)224.35
	पुनर्वि०	(-)88.99			
	₹ 224.35 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 88.99 लाख की कमी कार्यों के कम निष्पादन के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।				
	₹ 224.35 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।				
06-	रोपवे तथा केबलवे पर व्यय- राज्य भाग				
	मूल	250.00			
			35.01	22.65	(-)12.36
	पुनर्वि०	(-)214.99			
	मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 214.99 लाख की कमी कार्यों के कम निष्पादन के कारण हुई।				
09-	ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि/राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के अन्तर्गत मुख्य पुलों के निर्माण पर व्यय- राज्य भाग				
	मूल	1,500.00			
			525.00	310.25	(-)214.75
	पुनर्वि०	(-)975.00			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-31 (क्रमशः)

₹ 214.75 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 975.00 लाख की कमी कार्यों के कम निष्पादन के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 214.75 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

5075- अन्य परिवहन सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय-

60- अन्य-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

01- रोपवे और रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम-

राज्य भाग

मूल	9.00	9.00	..	(-)9.00
-----	------	------	----	---------

₹ 9.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

5452- पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय-

80- सामान्य-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

01- विभिन्न भवनों के निर्माण-

राज्य भाग

(i) मूल	61.00			
		104.48	53.23	(-)51.25
पूरक	43.48			

5475- अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

02- विकास में जन सहयोग-

राज्य भाग

(ii) मूल	210.00	210.00	130.86	(-)79.14
----------	--------	--------	--------	----------

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 130.39 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

6801- बिजली परियोजनाओं के लिए ऋण-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

10- हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम लिमिटेड परियोजना-

राज्य भाग

(i) मूल	27.00	27.00	..	(-)27.00
---------	-------	-------	----	----------

11- हिमाचल प्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड को ऋण-

राज्य भाग

(ii) मूल	27.00	27.00	..	(-)27.00
----------	-------	-------	----	----------

13- हिमाचल प्रदेश विद्युत क्षेत्र विकास कार्यक्रम

(एच.पी.एस.इ.बी.एल)-

राज्य भाग

(iii) मूल	90.00	90.00	..	(-)90.00
-----------	-------	-------	----	----------

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-31 (क्रमशः)

14-	हिमाचल प्रदेश विद्युत क्षेत्र विकास कार्यक्रम (एच.पी.पी.टी.सी.एल)- राज्य भाग			
(iv)	मूल	90.00	90.00	.. (-)90.00
15-	हिमाचल प्रदेश विद्युत क्षेत्र विकास कार्यक्रम (हिम ऊर्जा)- राज्य भाग			
(v)	मूल	45.00	45.00	.. (-)45.00
	उपरोक्त पाँच मामलों में ₹ 279.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।			
(vii)	उपरोक्त बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-			
	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य (+) बचत (-)
4202-	शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय-			
	<i>01- सामान्य शिक्षा-</i>			
796-	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-			
01-	भवन- राज्य भाग			
(i)	मूल	288.00		
			434.92	399.81 (-)35.11
	पुनर्वि०	146.92		
	<i>03- खेलकूद तथा युवा सेवाएं-</i>			
796-	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-			
01-	भवन निर्माण- राज्य भाग			
(ii)	मूल	180.00		
			487.21	440.67 (-)46.54
	पुनर्वि०	307.21		
	<i>04- कला एवं संस्कृति-</i>			
796-	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-			
01-	भवनों का निर्माण- राज्य भाग			
(iii)	मूल	158.00		
			257.33	199.83 (-)57.50
	पुनर्वि०	99.33		

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-31 (क्रमशः)

उपरोक्त तीन मामलों में ₹ 139.15 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 553.46 लाख का आवर्धन कार्यों के अधिक निष्पादन के कारण हुआ जोकि अत्यधिक सिद्ध हुआ।

उपरोक्त तीन मामलों में ₹ 139.15 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

**4210- चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य पर
पूंजीगत परिव्यय-**

02- ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएँ-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

01- भवन निर्माण-

राज्य भाग

मूल 800.00

1,241.00

1,234.90

(-)6.10

पुनर्वि० 441.00

मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 441.00 लाख का आवर्धन कार्यों के अधिक निष्पादन के कारण हुआ।

**4215- जलापूर्ति तथा स्वच्छता पर पूंजीगत
परिव्यय-**

01- जलापूर्ति-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

01- विभिन्न जिलों में ग्रामीण जल आपूर्ति
योजनाएँ-

राज्य भाग

मूल 1,017.00

पूरक 30.00

1,315.84

1,176.93

(-)138.91

पुनर्वि० 268.84

₹ 138.91 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 268.84 लाख का आवर्धन कार्यों के अधिक निष्पादन के कारण हुआ जोकि अत्यधिक सिद्ध हुआ।

₹ 138.91 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

02- नलकूप लगाने पर व्यय-

राज्य भाग

मूल 36.00

65.00

50.81

(-)14.19

पुनर्वि० 29.00

₹ 14.19 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 29.00 लाख का आवर्धन नलकूप लगाने पर अधिक व्यय के कारण हुआ जोकि अत्यधिक सिद्ध हुआ।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-31 (क्रमशः)

₹ 14.19 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

03- मल निकासी स्कीमों पर व्यय-
राज्य भाग

मूल 1,000.00

1,611.03

1,295.99

(-)315.04

पुनर्वि० 611.03

₹ 315.04 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 611.03 लाख का आवर्धन मल निकासी योजनाओं के अधिक निष्पादन के कारण हुआ जोकि अत्यधिक सिद्ध हुआ।

₹ 315.04 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

4403- पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

01- भवन निर्माण कार्यक्रम-

राज्य भाग

मूल 150.00

195.29

180.09

(-)15.20

पुनर्वि० 45.29

मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 45.29 लाख का आवर्धन कार्यों के अधिक निष्पादन के कारण हुआ।

**4515- अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर
पूंजीगत परिव्यय-**

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

02- सामुदायिक विकास कार्य-

राज्य भाग

(i) मूल 1.00

1,492.40

1,204.11

(-)288.29

पुनर्वि० 1,491.40

**4711- बाढ़ नियन्त्रण परियोजनाओं पर
पूंजीगत परिव्यय-**

01- बाढ़ नियन्त्रण क्षेत्र-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

01- बाढ़ नियन्त्रण कार्यों पर व्यय-

राज्य भाग

(ii) मूल 140.00

350.85

264.63

(-)86.22

पुनर्वि० 210.85

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 374.51 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,702.25 लाख का आवर्धन कार्यों के अधिक निष्पादन के कारण हुआ जोकि अत्यधिक सिद्ध हुआ।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-31 (क्रमशः)

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 374.51 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

02- ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि/कृषि और
ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय बैंक के
अंतर्गत बाढ़ नियंत्रण कार्य-
राज्य भाग

(i)	मूल	150.00			
			409.00	388.27	(-)20.73
	पुनर्वि०	259.00			

4851- ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-
06- जिला औद्योगिक केन्द्र भवन-
राज्य भाग

(ii)	मूल	25.00			
			30.00	29.99	(-)0.01
	पुनर्वि०	5.00			

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 264.00 लाख का आवर्धन चल रहे कार्यों के अधिक निष्पादन के कारण हुआ।

5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-

04- जिला तथा अन्य सड़कें-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-
04- शूद्ध वर्तमान मूल्य सहित भूमि मुआवजा
पर व्यय-
राज्य भाग

	मूल	180.00			
			315.24	1,241.44	(+)926.20
	पुनर्वि०	135.24			

₹ 926.20 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 135.24 लाख का आवर्धन मुआवजा दावों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुआ।

₹ 926.20 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

5055- सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-
02- बस अड्डों के निर्माण-
राज्य भाग

(i)	मूल	158.00			
			817.31	810.90	(-)6.41
	पुनर्वि०	659.31			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-31 (क्रमशः)

5452 पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय-

01- पर्यटक अवसंरचना

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

02- पर्यटन विकास-

राज्य भाग

(ii) मूल	1.00			
पूरक	51.25	151.00	150.00	(-)1.00
पुनर्वि०	98.75			

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 758.06 लाख का आवर्धन चल रहे कार्यों के अधिक निष्पादन के कारण हुआ।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-31 (क्रमशः)

(viii) उच्चंत लेन-देन:-

- (i) उच्चंत के अन्तर्गत लेखाबद्ध किए गए अनुदान के अन्तर्गत व्यय में ₹ 1,223.21 लाख (₹ 1,223.21 लाख राजस्व प्रवर्ग तथा ₹ 0.00 लाख पूंजीगत प्रवर्ग के अन्तर्गत) सम्मिलित हैं।
- (ii) उच्चंत लेनदेन के स्वरूप का वर्णन अनुदान संख्या-10 लोक निर्माण कार्य- सडकें, पुल तथा भवन के अन्तर्गत पैरा- (ix) में किया गया है।
- (iii) अथ तथा अंत शेषों सहित वर्ष 2024-25 में इस अनुदान में उच्चंत लेनदेनों का विश्लेषण विभिन्न उपशीर्षों के अंतर्गत नीचे दिया गया है:-

शीर्ष	1 अप्रैल 2024 को प्रारम्भिक शेष डैबिट (+) क्रेडिट (-)	डैबिट (₹ लाख में)	क्रेडिट	31 मार्च 2025 को अन्त शेष डैबिट (+) क्रेडिट (-)
राजस्व प्रवर्ग				
2059- लोक निर्माण-कार्य-				
01- कार्यालय भवन-				
796- जन जातीय क्षेत्र उप-योजना-				
07- उच्चंत के अन्तर्गत व्यय (स्कन्ध)-	(-)778.30	282.09	235.15	(-)731.36*
08- उच्चंत के अन्तर्गत व्यय (स्टॉक विनिर्माण)	(+)605.54	231.64	359.85	(+)477.33
09- उच्चंत के अन्तर्गत व्यय (विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम)-	(+)6,544.91	468.59	21.72	(+)6,991.78
कुल 2059-	(+)6,372.15	982.32	616.72	(+)6,737.75
2215- जलापूर्ति तथा स्वच्छता-				
01- जलापूर्ति-				
796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-				
04- स्कन्ध-	(-)222.21	91.47	288.81	(-)419.55*
05- स्कन्ध विनिर्माण-	(+)165.89	1.41	0.00	(+)167.30
06- विविध लोक निर्माण काय अग्रिम-	(+)164.49	22.83	0.45	(+)186.87
कुल 2215-	(+)108.17	115.71	289.26	(-)65.38*

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-31 (समाप्त)

शीर्ष	1 अप्रैल 2024 को प्रारम्भिक शेष डैबिट (+)क्रेडिट (-)	डैबिट (₹ लाख में)	क्रेडिट	31 मार्च 2025 को अन्त शेष डैबिट (+)क्रेडिट (-)
2702- लघु सिंचाई-				
80- सामान्य-				
796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-				
08- उच्चंत पर व्यय- (स्कन्ध)-	(-)530.53	84.24	183.75	(-)630.04*
09- उच्चंत पर व्यय- (स्कन्ध विनिर्माण)-	(+206.69	26.68	0.00	(+233.37
10- उच्चंत पर व्यय- (विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम)-	(+613.88	14.26	0.00	(+628.14
कुल-2702-	(+)290.04	125.18	183.75	(+)231.47
कुल राजस्व प्रवर्ग-	(+)6,770.36	1,223.21	1,089.73	(+)6,903.84
कुल मांग-	(+)6,770.36	1,223.21	1,089.73	(+)6,903.84

*ऋणात्मक शेषों के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

विनियोग लेखे

अनुदान संख्या-32- अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रम

(शीर्ष- 2055- पुलिस, 2059- लोक निर्माण-कार्य, 2202- सामान्य शिक्षा, 2203- तकनीकी शिक्षा, 2204- खेलकूद तथा युवा सेवाएं, 2205-कला एवं संस्कृति, 2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 2211- परिवार कल्याण, 2215- जलापूर्ति तथा सफाई, 2216- आवास, 2217- शहरी विकास, 2220- सूचना तथा प्रचार, 2225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, एवं अन्य पिछड़े वर्गों एवं अल्पसंख्यकों का कल्याण, 2230-श्रम, रोजगार तथा कौशल विकास, 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, 2236- पोषण, 2401- फसल कृषि-कर्म, 2402- भू तथा जल संरक्षण, 2403- पशुपालन, 2404- दूध विकास, 2405- मछली पालन, 2406-वानिकी तथा वन्य जीवन, 2408- खाद्य भण्डारण तथा भाण्डागार, 2415- कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा, 2425-सहकारिता, 2435- अन्य कृषि कार्यक्रम, 2501- ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम, 2505- ग्राम रोजगार, 2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम, 2801- ऊर्जा, 2851- ग्रामीण तथा लघु उद्योग, 2852- उद्योग, 3054- सड़कें तथा सेतु, 3055- सड़क परिवहन, 3425-अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान, 3452- पर्यटन, 4055-पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय, 4058-मुद्रण पर पूंजीगत परिव्यय, 4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय, 4070- अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय, 4202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय, 4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय, 4215-जलापूर्ति तथा स्वच्छता पर पूंजीगत परिव्यय, 4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय, 4217- शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय, 4220-सूचना और प्रचार पर पूंजीगत परिव्यय, 4225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय, 4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय, 4401-फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय, 4402- मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय, 4403-पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय, 4406- वानिकी तथा वन्य प्राणियों पर पूंजीगत परिव्यय, 4408- खाद्य भण्डारण तथा भांडागार पर पूंजीगत परिव्यय, 4425- सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय, 4515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम पर पूंजीगत परिव्यय, 4701- मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, 4702- लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, 4705-कमान क्षेत्र विकास पर पूंजीगत परिव्यय, 4711- बाढ़ नियन्त्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय, 4801- बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय, 4851- ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय, 5002-भारतीय रेल वाणिज्यिक लाईनो पर पूंजीगत परिव्यय, 5053- नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय, 5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय, 5055- सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय, 5075- अन्य परिवहन सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय, 5452- पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय, 5475- अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय, 6225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, एवं अन्य पिछड़े वर्गों एवं अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए ऋण तथा 6801- बिजली परियोजनाओं के लिए ऋण)

कुल अनुदान

वास्तविक

आधिक्य (+)

व्यय

बचत (-)

(₹ हजार में)

राजस्व प्रवर्ग

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

दत्तमत				
मूल	27,83,30,58			
		31,91,27,64	27,05,79,16	(-)4,85,48,48
पूरक	4,07,97,06			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि ..				
पूंजीगत प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	14,79,72,00			
		15,65,79,85	9,15,52,16	(-)6,50,27,69
पूरक	86,07,85			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि 57,74,08				
(31 मार्च 2025)				

टिप्पणियाँ तथा अभ्युक्तियाँ

- (i) राजस्व प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 48,548.48 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में प्राप्त ₹ 40,797.06 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ जबकि मूल अनुदान भी अप्रयुक्त रहा तथा वर्ष के दौरान विभाग द्वारा कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
- (ii) पूंजीगत प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 65,027.69 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में प्राप्त ₹ 8,607.85 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ जबकि मूल अनुदान भी अप्रयुक्त रहा तथा ₹ 5,774.08 लाख का अभ्यर्पण अपर्याप्त सिद्ध हुआ।

राजस्व प्रवर्ग

- (iii) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
		(₹ लाख में)	
2055- पुलिस-			
789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-			
02- सुरक्षा सम्बन्धी व्यय- केन्द्रीय प्रायोजित योजना			
(i) मूल	107.00	107.00	78.85
			(-)28.15
₹ 28.15 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।			
2059- लोक निर्माण कार्य-			
01- कार्यालय भवन-			
789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-			
04- सरकारी स्वामित्व वाले आंगनबाड़ी केन्द्रों का रखरखाव- राज्य भाग			
मूल	5.00	5.00	..
			(-)5.00

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

₹ 5.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

80-	सामान्य-				
789-	अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-				
02-	उद्योग विभाग के भवनों का रखरखाव-				
	राज्य भाग				
(i)	मूल	60.00	60.00	34.73	(-)25.27
2202-	सामान्य शिक्षा-				
01-	प्रारंभिक शिक्षा-				
789-	अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-				
03-	माध्यमिक विद्यालय-				
	राज्य भाग				
(ii)	मूल	1,365.86	1,365.86	1,302.92	(-)62.94
06-	मध्याह्न आहार-				
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(iii)	मूल	2,921.00	2,921.00	2,565.95	(-)355.05
11-	अभिभावक शिक्षक संघ को सहायता अनुदान पर व्यय-				
	राज्य भाग				
(iv)	मूल	20.00	20.00	0.23	(-)19.77
	उपरोक्त चार मामलों में ₹ 463.03 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)। जबकि भारत सरकार से क्रम संख्या (iii) में ₹ 2,626.87 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ था।				
13-	अनुसूचित जाति के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति-				
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
	मूल	4.00	4.00	..	(-)4.00
	₹ 4.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।				
15-	स्कूल प्रबंधन समितियों को अनुदान सहायता-				
	राज्य भाग				
	मूल	250.00	250.00	208.64	(-)41.36
	₹ 41.36 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।				
18-	उर्दू एवं पंजाबी शिक्षक-				
	राज्य भाग				
	मूल	3.00			
			1.00	..	(-)1.00
	पुनर्वि0	(-)2.00			

मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2.00 लाख की कमी उर्दू एवं पंजाबी शिक्षकों के नियमितीकरण के कारण हुई।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

19-	समग्र शिक्षा अभियान- केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(i)	मूल	14,258.00	14,258.00	10,317.70	(-)3,940.30
	राज्य भाग				
(ii)	मूल	1,360.00	1,360.00	1,146.20	(-)213.80
21-	राज्य हेतु शिक्षण अधिगम और परिणाम सुदृढीकरण (स्टार्स परियोजना)- केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(iii)	मूल	7,557.00	7,557.00	4,530.50	(-)3,026.50
	राज्य भाग				
(iv)	मूल	756.00	756.00	503.39	(-)252.61
23-	निजि विद्यालयों में कमजोर वर्ग के छात्रों की फीस की प्रतिपूर्ति- राज्य भाग				
(v)	मूल	30.00	30.00	4.66	(-)25.34
26-	नव भारत साक्षरता कार्यक्रम- केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(vi)	मूल	32.00	32.00	15.91	(-)16.09
	राज्य भाग				
(vii)	मूल	4.00	4.00	1.77	(-)2.23
	उपरोक्त सात मामलों में ₹ 7,476.87 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)। जबकि भारत सरकार से क्रम संख्या (iii) में ₹ 4,530.50 लाख तथा क्रम संख्या (vi) में ₹ 15.91 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ था।				
27-	सरकारी मॉडल प्राथमिक विद्यालय- राज्य भाग				
	मूल	25.00			
	पुनर्वि०	(-)25.00			
	मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 25.00 लाख का समस्त प्रावधान इस योजना को उच्च शिक्षा विभाग द्वारा कार्यान्वयन करने के कारण कम कर दिया गया।				
28-	प्रधानमंत्री उदित भारत विद्यालय योजना- केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
	पूरक	3,107.16			
	पुनर्वि०	303.84	3,411.00	2,632.23	(-)778.77

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

₹ 778.77 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 303.84 लाख का आवर्धन भारत सरकार से निधियों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ जोकि अनावश्यक सिद्ध हुआ। जबकि भारत सरकार से ₹ 4,052.75 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ था। ₹ 778.77 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

राज्य भाग

पूरक	379.00	379.00	292.47	(-)86.53
------	--------	--------	--------	----------

₹ 86.53 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

02- माध्यमिक शिक्षा-

789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-

12- श्रीनिवास रामानुजन विद्यार्थी डिजिटल योजना-

राज्य भाग

मूल	630.00	630.00	..	(-)630.00
-----	--------	--------	----	-----------

₹ 630.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

16- अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए

पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

मूल	760.00			
-----	--------	--	--	--

पुनर्वि०	(-)760.00
----------	-----------	----	----	----

मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 760.00 लाख का समस्त प्रावधान निधियों को सीधा लाभार्थियों के खातों में हस्तांतरण करने के कारण कम कर दिया गया। जबकि भारत सरकार से ₹ 202.29 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ था।

24- समग्र शिक्षा अभियान-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

(i) मूल	7,910.00	7,910.00	6,090.11	(-)1,819.89
---------	----------	----------	----------	-------------

राज्य भाग

(ii) मूल	879.00	879.00	676.66	(-)202.34
----------	--------	--------	--------	-----------

31- स्वर्ण जयंती सूपर (100) योजना-

राज्य भाग

(iii) मूल	126.00	126.00	10.21	(-)115.79
-----------	--------	--------	-------	-----------

उपरोक्त तीन मामलों में ₹ 2,138.02 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)। जबकि भारत सरकार से क्रम संख्या (i) में ₹ 13,139.26 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ था।

33- राजीव गांधी डे-बोर्डिंग स्कूल-

राज्य भाग

मूल	63.00	63.00	..	(-)63.00
-----	-------	-------	----	----------

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

₹ 63.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

03- विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

05- राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना

(i) मूल 476.00 476.00 333.29 (-)142.71

राज्य भाग

(ii) मूल 53.00 53.00 37.03 (-)15.97

07- सरदार वल्लभभाई पटेल कलस्टर विश्वविद्यालय-

राज्य भाग

(iii) मूल 275.56 275.56 220.56 (-)55.00

उपरोक्त तीन मामलों में ₹ 213.68 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)। जबकि भारत सरकार से क्रम संख्या (i) में ₹ 9.64 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ था।

12- डॉ यशवंत सिंह परमार ऋण योजना-

राज्य भाग

मूल 126.00 126.00 .. (-)126.00

₹ 126.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

2204- खेल एवं युवा सेवाएँ-

789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-

02- पर्वतारोहण संस्थान एवं संबद्ध खेल मनाली-
राज्य भाग

(i) मूल 15.00 15.00 7.37 (-)7.63

2205- कला और संस्कृति-

789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-

03- सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन-
राज्य भाग

(ii) मूल 125.00 125.00 83.61 (-)41.39

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 49.02 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

2210- चिकित्सा तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य-

03- ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-पाश्चात्य

चिकित्सा पद्धति-

789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-

01- ग्रामीण स्वास्थ्य-
राज्य भाग

मूल 1,390.33

1,294.70

1,261.93

(-)32.77

पुनर्वि0 (-)95.63

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

₹ 32.77 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 95.63 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, कर्मचारियों के नियमितीकरण और पेट्रोल, तेल, स्नेहक/वाहनों की मरम्मत पर कम व्यय होने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।
₹ 32.77 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

04-	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन- केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
	मूल	12,188.00	12,188.00	9,159.00	(-)3,029.00

₹ 3,029.00 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

राज्य भाग

	मूल	2,875.00			
	पूरक	163.03	2,889.69	2,889.68	(-)0.01
	पुनर्वि०	(-)148.34			

मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 148.34 लाख की कमी मानदेय पर कम व्यय के कारण हुई।

04- ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-अन्य चिकित्सा पद्धति-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

01- आयुर्वेदिक औषधालय-

राज्य भाग

(i)	मूल	2,055.66			
			1,907.25	1,900.96	(-)6.29
	पुनर्वि०	(-)148.41			

02- होम्योपैथी औषधालय-

राज्य भाग

(ii)	मूल	47.75			
			37.57	32.47	(-)5.10
	पुनर्वि०	(-)10.18			

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 158.59 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

05- चिकित्सा शिक्षा-प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

08- डॉ राधा कृष्णन राजकीय चिकित्सा

महाविद्यालय, हमीरपुर-

राज्य भाग

	मूल	190.00			
			315.00	21.83	(-)293.17
	पुनर्वि०	125.00			

₹ 293.17 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 125.00 लाख का आवर्धन दवाओं की खरीद के कारण हुआ जोकि अन्यायसंगत सिद्ध हुआ।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

₹ 293.17 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

11-	अटल आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय मंडी, नेरचोक- राज्य भाग	मूल	25.00			
				13.76	13.76	..

पुनर्वि० (-)11.24

मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 11.24 लाख की कमी दवाओं और संबंधित सामग्री पर कम व्यय के कारण हुई।

06-	लोक स्वास्थ्य-					
789-	अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-					
01-	एड्स नियन्त्रण कार्यक्रम- राज्य भाग	मूल	277.00	277.00	160.11	(-)116.89

₹ 116.89 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

03-	मुख्यमंत्री क्षय रोग निवारण योजना- राज्य भाग	मूल	50.00			
				32.51	18.68	(-)13.83

पुनर्वि० (-)17.49

₹ 13.83 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 17.49 लाख की कमी क्षय रोग किट की कम आवश्यकता के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 13.83 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

04-	मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना- राज्य भाग	मूल	200.00	200.00	..	(-)200.00
-----	--	-----	--------	--------	----	-----------

₹ 200.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

2211-	परिवार कल्याण-					
789-	अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-					
08-	राष्ट्र स्वास्थ्य के अंतर्गत ढांचागत रख-रखाव मिशन- केन्द्रीय प्रायोजित योजना	मूल	3,062.00			
				2,306.56	2,297.82	(-)8.74

पुनर्वि० (-)755.44

मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 755.44 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

2215- जलापूर्ति तथा सफाई-

02- मल जल तथा सफाई-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

02- मल निकासी योजनाओं की मरम्मत

तथा रखरखाव-

राज्य भाग

(i) मूल 630.00 630.00 438.61 (-)191.39

2216- आवास

03- ग्रामीण आवास-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

04- मुख्यमंत्री आवास योजना-

राज्य भाग

(ii) मूल 252.00 251.25 171.14 (-)80.11

पुनर्वि० (-)0.75

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 271.50 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

05- साधारण पूल आवास-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

02- सामान्य प्रशासन विभाग के सरकार

रिहायशी पूल आवासों का रखरखाव-

राज्य भाग

मूल 63.00 63.00 .. (-)63.00

₹ 63.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

2217- शहरी विकास-

04- मलिन बस्ती क्षेत्र का सुधार-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

10- दीनदयाल अन्त्योदय योजनाएँ

राष्ट्रीय शहरी अजीविका मिशन-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

(i) मूल 190.00 22.50 22.50 ..

पुनर्वि० (-)167.50

राज्य भाग

(ii) मूल 19.00 2.50 2.50 ..

पुनर्वि० (-)16.50

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

80-	सामान्य-				
789-	अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-				
04-	प्रधानमंत्री आवास योजना-सभी के लिए				
	आवास (शहरी) -				
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(iii)	मूल	800.00			
			587.06	587.06	..
	पुनर्वि०	(-)212.94			
	राज्य भाग				
(iv)	मूल	180.00			
			136.98	136.98	..
	पुनर्वि०	(-)43.02			
	उपरोक्त चार मामलों में मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 439.96 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण हुई; अतः राज्य भाग अप्रयुक्त रहा। जबकि भारत सरकार से क्रम संख्या (i) में ₹ 22.50 लाख तथा क्रम संख्या (iii) में ₹ 461.06 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ था।				
05-	अटल श्रेष्ठ शहर योजना-				
	राज्य भाग				
	मूल	100.00			
		
	पुनर्वि०	(-)100.00			
	मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 100.00 लाख का समस्त प्रावधान संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने के कारण कम कर दिया गया।				
06-	पार्किंग का निर्माण-				
	राज्य भाग				
	मूल	125.00	125.00	..	(-)125.00
	₹ 125.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।				
11-	निजी सार्वजनिक भागीदारी आधारित				
	परियोजनाओं पर परामर्श-				
	राज्य भाग				
	मूल	5.00			
		
	पुनर्वि०	(-)5.00			
	मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 5.00 लाख का समस्त प्रावधान संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने के कारण कम कर दिया गया।				
12-	मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारेटी योजना-				
	राज्य भाग				
(i)	मूल	100.00	100.00	26.82	(-)73.18

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

14-	राज्य वित्त आयोग (नगर निगम)- राज्य भाग				
(ii)	मूल	2,221.08	2,221.08	1,776.86	(-)444.22
15-	राज्य वित्त आयोग (नगर पालिका/नगर परिषद)- राज्य भाग				
(iii)	मूल	2,191.59	2,191.59	1,753.27	(-)438.32
16-	राज्य वित्त आयोग (नगर पंचायत/अधिसूचित क्षेत्र समितियाँ या उनके समतुल्य)- राज्य भाग				
(iv)	मूल	643.67	643.67	514.94	(-)128.73
	उपरोक्त चार मामलों में ₹ 1,084.45 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।				
2225-	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों एवं अल्पसंख्यकों का कल्याण-				
01-	अनुसूचित जातियों का कल्याण-				
789-	अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-				
02-	निर्देशन तथा प्रशासन राज्य भाग				
	मूल	312.52			
			280.13	270.14	(-)9.99
	पुनर्वि०	(-)32.39			
	मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 32.39 लाख की कमी विज्ञान एवं प्रचार पर कम व्यय, कार्यालय सामग्री की कम खरीद, चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति, बैठकों का आयोजन न होने के कारण हुई जोकि मरम्मत तथा संविदा वाहनों पर अधिक व्यय होने के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।				
05-	आवास- राज्य भाग				
	मूल	1,800.00			
			1,418.00	976.93	(-)441.17
	पुनर्वि०	(-)381.90			
	₹ 441.17 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 381.90 लाख की कमी लाभार्थियों से आवेदनों की कम प्राप्ति के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।				
	₹ 441.17 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।				
11-	अनुवर्ती कार्यक्रम- राज्य भाग				
	मूल	144.00			
		
	पुनर्वि०	(-)144.00			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 144.00 लाख का समस्त प्रावधान लाभार्थियों से आवेदनों की कम प्राप्ति तथा संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने के कारण कम कर दिया गया।

12- कम्प्यूटर एप्लीकेशन प्रोग्राम-

राज्य भाग

मूल	126.00	126.00	32.15	(-)93.85
-----	--------	--------	-------	----------

₹ 93.85 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

18- प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

पूरक 0.01

		202.29	..	(-)202.29
--	--	--------	----	-----------

पुनर्वि० 202.28

₹ 202.29 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 202.28 लाख का आवर्धन इस योजना के अंतर्गत भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति के कारण हुआ जोकि अनावश्यक सिद्ध हुआ।

अनुपूरक अनुदान तथा पुनर्विनियोजन द्वारा प्राप्त किया गया ₹ 202.29 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

2230- श्रम, रोजगार और कौशल विकास-

02- रोजगार सेवाएं-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

01- बेरोजगारी भत्ता

राज्य भाग

(i) मूल	605.00			
		589.34	491.14	(-)98.20

पुनर्वि० (-)15.66

04- राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्ट-अप-योजना-

राज्य भाग

(ii) पूरक	338.00	338.00	80.00	(-)258.00
-----------	--------	--------	-------	-----------

03- प्रशिक्षण-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

06- कौशल विकास भत्ता-

राज्य भाग

(iii) मूल	1,360.00			
		1,357.00	1,015.03	(-)341.97

पुनर्वि० (-)3.00

उपरोक्त तीन मामलों में ₹ 698.17 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-

02- सामाजिक कल्याण-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

01- एकीकृत बाल विकास योजना-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

मूल 8,068.00

6,729.57

4,807.28

(-)1,922.29

पुनर्वि० (-)1,338.43

₹ 1,922.29 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,338.43 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, प्रशासनिक व्ययों को छोड़कर बैठकों का आयोजन न होने तथा भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण राज्य की हिस्सेदारी अप्रयुक्त रहने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई। जबकि भारत सरकार से ₹ 8,277.35 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ था।

₹ 1,922.29 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

राज्य भाग

मूल 5,667.00

5,528.04

2,702.85

(-)2,825.19

पुनर्वि० (-)138.96

₹ 2,825.19 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 138.96 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने से समतुल्य राज्य की हिस्सेदारी अप्रयुक्त रहने, संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने तथा कार्यालय सामग्री की कम खरीद के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 2,825.19 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

06- बेटे है अनमोल-

राज्य भाग

(i) मूल 327.00

327.00

230.27

(-)96.73

07- मुख्यमंत्री कन्यादान योजना-

राज्य भाग

(ii) मूल 302.00

302.00

189.72

(-)112.28

08- जागरूकता अभियान-

राज्य भाग

(iii) मूल 8.00

8.00

3.76

(-)4.24

उपरोक्त तीन मामलों में ₹ 213.25 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

10- विशेष महिला उत्थान योजना-

राज्य भाग

मूल 25.00

25.00

..

(-)25.00

₹ 25.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

13-	मदर टेरेसा योजना- राज्य भाग				
	मूल	252.00			
			176.83	170.83	(-)6.00
	पुनर्वि०	(-)75.17			
	मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 75.17 लाख की कमी प्रस्तावों की कम प्राप्ति के कारण हुई।				
16-	महिला विकास निगम- राज्य भाग				
	मूल	10.00	10.00	..	(-)10.00
	₹ 10.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।				
21-	प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना- केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(i)	मूल	611.00	611.00	269.84	(-)341.16
	राज्य भाग				
(ii)	मूल	68.00	68.00	29.98	(-)38.02
	उपरोक्त दो मामलों में ₹ 379.18 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।				
22-	पोषण अभियान- केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(i)	मूल	833.00	833.00	..	(-)833.00
	राज्य भाग				
(ii)	मूल	93.00	93.00	..	(-)93.00
	उपरोक्त दो मामलों में ₹ 926.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।				
28-	आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायकों को मानदेय- राज्य भाग				
	मूल	4,964.00			
			5,161.71	4,710.69	(-)451.02
	पुनर्वि०	197.71			
	₹ 451.02 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 197.71 लाख का आवर्धन आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायकों के मानदेय में वृद्धि के कारण हुआ जोकि अनावश्यक सिद्ध हुआ।				
	₹ 451.02 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

29-	सशक्त महिला योजना- राज्य भाग				
	मूल	25.00	25.00	..	(-)25.00
	₹ 25.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।				
30-	वो दिन- राज्य भाग				
	मूल	25.00	25.00	16.95	(-)8.05
	₹ 8.05 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।				
31-	राष्ट्रीय शिशु सदन योजना- केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(i)	मूल	104.00	104.00	..	(-)104.00
	राज्य भाग				
(ii)	मूल	9.00	9.00	..	(-)9.00
	उपरोक्त दो मामलों में ₹ 113.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।				
32-	लड़कियों को विवाह अनुदान- राज्य भाग				
	मूल	790.00	790.00	314.03	(-)475.97
	₹ 475.97 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।				
37-	शक्ति सदन- केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(i)	मूल	10.00	10.00	..	(-)10.00
38-	शक्ति निवास- केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(ii)	मूल	48.00	48.00	..	(-)48.00
	राज्य भाग				
(iii)	मूल	5.00	5.00	..	(-)5.00
39-	महिला सशक्तिकरण केन्द्र- केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(iv)	मूल	95.00	95.00	..	(-)95.00
	राज्य भाग				
(v)	मूल	11.00	11.00	..	(-)11.00
	उपरोक्त पांच मामलों में ₹ 169.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

41-	राष्ट्रीय परिवार लाभ कार्यक्रम- केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
	मूल	113.00			
			49.60	49.60	..
	पुनर्वि०	(-)63.40			
	मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 63.40 लाख की कमी योजना के अंतर्गत आवेदनों की कम प्राप्ति के कारण हुई।				
44-	महिलाओं को स्वरोजगार- राज्य भाग				
	मूल	6.00	6.00	..	(-)6.00
	₹ 6.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।				
60-	<i>अन्य सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण कार्यक्रम-</i>				
789-	अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-				
03-	वृद्धावस्था पेंशन- राज्य भाग				
	मूल	20,157.32			
			20,084.60	20,084.60	..
	पुनर्वि०	(-)72.72			
	मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 72.72 लाख की कमी नए पेंशन लाभार्थियों के आवेदन की कम प्राप्ति के कारण हुई।				
04-	वृद्धावस्था (इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना)- केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
	मूल	1,042.00			
			1,011.50	1,011.50	..
	पुनर्वि०	(-)30.50			
	मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 30.50 लाख की कमी संहितागत औपचारिकताओं के पूरा न होने के कारण हुई।				
	राज्य भाग				
	मूल	3,549.68			
			3,517.88	3,517.88	..
	पुनर्वि०	(-)31.80			
	मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 31.80 लाख की कमी नए पेंशन लाभार्थियों की संख्या में कम वृद्धि के कारण हुई।				
05-	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना-				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

राज्य भाग				
मूल	961.64			
		886.81	886.81	..
पुनर्वि०	(-)74.83			
मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 74.83 लाख की कमी सामाजिक सुरक्षा पेंशन मामलों की कम प्राप्ति के कारण हुई।				
2401- फसल कृषि कर्म-				
789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-				
11- फसल बीमा स्कीम-				
राज्य भाग				
मूल	151.00			
	
पुनर्वि०	(-)151.00			
मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 151.00 लाख का समस्त प्रावधान संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने के कारण कम कर दिया गया।				
25- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (कृषि)-				
केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(i) मूल	504.00	504.00	224.63	(-)279.37
राज्य भाग				
(ii) मूल	56.00	56.00	24.96	(-)31.04
33- विस्तार और प्रौद्योगिकी पर राष्ट्रीय मिशन-				
केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(iii) मूल	389.00	389.00	321.29	(-)67.71
35- सतत कृषि राष्ट्रीय मिशन-				
केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(iv) मूल	202.00	202.00	132.00	(-)70.00
राज्य भाग				
(v) मूल	22.00	22.00	14.67	(-)7.33
36- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-				
केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(vi) मूल	250.00	250.00	129.19	(-)120.81
राज्य भाग				
(vii) मूल	28.00	28.00	15.22	(-)12.78
उपरोक्त सात मामलों में ₹ 589.04 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)। जबकि भारत सरकार से क्रम संख्या (i) में ₹ 487.00 लाख तथा क्रम संख्या (iv) में ₹ 37.58 लाख और क्रम संख्या (vi) में ₹ 4.36 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ था।				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

38-	उद्यान एकीकृत विकास मिशन- केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
	मूल	1000.00			
			378.00	284.02	(-)93.98
	पुनर्वि०	(-)622.00			
	₹ 93.98 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 622.00 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।				
	₹ 93.98 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।				
	राज्य भाग				
	मूल	111.00			
	पूरक	4.27	46.27	31.73	(-)14.54
	पुनर्वि०	(-)69.00			
	मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 69.00 लाख की कमी राज्य की हिस्सदारी के अप्रयुक्त रहने के कारण हुई क्योंकि केन्द्रीय हिस्सा कम प्राप्त हुआ।				
43-	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना- राज्य भाग				
(i)	मूल	63.00	63.00	2.94	(-)60.06
48-	बीज और उपजाऊ सामग्री पर उप मिशन- केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(ii)	मूल	266.00	266.00	97.00	(-)169.00
	राज्य भाग				
(iii)	मूल	29.00	29.00	10.78	(-)18.22
49-	कृषि मशीनीकरण पर उप मिशन- केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(iv)	मूल	630.00	630.00	561.13	(-)68.87
51-	मृदा की स्वास्थ्य एवं उर्वरकता हेतु राष्ट्रीय परियोजना- केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(v)	मूल	50.00	50.00	36.00	(-)14.00
52-	राष्ट्रीय बांस मिशन- केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(vi)	मूल	30.00	30.00	21.00	(-)9.00

उपरोक्त छः मामलों में ₹ 339.15 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)। जबकि भारत सरकार से क्रम संख्या (ii) में ₹ 30.30 लाख तथा क्रम संख्या (vi) में ₹ 1.52 लाख और ₹ 0.63 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ था।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

55-	कृषि मशीनीकरण पर उपमिशन- केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(i)	मूल	112.00			
	पुनर्वि०	(-)112.00			
	राज्य भाग				
(ii)	मूल	14.00			
	पुनर्वि०	(-)14.00			
	उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 126.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार द्वारा निधियों की प्राप्ति न होने के कारण हुई; अतः राज्य की हिस्सेदारी अप्रयुक्त रही।				
56-	मुख्यमंत्री कीवी प्रोत्साहन योजना- राज्य भाग				
(i)	मूल	25.00	25.00	6.17	(-)18.83
58-	एंटी हेल नेट पर उपदान- राज्य भाग				
(ii)	मूल	504.00	504.00	67.64	(-)436.36
	उपरोक्त दो मामलों में ₹ 455.19 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।				
62-	वनस्पति रक्षण योजना- राज्य भाग				
	मूल	252.00			
			186.00	185.29	(-)0.71
	पुनर्वि०	(-)66.00			
	मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 66.00 लाख की कमी सब्सिडी मामलों की कम प्राप्ति के कारण हुई।				
63-	राज्य कृषि यंत्रीकरण कार्यक्रम- राज्य भाग				
(i)	मूल	126.00	126.00	8.92	(-)117.08
70-	मुख्यमंत्री कृषि संवर्धन योजना- राज्य भाग				
(ii)	मूल	882.00			
			864.84	625.30	(-)239.54
	पुनर्वि०	(-)17.16			
71-	मुख्यमंत्री कृषि उत्पादन संरक्षण योजना-				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

	राज्य भाग				
(iii)	मूल	1,008.00	1,008.00	20.25	(-)987.75
	उपरोक्त तीन मामलों में ₹ 1,344.37 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।				
72-	राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना कृषि- केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(i)	मूल	25.00	25.00	..	(-)25.00
	राज्य भाग				
(ii)	मूल	3.00	3.00	..	(-)3.00
	उपरोक्त दो मामलों में ₹ 28.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।				
73-	पौष्टिक अनाज का प्रचार- राज्य भाग				
(i)	मूल	38.00			
			31.83	20.60	(-)11.23
	पुनर्वि०	(-)6.17			
74-	प्रौद्योगिकी के स्थानान्तरण के लिए समर्थन- राज्य भाग				
(ii)	मूल	37.00			
			36.06	20.23	(-)15.83
	पुनर्वि०	(-)0.94			
	उपरोक्त तीन मामलों में ₹ 27.06 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।				
75-	परिवर्तनकारी पहल द्वारा उत्कृष्ट उत्पादन, प्राकृतिक खेती तथा कृषि पर आधारित कृषक परिवारों के उत्थान के लिए हिमालयन एकीकृत मॉडल- राज्य भाग				
	मूल	378.00			
			31.68	24.33	(-)7.35
	पुनर्वि०	(-)346.32			
	मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 346.32 लाख की कमी सब्सिडी मामलों की कम प्राप्ति, विविध मदों पर कम व्यय और टैक्सियों को किराए पर न लेने के कारण हुई।				
77-	प्राकृतिक खेती पर राष्ट्रीय मिशन- केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(i)	मूल	200.00			
			12.46	6.23	(-)6.23
	पुनर्वि०	(-)187.54			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

	राज्य भाग				
(ii)	मूल	28.00			
			1.39	0.69	(-)0.70
	पुनर्वि०	(-)26.61			
उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 214.15 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति के कारण हुई; अतः राज्य की हिस्सेदारी अप्रयुक्त रही। जबकि भारत सरकार द्वारा क्रम संख्या (i) में ₹ 6.23 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ था।					
2402-	भू तथा जल संरक्षण-				
789-	अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-				
01-	कृषि उत्पादन वृद्धि हेतु सीमांत किसानों को सहायता-				
	राज्य भाग				
(i)	मूल	50.00	50.00	24.84	(-)25.16
05-	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना- केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(ii)	मूल	504.00	504.00	199.54	(-)304.46
	राज्य भाग				
(iii)	मूल	78.00	78.00	22.17	(-)55.83
06-	प्रवाह सिंचाई योजना-				
	राज्य भाग				
(iv)	मूल	202.00	202.00	79.64	(-)122.36
07-	जल से कृषि को बल योजना-				
	राज्य भाग				
(v)	मूल	202.00	202.00	66.85	(-)135.15
08-	सौर सिंचाई योजना-				
	राज्य भाग				
(vi)	मूल	125.00			
			114.12	1.82	(-)112.30
	पुनर्वि०	(-)10.88			
उपरोक्त छः मामलों में ₹ 755.26 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।					
2403-	पशु पालन-				
789-	अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-				
11-	पशु बीमारी उन्मूलन हेतु राज्य सहायता- केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(i)	मूल	37.79			
	पूरक	4.12	25.81	3.07	(-)22.74
	पुनर्वि०	(-)16.10			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

	राज्य भाग				
(ii)	मूल	5.85			
			2.80	0.27	(-)2.53
	पुनर्वि०	(-)3.05			
	उपरोक्त दो मामलों में ₹ 25.27 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 19.15 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण हुई; अतः राज्य की हिस्सेदारी अप्रयुक्त रही जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।				
	उपरोक्त दो मामलों में ₹ 25.27 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।				
14-	पशु चिकित्सा परिषद को सहायता अनुदान-केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(i)	मूल	5.00			
		
	पुनर्वि०	(-)5.00			
	राज्य भाग				
(ii)	मूल	5.00			
		
	पुनर्वि०	(-)5.00			
	उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 10.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया; अतः राज्य की हिस्सेदारी अप्रयुक्त रही।				
16-	पेस्ट डेस पेटिट्स रूमिनेंट्स-कंट्रोल प्रोग्राम-केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
	मूल	16.98			
			13.98	..	(-)13.98
	पुनर्वि०	(-)3.00			
	₹ 13.98 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।				
19-	पशु कल्याण बोर्ड-राज्य भाग				
	मूल	10.00	10.00	5.00	(-)5.00
	₹ 5.00 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।				
20-	राष्ट्रीय पशुधन मिशन-केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(i)	मूल	3.00			
		
	पुनर्वि०	(-)3.00			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

	राज्य भाग				
(ii)	मूल	3.00			
	पुनर्वि०	(-)3.00			
	उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 6.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया; अतः राज्य की हिस्सेदारी अप्रयुक्त रही।				
22-	खुर और मुँह रोग नियंत्रण कार्यक्रम- केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
	मूल	38.60			
			31.41	..	(-)31.41
	पुनर्वि०	(-)7.19			
	₹ 31.41 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।				
24-	गरीबी रेखा से नीचे परिवारों को पशु चारा उपदान- राज्य भाग				
(i)	मूल	175.65			
			175.56	30.28	(-)145.28
	पुनर्वि०	(-)0.09			
25-	5000 ब्रॉयलर योजना (हिम कुक्कुट पालन याजना)- राज्य भाग				
(ii)	मूल	101.00			
			98.28	42.81	(-)55.47
	पुनर्वि०	(-)2.72			
	उपरोक्त दो मामलों में ₹ 200.75 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।				
26-	कृष्कों हेतु बकरी पालन योजना- राज्य भाग				
	मूल	5.00			
			3.09	..	(-)3.09
	पुनर्वि०	(-)1.91			
	₹ 3.09 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।				
29-	चलित पशु चिकित्सालय यूनिट- केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
	मूल	202.70			
			86.90	86.83	(-)0.07
	पुनर्वि०	(-)115.80			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 115.80 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति के कारण हुई; अतः राज्य की हिस्सेदारी अप्रयुक्त रही।

2404- दुग्ध विकास-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

01- हिमाचल प्रदेश दुग्ध संगठन को

सहायता अनुदान-

राज्य भाग

मूल	856.00	856.00	570.67	(-)285.33
-----	--------	--------	--------	-----------

₹ 285.33 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

2405- मत्स्य पालन-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

02- कार्य फार्मों का विकास एवं रखरखाव-

राज्य भाग

मूल 1.00

पूरक 37.39

40.68

12.38

(-)28.30

पुनर्वि० 2.29

₹ 28.30 लाख के अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2.29 लाख का आवर्धन उपदान मामलों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ जोकि अनावश्यक सिद्ध हुआ।

₹ 28.30 लाख की अंतिम बचत कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

09- ट्राउट पशुधन बीमा-

राज्य भाग

मूल 2.00

..

..

..

पुनर्वि० (-)2.00

मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2.00 लाख का समस्त प्रावधान मत्स्य पालकों से बीमा मामलों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया।

10- प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

(i) मूल 194.00

415.87

106.46

(-)309.41

पूरक 221.87

राज्य भाग

(ii) मूल 35.00

पूरक 19.67

54.38

19.96

(-)34.42

पुनर्वि० (-)0.29

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 343.83 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)। जबकि भारत सरकार से क्रम संख्या (i) में ₹ 1.62 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ था।

2406- वानिकी तथा वन्य जीवन-

01- वानिकी-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

07- वन संरक्षण सुदृढीकरण योजना-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना

(i) मूल 126.00

1.27

1.27

..

पुनर्वि० (-)124.73

राज्य भाग

(ii) मूल 15.00

0.14

0.14

..

पुनर्वि० (-)14.86

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 139.59 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति के कारण हुई; अतः राज्य की हिस्सेदारी अप्रयुक्त रही।

08- हिमाचल प्रदेश वन पारिस्थितिकी प्रणाली जलवायु
प्रूफिंग परियोजना (बाह्य सहायक परियोजना)-
राज्य भाग

मूल 1,385.00

339.25

158.45

(-)180.80

पुनर्वि० (-)1,045.75

₹ 180.80 लाख के अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,045.75 लाख की कमी संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने तथा ग्राम वन प्रबंधन समितियों से मांग की कम प्राप्ति के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 180.80 लाख की अंतिम बचत कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

14- पुराने वृक्षारोपण और नर्सरी का रखरखाव-
राज्य भाग

मूल 75.00

43.23

42.47

(-)0.76

पुनर्वि० (-)31.77

मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 31.77 लाख की कमी रखरखाव कार्यों के कम निष्पादन के कारण हुई।

16- हिमाचल प्रदेश वन परिस्थितिकीय प्रबंधन
और जीन विज्ञान सुधार परियोजना-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

राज्य भाग				
	मूल	1,400.00		
			930.00	300.00
				(-)630.00
	पुनर्वि०	(-)470.00		
<p>₹ 630.00 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 470.00 लाख की कमी हिमाचल प्रदेश वन परिस्थितिकीय प्रबंधन योजनाओं पर कम व्यय के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।</p> <p>₹ 630.00 लाख की अंतिम बचत कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।</p>				
20-	वन चकबंदी तथा सीमांकन- राज्य भाग			
(i)	मूल	60.00		
			44.51	40.87
				(-)3.64
	पुनर्वि०	(-)15.49		
22-	प्रायोगिक सिल्विकल्चर कटाई- राज्य भाग			
(ii)	मूल	50.00		
			26.39	21.13
				(-)5.26
	पुनर्वि०	(-)23.61		
<p>उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान ₹ 39.10 लाख की कमी संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने तथा लघु कार्यों के कम निष्पादन होने के कारण हुई।</p>				
25-	चिड़ की पत्तियों का जंगल से संग्रह तथा इस पर आधारित उद्योगों में निवेश हेतु उपदान- राज्य भाग			
	मूल	10.00		
		
				..
	पुनर्वि०	(-)10.00		
<p>मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 10.00 लाख का समस्त प्रावधान लघु कार्यों के निष्पादन न होने तथा संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने के कारण कम कर दिया गया।</p>				
26-	हरित भारत के लिए राष्ट्रीय अभियान- केन्द्रीय प्रायोजित योजना			
(i)	मूल	431.00		
		
				..
	पुनर्वि०	(-)431.00		
	राज्य भाग			
(ii)	मूल	48.00		
		
				..
	पुनर्वि०	(-)48.00		

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 479.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से केन्द्रीय हिस्सेदारी की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया; अतः राज्य की हिस्सेदारी अप्रयुक्त रही।

27-	राज्य वानिकी कार्यक्रम-				
	राज्य भाग				
	मूल	1,185.00			
			1,128.23	1,119.04	(-)9.19
	पुनर्वि०	(-)56.77			

मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 56.77 लाख की कमी लघु कार्यों के कम निष्पादन तथा वृषारोपण रखरखाव हेतु निधियों की कम आवश्यकता के कारण हुई।

02-	पर्यावरणीय वानिकी और वन्य जीवन-				
789-	अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-				
01-	राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों का विकास-				
	राज्य भाग				
	मूल	189.00			
			152.70	123.52	(-)29.18
	पुनर्वि०	(-)36.30			

मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 36.30 लाख की कमी संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने तथा लघु कार्यों के कम निष्पादन होने के कारण हुई।

02-	हिमाचल प्रदेश चिड़ियाघर संरक्षण एवं				
	ब्रीडिंग सोसाइटी को सहायता अनुदान-				
	राज्य भाग				
	मूल	2,311.00			
			1,733.25	1,039.95	(-)693.30
	पुनर्वि०	(-)577.75			

₹ 693.30 लाख के अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 577.75 लाख की कमी प्रस्तावों की कम प्राप्ति के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 693.30 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

03-	वन्य जीवन-				
	राज्य भाग				
	मूल	400.00			
			241.05	178.05	(-)63.00
	पुनर्वि०	(-)158.95			

₹ 63.00 लाख के अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 158.95 लाख की कमी संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने, मुआवजा मामलों की कम प्राप्ति तथा लघु कार्यों के कम निष्पादन होने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 63.00 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

2408- खाद्य भंडारण और भांडागार-

01- खाद्य-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

02- उपदान पर दालों, गेहूँ चावल, तेल
और आयोडाईज नमक की खरीद-
राज्य भाग

(i) मूल 4,228.00 4,228.00 3,090.65 (-)1,137.35

03- चीनी की खरीद-
राज्य भाग(ii) मूल 1,597.00
पूरक 1,007.60
2,604.60 1,926.19 (-)678.41

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 1,815.76 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

04- गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को
गेहूँ और चावल पर उपदान-
राज्य भाग

मूल 50.00

11.25

11.25

..

पुनर्वि० (-)38.75

मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 38.75 लाख की कमी विक्रताओं से बिल प्राप्त न होने के कारण हुई।

2425- सहकारिता-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

05- नए अनुसूचित जाति के सदस्यों को
पंजीकरण उपदान-
राज्य भाग

(i) मूल 4.00 4.00 0.83 (-)3.17

06- सभी प्रकार की अनुसूचित जाति की सहकारी
सभाओं को वर्किंग कैपिटल सब्सिडी-
राज्य भाग

(ii) मूल 25.00 25.00 1.86 (-)23.14

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 26.31 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

07- प्राथमिक कृषि ऋण समितियों का
कम्प्यूटरीकरण-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

(i) मूल 250.00

..

..

..

पुनर्वि० (-)250.00

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

	राज्य भाग				
(ii)	मूल	28.00			
	पुनर्वि०	(-)28.00			
	उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 278.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया; अतः राज्य की हिस्सेदारी अप्रयुक्त रही।				
2501-	ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम-				
04-	<i>एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा नियोजन कार्यक्रम-</i>				
789-	अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-				
03-	ऊर्जा के गैर नवीकरणीय स्रोत-				
	राज्य भाग				
	मूल	500.00			
	पुनर्वि०	(-)500.00			
	मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 500.00 लाख का समस्त प्रावधान संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने के कारण कम कर दिया गया।				
06-	<i>स्वरोजगार कार्यक्रम-</i>				
789-	अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-				
03-	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन- केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(i)	मूल	2,267.00			
			1,768.74	1,179.16	(-)589.58
	पुनर्वि०	(-)498.26			
	राज्य भाग				
(ii)	मूल	252.00			
			196.51	131.02	(-)65.49
	पुनर्वि०	(-)55.49			
	उपरोक्त दो मामलों में ₹ 655.07 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 553.75 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति के कारण हुई; अतः राज्य की हिस्सेदारी अप्रयुक्त रही जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई। जबकि भारत सरकार से क्रम संख्या (i) में ₹ 2,232.91 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ था।				
	उपरोक्त दो मामलों में ₹ 655.07 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।				
06-	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-				
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
	मूल	680.00			
			801.00	534.00	(-)267.00
	पूरक	121.00			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

₹ 267.00 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

07-	दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना- केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(i)	मूल	3,778.00			
			1,005.00	296.44	(-)708.56
	पुनर्वि०	(-)2,773.00			
	राज्य भाग				
(ii)	मूल	420.00			
			125.00	32.94	(-)92.06
	पुनर्वि०	(-)295.00			

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 800.62 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 3,068.00 लाख की कमी भारत सरकार से हिस्सेदारी की कम प्राप्ति के कारण हुई; अतः राज्य की हिस्सेदारी अप्रयुक्त रही जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 800.62 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

11-	मातृ शक्ति बीमा योजना राज्य भाग				
	मूल	83.00			
			50.00	40.00	(-)10.00
	पुनर्वि०	(-)33.00			

मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 33.00 लाख की कमी दावों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

14-	मुख्यमंत्री स्वयं सहायता समूह योजना- राज्य भाग				
	मूल	126.00			
		
	पुनर्वि०	(-)126.00			

मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 126.00 लाख का समस्त प्रावधान संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने के कारण कम कर दिया गया।

2505- ग्राम रोजगार-

01-	राष्ट्रीय कार्यक्रम-				
789-	अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-				
02-	राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी योजना- केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
	मूल	12,041.00	12,041.00	8,594.68	(-)3,446.32

₹ 3,446.36 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

02-	ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना-				
789-	अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-				
01-	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा)-				
	राज्य भाग				
	मूल	982.00			
		
	पुनर्वि०	(-)982.00			

मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 982.00 लाख का समस्त प्रावधान योजना के अन्तर्गत कम व्यय होने के कारण कम कर दिया गया।

2515- अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम-

789-	अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-				
07-	कार्यालय भवनों/ग्राम सेवक हट का रखरखाव-				
	राज्य भाग				
	मूल	150.00	150.00	57.06	(-)92.94

₹ 92.94 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

08-	राज्य पुरस्कार योजना-				
	राज्य भाग				
(i)	मूल	30.00	30.00	..	(-)30.00
09-	महिला प्रोत्साहन योजना-				
	राज्य भाग				
(ii)	मूल	29.00	29.00	..	(-)29.00

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 59.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

12-	राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान- केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(i)	मूल	486.00			
			1,458.00	750.00	(-)708.00
	पूरक	972.00			
	राज्य भाग				
(ii)	मूल	53.99			
			161.97	83.33	(-)78.64
	पूरक	107.98			

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 786.64 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)। जबकि भारत सरकार से क्रम संख्या (i) में ₹ 750.00 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ था।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

17-	बालिका गौरव पुरस्कार योजना- राज्य भाग				
	मूल	38.00			
	पुनर्वि0	(-)38.00			
	मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 38.00 लाख का समस्त प्रावधान संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने के कारण कम कर दिया गया।				
20-	आवासीय क्वार्टरों और ग्राम सेवकों झोपड़ियों का निर्माण/नवीनीकरण- राज्य भाग				
(i)	मूल	101.00	101.00	50.40	(-)50.60
21-	राज्य वित्त आयाग (जिला परिषदें)- राज्य भाग				
(ii)	मूल	6,481.19	6,481.19	6,191.97	(-)289.22
23-	राज्य वित्त आयाग (ग्राम पंचायतें)- राज्य भाग				
(iii)	मूल	4,406.59	4,406.59	4,292.61	(-)113.98
	उपरोक्त तीन मामलों में ₹ 453.80 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।				
2851-	ग्रामीण तथा लघु उद्योग-				
789-	अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-				
06-	हथकरघा और हस्तशिल्प उद्योग के विकास- राज्य भाग				
	मूल	100.00	100.00	..	(-)100.00
	₹ 100.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।				
19-	ग्रामीण अभियांत्रिकी आधारित उद्योग केन्द्र-				
(i)	राज्य भाग				
	मूल	30.00	30.00	0.34	(-)29.66
29-	उत्प्रेरक विकास कार्यक्रम हेतु सहायता- राज्य भाग				
(ii)	मूल	110.00	110.00	31.93	(-)78.07
30-	खाद्य विधायन उद्योग हेतु राज्य मिशन- राज्य भाग				
(iii)	मूल	126.00	126.00	1.96	(-)124.04
34-	मुख्यमंत्री स्टार्ट अप योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन- राज्य भाग				
(iv)	मूल	100.00	100.00	1.25	(-)98.75

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

35-	सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों का औपचारिककरण-आत्मनिर्भर भारत- केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(v)	मूल	406.00			
			406.01	54.88	(-)351.13
	पूरक	0.01			
	राज्य भाग				
(vi)	मूल	43.00	43.00	6.10	(-)36.90
36-	मुख्यमंत्री स्वावलम्बन योजना- राज्य भाग				
(vii)	मूल	1,000.00	1,000.00	68.63	(-)931.37
	उपरोक्त सात मामलों में ₹ 1,649.92 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।				
37-	सूचना एवं प्रौद्योगिकी और ई-शासन- राज्य भाग				
	मूल	400.00			
			350.00	312.59	(-)37.41
	पुनर्वि०	(-)50.00			
	₹ 37.41 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 50.00 लाख की कमी बाह्य सेवाओं पर कम व्यय होने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।				
	₹ 37.41 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।				
38-	रेशम उद्योगों का विकास- राज्य भाग				
(i)	मूल	200.00	200.00	152.13	(-)47.87
2852-	उद्योग-				
80-	सामान्य-				
789-	अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-				
02-	निवेश स्कीम को बढ़ावा- राज्य भाग				
(ii)	मूल	50.00	50.00	21.61	(-)28.39
03-	औद्योगिक इकाइयों को प्रोत्साहन- राज्य भाग				
(iii)	मूल	200.00	200.00	1.88	(-)198.12
3054-	सड़क तथा सेतु-				
04-	जिला तथा अन्य सड़कें-				
789-	अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-				
01-	अन्य रखरखाव पर व्यय सड़क निर्माण-				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

	राज्य भाग				
(iv)	मूल	1,365.00	1,365.00	1,129.48	(-)235.52
3055-	सड़क परिवहन-				
789-	अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-				
01-	कम्प्यूटरीकरण-				
	राज्य भाग				
(v)	मूल	50.00	50.00	34.77	(-)15.23
	उपरोक्त पांच मामलों में ₹ 525.13 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।				
3425-	अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान-				
60-	अन्य				
789-	अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-				
02-	जल प्रबंधन-				
	राज्य भाग				
	मूल	5.00			
			2.50	1.25	(-)1.25
	पुनर्वि०	(-)2.50			
	मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2.50 लाख की कमी संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न होने के कारण हुई।				
04-	हरित भवन प्रौद्योगिकी के प्रसार के लिए अपयुक्त प्रौद्योगिकी केंद्रों का सुदृढीकरण-				
	राज्य भवन				
	मूल	10.00			
			5.00	2.50	(-)2.50
	पुनर्वि०	(-)5.00			
	₹ 2.50 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 5.00 लाख की कमी संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न होने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।				
	₹ 2.50 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।				
05-	अनुसंधान और विकास परियोजन और हिमाचल विज्ञान सम्मेलन को समर्थन-				
	राज्य भाग				
	मूल	93.00	93.00	65.10	(-)27.90
	₹ 27.90 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।				
07-	15 सीमांत अनुसूचित जाति परिवारों/ किसानों की क्षमता का सुदृढीकरण-				
	राज्य भाग				
(i)	मूल	40.00	40.00	..	(-)40.00

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

08-	पारंपरिक जल मिलो (घराट) की बहाली और मशीनीकरण- राज्य भाग				
(ii)	मूल	45.00	45.00	..	(-)45.00
09-	10 प्राकृतिक झरनों का पुनरुद्धार- राज्य भाग				
(iii)	मूल	15.00	15.00	..	(-)15.00
	उपरोक्त तीन मामलों में ₹ 100.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।				
3452-	पर्यटन-				
80-	सामान्य-				
789-	अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-				
02-	पर्यटन का प्रचार-प्रसार राज्य भाग				
	मूल	126.00			
			91.90	89.32	(-)2.38
	पुनर्वि०	(-)34.10			
	मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 34.10 लाख की कमी प्रचार-प्रसार पर कम व्यय होने के कारण हुई।				
(iv)	उपरोक्त बचत मुख्यतः निम्नवत शीर्षों के अन्तर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसन्तुलित हुई:-				
	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय		आधिक्य (+) बचत (-)
			(₹ लाख में)		
2202-	सामान्य शिक्षा-				
01-	प्रारम्भिक शिक्षा-				
789-	अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-				
06-	मिड डे मील- राज्य भाग				
	मूल	2,250.00			
			2,386.16	2,322.58	(-)63.58
	पुनर्वि०	136.16			
	₹ 63.58 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 136.16 लाख का आवर्धन मिड डे मील योजना के अंतर्गत रसोइया-सहायकों के मानदेय में वृद्धि के कारण हुआ जोकि संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने के कारण हुई बचत से अंशतः प्रतिसंतुलित हुआ जोकि अत्यधिक सिद्ध हुआ।				
	₹ 63.58 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।				
02-	माध्यमिक शिक्षा-				
789-	अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

02-	उच्चतर पाठशालाएँ- राज्य भाग				
	मूल	2,346.18			
			2,695.18	2,450.78	(-)244.40
	पुनर्वि०	349.00			

₹ 244.40 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 349.00 लाख का आवर्धन छात्रवृत्ति की देनदारी का भुगतान करने तथा कार्यालय सामग्री की अधिक खरीद के कारण हुआ जोकि रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई बचत से अंशतः प्रतिसंतुलित हुआ जोकि अत्यधिक सिद्ध हुआ।

₹ 244.40 लाख के अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

2210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-

04-	ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएँ-अन्य चिकित्सा पद्धतियाँ-				
789-	अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-				
03-	विद्यमान आयुष संस्थानों का उन्नयन- केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(i)	मूल	150.00			
			202.00	202.00	..
	पुनर्वि०	52.00			
	राज्य भाग				
(ii)	मूल	15.00			
			22.44	22.44	..
	पुनर्वि०	7.44			

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 59.44 लाख का आवर्धन भारत सरकार से निधियों की अधिक प्राप्ति के अनुपात में राज्य की हिस्सेदारी जारी करने के कारण हुआ। जबकि भारत सरकार से क्रम संख्या (i) में ₹ 288.87 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ था।

2216- आवास-

03-	ग्रामीण आवास-				
789-	अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-				
06-	प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)- केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
	मूल	4,421.00			
	पूरक	5,977.65	22,767.25	18,461.84	(-)4,305.41
	पुनर्वि०	12,368.60			

₹ 4,305.41 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 12,368.60 लाख का आवर्धन भारत सरकार से निधियों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ जोकि अत्यधिक सिद्ध हुआ। जबकि भारत सरकार से ₹ 31,463.80 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ था।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

₹ 4,305.41 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

2225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों एवं अल्पसंख्यकों का कल्याण-

01- अनुसूचित जातियों का कल्याण-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

17- हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति आयोग-
राज्य भाग

मूल 1.85

पूरक 0.01 33.90 32.25 (-)1.65

पुनर्वि० 32.04

मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 32.04 लाख का आवर्धन मुख्यतः रिक्त पदों को भरने के कारण हुआ।

2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-

02- समाज कल्याण -

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

55- मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना-
राज्य भाग

पूरक 0.01

75.17 0.98 (-)74.19

पुनर्वि० 75.16

₹ 74.19 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 75.16 लाख का आवर्धन योजना के अधिक कार्यान्वयन के कारण हुआ जोकि अविवेकी सिद्ध हुआ।

₹ 74.19 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

60- अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

02- सामाजिक सुरक्षा स्कीम के अंतर्गत विधवा पेंशन-
राज्य भाग

मूल 5,226.36

5,298.08 5,298.08 ..

पुनर्वि० 71.72

मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 71.72 लाख का आवर्धन नए पेंशन लाभार्थियों की संख्या में वृद्धि के कारण हुआ।

07- इंदिरा गांधी प्यारी बहन सुख सम्मान

निधि योजना-

राज्य भाग

पूरक 0.01

532.08 532.08 ..

पुनर्वि० 532.07

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 532.07 लाख का आवर्धन इस योजना के कार्यान्वयन के कारण हुआ।

2415- कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा-

01- फसल पालन-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

02- डा. यशवंत सिंह परमार उद्यानिक एवं वानिकी

विश्वविद्यालय को सहायता अनुदान-

राज्य भाग

मूल 3,054.92

3,633.25

3,633.25

..

पुनर्वि० 578.33

मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 578.33 लाख का आवर्धन विश्वविद्यालय को अतिरिक्त अनुदान के भुगतान के कारण हुआ।

2501- ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम-

06- स्वरोजगार कार्यक्रम-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

06- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना

(पी.एम.के.एस.वाई)-

राज्य भाग

मूल 76.00

पूरक 13.01

512.20

482.53

(-)29.67

पुनर्वि० 423.19

₹ 29.67 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 423.19 लाख का आवर्धन लंबित देनदारी के भुगतान के कारण हुआ जोकि अत्यधिक सिद्ध हुआ।

₹ 29.67 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

16- महिला किसान सशक्तीकरण परियोजना-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

मूल 1.00

84.00

17.97

(-)66.03

पुनर्वि० 83.00

₹ 66.03 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 83.00 लाख का आवर्धन भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति के कारण हुआ जोकि अत्यधिक सिद्ध हुआ।

₹ 66.03 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

2515- अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

13- स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
मूल	1,134.00			
पूरक	295.91	1,467.91	1,467.91	..
पुनर्वि०	38.00			

मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 38.00 लाख का आवर्धन भारत सरकार से निधियों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ। जबकि भारत सरकार से ₹ 1,467.91 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ था।

2851- ग्रामीण तथा लघु उद्योग-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

27- हिमाचल स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क-

राज्य भाग

मूल	280.00			
		330.00	286.73	(-)43.27
पुनर्वि०	50.00			

₹ 43.27 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 50.00 लाख का आवर्धन योजना के अंतर्गत कनेक्टिविटी प्रभारों का भुगतान न करने के कारण हुआ जोकि अत्यधिक सिद्ध हुआ।

₹ 43.27 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

पूंजीगत प्रवर्ग

(v) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य (+) बचत (-)
-------	------------	------------------------------	-----------------------

4055- पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

01- पुलिस दल का आधुनिकीकरण-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

(i) मूल	109.00	109.00	58.25	(-)50.75
राज्य भाग				

(ii) मूल	12.00	12.00	6.25	(-)5.75
----------	-------	-------	------	---------

04- पुलिस आवास-

राज्य भाग

(iii) मूल	750.00	750.00	166.72	(-)583.28
-----------	--------	--------	--------	-----------

06- अपराध नियंत्रण ट्रैकिंग और नेटवर्किंग

सिस्टम-

राज्य भाग

(iv) मूल	43.00	43.00	28.08	(-)14.92
----------	-------	-------	-------	----------

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

उपरोक्त चार मामलों में ₹ 654.70 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

4058- मुद्रण एवं लेखन सामग्री पर पूंजीगत परिव्यय-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

01- भवनों का निर्माण-

राज्य भाग

मूल 125.00

पुनर्वि0 (-)125.00

मार्च 2025 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 125.00 लाख का समस्त प्रावधान संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने के कारण कम कर दिया गया।

4059- सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय-

01- कार्यालय भवन-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

01- पूल गैर-आवासीय भवन-

राज्य भाग

मूल 550.00

429.72

221.04

(-)208.68

पुनर्वि0 (-)120.28

₹ 208.68 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 120.28 लाख की कमी कार्यों के कम निष्पादन के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 208.68 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

02- न्यायपालिका की अवसरंचना का उन्नयन-

राज्य भाग

मूल 4.00

4.00

..

(-)4.00

₹ 4.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

05- भवन (जेल विभाग)-

राज्य भाग

(i) मूल 300.00

300.00

249.79

(-)50.21

06- कानूनगो/पटवार भवनों का निर्माण-

राज्य भाग

(ii) मूल 100.00

100.00

47.71

(-)52.29

10- कार्यालय भवनों का निर्माण-

राज्य भाग

(iii) मूल 200.00

200.00

99.13

(-)100.87

4202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय-

01- सामान्य शिक्षा-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

03-	भवन (माध्यमिक स्कूल)- राज्य भाग				
(iv)	मूल	400.00	400.00	215.08	(-)184.92
02-	तकनीकी शिक्षा-				
789-	अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-				
01-	भवनों का निर्माण- राज्य भाग				
(v)	मूल	400.00	400.00	312.32	(-)87.68
06-	राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज- राज्य भाग				
(vi)	मूल	400.00	400.00	337.00	(-)63.00
03-	खेलकूद तथा युवा सेवाएँ-				
789-	अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-				
03-	मुख्यमंत्री युवा निर्माण योजना- राज्य भाग-				
(vii)	मूल	240.00	240.00	120.00	(-)120.00
4210-	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-				
03-	चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-				
789-	अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-				
01-	इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज- राज्य भाग				
(viii)	मूल	453.00	453.00	347.96	(-)105.04
04-	मेडिकल कॉलेज, नाहन- राज्य भाग				
(ix)	मूल	252.00	252.00	93.58	(-)158.42
05-	मेडिकल कॉलेज, हमीरपुर- राज्य भाग				
(x)	मूल	101.00	101.00	61.00	(-)40.00
	उपरोक्त दस मामलों में ₹ 962.43 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।				
07-	हिमाचल प्रदेश सरकार दंत चिकित्सा कॉलेज शिमला- राज्य भाग				
	मूल	100.00			
	पुनर्वि०	(-)100.00

मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 100.00 लाख का समस्त प्रावधान संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने के कारण कम कर दिया गया।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

09-	राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों का उन्नयन- केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(i)	मूल	5.00			
	पुनर्वि०	(-)5.00			
	राज्य भाग				
(ii)	मूल	5.00			
	पुनर्वि०	(-)5.00			
	उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2025 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 10.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया; अतः राज्य की हिस्सेदारी अप्रयुक्त रही।				
4215-	जलापूर्ति तथा स्वच्छता पर पूंजीगत परिव्यय-				
01-	<i>जलापूर्ति-</i>				
789-	अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-				
01-	विभिन्न जिलों में शहरी जलापूर्ति योजना- राज्य भाग				
(i)	मूल	1,134.00	1,134.00	804.85	(-)329.15
02-	विभिन्न जिलों में ग्रामीण जलापूर्ति योजनाएँ- राज्य भाग				
(ii)	मूल	327.00			
			360.00	294.53	(-)65.47
	पूरक	33.00			
03-	हैण्ड पम्प- राज्य भाग				
(iii)	मूल	100.00	100.00	25.24	(-)74.76
04-	ग्रामीण अवसंरचना विकास कोष/कृषि और ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय बैंक (नाबार्ड)- राज्य भाग				
(iv)	मूल	6,300.00	6,300.00	4,531.97	(-)1,768.03
	उपरोक्त चार मामलों में ₹ 2,237.41 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।				
08-	जल जीवन मिशन- राज्य भाग				
	मूल	756.00			
			543.83	543.83	
	पुनर्वि०	(-)212.17			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 212.17 लाख की कमी केन्द्रीय हिस्सेदारी के अनुपात में राज्य की हिस्सेदारी अप्रयुक्त रहने के कारण हुई।

02-	<i>मल निकासी तथा सफाई-</i>			
789-	अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-			
02-	विभिन्न जिलों में जलस्तर तथा मल व्यवस्था स्कीमें-			
	राज्य भाग			
	मूल	500.00		
			3,504.93	2,983.76
				(-) 521.17
	पूरक	3,004.93		

₹ 521.17 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

03-	बाह्य सहायतार्थ परियोजनाओं के अंतर्गत			
	मल निकासी योजनाएँ-			
	राज्य भाग			
(i)	मूल	2,500.00		
			1,875.00	1,331.26
				(-) 543.74
	पुनर्वि०	(-)625.00		
4216-	आवास पर पूंजीगत परिव्यय-			
01-	<i>सरकारी आवासीय भवन-</i>			
789-	अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-			
01-	सरकारी आवासीय भवन-			
	राज्य भाग			
(ii)	मूल	300.00		
			136.96	24.68
				(-) 112.28
	पुनर्वि०	(-)163.04		

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 656.02 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 788.04 लाख की कमी संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 656.02 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

02-	सामान्य प्रशासन विभाग के सरकारी			
	रिहायशी पूल आवासों का निर्माण-			
	राज्य भाग			
	मूल	202.00	202.00	..
				(-) 202.00

₹ 202.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

03- वन क्षेत्र के अंतर्गत निर्माण-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

राज्य भाग				
मूल	250.00			
		166.86	74.99	(-)91.87
पुनर्वि०	(-)83.14			
<p>₹ 91.87 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 83.14 लाख की कमी संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।</p> <p>₹ 91.87 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।</p>				
4217-	शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय-			
03-	छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास-			
789-	अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-			
01-	प्रारूप विकास योजना विस्तार-			
	राज्य भाग			
मूल	180.00			
	
पुनर्वि०	(-)180.00			
<p>मार्च 2025 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 180.00 लाख का समस्त प्रावधान संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने के कारण कम कर दिया गया।</p>				
4220-	सूचना एवं प्रचार-प्रसार पर पूंजीगत परिव्यय-			
60-	सामान्य-			
789-	अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-			
01-	कार्यालय भवनों का निर्माण-			
	राज्य भाग			
(i)	मूल	5.00		
		17.92	..	(-)17.92
	पूरक	12.92		
4225-	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-			
01-	अनुसूचित जातियों का कल्याण-			
789-	अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-			
01-	अनुसूचित जाति निगम में पूंजी निवेश-केन्द्रीय प्रायोजित योजना			
(ii)	मूल	200.00	200.00	..
				(-)200.00
	राज्य भाग			
(iii)	मूल	200.00	200.00	..
				(-)200.00

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

उपरोक्त तीन मामलों में ₹ 417.92 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

02-	अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए विभागीय/अन्य भवनों का निर्माण-				
	राज्य भाग				
	मूल	273.00			
	पूरक	14.01	288.01	15.01	(-)273.00
	पुनर्वि०	1.00			

₹ 273.00 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

4235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-

02- सामाजिक कल्याण-

789- अनुसूचित जातियों विशेष घटक योजना-

01- बहुउद्देशीय सामुदायिक/आंगन बाड़ी केन्द्र-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना

मूल 140.00

पुनर्वि० (-)140.00

मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 140.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया।

04- सुख आश्रय भवन का निर्माण-

राज्य भाग

मूल 630.00 630.00 .. (-)630.00

₹ 630.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

4401- फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

01- कृषि विभाग के भवन-

राज्य भाग

मूल 101.00

पुनर्वि० (-)101.00

मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 101.00 लाख का समस्त प्रावधान संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने के कारण कम कर दिया गया।

4403- पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

02- भवन (पशु चिकित्सा सेवाएँ तथा पशु स्वास्थ्य)-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

राज्य भाग					
मूल	252.00	252.00	184.05		(-)67.95
₹ 67.95 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।					
4406-	वानिकी तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय-				
01-	वानिकी-				
789-	अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-				
02-	भवन-				
राज्य भाग					
मूल	300.00				
		214.58	128.45		(-)86.13
पुनर्वि०	(-)85.42				
₹ 86.13 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 85.42 लाख की कमी संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।					
₹ 86.13 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।					
4408-	खाद्य भंडारण तथा भांडागार पर पूंजीगत परिव्यय-				
01-	खाद्य-				
789-	अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-				
02-	सार्वजनिक तथा अन्य उपक्रमों में निवेश-				
राज्य भाग					
मूल	8.00	8.00	0.70		(-)7.30
₹ 7.30 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।					
4425-	सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय-				
789-	अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-				
01-	सहकारी समितियों में निवेश-				
राज्य भाग					
मूल	13.00	13.00	..		(-)13.00
₹ 13.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।					
4515-	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम पर पूंजीगत परिव्यय-				
789-	अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-				
01-	भवनों का निर्माण-				
राज्य भाग					
(i)	मूल	496.00	496.00	322.00	(-)174.00
02-	कार्यालय भवनों की मरम्मत-				
राज्य भाग					
(ii)	मूल	252.00	252.00	184.98	(-)67.02

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 241.02 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

03- मुख्यमंत्री लोक भवन-
राज्य भाग

मूल	15.00	15.00	..	(-)15.00
-----	-------	-------	----	----------

₹ 15.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

4701- मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय-

21- नादौन क्षेत्र मध्यम सिंचाई योजना (अवाणिज्यिक)-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

01- नादौन क्षेत्र मध्यम सिंचाई प्रोजेक्ट-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना

(i) मूल	1.00			
पूरक	56.46	172.83	..	(-)172.83
पुनर्वि०	115.37			

राज्य भाग

(ii) मूल	1.00			
पूरक	5.90	19.72	..	(-)19.72
पुनर्वि०	12.82			

₹ 192.55 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 128.19 लाख का आवर्धन भारत सरकार से निधियों की अधिक प्राप्ति के अनुपात में राज्य की हिस्सेदारी प्रदान किए जाने के कारण हुआ जोकि अनावश्यक सिद्ध हुआ।

₹ 192.55 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

4702- लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

01- विभिन्न जिलों में नलरूप योजनाएँ-
राज्य भाग

(i) मूल	30.00	30.00	19.53	(-)10.47
---------	-------	-------	-------	----------

02- विभिन्न जिलों में लिफ्ट सिंचाई स्कीमें-
राज्य भाग

(ii) मूल	100.00	100.00	52.40	(-)47.60
----------	--------	--------	-------	----------

03- विभिन्न जिलों में जल प्रवाह सिंचाई स्कीमें-
राज्य भाग

(iii) मूल	109.00	109.00	66.07	(-)42.93
-----------	--------	--------	-------	----------

उपरोक्त तीन मामलों में ₹ 101.00 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

04- राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के अंतर्गत
विभिन्न जिलों में उठारु सिंचाई योजनाएँ-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

राज्य भाग				
	मूल	2,600.00		
			1,900.32	1,342.26
				(-)558.06
	पुनर्वि०	(-)699.68		
₹ 558.06 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 699.68 लाख की कमी संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।				
₹ 558.06 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।				
06-	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पी.एम.के.एस.वाई) के अन्तर्गत विभिन्न जिलों में लिफ्ट सिंचाई योजनाएँ-केन्द्रीय प्रायोजित योजना			
(i)	मूल	9,500.00		
			7,685.30	2,296.75
				(-)5,388.55
	पुनर्वि०	(-)1,814.70		
राज्य भाग				
(ii)	मूल	500.00		
			298.76	255.19
				(-)43.57
	पुनर्वि०	(-)201.24		
उपरोक्त दो मामलों में ₹ 5,432.12 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2,015.94 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति के कारण हुई; अतः राज्य की हिस्सेदारी अप्रयुक्त रही जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।				
उपरोक्त दो मामलों में ₹ 5,432.12 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।				
07-	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पी.एम.के.एस.वाई.) के तहत डायवर्जन प्रवाह सिंचाई योजनाएँ-केन्द्रीय प्रायोजित योजना			
(i)	मूल	5,261.00		
			721.44	721.43
				(-)0.01
	पुनर्वि०	(-)4,539.56		
राज्य भाग				
(ii)	मूल	205.00		
			80.16	80.16
				..
	पुनर्वि०	(-)124.84		
उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 4,664.40 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण हुई; अतः राज्य की हिस्सेदारी अप्रयुक्त रही।				
10-	ग्रामीण अवसंरचना विकास कोष/राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के अंतर्गत वर्षा जल संचयन संरचना-			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

राज्य भाग				
मूल	1,032.00			
		409.73	297.49	(-)112.24
पुनर्वि०	(-)622.27			
₹ 112.24 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 622.27 लाख की कमी संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।				
₹ 112.24 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।				
12-	पर्वतधारा-			
	राज्य भाग			
(i)	मूल	35.00		
			32.84	17.05
				(-)15.79
	पुनर्वि०	(-)2.16		
4705-	कमांड क्षेत्र विकास पर पूंजीगत परिव्यय-			
789-	अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-			
01-	कमांड क्षेत्र विकास-			
	राज्य भाग			
(ii)	मूल	1,512.00		
			1,511.00	687.67
				(-)823.33
	पुनर्वि०	(-)1.00		
4711-	बाढ़ नियन्त्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय-			
01-	बाढ़ नियन्त्रण-			
789-	अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-			
01-	बाढ़ नियंत्रण कार्य-			
	राज्य भाग			
(iii)	मूल	252.00	252.00	169.50
				(-)82.50
उपरोक्त तीन मामलों में ₹ 921.62 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।				
4801-	विद्युत परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय-			
789-	अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-			
05-	हिमाचल प्रदेश विद्युत परियोजनाओं में इक्विटी योगदान-			
	राज्य भाग			
	मूल	500.00		
			125.00	..
				(-)125.00
	पुनर्वि०	(-)375.00		
₹ 125.00 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 375.00 लाख की कमी लेखा आपत्ति का निवारण करने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई ।				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

₹ 125.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

01-	जल विद्युत उत्पादन-				
789-	अनुसूचित जातियों विशेष घटक योजना-				
04-	ग्रीन एनर्जी I और II के लिए इक्विटी-				
	राज्य भाग				
(i)	मूल	25.00	25.00	..	(-)25.00

4851- ग्राम और लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय-

789-	अनुसूचित जातियों विशेष घटक योजना-				
01-	शेयर पूंजी निवेश-				
	राज्य भाग				
(ii)	मूल	3.00	3.00	..	(-)3.00

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 28.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

02-	भवनों का निर्माण-				
	राज्य भाग				
	मूल	123.00			
	पूरक	272.50	489.83	285.98	(-)203.85
	पुनर्वि०	94.33			

₹ 203.85 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान ₹ 94.33 लाख का आवर्धन कार्यों के अधिक निष्पादन के कारण हुआ जोकि अनावश्यक सिद्ध हुआ।

₹ 203.85 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

06-	जिला उद्योग केन्द्र भवन-				
	राज्य भाग				
	मूल	25.00	25.00	19.97	(-)5.03

₹ 5.03 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

08-	विभिन्न औद्योगिक पार्कों की स्थापना-				
	राज्य भाग				
(i)	मूल	125.00	125.00	..	(-)125.00

10-	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए				
	क्लस्टर विकास कार्यक्रम-				
	राज्य भाग				
(ii)	मूल	25.00	25.00	..	(-)25.00

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 150.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

5053- नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

02-	<i>विमानपत्तन-</i>			
789-	अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-			
01-	हैलीपैड तथा हवाई पट्टियों का निर्माण- राज्य भाग			
	मूल	76.00		
		
	पुनर्वि०	(-)76.00		..
	मार्च 2025 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 76.00 लाख का समस्त प्रावधान संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने के कारण कम कर दिया गया।			
02-	एयरपोर्ट्स/हेलीपोर्ट्स का विकास- राज्य भाग			
	मूल	28,077.00		
	पूरक	0.01	28,077.00	.. (-)28,077.00
	पुनर्वि०	(-)0.01		
	₹ 28,077.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।			
5054-	सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-			
04-	<i>जिला तथा अन्य सड़कें-</i>			
789-	अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-			
01-	ग्रामीण सड़कों का निर्माण- राज्य भाग			
	मूल	7,934.00	7,934.00	4,738.79 (-)3,195.21
	₹ 3,195.21 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।			
03-	प्रतिपूरक पौधोरोपण (वन भूमि की लागत और नेट प्रोजेक्ट वेल्यू की अदायगी)- राज्य भाग			
	मूल	504.00	504.00	.. (-)504.00
	₹ 504.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।			
04-	पुलों का निर्माण- राज्य भाग			
(i)	मूल	1,637.00	1,637.00	972.31 (-)664.69
05-	सड़क किनारे सुविधा- राज्य भाग			
(ii)	मूल	202.00	202.00	40.01 (-)161.99
	उपरोक्त दो मामलों में ₹ 826.68 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।			
09-	मुख्य जिला सड़कें-			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

	राज्य भाग				
	मूल	72.00	72.00	..	(-)72.00
	₹ 72.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।				
10-	राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के अंतर्गत सड़कों का निर्माण- राज्य भाग				
(i)	मूल	15,365.00	15,365.00	12,937.31	(-)2,427.69
11-	ग्रामीण सड़क विश्व बैंक- राज्य भाग				
(ii)	मूल	2,800.00	2,800.00	560.00	(-)2,240.00
12-	केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत सड़कों का निर्माण- केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(iii)	मूल	6,238.00	6,238.00	4,450.26	(-)1,787.74
13-	सड़कों और पुलों की डिजाइन/विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के लिए परामर्श- राज्य भाग				
(iv)	मूल	50.00	50.00	13.28	(-)36.72
15-	ब्लैक स्पॉट्स का सुधार, सड़क सुरक्षा के उपाय और जियोमेट्रिक्स और राइडिंग में सुधार- राज्य भाग				
(v)	मूल	252.00	252.00	87.49	(-)164.51
16-	मुख्यमंत्री सड़क योजना- राज्य भाग				
(vi)	मूल	1,058.00	1,058.00	331.80	(-)726.00
	उपरोक्त छः मामलों में ₹ 7,382.86 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।				
17-	मध्यस्था मामलों का भुगतान (सड़कें और पुल)- राज्य भाग				
(i)	मूल	126.00	126.00	..	(-)126.00
5055-	सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय-				
789-	अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-				
03-	उप मंडल/खण्ड स्तर पर बस अड्डों का निर्माण-				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

	राज्य भाग				
(ii)	मूल	442.00	442.00	..	(-) 442.00
5075-	अन्य परिवहन सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय-				
60-	अन्य-				
789-	अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-				
01-	रोपवे तथा तीव्र परिवहन प्रणाली-				
	राज्य भाग				
(iii)	मूल	25.00	25.00	..	(-) 25.00
5452-	पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय-				
01-	पर्यटक अवसंरचना-				
789-	अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-				
01-	पर्यटन विकास-				
	राज्य भाग				
(iv)	मूल	171.00	171.00	..	(-) 171.00
	उपरोक्त चार मामलों में ₹ 764.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।				
6225-	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, एवं अन्य पिछड़े वर्गों एवं अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए ऋण-				
01-	अनुसूचित जातियों का कल्याण-				
789-	अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-				
02-	एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के तहत परिवारों के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए ब्याज मुक्त ऋण-				
	राज्य भाग				
	मूल	3.00	
	पुनर्वि०	(-) 3.00	
	मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3.00 लाख का समस्त प्रावधान ऋण मामलों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया।				
6801-	विद्युत परियोजनाओं के लिए ऋण-				
789-	अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-				
02-	हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम लिमिटेड को ऋण-				
	राज्य भाग				
(i)	मूल	76.00	76.00	..	(-) 76.00
07-	हिमाचल प्रदेश विद्युत क्षेत्र विकास कार्यक्रम-				
	राज्य भाग				
(ii)	मूल	252.00	252.00	..	(-) 252.00

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

08-	जल विद्युत परियोजना रेवी कोठी, साई कोठी I और II- राज्य भाग				
(iii)	मूल	302.00	302.00	..	(-)302.00
09-	हिमाचल प्रदेश विद्युत क्षेत्र विकास कार्यक्रम- राज्य भाग				
(iv)	मूल	75.00	75.00	..	(-)75.00
10-	बाह्य सहायता परियोजना के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश विद्युत क्षेत्र विकास कार्यक्रम- राज्य भाग				
(v)	मूल	328.00	328.00	..	(-)328.00
11-	हिमाचल प्रदेश विद्युत क्षेत्र विकास कार्यक्रम (हिम उर्जा)- राज्य भाग				
(vi)	मूल	126.00	126.00	..	(-)126.00

उपरोक्त छः मामलों में ₹ 1,159.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

(vi)	उपरोक्त बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसन्तुलित हुई:-			
	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
			(₹ लाख में)	

**4202- शिक्षा, खेजकूद, कला तथा संस्कृति पर
पूंजीगत परिव्यय-**

01- सामान्य शिक्षा-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

02- भवन (माध्यमिक शिक्षा)-

राज्य भाग

मूल 806.00

पूरक 70.00

956.00

956.00

..

पुनर्वि0 80.00

मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 80.00 लाख का आवर्धन कार्यों के अधिक निष्पादन के कारण हुआ।

4210- चिकित्सा एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-

03- चिकित्सा शिक्षा प्रशिक्षण एवं अनुसंधान-

789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-

10- राष्ट्रीय तृतीयक स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

केन्द्रीय प्रायोजित योजना
पूरक 477.54

577.54 577.54 ..

पुनर्वि० 100.00

मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 100.00 लाख का आवर्धन भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति के कारण हुआ। जबकि भारत सरकार से ₹ 297.54 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ था।

4215- जलापूर्ति तथा स्वच्छता पर पूंजीगत परिव्यय-

01- जलापूर्ति-

789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-

09- मुख्यमंत्री ग्रामीण पेय जल आपूर्ति योजना-बाह्य
सहायता प्राप्त प्रोजेक्ट (राष्ट्रीय विकास बैंक)-
राज्य भाग

मूल 2,519.00

पूरक 1,844.55 5,038.00 5,036.31 (-)1.69

पुनर्वि० 674.45

मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 674.45 लाख का आवर्धन कार्यों के अधिक निष्पादन के कारण हुआ।

11- पुराने पानी की आपूर्ति योजनाओं की मरम्मत/
नवीकरण-
राज्य भाग

मूल 2,519.00

3,778.50 3,801.62 (+)23.12

पूरक 1,259.50

₹ 23.12 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

02- मल निकासी तथा सफाई-

789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-

04- ग्रामीण क्षेत्रों में सीवरेज योजनाएँ (ग्रामीण अवसंरचना
विकास निधि के अंतर्गत)-
राज्य भाग

मूल 304.00

552.26 447.43 (-)104.83

पुनर्वि० 248.26

₹ 104.83 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 248.26 लाख का आवर्धन कार्यों के अधिक निष्पादन के कारण हुआ जोकि अत्यधिक सिद्ध हुआ।

₹ 104.83 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

4701- प्रमुख एवं मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

20-	<i>फिनासिंह परियोजना (सवाणिज्जिक)-</i>			
789-	अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-			
04-	फिना सिंह परियोजना-			
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना			
(i)	मूल	1.00		
			1,700.33	302.32
				(-)1,398.01
	पुनर्वि०	1,699.33		
	राज्य भाग			
(ii)	मूल	2.00		
			190.42	33.59
				(-)156.83
	पुनर्वि०	188.42		

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 1,554.84 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,887.75 लाख का आवर्धन भारत सरकार से निधियों की अधिक प्राप्ति के अनुपात में राज्य की हिस्सेदारी जारी करने के कारण हुआ जोकि अत्यधिक सिद्ध हुआ।

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 1,554.84 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

4702-	लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय-			
789-	अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-			
05-	राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक			
	के अंतर्गत विभिन्न जिलों में बहाव			
	सिंचाई योजना-			
	राज्य भाग			
(i)	मूल	800.00		
			1,655.96	1,566.31
				(-)89.65
	पुनर्वि०	855.96		

4711-	बाढ़ नियन्त्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय-			
01-	<i>बाढ़ नियन्त्रण-</i>			
789-	अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-			
04-	ग्रामीण अवसरंचान विकास कोष-			
	राज्य भाग			
(ii)	मूल	116.00		
			333.73	248.01
				(-)85.72
	पुनर्वि०	217.73		

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 175.37 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,073.69 लाख का आवर्धन कार्यों के अधिक निष्पादन के कारण हुआ जोकि अत्यधिक सिद्ध हुआ।

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 175.37 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (समाप्त)

4801-	बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय-				
01-	पनबिजली उत्पादन-				
789-	अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-				
05-	हिमाचल प्रदेश विद्युत कॉर्पोरेशन लिमिटेड				
	से इक्विटी योगदान-				
	राज्य भाग				
	पूरक	0.01			
			375.00	125.00	(-)250.00
	पुनर्वि०	374.99			

₹ 250.00 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2025 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 374.99 लाख का आवर्धन विद्युत कॉर्पोरेशन में इक्विटी योगदान के कारण हुआ जोकि अत्यधिक सिद्ध हुआ।

₹ 250.00 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

विनियोग लेखे
(परिशिष्ट)
(सभी दत्तमत)

(विनियोग लेखाओं के सारांश में सन्दर्भित)

वर्ष 2024-25 के लेखाओं में व्यय में कमी के रूप में समायोजित वसूलियों के अनुमानों और वास्तविकताओं के आँकड़ों का अनुदानवार विवरण

अनुदान संख्या व नाम	बजट अनुमान		वास्तविक आंकड़े		बजट अनुमानों की तुलना में वास्तविक आंकड़ें	
	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	वृद्धि (+)/ह्रास (-) राजस्व	पूंजीगत
1	2	3	4	5	6	7
(₹ हजार में)						
3- न्याय प्रशासन-	2,00,01	..	26,21	..	(-1,73,80)	..
5- भू-राजस्व व जिला प्रशासन-	8,50,60,29	..	7,20,47,98*	..	(-1,30,12,31)	..
08- शिक्षा	2,74,13,00	..	2,26,18,62	..	(-47,94,38)	..
10- लोक निर्माण - सड़क, पुल एवं भवन-	12,17,72,35	..	6,98,90,22	..	(-5,18,82,13)	..
11- कृषि-	..	45,42,95	..	38,44,75	..	(-6,98,20)
12- उद्यान-	1	10,93,10	..	9,07,85	(-1)	(-1,85,25)
13- सिंचाई, जलापूर्ति एवं सफाई-	12,00,61,73	..	9,20,39,33	..	(-2,80,22,40)	..
14-पशुपालन, दुग्ध विकास एवं मतस्य-	1,50,00	..	1,09,06	..	(-40,94)	..
16- वन और वन्य जीवन-	1,26,00,00	..	1,05,56,98	..	(-20,43,02)	..
17-निर्वाचन-	1,00,00,00	..	(+1,00,00,00)	..
19-सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता-	68,07,79	..	1,11,15,51	..	(+43,07,72)	..
25-सड़क और जल परिवहन-	3,34,00,00	..	(+3,34,00,00)
26-पर्यटन और नागर विमानन-	1	19,74,99	(-1)	(+19,74,99)
29-वित्त-	2,70,00,00	..	1,60,20,84	..	(-1,09,79,16)	..
31-जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम-	2,17,28,06	..	34,50,12	..	(-1,82,77,94)	..
32-अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रम-	25,04,00	..	2,14,65	6,00,00	(-22,89,35)	(+6,00,00)
सकल जोड़-	42,52,97,25	56,36,05	30,80,89,52	4,07,27,59	(-11,72,07,73)	(+3,50,91,54)

*वित्त लेखे की विवरणी संख्या 21 में दर्शाये गये ब्यौरे से राज्य आपदा प्रबंधन निधि में से प्रयुक्त राशि को घटाएं।

© भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in

<https://cag.gov.in/ae/himachal-pradesh/hi>

